



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
एकीकृत वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्र. 5
(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
एकीकृत वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्र. 5
(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

विषय-सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	iii
	कार्यकारी सारांश	v
अध्याय I : परिचय		
1.1	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली	1
1.2	परियोजना की लागत	1
1.3	आई.एफ.एम.आई.एस. की व्यापक तकनीकी विशेषताएं	2
1.4	संगठनात्मक संरचना	2
1.5	लेखापरीक्षा उद्देश्य	2
1.6	लेखापरीक्षा मानदंड	3
1.7	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	3
1.8	परियोजना की आयोजना	3
1.9	माँड्यूल्स की स्थिति	5
1.10	लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संयोजन	5
अध्याय II : परियोजना कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन		
2.1	परियोजना कार्यान्वयन	8
2.2	आईएफएमआईएस में बिजनेस रूल की मैपिंग	17
2.3	परियोजना एकीकरण	20
2.4	वित्तीय प्रबंधन	22
2.5	निगरानी	28
2.6	निष्कर्ष	30
2.7	अनुशंसाएँ	30
अध्याय III: एप्लिकेशन विकास एवं परिचालन		
3.1	सिस्टम रिक्वयरमेंट स्पेशिफिकेशन और सिस्टम डिज़ाइन दस्तावेज़	32
3.2	कार्यात्मकता का अपर्याप्त प्रावधान/ उपयोग	33
3.3	नियमों की मैपिंग न होना	39
3.4	इनपुट नियंत्रण	41
3.5	प्रक्रिया नियंत्रण	45

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
3.6	प्राधिकार एवं सत्यापन जाँच	49
3.7	निष्कर्ष	57
3.8	अनुशंसाएँ	57
अध्याय IV: एप्लीकेशन सुरक्षा		
4.1	एप्लीकेशन सुरक्षा	59
4.2	निष्कर्ष	71
4.3	अनुशंसाएँ	71
अध्याय V: महालेखाकार के कार्यों के साथ आईएफएमआईएस का एकीकरण		
5.1	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली	73
5.2	मानक प्रपत्रों के प्रावधान	80
5.3	निष्कर्ष	83
5.4	अनुशंसाएँ	83
परिशिष्ट		85
संक्षेपों की शब्दावली		155

प्रस्तावना

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानसभा में रखे जाने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं, जो 2019-21 की अवधि के नमूना लेखा परीक्षण के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे; आवश्यकतानुसार, 2021 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गयी है।

कार्यकारी सारांश



अध्याय I: परिचय

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, राज्य का बजट को तैयार करने तथा समस्त प्राप्तियों और व्यय के उचित वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस), ₹ 199.52 करोड़ रुपये की लागत से राज्य शासन के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में निधि आवंटन एवं वित्तीय लेनदेनों के ऑनलाइन वास्तविक समय में प्रबंधन, निगरानी और नियंत्रण के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत 2010 में प्रारंभ की गई एक वेब-आधारित वित्तीय लेखा प्रणाली है। मार्च 2022 के अंत तक परियोजना के लिए किया गया व्यय ₹ 160.74 करोड़ था, जिसमें वार्षिक रखरखाव तथा अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत सम्मिलित है। लेखापरीक्षा ने 2019-21 की अवधि के लिए दो विशिष्ट मॉड्यूल यथा बजट तथा प्राप्ति एवं संवितरण की विस्तृत संवीक्षा के साथ साथ आईएफएमआईएस के अनुबंध के निष्पादन का परीक्षण किया।

अध्याय II: परियोजना कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन

यह देखा गया कि आईएफएमआईएस के विकास और कार्यान्वयन के दौरान आईएफएमआईएस के लिए अलग से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता उपलब्ध नहीं था। सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा और हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर के प्रदाय करने और स्थापना में विलंब हुआ। 16 मॉड्यूल में से गो-लाइव के लिए केवल दस मॉड्यूल साईन ऑफ किए गए थे। इसलिए, शासन, परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिए तथा गो-लाइव के लिए कार्योंत्तर अनुमोदन करने से बचने हेतु निगरानी तंत्र में सुधार करने पर विचार कर सकता है।

शासन, परियोजना को समग्र रूप से पूर्ण करने के स्थान पर मॉड्यूल-वार पूर्णता के आधार पर भुगतान की अनुमति देने हेतु सहमत हुआ, जिससे अनुबंध के प्रावधान के संबंध में जटिलताएं उत्पन्न हुईं। पहले के सॉफ्टवेयर से डेटा का माइग्रेशन पूर्ण नहीं हुआ था और विभाग को रखरखाव के लिए ₹ 4.46 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा। एसआई ने प्रमुख संसाधनों को बदल दिया, जिसमें से पर्याप्त संख्या में संसाधन साइट से पूर्ण रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। विभाग गो-लाइव के लिए साईन ऑफ मॉड्यूल हेतु परीक्षण की गई कार्यात्मकताओं का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। शासन परियोजना सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित कर सकता है एवं परिसंपत्तियों की सूची की निगरानी के लिए एक कुशल प्रणाली विकसित कर सकता है। शासन सभी मॉड्यूलों के लिए एसआरएस में परिकल्पित की गई पूर्ण कार्यात्मकताओं के आधार पर भुगतान को विनियमित करने पर भी विचार कर सकता है।

कोर कोड में हार्ड-कोडिंग और तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण न होने के कारण विक्रेता निर्भरता जारी रहने की संभावना थी। प्रशिक्षुओं को केवल उपयोक्ता प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, हालांकि, तकनीकी स्टाफ एवं प्रबंधन को तकनीकी प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण और ओईएम प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए गए थे। आईएफएमआईएस में परिणामों की निगरानी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, रूझान विश्लेषण एवं पूर्वानुमान करने वाली एमआईएस रिपोर्टों के लिए डेटा विश्लेषण क्षमता सृजित होना नहीं पाया गया था। परियोजना में असामान्य रूप विलंबित हुई एवं जैसा कि विभाग आईएफएमआईएस

नैक्सट जेन की ओर स्विच हो रहा है, शेष अधूरे माँड्यूल इस स्थिति में पूर्ण होने की संभावना नहीं है। 2.37 लाख शिक्षण संवर्ग के विलय की याचिका के कारण परियोजना लागत में ₹ 69.52 करोड़ रुपये की अवांछित वृद्धि हुई थी। वार्षिक अनुरक्षण ठेके और माँड्यूल-वार समापन पर विचार न किए जाने के कारण भी अधिक भुगतान के दृष्टांत भी अवलोकित किए गए थे। अप्रैल 2015 के बाद शीर्ष संचालन समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी। ठेके में किए गए प्रावधान की तुलना में एसआई द्वारा अपर्याप्त मासिक रिपोर्टिंग की गई थी। शासन द्वारा एसआई के निष्पादन की निगरानी के लिए विभिन्न समितियों की बैठकों का समय पर आयोजन सुनिश्चित किया जा सकता है।

अध्याय III: एप्लिकेशन डेवलपमेंट एवं ऑपरेशन

एप्लिकेशन विकास के दौरान, आईएफएमआईएस के बजट माँड्यूल तथा प्राप्ति और संवितरण (आर एंड डी) माँड्यूल के मामले में, लेखापरीक्षा ने सिस्टम डिजाइन में कमियों, खराब डेटा गुणवत्ता और व्यावसायिक नियमों की अपर्याप्त मैपिंग के उदाहरणों को अवलोकित किया, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण डेटा की उपलब्धता, इनपुट नियंत्रण की कमी और डेटा सत्यापन का अभाव हुआ। आवश्यक व्यावसायिक नियमों की मैपिंग न होने के उदाहरण देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण के बिना रिफंड हुआ। शासन, आईएफएमआईएस नेक्सट-जेन के विकास के दौरान रूपांकन की कमियों से बचने एवं इत्यादि के लिए पर्याप्त सत्यापन जाँचों, प्राधिकार तंत्र के माध्यम से आईएफएमआईएस को संपूर्ण ओवरहॉल करने की आवश्यकता को आंकलित कर सकता है।

यह देखा गया कि बजट कार्यक्रम को सिस्टम द्वारा सक्रिय नहीं किया गया था। बजट समर्पण के लिए ट्रिगर को सिस्टम में सम्मिलित नहीं किया गया था, तथापि, वित्तीय वर्ष के अंत में सारभूत राशियां समर्पित की गई थी। प्राप्ति बजट और वास्तविक प्राप्तियों के लेखाओं के शीर्षों की मैपिंग संबंधित विसंगतियां थीं।

आकस्मिकता निधि के भुगतान और पुनर्प्राप्ति को पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया गया था और सिस्टम के माध्यम से संसाधित नहीं किया गया था। हेल्पडेस्क और शिकायत प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि दर्ज की गई शिकायतों में से 97 प्रतिशत (2020-21) और 93 प्रतिशत (2021-22) निर्दिष्ट समाधान समय के 24 घंटे के बाद बंद किया गया था। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश कोष संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व शीर्ष में व्यपगत जमा राशि को जमा करने की प्रक्रिया को आईएफएमआईएस में मैप नहीं किया गया था।

इनपुट नियंत्रणों को अपर्याप्त विचारित किया गया क्योंकि मास्टर तालिकाओं में, बैंक स्कॉल से संबंधित तालिकाओं में तथा बिल रजिस्टर ट्रांजेक्शन तालिकाओं में दोहरे और अमान्य डेटा देखा गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे उदाहरण देखे गए जहाँ प्राप्ति डेटा तालिका में पूंजीगत परिव्यय के बजाय मुख्य शीर्षों के तहत प्राप्तियों के रूप में गलत तरीके से दर्ज किए गए ट्रांजेक्शन सम्मिलित थे और कुछ चालान प्राप्ति ट्रांजेक्शन में, चालान की राशि ऋणात्मक पाई गई थी। उपर्युक्त कमियां यह दर्शाती हैं कि सिस्टम में आवश्यक इनपुट नियंत्रण पर्याप्त रूप से मैप नहीं किए गए थे। इस प्रकार, अमान्य डेटा के आधार पर तैयार रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होंगी एवं आगे के ट्रांजेक्शन या प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं होंगी।

आईएफएमआईएस के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के डाटा प्रोसेसिंग में विसंगतियां थीं। एनपीएस राशि भेजने के लिए तैयार की गई ई-फाइल में कर्मचारियों और कर्मचारी-वार एनपीएस के योगदान के

विवरण नहीं थे। विफल भुगतान से संबंधित लेनदेन में विसंगतियां अवलोकित की गईं तथा सिस्टम में यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण की कमी थी कि विफल ट्रांजेक्शन को पुनः संसाधित किया जाए और उसी पक्ष को भुगतान किया जाए जिसका भुगतान मूल रूप से विफल हो गया था। शासन विफल ट्रांजेक्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए प्रणाली में एक तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकता है और विफल ट्रांजेक्शन के पुनः प्रसंस्करण के लिए नियंत्रण तंत्र विकसित कर सकता है।

प्राप्ति बजट तालिकाओं के विश्लेषण के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि सिस्टम में प्राप्ति अनुमान को प्राधिकृत करने को सुनिश्चित नहीं किया गया था। बजट समर्पण के लिए कर्तव्यों के पृथक्करण का पालन नहीं किया गया था क्योंकि समर्पण की गई राशियों को एक ही चरण में या तो निर्माता या सत्यापनकर्ता या अनुमोदनकर्ता द्वारा समर्पित किया गया था। बिलों के प्रसंस्करण में जाँच का अभाव था क्योंकि बिलों के भुगतान के लिए स्वीकृति को प्रणाली में उचित रूप से दर्ज नहीं की गई थी और कुछ प्रकरणों में, भुगतान की गई राशि स्वीकृत राशि से अधिक थी। शासन यह सुनिश्चित कर सकता है कि एसआई द्वारा निष्पादन को और ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली को मापने के लिए स्वचालित उपकरण आधारित निगरानी प्रणाली प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त, सिस्टम तालिका में बैंक ट्रांजेक्शन से संबंधित विश्वास न करने योग्य डेटा दर्ज पाये गए थे, जबकि बिलों की आवाजाही का विवरण पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बिल आवाजाही में निगरानी अपर्याप्त थी।

अध्याय IV: एप्लिकेशन सुरक्षा

एक सूचना परिसंपत्ति, एक इकाई द्वारा निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए परिशुद्ध डेटा या जानकारी को प्रदान करने से संबंधित होती है। इसे संगठन के लिए मूल्यवान माना जाता है और इसलिए गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करके इसकी रक्षा की जानी चाहिए।

यह अवलोकित किया गया कि सिस्टम की सुरक्षा लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा नहीं की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या लेनदेन में डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन का उपयोग नहीं किया गया था एवं डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बिल/ उप-प्रमाणक संवितरण कार्यालय को अग्रेषित किए गए थे। सेवानिवृत्त कर्मचारी/उपयोगकर्ता की आईडी निष्क्रिय न किए जाने के कारण कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी आईएफएमआईएस एप्लिकेशन में लॉगिन करने और ट्रांजेक्शन करने में सक्षम थे। इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त उपयोगकर्ता प्रबंधन था एवं रोल आधारित प्राधिकार को सुनिश्चित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में लॉजिकल एक्सेस नियंत्रण अपर्याप्त थे तथा व्यावसायिक नियम मैप नहीं हुए थे। यह अवलोकित किया गया कि 12 उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन उपयोगकर्ता मास्टर तालिका में दर्ज नहीं किए गए थे। सिस्टम को बैंक एंड समायोजन के लिए ग्रहणशील पाया गया। बिजिनेस कंटीन्यूइटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान का परीक्षण का अभ्यास संचालित करके नहीं किया गया था। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधारभूत डेटा अपूर्ण था और कार्यात्मकता को परिकल्पित रूप से लागू नहीं किया गया था। शासन, एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा का नियमित कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकता है और प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा को अनिवार्य आवश्यकता बना सकता है और इसे आवश्यक सत्यापन जाँच के साथ लागू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी भी अनधिकृत ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपयोगकर्ता आईडी को आवश्यक रूप से निष्क्रिय करना लागू किया जा सकता है। साथ ही, शासन यह

सुनिश्चित कर सकता है कि बिज़नेस कंटीन्यूइटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान का परीक्षण संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए।

अध्याय V: महालेखाकार के कार्यों के साथ आईएफएमआईएस का एकीकरण

यह देखा गया कि आईएफएमआईएस में महालेखाकार (ए एंड ई) कार्यालय द्वारा वर्गीकरण जाँच के लिए बजट तथा प्राप्ति और व्यय के विवरण को केप्चर करने की सुविधा नहीं थी। राज्य शासन द्वारा जारी सहायता अनुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की निगरानी से संबंधित कार्यात्मकता को सिस्टम में प्रदान नहीं किया गया था। ट्रान्सफर एंट्री के बिना डेटा में सुधार किए गए थे। महालेखाकार कार्यालय को भेजने से पहले मासिक खाते को फ्रीज करने में विलंब हुआ था। महालेखाकार कार्यालय में लेखा प्रस्तुत करने के बाद भी डेटा में परिवर्तन को अनुमत करने के कारण मासिक लेखाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। यह भी अवलोकित किया गया कि महालेखाकार की स्वीकृति के विवरण को सिस्टम में दर्ज किए बिना आहरण और संवितरण अधिकारी (01 जुलाई 2020 से पहले) बनाए गए थे। शासन यह सुनिश्चित कर सकता है कि आईएफएमआईएस महालेखाकार कार्यालय के सिस्टम के अनुकूल हो क्योंकि विभाग, ई-सिस्टम में भी नियमों के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं को और डेटा को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि सिस्टम में सीपीडब्ल्यूए कोड/ एमपीटीसी के मानक प्रपत्रों के प्रावधान नहीं किए गए थे और मासिक लेखाओं के साथ सहायक प्रपत्र उपलब्ध नहीं थे। शासन यह सुनिश्चित कर सकता है कि सीपीडब्ल्यूए संहिता तथा एमपीटीसी के अनुसार लेखों के प्रासंगिक प्रपत्रों का प्रावधान आईएफएमआईएस में किया गया है।

अध्याय । परिचय



अध्याय 1 परिचय

वित्त विभाग (डीओएफ), मध्य प्रदेश शासन (जीओएमपी), राज्य की सभी प्राप्तियों और व्ययों की निगरानी करता है। विभाग बजट के आवंटन और निगरानी, विभिन्न योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता का आंकलन करने और इक्विटी, ऋण, डिबेंचर इत्यादि में शासकीय निवेश की स्थिति की निगरानी करने इत्यादि, उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने का भी काम करता है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 में, मध्य प्रदेश शासन ने अपने कोषालय संचालनों का कम्प्यूटरीकरण प्रारंभ किया। इससे राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एस.एफ.एम.एस.) का उदय हुआ। विभाग ने एस.एफ.एम.एस. को केंद्रीकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी-एस.एफ.एम.एस.) में उन्नत किया।

सी-एस.एफ.एम.एस. प्रौद्योगिकी अप्रचलन का सामना कर रहा था और उसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक उन्नयनों की आवश्यकता थी। इसलिए, विभाग का प्रयोजन उन सभी हितधारकों, जो सी-एस.एफ.एम.एस. द्वारा कवर नहीं किए गए थे, को कवर करने के लिए सिस्टम का कार्यक्षेत्र और सीमाओं को बढ़ाना था। इसके परिणामस्वरूप, एक राज्य-व्यापी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) का उदय हुआ, जो शासन को विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान को सक्षम बनाती है।

1.1 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत 2010 में प्रारंभ की गई एक वेब-आधारित वित्तीय लेखांकन प्रणाली है। इस पहल में पहला कदम कोषालय कम्प्यूटरीकरण परियोजना था जिसे भारत सरकार के वित्त पोषण से राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक संपूर्ण एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में समस्त निधि आवंटनों और वित्तीय लेन-देनों के वास्तविक समय में ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और नियंत्रण को सक्षम बनाता है।

प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य, शासन के वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने में सुधार करने के उद्देश्य से डी.डी.ओ., जिला/उप-कोषालयों, राज्य मुख्यालय में वित्त विभाग और महालेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार जैसे अन्य हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के मध्य ऑनलाइन इंटरफेस के माध्यम से राज्य शासन के वित्त के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय कोष एवं लेखा (डी.टी.ए.), भोपाल आई.एफ.एम.आई.एस. के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

1.2 परियोजना की लागत

शासन द्वारा आई.एफ.एम.आई.एस. के लिए ₹ 120.17 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (जून 2010)। परियोजना का फरवरी 2012 तक पूर्ण होना निर्धारित था। शासन द्वारा कार्यान्वयन के लिए ₹ 149.55 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (फरवरी 2012)। शासन द्वारा परियोजना लागत को पुनः ₹ 199.52 करोड़ तक पुनरीक्षित किया गया (सितंबर 2019)।

आई.एफ.एम.आई.एस. के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी.सी.एस.) को सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) (कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग उपकरणों की आपूर्ति, वारंटी और पोस्ट वारंटी सहित) के रूप में नियुक्त किया गया था एवं आयुक्त, कोष एवं लेखा (सीटीए) तथा मेसर्स टी.सी.एस.

लिमिटेड के मध्य ₹ 120.17 करोड़ हेतु एक अनुबंध निष्पादित किया गया (जुलाई 2010)। यह परियोजना राज्य के समस्त कार्यालयों में क्रियाशील होनी थी।

1.3 आई.एफ.एम.आई.एस. की व्यापक तकनीकी विशेषताएं

आई.एफ.एम.आई.एस. के कार्यान्वयन का लक्ष्य राज्य में लोक वित्त के बेहतर प्रबंधन हेतु विद्यमान प्रक्रियाओं को सुधारना था। आई.एफ.एम.आई.एस. का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप शासकीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का ध्यान केंद्रित करना है। आई.एफ.एम.आई.एस. में तीन उप-प्रणालियाँ सम्मिलित हैं यथा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफ.एम.आई.एस.), मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.आर.एम.आई.एस.) और पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (पी.एम.आई.एस.)। इन तीन उप-प्रणालियों को आगे सोलह मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। वेब पोर्टल (साइबर ट्रेजरी) मॉड्यूल भी सिस्टम के एक भाग के रूप में स्थित है।

1.4 संगठनात्मक संरचना

अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) वित्त विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त, कोष एवं लेखा (सी.टी.ए.) संचालक, कोष एवं लेखा (डी.टी.ए.) की कार्य-पद्धति को नियंत्रित करते हैं। डी.टी.ए., जो कोषालयों और उप-कोषालयों की कार्य-पद्धति का प्रबंधन करते हैं, आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

चार्ट 1.1



1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि क्या:

- आई.एफ.एम.आई.एस. का परियोजना प्रबंधन कुशल और प्रभावी था;
- आई.एफ.एम.आई.एस. का रूपांकन एवं विकास, बजट मॉड्यूल तथा प्राप्ति एवं संवितरण (आर एंड डी) मॉड्यूल के सभी कार्यात्मकताओं को संपादित करने के लिए पर्याप्त था ;
- आई.एफ.एम.आई.एस. के संचालन ने सुरक्षित लेन-देन के इच्छित उद्देश्यों को पूरा किया और संधारण प्रभावी था; एवं

- सिस्टम ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के कार्यों के साथ एकीकृत करने के लिए कार्यात्मकता प्रदान की।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित से लिए किए गए थे:

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.), मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.) एवं मध्य प्रदेश बजट मैनुअल (एम.पी.बी.एम.);
- आई.एफ.एम.आई.एस. के प्रबंधन हेतु समय-समय पर जारी शासकीय अधिसूचनाएं एवं निर्देश एवं विभागीय नियम एवं विनियम;
- फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एफ.आर.एस.), सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एस.आर.एस.), सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट (एस.डी.डी.) और अनुबंध के प्रावधान; एवं
- उत्तम सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रथाएँ।

1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक की दो साल की अवधि को आच्छादित किया गया, जिसमें दो विशिष्ट मॉड्यूल यथा बजट मॉड्यूल और आर.एंड डी. मॉड्यूल की विस्तृत जाँच की गई, जो क्रियाशील मॉड्यूल हैं। लेखापरीक्षा, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रयास से, दिसंबर 2021 से नवंबर 2022 तक संचालित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आई.एफ.एम.आई.एस. प्रणाली के अनुबंध निष्पादन, इसके प्रस्ताव अनुरोध (आर.एफ.पी.) में प्रस्तावित नियमों और शर्तों और आई.एफ.एम.आई.एस. के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न विक्रेताओं को किए गए भुगतानों की जाँच की, कि क्या इसमें अनुबंध अनुसार पालन किया गया या अनुमोदन के बिना कोई विचलन था। लेखापरीक्षा ने कंप्यूटर सहायित आई.टी. तकनीकों का उपयोग करके डेटा विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न नियंत्रणों की भी जाँच की। लेखापरीक्षा ने वित्त विभाग, संचालनालय, कोष एवं लेखा, चयनित विभाग के चयनित बजट नियंत्रण अधिकारियों (संचालनालयों) और चयनित जिला कोषालयों और इसके अंतर्निहित चयनित डी.डी.ओ. में संबद्ध अभिलेखों की भी जाँच की।

दिनांक 14 जुलाई 2022 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के साथ एक आगम सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली की चर्चा एवं व्याख्या की गई थी। निर्गम सम्मेलन दिनांक 20 जून 2023 को आयोजित किया गया। शासन के उत्तरों को उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

1.8 परियोजना की आयोजना

1.8.1 सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन

डी.टी.ए., वित्त विभाग, म.प्र. शासन ने आई.एफ.एम.आई.एस. के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन और नियुक्ति के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आर.एफ.पी.) तैयार किया। आर.एफ.पी. में प्रक्रिया विवरण, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, प्रमुख व्यावसायिक योग्यता, कार्यान्वयन के लिए समय सारिणी, बिल ऑफ मटेरियल आदि सम्मिलित थे। परियोजना का निधिकरण भारत सरकार की निधि और राज्य शासन की निधियों से किया जाना प्रस्तावित था।

डी.टी.ए. ने आई.एफ.एम.आई.एस. के विकास, कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रबंधन (कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग की आपूर्ति, वारंटी सहित) के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.आई.) के रूप में कार्य करने हेतु फर्मों या फर्मों के संकाय से बोली आमंत्रित की (नवंबर 2009)। इसके उत्तर में, कुल चार प्रतिष्ठानों ने अपनी बोलियाँ प्रस्तुत कीं और विभाग की तकनीकी समिति और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी.) ने तकनीकी बोली रिपोर्ट का मूल्यांकन किया और सभी बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया। कुल परियोजना लागत ₹ 120.17 करोड़ के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टी.सी.एस.) को एस.आई. के रूप में चुना गया।

मार्च 2022 के अंत तक परियोजना पर किया गया व्यय ₹ 108.39 करोड़ था जिसमें मैनेज्ड आई.टी. चरण और विस्तारित मैनेज्ड आई.टी. चरण के दौरान चेन्ज रिक्वेस्ट, संचालन और रखरखाव के लिए भुगतान सम्मिलित थे। इसके अलावा, अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद एवं इसके वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) के लिए ₹ 52.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

1.8.2 ठेके की लागत के घटक

मैनेज्ड आई.टी. चरण तक आपूर्ति, स्थापना और संचालन के लिए ₹ 120.17 करोड़ के ठेका मूल्य पर टी.सी.एस. के साथ ठेका अनुबंध निष्पादित किया गया था (जुलाई 2010)। इसके अतिरिक्त, एस.आई. के साथ विस्तारित मैनेज्ड आई.टी. चरण के लिए भी ₹ 29.37 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर एक अनुबंध निष्पादित किया गया (मार्च 2021)। स्वीकृत प्रस्ताव में सम्मिलित घटक निम्न तालिका 1.1 और तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1: परियोजना की लागत

क्र. सं.	मद	₹ करोड़ में
1.	पूंजीगत लागत	56.92
2.	मैनेज्ड आई.टी. चरण तक आवर्ती लागत (परिचालन व्यय)।	63.25
	कुल योग	120.17
3.	विस्तारित मैनेज्ड आई.टी. चरण	29.37

स्रोत: टीसीएस का बोली प्रस्ताव

तालिका 1.2: घटक-वार लागत


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय की मद	पूंजी लागत	आवर्ती लागत	कुल लागत
1.	एप्लीकेशन का विकास	5.34	6.99	12.34
2.	एप्लीकेशन उत्पाद	9.24	13.41	22.65
3.	हार्डवेयर	26.64	0	26.64
4.	संचालन एवं रखरखाव (ए.एम.सी.)	0	42	42
5.	सॉफ्टवेयर	11.51	0	11.51
6.	कार्यस्थल तैयार करना	4.18	0	4.18
7.	एस.आई. प्रशिक्षण	0	0.61	0.61
8.	ओ.ई.एम. प्रशिक्षण	0	0.24	0.24
	कुल	56.92	63.25	120.17

स्रोत: मे. टीसीएस लिमिटेड के साथ ठेका अनुबंध

1.9 मॉड्यूल की स्थिति

आई.एफ.एम.आई.एस. एप्लिकेशन के समग्र कार्यक्षेत्र में 16 मॉड्यूल सम्मिलित हैं, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है:



उपर्युक्त 16 प्रस्तावित मॉड्यूल में से, 10 मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए (गो-लाइव साइन ऑफ), एक योजना मॉड्यूल को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि योजना और गैर-योजना के बीच अंतर समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार, आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना को अपनी संकल्पना के एक दशक से अधिक समय के बाद भी अभी तक अपने सभी इच्छित उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करना शेष था।

1.10 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संयोजन

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार व्यवस्थित किए गए हैं:

- अध्याय I : परिचय
- अध्याय II : परियोजना कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन
- अध्याय III : एप्लीकेशन विकास और संचालन
- अध्याय IV : एप्लीकेशन सुरक्षा
- अध्याय V : महालेखाकार के कार्यों के साथ आई.एफ.एम.आई.एस. का एकीकरण

अध्याय ॥
परियोजना कार्यान्वयन
और वित्तीय प्रबंधन



अध्याय ॥ परियोजना कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन

सारांश

परियोजना कार्यान्वयन:

परियोजना प्रबंधन सलाहकार के साथ अनुबंध 30 जून 2011 को समाप्त कर दिया गया था, उसके पश्चात आईएफएमआईएस के विकास और कार्यान्वयन के दौरान आईएफएमआईएस के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन सलाहकार उपलब्ध नहीं था। सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में नियुक्त मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज समयावधि संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा एवं हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और स्थापना में 5 से 68 महीने तक का विलंब हुआ। मार्च 2023 तक 16 मॉड्यूल में से केवल 10 मॉड्यूल को गो-लाइव के लिए साइन ऑफ किया जा सका। शासन ने परियोजना के समग्र समापन के स्थान पर मॉड्यूल वार पूर्णता के आधार पर भुगतान की अनुमति देने पर विचार किया, जिससे अनुबंध के प्रावधान के संबंध में विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न हुईं। पहले के सॉफ्टवेयर से डेटा का माइग्रेशन पूर्ण नहीं हुआ था और सी-एसएफएमएस प्रणाली के अनुरक्षण के लिए विभाग को नवंबर 2013 में अनुरक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद सितंबर 2021 तक 4.46 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। सिस्टम इंटीग्रेटर ने निविदा में उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रमुख संसाधनों का 80 प्रतिशत बदल दिया और परिवर्तित प्रमुख संसाधनों में से, 66 प्रतिशत प्रमुख संसाधन प्रारंभिक अवधि के दौरान यथा सितंबर 2013 तक कार्यस्थल से पूर्ण रूप से अनुपस्थित पाए गए थे।

विभाग ने तृतीय पक्ष (एसटीक्यूसी) द्वारा किए गए वल्लिरेबिलिटी मूल्यांकन को फंक्शनलिटी परीक्षणों के पूर्ण होने रूप में स्वीकार किया। एसटीक्यूसी की रिपोर्ट के दायरे में वल्लिरेबिलिटी मूल्यांकन के रूप में डेटा सेंटर के 25 नेटवर्क उपकरणों और 48 सर्वरों का मूल्यांकन सम्मिलित था एवं गो-लाइव के लिए साइन ऑफ मॉड्यूल के लिए परीक्षण की गई फंक्शनलिटी का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। आगे यह देखा गया कि बिलों की संचलन स्थिति के लिए कैप्चर किए गए डोमेन वैल्यू को भी हार्डकोड किए गए थे। इस प्रकार, कोर कोड में हार्डकोडिंग और तकनीकी जानकारी के गैर-हस्तांतरण के कारण विक्रेता पर निर्भरता जारी रहने की संभावना थी।

यह भी अवलोकित किया गया कि 96 दिनों के लिए 793 प्रशिक्षुओं को केवल उपयोगकर्ता प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। डेटाबेस प्रशासकों और सिस्टम प्रबंधकों के लिए उन्नत प्रशासन प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। ओईएम और एडमिनिस्ट्रेटर प्रशिक्षण से अधिकारी वंचित रह गए थे।

वित्तीय प्रबंधन:

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में 2.37 लाख शिक्षण संवर्ग के विलय की दलील के कारण परियोजना लागत में ₹ 69.52 करोड़ रुपये की निराधार वृद्धि हुई थी।

विभाग ने सितंबर 2017 से पहले किए गए परिवर्तनों के लिए 4,083 मानव दिवसों के लिए ₹ 2.35 करोड़ की राशि का भुगतान किया, जिसमें से 781.47 मानव दिवस उन परिवर्तनों से संबंधित थे, जो पहले से ही अनुबंध के दायरे में थे या बजट नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल थे। इसलिए ₹ 0.47 करोड़ का भुगतान टालने योग्य था।

मॉड्यूल वार पूर्णता पर विचार न करने और सर्विस लेवल अनुबंध के निष्पादन का अनुपालन न करने के कारण सिस्टम इंटीग्रेटर को ₹ 15.67 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

अप्रैल 2015 के पश्चात अपेक्स स्टीरिंग कमिटी की बैठक संचालित किया जाना अभिलेखों में नहीं पाया गया। यह देखा गया कि प्रत्येक सूचना प्रणाली से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की इवेंटरी सूचना सुरक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखी जा रही थी।

2.1 परियोजना कार्यान्वयन

2.1.1 परियोजना प्रबंधन सलाहकार की अनुपलब्धता

खंड II, अनुबंध की शर्तों, परियोजना के समग्र प्रबंधन की देखभाल करने के लिए 'परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)' हेतु प्रावधानित करती हैं। पीएमयू में अपेक्स स्टीरिंग कमिटी, आयुक्त, संचालनालय कोष एवं लेखा, क्रेता के परियोजना प्रबंधक, वित्त विभाग (डीओएफ) की टीम, तकनीकी समिति, परियोजना प्रबंधन सलाहकार, सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) का प्रतिनिधि/परियोजना प्रबंधक सम्मिलित थे।

मेसर्स विप्रो लिमिटेड को प्रबंधन के लिए परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार हेतु वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था (सितंबर 2008), जिसने आईएफएमआईएस के लिए प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) तैयार किया था। इस आरएफपी (नवंबर 2009) के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गईं। पीएमसी के साथ अनुबंध 30 जून 2011 को समाप्त कर दिया गया था और विभाग ने एक नया पीएमसी नियुक्त नहीं किया था। पीएमसी के सभी कार्य विभाग द्वारा ही किये जाते थे। इस प्रकार, आईएफएमआईएस के विकास और कार्यान्वयन के दौरान आईएफएमआईएस के लिए अलग पीएमसी उपलब्ध नहीं था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि पीएमसी की अवधि नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि एसएफएमएस और सीएसएफएमएस के पूर्व ज्ञान वाले वित्त अधिकारी और तकनीकी अधिकारी विभाग में थे। इससे पीएमसी की लागत भी बच गई और इस व्यवस्था ने परियोजना हेतु ज्ञान की कमी को प्रभावित नहीं किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीएमसी, पीएमयू के तहत एक अलग इकाई थी जिसे परियोजना निगरानी और मूल्यांकन, सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) निगरानी और इश्यूस प्रबंधन आदि का उत्तरदायित्व सौंपा जाना था। पीएमसी की अनुपस्थिति में, विभाग पेशेवर सेवाओं से वंचित हुआ था, फलस्वरूप परियोजना की समय सीमा प्राप्त नहीं की जा सकी जैसा कि अनुवर्ती कंडिका 2.1.2 में दर्शाया गया है।

2.1.2 समयावधि के लक्ष्य प्राप्त न होना एवं हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर की डिलीवरी तथा स्थापना में विलंब

आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्य के लिए अनुबंध ₹ 120.17 करोड़ रुपये में जुलाई 2010 में निष्पादित किया गया था। यह अनुबंध विशिष्ट लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने को प्रावधानित करता है। अनुबंध में दिए गए समयावधि लक्ष्य के अनुसार, सभी मॉड्यूल फरवरी 2012 तक गो-लाइव होने जाने थे और सभी कार्यालयों में लागू होने थे।

यह अवलोकित किया गया कि आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन में विलंब हुआ, एवं अनुबंध के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये थे। विलंब का विवरण नीचे दी गई तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1: आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन में विलंब

क्र. सं.	लक्ष्य	अनुबंध के अनुसार	फरवरी 2022 तक वास्तविक उपलब्धि	विलंब की अवधि माहों में
1.	एसआरएस बनाना एवं साइन ऑफ	24/11/2010	अप्रैल 2011	5
2.	सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट	फरवरी 2011	फरवरी 2012	12
3.	सिस्टम आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट	फरवरी 2011	मार्च 2013	25
4.	एप्लिकेशन परीक्षण एवं यूजर	31/08/2011	आठ मॉड्यूल लंबित हैं ¹	-

1 गो-लाइव के लिए हस्ताक्षरित अंतिम मॉड्यूल पेंशन मॉड्यूल था जो 07 फरवरी 2020 को था। बाकी आठ मॉड्यूल अब तक (फरवरी 2022 तक) प्रारंभ नहीं हुए थे।

क्र. सं.	लक्ष्य	अनुबंध के अनुसार	फरवरी 2022 तक वास्तविक उपलब्धि	विलंब की अवधि माहों में
	एक्सेप्टेन्स टेस्ट			
5.	डाटा सेंटर की स्थापना	06/07/2011	जून 2015	46
6.	डेटा रिकवरी सेट अप	06/07/2011	अप्रैल 2017	68
7.	पायलट और सिस्टम गो-लाइव	फरवरी 2012	16 में से 8	-

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी

बजट मॉड्यूल और रिसीप्ट एवं डिस्बर्समेंट मॉड्यूल पर क्रमशः सितंबर 2015 और सितंबर 2018 को गो-लाइव के लिए साइन ऑफ किए गए थे। वर्ष 2011 और 2018 के मध्य विभिन्न गतिविधियों में विलंब की चर्चा नीचे की गई है:

- अनुबंध की सामान्य शर्तों की शर्त 5.2.2 के अनुसार, सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) द्वारा अनुबंध की प्रभावी तिथि से 21 दिनों के भीतर, यथा 28 जुलाई 2010² तक एक विस्तृत परियोजना आयोजना³ प्रस्तुत की जानी थी। एसआई ने विस्तृत परियोजना आयोजना को विलंब से मार्च 2011 में तैयार किया। चूंकि कार्य एसआई द्वारा प्रस्तुत परियोजना आयोजना के अनुसार नहीं था, इसलिए एसआई को संशोधित योजना प्रस्तुत करनी थी, हालांकि, एसआई ने संशोधित आयोजना प्रस्तुत नहीं की।
- एसआरएस जिसे नवंबर 2010 में प्रस्तुत किया जाना था, एसआई द्वारा मार्च 2011 में प्रस्तुत किया गया एवं विभाग द्वारा विलंब के लिए ₹ 0.32 करोड़ की शास्ति आरोपित की और कटौती की गई थी। एसआरएस में तैयार करने में विलंब के कारण एप्लिकेशन के विकास को प्रारंभ करने में विलंब हुआ।
- एसडीडी को फरवरी 2011 में प्रस्तुत किया जाना था, परन्तु एसआई द्वारा इसे फरवरी 2012 में प्रस्तुत किया गया था, एसडीडी जमा करने में विलंब से एप्लिकेशन के विकास पर भी प्रभाव पड़ा।
- अनुबंध के अनुसार, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्थानों के विवरण वाले सिस्टम आर्किटेक्चर दस्तावेज़ को फरवरी 2011 में साइन ऑफ किया जाना था, परन्तु इसे मार्च 2013 में अंतिम रूप दिया गया। इससे हार्डवेयर के क्रय और डिलीवरी में दो वर्ष का विलंब हुआ। कार्य आदेश को मार्च 2013 में जारी किया गया था और डिलीवरी मार्च 2014 से अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान जारी रही।
- विभाग द्वारा डाटा सेंटर निर्माण के लिए साइट सिस्टम इंटीग्रेटर को अक्टूबर 2010 में सौंप दी जानी थी। इसे एक वर्ष से अधिक के विलंब से जनवरी 2012 में सौंपा गया था।
- अनुबंध के अनुसार सॉफ्टवेयर/एप्लिकेशन के डिजाइन, विकास, कस्टमाइज़ करने और एकीकरण की लक्ष्यित तिथि 25 मई 2011 थी और हार्डवेयर/एलएएन/डब्लूएएन का परीक्षण और उपयोगकर्ता का स्वीकरण 06 जुलाई 2011 तक पूर्ण किए जाने थे और सिस्टम का परिचालन स्वीकरण 29 फरवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था। हालांकि, विभाग 10 जनवरी 2012 को डेटा सेंटर के लिए साइट सौंप सका था। डेटा सेंटर का परिचालन स्वीकरण विभाग द्वारा सितंबर 2015 में किया गया था एवं डेटा रिकवरी साइट का परिचालन स्वीकरण विभाग अप्रैल 2017 किया गया था।
- जुलाई 2023 तक, 16 मॉड्यूल में से केवल दस मॉड्यूल गो-लाइव के लिए साइन ऑफ किए गए थे, एप्लिकेशन के विकास के दौरान एसआई द्वारा संसाधनों की तैनाती में परिवर्तनों ने भी मॉड्यूल के विकास में विलंब हेतु योगदान दिया, जैसा कि **कंडिका 2.1.5** में दर्शाया गया है।

² अनुबंध की प्रभावी तिथि से 21 दिन अर्थात 07 जुलाई 2010।

³ वितरण और स्थापना, पायलट और गो-लाइव आयोजना, प्रशिक्षण आयोजना, परिवर्तन प्रबंधन आयोजना, तकनीकी सहायता आयोजना और परिचालन स्वीकरण, परीक्षण आयोजना जैसी मद्दे विस्तृत परियोजना आयोजना के कुछ महत्वपूर्ण घटक थीं।

- विभाग ने 31 अगस्त 2013 तक विभिन्न घटकों के लिए विलंब की गणना की एवं अनुबंध के 20 प्रतिशत की अधिकतम शास्ति अर्थात् ₹ 24.03 करोड़ का अनुमान लगाया, परन्तु विभाग ने केवल ₹ 9.90 करोड़ की शास्ति की कटौती की (दिसंबर 2021 तक)।

आगे यह देखा गया कि एप्लिकेशन के विकास में विलंब, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण, पायलट गो लाइव और डेटा सेंटर और डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना में विलंब ने विभाग को मॉड्यूल-वार पूर्णता हेतु बाध्य किया। बाद में, शासन ने संपूर्ण समाधान के स्थान पर मॉड्यूल-वार भुगतान करने को अनुमत किया (दिसंबर 2017)।

उपरोक्त तथ्यों से इंगित हुआ कि विभाग आईएफएमआईएस को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करने में विफल रहा, इसके अतिरिक्त, विलंब के लिए गणना के अनुसार शास्ति को वसूल करने में भी विफल रहा।

शासन ने तथ्यों को दोहराते हुए बताया (जुलाई 2023) कि एसआई द्वारा डेटा सेंटर के उप-ठेकेदार में परिवर्तन के कारण, एसआई द्वारा संसाधनों में बार-बार परिवर्तन करने के कारण विलंब हुआ था एवं अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी किए गए थे। आगे बताया गया कि विभाग ने शास्ति जिसकी गणना की थी, की वसूली की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समन्वय समिति ने सितंबर 2013 में अपनी बैठक में शास्ति को लागू करने के लिए कई घटकों में 100 सप्ताह से अधिक की विलंब पर विचार किया था। हालांकि एसआई से शास्ति को पूर्ण रूप से वसूल नहीं किया गया था। इसके अलावा, मॉड्यूल की एक दूसरे पर निर्भरता होने के बावजूद भी विभाग ने स्वयं मॉड्यूल-वार गो-लाइव को स्वीकार किया। एसआई के प्रस्तावों को तकनीकी मूल्यांकन के दौरान सर्वोत्तम उपयुक्त समाधान चुनना विभाग का उत्तरदायित्व था।

2.1.3 मॉड्यूल-वार पूर्णता को स्वीकार करने के नकारात्मक प्रभाव

आरएफपी की शर्त 3.2 के अनुसार, अनुबंध में परीक्षण करने, पायलट गो-लाइव और संपूर्ण समाधान अर्थात् सभी मॉड्यूल को चालू करने का प्रावधान था। इसके अलावा, अनुबंध की शर्तों की शर्त 3.2.1 के अनुसार, डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन की कुल कीमत का 25 प्रतिशत संपूर्ण समाधान के परीक्षण करने और उपयोगकर्ता स्वीकरण के पश्चात किया जाना था।

परियोजना के पूर्ण होने में विलंब हुए थे। एसआई ने परियोजना को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की (अगस्त 2017)। विभाग ने अक्टूबर 2017 में परियोजना को अब तक किए गए व्यय को अनुत्पादक परिभाषित होने से बचाने एवं इस तर्क पर कि परियोजना बंद होने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों के कंप्यूटरीकरण का काम भी बंद हो जाएगा, एसआई के साथ निरंतर रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, समन्वय समिति ने संपूर्ण साइन ऑफ के स्थान पर मॉड्यूल-वार पूर्णता की अनुशंसा की।

शासन ने 30 दिसंबर 2017 के आदेश के अंतर्गत परियोजना की समग्र पूर्णता के स्थान पर मॉड्यूल-वार पूर्णता के आधार पर भुगतान को अनुमत करने पर विचार किया तथा मैनेज्ड आईटी चरण की अवधि को 01 सितंबर 2015 से माना गया (31 अगस्त 2020 तक)। तदनुसार विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण 01 सितंबर 2020 से (31 अगस्त 2023 तक) प्रारंभ किया जाना था।

पहले निष्पादित अनुबंध कार्यान्वयन और मैनेज्ड आईटी चरण के लिए था, जो 30 दिसंबर 2017 के शासकीय आदेश के अनुसार 31 अगस्त 2020 तक वैध था। इस प्रकार, सिस्टम को कार्यशील बनाए रखने के लिए 01 सितंबर 2020 से 26 मार्च 2021 तक एसआई और विभाग के बीच कोई वैध अनुबंध नहीं था। हालांकि, विभाग ने 27 मार्च 2021 को 31 अगस्त 2023 तक विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण के लिए एक अनुबंध, जो 01 सितंबर 2020 से प्रारंभ होगा अर्थात् पूर्व की तिथि से, निष्पादित किया।

शासन ने इस तथ्य से सहमत होते हुए बताया (जुलाई 2023) कि कोविड-19 के कारण विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण के परिशिष्ट अनुबंध को निष्पादित करने में विलंब हुआ।

आईएफएमआईएस की मॉड्यूल-वार पूर्णता को स्वीकार किए जाने से आगे की जटिलताएँ पैदा हो गईं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

अनुबंध के अनुसार, मैनेज्ड आईटी चरण, गो-लाइव के लिए साइन ऑफ किए जाने की तिथि से पांच वर्ष का था। शासन के आदेश के दिनांक 30 दिसंबर 2017 के अनुसार, मैनेज्ड आईटी चरण को 31 अगस्त 2020 तक माना गया था और तदनुसार विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण को 31 अगस्त 2023 तक माना गया था। परन्तु मॉड्यूल-वार पूर्णता पर विचार करने पर, विभिन्न मॉड्यूल के गो-लाइव के लिए साइन ऑफ अलग-अलग दिनांकों पर थे, इसलिए अलग-अलग मॉड्यूल के लिए मैनेज्ड आईटी चरण गो-लाइव की उनकी संबंधित तारीखों से प्रारंभ होगा जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: मैनेज्ड आईटी चरण और मॉड्यूल के विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण की अवधि

क्र. सं.	मॉड्यूल का नाम	गो-लाइव साइन ऑफ तिथि	दिनांक 30-12-2017 के आदेश के अनुसार मैनेज्ड आईटी चरण	विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण
1.	बजट	01-09-15	01-09-15 से 30-08-20 तक	01-09-20 से 30-08-23 तक
2.	आयोजना	31-03-18	समाप्त	समाप्त
3.	ईएसएस	31-03-18	31-03-18 से 30-03-23 तक	31-03-23 से प्रारंभ होना चाहिए
4.	पेरोल	09-05-18	09-05-18 से 08-05-23 तक	09-05-23 से प्रारंभ होना चाहिए
5.	आर एंड डी	18-09-18	18-09-18 से 17-09-23 तक	18-09-23 से प्रारंभ होना चाहिए
6.	जमा	01-08-18	01-08-18 से 31-07-23 तक	01-08-23 से प्रारंभ होना चाहिए
7.	स्ट्रॉंग रूम	10-12-18	10-12-18 से 09-12-23 तक	10-12-23 से प्रारंभ होना चाहिए
8.	पेंशन	07-02-20	07-02-20 से 06-02-25 तक	07-02-25 से प्रारंभ होना चाहिए
9.	सेवा संबंधी मामले	07-11-18	विभाग ने मॉड्यूल को बैक-डेट (07 नवंबर 2018) से गो-लाइव के लिए साइन ऑफ करना स्वीकार कर लिया (मार्च 2023)।	
10.	वेब पोर्टल	11-11-21	विभाग ने मॉड्यूल को बैक-डेट (11 नवंबर 2021) से गो-लाइव के लिए साइन ऑफ करना स्वीकार कर लिया (मार्च 2023)।	

शेष छह मॉड्यूल अभी भी गो-लाइव होने वाले हैं, इसलिए इसका मैनेज्ड आईटी चरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी

- जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, हालांकि अलग-अलग मॉड्यूल विभिन्न तिथियों पर गो-लाइव के लिए साइन ऑफ पर किए जाने थे, आदेश में मैनेज्ड आईटी चरण की दिनांक केवल बजट मॉड्यूल पर साइन ऑफ करने की दिनांक के आधार पर 31 अगस्त 2020 तक ली गई थी। इनसे बजट मॉड्यूल को साइन ऑफ करने के पश्चात साइन ऑफ किए गए मॉड्यूल, अगस्त 2020 से बाद की अवधि के लिए मैनेज्ड आईटी चरण के लाभों से वंचित थे।
- इसी प्रकार, अनुबंध के अनुसार विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण की अवधि मैनेज्ड आईटी चरण के पूर्ण होने की दिनांक से तीन वर्ष थी। शासन ने केवल बजट मॉड्यूल के साइन ऑफ करने की दिनांक के आधार पर 31 अगस्त 2023 तक विस्तारित मैनेज्ड चरण को विचार में लिया। इसलिए, बजट मॉड्यूल के बाद सभी पूर्ण मॉड्यूल के लिए विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण का सपोर्ट सुनिश्चित नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि भविष्य की परियोजना में मॉड्यूल-वार पूर्णता और भारांश-आधारित निष्पादन का ध्यान रखा जाएगा और समय पर पूर्ण करने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

- बजट और रिसीप्ट एवं डिस्बर्समेंट मॉड्यूल को आईएफएमआईएस के क्रमशः आठ और नौ मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया था, **कंडिका 3.2 और 3.3** में चर्चा के अनुसार मॉड्यूल की कार्यात्मकता (फंक्शनलिटी) जैसे वेज एंड मीन्स मैनेजमेंट की कार्यात्मकता, आकस्मिकता निधि और प्राप्तियों के हेड ऑफ एकाउन्ट की मैपिंग प्रभावित थी। अतः संपूर्ण समाधान के स्थान पर मॉड्यूल-वार गो-लाइव पर विचार करना उचित नहीं था। इसके बावजूद, विभाग ने आठ मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल-वार गो-लाइव के लिए साइन ऑफ़ घोषित किया (फरवरी 2022 तक)।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि अनुमोदित परियोजना योजना के अनुसार समयसीमा के विस्तार का कोई प्रावधान नहीं था और एसआई के प्रस्ताव पर, शासन ने आईएफएमआईएस के मॉड्यूल-वार गो-लाइव को अनुमोदित किया। आगे बताया गया कि बजट और आर एंड डी मॉड्यूल परस्पर निर्भर थे, और अन्य सभी मॉड्यूल इन दो मॉड्यूल पर निर्भर थे इसलिए उन्हें पहले गो-लाइव करने का निर्णय लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी मॉड्यूल परस्पर निर्भर थे और विभाग परियोजना को पूर्ण समाधान के रूप में कार्यान्वित करने में विफल रहा।

- विभाग ने 01 सितंबर 2015 को बजट मॉड्यूल के गो-लाइव के लिए साइन ऑफ़ की घोषणा की, परन्तु बजट प्लान स्कीम की मैपिंग पूर्ण नहीं हुई (सितंबर 2016)। बजट मॉड्यूल में कुछ समस्याएं थीं, जिन्हें एसआई द्वारा हल नहीं किया जा सका, विभाग ने 2016-17 का अंतिम बजट, पूर्ववर्ती मुद्रा सॉफ्टवेयर में तैयार किया। इसके अलावा, जुलाई 2017 तक, किसी भी मॉड्यूल के पायलट गो-लाइव की पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी, चूंकि बजट आवंटन और समर्पण रिपोर्ट्स पूरी नहीं हुई थीं।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि बजट आईएफएमआईएस द्वारा तैयार किया गया है और पुस्तक मुद्रण मुद्रा सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था, अब बजट बनाने और मुद्रण के सभी कार्य आईएफएमआईएस के माध्यम से किया जाता है। आगे यह बताया गया कि एसआई के गैर-अनुपालन और परियोजना में मॉड्यूल के निष्पादन में विलंब के कारण, विभाग ने एसआई को यह बताते हुए कि एसआई को विभाग द्वारा आगे की जारी निविदाओं में भागीदारी के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है, नोटिस जारी किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बजट मॉड्यूल की सभी कार्यात्मकताओं के पूर्ण रूप से क्रियाशील न होने के बावजूद बजट मॉड्यूल के गो-लाइव के लिए साइन ऑफ़ की घोषणा की थी।

2.1.4 सी-एसएफएमएस से आईएफएमआईएस में डेटा माइग्रेशन पूर्ण न होना

केंद्रीकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी-एसएफएमएस) सॉफ्टवेयर सर्विस, सपोर्ट और अनुरक्षण के लिए विभाग और मेसर्स सीएमसी लिमिटेड⁴ के मध्य दिनांक 25 जनवरी 2011 को अनुबंध निष्पादित किया गया था। सी-एसएफएमएस को माह नवंबर 2011 में लागू किया गया था एवं अनुरक्षण की अवधि नवंबर 2013 तक थी। अनुरक्षण अनुबंध⁵ को समय-समय पर सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था।

आईएफएमआईएस के अनुबंध के अनुसार, सिस्टम इंटीग्रेटर को सी-एसएफएमएस में उपलब्ध सभी डेटा को नए सिस्टम आईएफएमआईएस में स्थानांतरित और रूपांतरित करना था। सिस्टम इंटीग्रेटर को डेटा माइग्रेट करने के लिए डेटा साइजिंग करना था। डेटा रूपांतरण और माइग्रेशन फरवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था।

⁴ मेसर्स टीसीएस लिमिटेड ने अप्रैल 2015 में मेसर्स सीएमसी लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया था।

⁵ अनुरक्षण अनुबंध की अवधि नवंबर 2011 से नवंबर 2013 तक थी।

यह अवलोकित किया गया कि आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन और गो-लाइव में विलंब के कारण अनुरक्षण अनुबंध को समय-समय पर सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया। सी-एसएफएमएस प्रणाली की चार उप प्रणालियों का वार्षिक अनुरक्षण मेसर्स टीसीएस लिमिटेड द्वारा किया गया था। सी-एसएफएमएस की चार उपप्रणालियों की कुल अनुरक्षण की लागत ₹ 0.58 करोड़ प्रति वर्ष थी। इस प्रकार, आईएफएमआईएस का कार्यान्वयन न होने के कारण विभाग को सी-एसएफएमएस अनुरक्षण अवधि नवंबर 2013 में समाप्त होने के बाद भी सितंबर 2021 तक इसके अनुरक्षण के लिए ₹ 4.46 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। आईएफएमआईएस के कुल आठ मॉड्यूल गो-लाइव के लिए साइन ऑफ कर दिए गए थे (फरवरी 2022 तक) परन्तु सी-एसएफएमएस का डेटा माइग्रेशन पूर्ण नहीं हुआ था और विभाग अभी भी सी-एसएफएमएस पर निर्भर था। नवंबर 2013 में इसकी अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद, विभाग को सी-एसएफएमएस प्रणाली की वार्षिक अनुरक्षण लागत का परिहार्य भार वहन करना पड़ा।

इस प्रकार, आईएफएमआईएस अपनी स्वतंत्र कार्यात्मकता प्राप्त नहीं कर सका और विभाग को 10 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी पुरानी प्रणाली को संधारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2023) कि एसआई डेटा को आईएफएमआईएस में स्थानांतरित करने में विफल रहा। आगे, एसआई द्वारा मॉड्यूल-वार गो-लाइव और समयसीमा में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया था एवं चूँकि मॉड्यूल के कार्यान्वयन का तदनुसार परिवर्तन किया गया था। मॉड्यूल का समानांतर संचालन कार्यान्वित नहीं किया गया था एवं मात्र मॉड्यूल के भारांक के अनुसार ही भुगतान किया गया है। एसआई ने आईएफएमआईएस में सी-एसएफएमएस की रिपोर्ट्स प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसलिए, एसआई डेटा माइग्रेशन के निष्पादन में पूर्ण विफल रहा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संपूर्ण डेटा माइग्रेशन को फरवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था और अनुबंध/ परिशिष्ट अनुबंध में मॉड्यूल-वार आवश्यकता के अनुसार माइग्रेशन के लिए प्रावधान नहीं था।

2.1.5 पूर्व अनुमोदन के बिना संसाधनों के परिनियोजन में परिवर्तन किया गया

आर एफ पी वाल्यूम-1 की शर्त 6.1.4 प्रावधानित करती है कि प्रस्ताव में दर्शाये गये संसाधनों⁶ को क्रेता अर्थात् विभाग की लिखित अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि संसाधन न्यूनतम आवश्यकता के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो संसाधनों की प्रस्तावित सूची से संसाधन के प्रतिस्थापन का प्रावधान था। कुल संसाधन का अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिस्थापन करने की अनुमति दी जा सकती है और निविदाकार के अनुरोध के मामले में, प्रतिस्थापन 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

यह अवलोकित किया गया⁷ कि नियुक्त कर्मियों को विभाग की अनुमति के बिना बदल दिया गया। सिस्टम इंटीग्रेटर ने निविदा में उल्लिखित 80 प्रतिशत महत्वपूर्ण संसाधनों को बदल दिया एवं प्रारंभिक अवधि के दौरान अर्थात् सितंबर 2013 तक परिवर्तित हुए संसाधनों में से 66 प्रतिशत संसाधन साइट से पूरी तरह से अनुपस्थित थे, जैसा कि परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है। इसमें परियोजना के एंगेजमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर लीड, क्वालिटी एश्योरेंस लीड जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सम्मिलित थे। नियुक्त संसाधनों में इन परिवर्तनों ने, न केवल उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित किया (जैसा कि अध्याय 2 में दर्शाया गया है) बल्कि परियोजना के विलंबित होने में भी योगदान दिया (जैसा कि कंडिका 2.1.2 में दर्शाया गया है)।

6 1. एंगेजमेंट मैनेजर 2. प्रोजेक्ट मैनेजर 3. एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन लीड 4. सिक्योरिटी लीड 5. नेटवर्किंग लीड 6. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेंटर लीड 7. ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट लीड 8. क्वालिटी एश्योरेंस लीड 9. डोमेन स्पेशलिस्ट फाइनेंस 10. डोमेन विशेषज्ञ मानव संसाधन, 11. डेटाबेस प्रशासक लीडर और 12. वेब प्रशासक।

7 विभाग द्वारा तैयार की गई सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ आईएफएमआईएस की स्थिति और मुद्दों के अनुसार।

इस प्रकार, सिस्टम इंटीग्रेटर ने आरएफपी के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और मुख्य संसाधनों को बार-बार बदला था, परन्तु इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

शासन ने तथ्यों से सहमत होते हुए बताया (जुलाई 2023) कि एसआई को नोटिस अनुबंध के आरएफपी के भाग-I की शर्त 6.1.4 के अनुसार जारी किया गया था।

तथ्य वही है कि अनुबंध के प्रावधानों के पदों में एसआई द्वारा विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसने भी आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन में विलंब में योगदान दिया। इसके अलावा, परियोजना के शुरुआती वर्षों में अपर्याप्त जनशक्ति ने कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न की, जैसा कि पहले **कंडिका 2.1.2** में दर्शाया गया है।

2.1.6 अपर्याप्त एप्लिकेशन परीक्षण

आरएफपी खंड-III के शर्त 3.2 के अनुसार ऑपरेशनल एक्सेप्टेस टेस्ट⁸ (ओएटी) विभाग द्वारा किया जाना था। मैनेज्ड आईटी चरण के प्रारम्भ होने से पहले सभी परीक्षण किए जाने चाहिए थे। वॉल्यूम-II, आरएफपी के पैरा 5.10.4 के अनुसार, सिस्टम के प्रत्येक चिन्हित प्रमुख घटक या सब-सिस्टम के लिए इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग अलग-अलग की जाएगी।

इसके अलावा, अलग-अलग प्रमुख घटकों के लिए ऑपरेशनल एक्सेप्टेस सर्टिफिकेट (ओएसी) जारी करने से आपूर्तिकर्ता संपूर्ण सिस्टम के लिए ओएसी प्राप्त करने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

विभाग ने डेटा सेंटर (डीसी), डेटा रिकवरी (डीआर) सेंटर और निकटतम आपदा रिकवरी (एनडीआर) सेंटर के लिए अलग-अलग ओएसी जारी किए। प्रमुख घटकों का विवरण नीचे **तालिका 2.3** में दिया गया है:

तालिका 2.3: अलग अलग ओएसी जारी करना

प्रमुख घटक/ उपप्रणाली का विवरण	परिचालन स्वीकृति की तिथि
डीसी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और गैर-आईटी उपकरण	सितंबर 2015
डीआर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और गैर-आईटी उपकरण	अप्रैल 2017
एनडीआर में हार्डवेयर	अप्रैल 2017
डीसी में अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	जनवरी 2020
डीआर में अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	जनवरी 2020

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी

कार्यात्मकता (फंक्शनलिटी) परीक्षण, ओएटी का एक हिस्सा था जिसे विभाग द्वारा एसआई की सहायता से संपन्न किया जाना था। फंक्शनलिटी परीक्षण यह परीक्षण करने के लिए आवश्यक है कि सभी मॉड्यूल में विनिर्दिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताएं प्राप्त की गई थीं। उपयोगकर्ता द्वारा सही और गलत इनपुट देकर सभी कार्यात्मकताओं का परीक्षण किया जाना था। एसटीक्यूसी⁹ को फरवरी 2012 में तृतीय-पक्ष परीक्षण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

यह अवलोकित किया गया कि विभाग ने तृतीय पक्ष (एसटीक्यूसी) द्वारा किए गए जोखिम मूल्यांकन को कार्यात्मक परीक्षणों के रूप में स्वीकार किया। एसटीक्यूसी की रिपोर्ट के क्षेत्र में जोखिम मूल्यांकन के रूप में

⁸ डेटाबेस परीक्षण, डेटा नमूनाकरण, कार्यक्षमता परीक्षण, इकाई परीक्षण, सिस्टम परीक्षण, सुरक्षा, तनाव परीक्षण, विश्वसनीयता परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण, संगति परीक्षण, पुनर्प्राप्ति परीक्षण, ऑडिट ट्रेल, बहु-उपयोगकर्ता क्षमता, सहायता सूचना परीक्षण, सीमा परीक्षण, वॉल्यूम परीक्षण, सिस्टम एकीकरण परीक्षण, संगतता और कॉन्फिगरेशन परीक्षण, भंडारण परीक्षण, स्थापना परीक्षण, पर्यावरण परीक्षण, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) परीक्षण, मैनुअल प्रक्रिया परीक्षण, उपयोगकर्ता सूचना परीक्षण, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का अनुरक्षण और निगरानी प्रदर्शन।

⁹ मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन, आईटी सेवाएं, कोलकाता जो एक केंद्र सरकार की एजेंसी है।

25 नेटवर्क उपकरणों और डेटा सेंटर के 48 सर्वरों का मूल्यांकन सम्मिलित था। विभाग गो-लाइव के लिए साइन ऑफ मॉड्यूल के लिए परीक्षण की गई कार्यात्मकताओं का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस प्रकार, विभाग द्वारा जो वास्तविक कार्यात्मकताएं परीक्षण की जानी थीं, वह नहीं किया गया था।

आरएफपी खंड-III के अनुसार कार्यात्मकता परीक्षण को छोड़कर अन्य परीक्षण (परिशिष्ट 2.2) फरवरी 2018 में आयोजित किए गए थे, फिर भी विभाग ने डेटा सेंटर का ओएसी 01 सितंबर 2015 से प्रभावी अर्थात् पिछली तिथि से जारी किया था। इसके अलावा, सात मॉड्यूल जिन्हें फरवरी 2018 के बाद गो-लाइव के लिए साइन ऑफ किया गया, उनका आवश्यकतानुसार ओएटी नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (नवंबर 2022) कि अनुमोदित परीक्षण योजना और आरएफपी प्रावधानों के अनुसार एसआई, तृतीय पक्ष परीक्षण एजेंसी से संपूर्ण कार्यात्मकता परीक्षणों को पूर्ण करने में विफल रहा, टीपीटी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए, डीटीए ने टीसीएस को अनुस्मारक और नोटिस जारी किए थे। आगे बताया गया कि परीक्षण के दो चरण किए गए थे, और सभी अवलोकनों को बंद कर दिया गया। हालाँकि, औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। मॉड्यूल के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए टीपीटी और यूएटी को समानांतर में निष्पादित किया गया।

उत्तर स्वयं इंगित करता है कि ओएटी के तहत कार्यात्मकता परीक्षण करना पूर्ण नहीं हुआ था। आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार, कार्यात्मकता परीक्षण सहित ओएटी को संचालित करने का उत्तरदायित्व विभाग का था। हालाँकि, विभाग कार्यात्मकता परीक्षण पूर्ण करने में विफल हुआ।

2.1.7 हार्डकोडिंग के कारण विक्रेता पर निर्भरता की संभावना

क्लाउड रेडी एप्लिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर विकास और री-इंजीनियरिंग दिशानिर्देशों¹⁰ के प्रावधानों के अनुसार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भाग के रूप में, खुले मानकों में विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। समग्र सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र के भाग के रूप में, न्यूनतम अनुकूलन और अधिकतम कॉन्फिगरेशन दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। विकास के किसी भी पहलू में कोई हार्डकोडिंग नहीं होनी चाहिए। मास्टर डेटा पैरामीटरयुक्त प्रारूप में उपलब्ध होना चाहिए। इसे एप्लिकेशन में हार्डकोड नहीं किया जाना चाहिए। आगे, परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के कार्यक्षेत्र के अनुसार, सलाहकार को परियोजना की समग्र प्रगति का पर्यवेक्षण करना था एवं परियोजना के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपनाए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्तम प्रचलनों का सुझाव देना था।

यह अवलोकित किया गया कि भुगतान विवरण तालिका और बिल रजिस्टर तालिका के कॉलम में विभिन्न चरों (वेरिएबल) को मास्टर तालिकाओं से वैल्यू लाने के बजाय कोड के माध्यम से कैप्चर किया जा रहा था। कॉलमों की फ्लैग/ डोमेन वैल्यू आसानी से उपलब्ध नहीं थी। कोर कोड में हार्डकोडिंग को अपनाया उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत था। आगे यह देखा गया कि बिलों की संचलन स्थिति के लिए कैप्चर किए गए डोमेन वैल्यू भी हार्डकोड किए गए थे। इसके अतिरिक्त पी.एम.सी. (मे. विप्रो लिमि.) के साथ ठेके को 30 जून 2011 को बन्द कर दिया गया था एवं विभाग ने नए पीएमसी की नियुक्ति नहीं की, इसलिए आईएफएमआईएस के विकास के लिए पर्यवेक्षण एवं राष्ट्रीय उत्तम प्रचलनों के अनुपालन से संबंधित सुझावों को छोड़ दिया गया। इस प्रकार, विक्रेता पर निर्भरता जारी रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एसआरएस को तैयार करने के दौरान, सिस्टम को कॉन्फिगर करने योग्य बनाने के लिए नियमों को मानकीकृत करने के लिए सभी उचित सावधानी बरती गई थी। प्रत्येक मॉड्यूल के एसआरएस के अध्याय 4 में संबंधित मास्टर्स हैं। हालाँकि, शासन की ओर से जारी परिपत्र

¹⁰ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित।

विद्यमान व्यावसायिक नियमों को प्रभावित करते हैं। इसलिए, कुछ स्तरों पर, सिस्टम को तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए एसआई द्वारा हार्डकोड किया गया होगा। एसआई संपूर्ण सिस्टम को कॉन्फिगर करने योग्य बनाने में विफल रहा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समाधान को मौजूदा कोड बेस के बाहरी इंटरफेस के माध्यम से नई सुविधाओं, कार्यात्मकताओं, परिवर्तनों के विकास को अनुमत करना था, जो उपलब्ध नहीं हुआ था।

2.1.8 तकनीकी जानकारी का अपर्याप्त हस्तांतरण

कार्यात्मक और तकनीकी आवश्यकता के अनुसार, डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन के चरण के दौरान स्रोत कोड को समझाने के लिए डिलिवरेबल्स में तकनीकी दस्तावेज सम्मिलित थे। जीसीसी की शर्त 3.2.1 के अनुसार, एसआई को प्रत्येक मॉड्यूल के पायलट गो-लाइव पर क्रेता को तकनीकी जानकारी, स्रोत कोड, समाधान डिजाइन दस्तावेज़, दस्तावेज़ीकरण अभिलेख और सभी प्रासंगिक मदों को सौंपना होगा।

यह अवलोकित किया गया कि विभाग ने एसआई को सोर्स कोड सहित शर्त जीसीसी 7.1 (वॉल्यूम-II) और वॉल्यूम-III के 1.5.1 के अंतर्गत डिलिवरेबल्स सौंपने का निर्देश दिया (दिसंबर 2020)। पायलट गो-लाइव के लिए कुल 11 मॉड्यूल पूर्ण हो चुके हैं, हालांकि, सिस्टम इंटीग्रेटर ने सोर्स कोड, सॉल्यूशन डिज़ाइन दस्तावेज़, सभी प्रासंगिक मदों के अन्य दस्तावेज़ी अभिलेख नहीं सौंपे।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि समाधान दस्तावेज़ साझा किया गया है और एसआई ने पुनः आश्चस्त किया है कि अद्यतन स्रोत कोड प्रदान किया जाएगा। इस माइलस्टोन का उल्लेख आरएफपी भाग-II और भाग-III में परियोजना की अंतिम गतिविधि के रूप में किया गया है। संपूर्ण समाधान दस्तावेज़ीकरण का सत्यापन डीटीए तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा। इस घटक के लिए भुगतान भी रुके हुए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसआई को प्रत्येक मॉड्यूल के पायलट गो-लाइव होने पर क्रेता को तकनीकी जानकारी, स्रोत कोड, समाधान डिजाइन दस्तावेज़, दस्तावेज़ीकरण अभिलेख और सभी प्रासंगिक मदों को सौंपना था। आगे, निकास प्रबंधन नीति के लिए मांगे जाने पर, विभाग ने बताया कि निकास प्रबंधन नीति आरएफपी-वॉल्यूम-II में दी गई है, हालांकि, कोई औपचारिक निकास प्रबंधन नीति नहीं पायी गई।

2.1.9 आईएफएमआईएस के लिए प्रशिक्षण

अनुबंध के साथ संलग्न तकनीकी आवश्यकताओं (भाग-III) की कंडिका 2.7.2 के अनुसार, सिस्टम इंटीग्रेटर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगा और इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगकर्ताओं, तकनीकी कर्मचारियों और प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करेगा। तीन प्रकार के प्रशिक्षण के अलावा सिस्टम इंटीग्रेटर को कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष में डेटा सेंटर प्रशासकों के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) प्रशिक्षण और एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी थी। आगे, सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रस्तुत चेंज मैनेजमेंट और प्रशिक्षण योजना की कंडिका 7.4 के अनुसार, 2,000 उपयोगकर्ताओं और 80 तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाना था। एक प्रशिक्षण समन्वयक की व्यवस्था करना और शेष आईएफएमआईएस उपयोगकर्ताओं के लिए 2,000 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण का प्रचार-प्रसार करने के लिए सुविधाओं और उपकरणों की व्यवस्था करना डीटीए की जिम्मेदारी होगी।

यह अवलोकित किया गया कि 96 दिनों के लिए 793 प्रशिक्षुओं को केवल उपयोगकर्ता प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। डेटाबेस प्रशासकों और सिस्टम प्रबंधकों के लिए एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। आगे, यह सूचित किया गया (नवंबर 2022) कि विभाग में 34 सिस्टम मैनेजर और पांच सिस्टम एनालिस्ट काम कर रहे थे, परन्तु उन्हें बैक-एंड एक्सेस नहीं दिया गया और उन्हें ओईएम या तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि सभी कोषालय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे। कोषालयों द्वारा ई-दक्ष के केन्द्रों पर भी निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कई अनुस्मारकों के बावजूद भी एसआई ने ओईएम प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया। तदनुसार शास्तियां आरोपित की जाएंगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मास्टर प्रशिक्षकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और डीटीए द्वारा सभी डीडीओ और विभागों में नियुक्त अधिकारियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण के विवरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, तकनीकी कर्मचारियों और प्रबंधन को तकनीकी प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण और ओईएम प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए गए थे।

2.2 आईएफएमआईएस में बिजनेस रूल की मैपिंग

2.2.1 आईएफएमआईएस में भारत सरकार लेखाकरण मानकों का प्रावधान नहीं करना

मई 2010 में प्रकाशित भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएस)-2, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर उनके द्वारा प्राप्त या प्रदान किए गए सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण में लागू होता है। मानक के अनुसार, संविधान के अंतर्गत स्थानीय सरकारों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के कार्यों के निर्वहन में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, मानक की कंडिका 9 के अनुसार, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता को वितरित सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और लेखाओं में लिया जाएगा, चाहे जिस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप में धनराशि सहायता अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा व्यय करने के लिए वितरित की गई हो। परिसंपत्तियां बनाने के उद्देश्य से सहायता अनुदान पर व्यय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर, शासन के वित्तीय विवरणों में खाते के पूंजीगत शीर्ष को डेबिट नहीं किया जाएगा।

यह देखा गया कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एफआरएस), सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) और सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट (एसडीडी) में आईजीएस-2 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकताओं को सम्मिलित नहीं किया गया था और सहायता अनुदान के सही लेखांकन के लिए बिजनेस नियम को, आईएफएमआईएस में लागू नहीं किया गया था।

वर्ष 2019-21 की अवधि के लिए सहायता अनुदान के बिल डेटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि पूंजीगत व्यय के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एजेंसियों¹¹ को सहायता अनुदान के ₹ 9,574.25 करोड़ के व्यय/ भुगतान से संबंधित 3,005 बिल थे। व्यय को राजस्व खाते के बजाय पूंजीगत व्यय में विभिन्न मदों में त्रुटिपूर्ण रूप से डेबिट किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिए गए हैं। इससे इंगित हुआ कि आवश्यक बिजनेस रूल को मैप नहीं किया गया था और पूंजीगत व्यय से संबंधित मुख्य शीर्ष के चयन पर जाँच करने के लिए सत्यापन नियंत्रण आईएफएमआईएस में प्रदान नहीं किए गए थे, जिसके कारण सिस्टम द्वारा त्रुटिपूर्ण मुख्य शीर्ष स्वीकार किए गए थे, आगे, जिसके कारण आईएफएमआईएस में सहायता अनुदान संबंधी व्यय का त्रुटिपूर्ण लेखांकन हुआ।

इस प्रकार, आईजीएस-2 मानक के कार्यान्वयन नहीं करने के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान ₹ 9,574.25 करोड़ के राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण हुआ।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि उस समय इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी, आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन में आईजीएस-2 के लिए स्टैकहोल्डरों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।

¹¹ मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुदान का उपयोग मुख्य रूप से नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत आदि जैसे स्थानीय निकायों को धनराशि वितरित करने के लिए किया जाता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईजीएएस-2 की शर्तों का प्रावधान न करने के कारण सहायता अनुदान से संबंधित व्यय को उसके उचित मुख्य शीर्ष में दर्ज नहीं किया गया था।

2.2.2 मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क प्रचालन में न होना

मध्य प्रदेश एफआरबीएम नियम, 2006 के नियम 3, 4, 5 और 7 के सहपठित मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुदानों की मांगों के साथ मैक्रो-इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण एवं प्रकटीकरण के विवरण रखना आवश्यक होता है। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण में रोलिंग लक्ष्य, राजकोषीय संकेतकों, पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय इत्यादि के अनुमान सम्मिलित थे। एमटीईएफ के संबंधित प्रावधान भी एफआरएस में भी किए गए थे।

यह देखा गया कि एमटीईएफ की फंक्शनलिटी का उपयोग करने के लिए निर्धारित चार तालिकाओं में से, सिस्टम में केवल दो तालिकाएँ बनाई गईं, जिनमें कोई डेटा नहीं था, यद्यपि, एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक विवरण विधानसभा के समक्ष रखे गए थे। इससे प्रदर्शित होता है कि कार्यात्मकता का उपयोग सिस्टम के बाहर से किया जा रहा था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि आईएफएमआईएस में कार्यात्मकता विकसित की गई थी परन्तु योजना मॉड्यूल के बंद होने के कारण कार्यात्मकता का उपयोग नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना मॉड्यूल के बंद होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत विवरण विधानसभा में रखे जा रहे थे।

2.2.3 परिणामों की निगरानी न किया जाना

फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन (एफआरएस) के अनुसार, सिस्टम में परियोजनाओं के परिणाम, गतिविधि विवरण, पूर्ण किए हुए माइलस्टोन इत्यादि सहित परियोजनाओं के कार्य की प्रगति के विवरण होना आवश्यक था। गतिविधियों को योजना मॉड्यूल के माध्यम से कवर किया जाना था। आगे, एसआरएस के अनुसार, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को अभिलिखित किए जाने के लिए परिणामी बजट की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया था। इसीप्रकार, एसडीडी में भी तदनु रूप प्रावधान किए गए थे। राज्य योजना आयोग के उत्तरदायित्व में अन्य बातों के साथ-साथ चयनित योजनाओं के लिए वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं प्रगति की समीक्षा भी सम्मिलित थी। बजट मॉड्यूल के एसआरएस में राज्य योजना आयोग द्वारा यथापरिभाषित अनुमोदित योजना सीमा/ योजना परिव्यय के साथ योजना स्तर के बजट के सत्यापन के लिए प्रावधान था। योजना मॉड्यूल में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य योजना आयोग द्वारा योजनावार परिव्यय की मॉनिटरिंग प्रतिवेदन भी सम्मिलित थे।

यह अवलोकित किया गया कि विभाग ने इस आधार पर कि योजना और गैर-योजना स्कीमों के बीच अन्तर को समाप्त कर दिया है, योजना मॉड्यूल को बंद कर दिया। परिणामी बजट से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि आउटकम बजट के लिए चार तालिकाएँ बनाई गई थीं, जिनमें से विस्तृत अभिलेख वाली तालिका में फरवरी 2017 तक का डेटा था। राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 से परिणामी बजट बनाना बंद कर दिया। आउटकम बजट के अभाव में, राज्य योजना आयोग द्वारा योजनावार परिव्यय और परिणामों की निगरानी का उद्देश्य विफल हो गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि यह एक सॉफ्टवेयर विफलता नहीं थी, बल्कि चूंकि शासन ने योजना/ गैर-योजना के बीच के अन्तर को बंद कर दिया था, परिणामस्वरूप योजना मॉड्यूल बंद कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना प्रबंधन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन का एक भाग था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिकता और परिणामों के साथ प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं को चिन्हित

करना सम्मिलित था एवं योजना तथा गैर-योजना के बीच पृथक्करण को बंद करना परिणामों की निगरानी की प्रक्रिया को छोड़ देने का आधार नहीं हो सकता है।

2.2.4 आईएफएमआईएस एप्लिकेशन में डेटा विश्लेषण क्षमता सृजित न होना

वॉल्यूम III-आईएफएमआईएस की कार्यात्मक और तकनीकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, डेटाबेस और डेटा वेयरहाउसिंग सेवाओं में डेटाबेस विश्लेषण और डिज़ाइन, डेटा वेयरहाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई), रूपांतरण और बिजनेस स्पेसिफाइड डेटा जैसी सेवाएं सम्मिलित होनी थी जिन्हें एप्लिकेशन ट्रेक या मैनेज्ड करता है। आईएफएमआईएस के बीआई एप्लिकेशन में निर्णय समर्थन प्रणाली, क्वेरी और रिपोर्टिंग करना, ऑनलाइन विश्लेषणात्मक प्रसंस्करण (ओएलएपी), सांख्यिकीय विश्लेषण, पूर्वानुमान और डेटा माइनिंग की गतिविधियां सम्मिलित थीं। आगे परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के कार्य के क्षेत्र में प्रत्येक प्रक्रिया के ऑटोमेशन/कम्प्यूटरीकरण के पहलू का पर्यवेक्षण करना सम्मिलित था। तथापि, ठेके को शासन द्वारा 30 जून 2011 को समाप्त कर दिया था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा को आईएफएमआईएस एप्लिकेशन में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए ट्रेंड विश्लेषण निकालने में मदद करने के लिए रोल अप, ड्रिल-डाउन रिपोर्ट एवं और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखने के लिए कोई ट्रेंड विश्लेषण और पूर्वानुमान एमआईएस रिपोर्ट नहीं मिल सकी, जो दर्शाता है कि आईएफएमआईएस में डेटा एनालिटिक्स क्षमताएं विकसित नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त, आईएफएमआईएस में डेटा एनालिटिक्स से संबंधित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई पीएमसी नहीं था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि विश्लेषण के लिए डैशबोर्ड रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। एसआई डेटा वेयरहाउसिंग और बीआई टूल्स को कॉन्फ़िगर नहीं कर सका। विभाग ने इसे प्रदान करने के लिए नियमित रूप से याद दिलाया है, लेकिन एसआई इन सुविधाओं को प्रदान करने में विफल रहा। एसआई को नोटिस जारी किए गए हैं।

तथ्य वही है कि एसआई अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रहा।

2.2.5 मास्टर डेटा को पूर्ण रूप से अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कैप्चर न होना

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों (फरवरी 2012) के अनुसार सॉफ्टवेयर खरीदते समय या विकसित कराते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर उसमें द्विभाषी भाषा में काम करने की संपूर्ण सुविधा हो। इसके अतिरिक्त, आर एंड डी मॉड्यूल के एसआरएस के प्रावधानों के अनुसार, ट्रांज़ेक्शन डेटा को उसी भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा जिस भाषा में इसे दर्ज किया गया था, जबकि मास्टर डेटा को दोनों भाषाओं में दर्ज करना होगा।

आईएफएमआईएस डेटाबेस की मास्टर तालिकाओं की जाँच के दौरान यह देखा गया कि दोनों भाषाओं में सक्रिय रिकार्ड की संख्या अलग-अलग थी जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: अंग्रेजी और हिंदी में रिकार्ड की संख्या का विवरण

तालिका का नाम	कुल रिकार्ड	अंग्रेजी में रिकार्ड	हिंदी में रिकार्ड
सीएमएन_कॉन्टेक्ट_एमएसटी	4,828	4,826	2
सीएमएन_बजटलाइन_टीएक्सएन	7,923	3,960	3,963
सीएमएन_लुकअप_एमएसटी	9,130	4,734	4,396
सीएमएन_वेल्यूसेट_वेल्यू_एमएसटी	39,835	19,932	19,903
सीएमएन_बैंक_ब्रांच_एमएसटी	3,28,157	1,84,945	1,43,212
डब्लूएफ_जॉब_एमएसटी	66,31,957	66,00,455	31,502
सीएमएन_एड्रेस_एमएसटी	1,11,31,358	1,11,13,275	18,083
डब्लूएफ_जॉब_एमवीएमएनटी_एमएसटी	1,61,67,134	1,60,81,497	85,637
एफडी_आरएनडी_वेंडर_एमएसटी	5,12,53,972	4,88,68,736	23,85,236

स्रोत: आईएफएमआईएस डेटाबेस से निष्कर्ष

रिकार्ड की संख्या में उपरोक्त विसंगति के परिणामस्वरूप, जब भाषा आईडी के आधार पर इन तालिकाओं से डेटा पुनर्प्राप्त किया गया, तो हिंदी और अंग्रेजी पंक्तियों में डेटा की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। आगे यह देखा गया कि मास्टर तालिकाओं में अभिलेख हिंदी में प्रविष्ट था, परन्तु भाषा आईडी अंग्रेजी अभिलेख के रूप में उल्लिखित थी एवं इसके विपरीत भी था।

वित्त विभाग द्वारा जारी मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एमपीटीसी), विभिन्न एमपीटीसी फॉर्मों को हिंदी/अंग्रेजी में उपलब्ध कराता है। हालांकि, एमपीटीसी के बिल का प्रारूप आईएफएमआईएस में नहीं अपनाया गया क्योंकि ये केवल अंग्रेजी में थे।


इस प्रकार, सिस्टम में हिंदी/अंग्रेजी में रिकॉर्ड के लिए फ़्रील्ड स्तर की जाँच की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण दोनों भाषाओं के रिकॉर्ड में अंतर था। सूचना प्रणाली के एप्लिकेशन में इनपुट नियंत्रण की कमी के कारण डेटा की समग्र सुसंगतता को सुनिश्चित करने के लिए उस सीमा तक डेटा की प्रामाणिकता प्रभावित हुई थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) एसआई आवेदन में भाषा की जाँच के फ़्रील्ड स्तर के चेक को लागू नहीं कर सका। हालांकि, सभी कार्यात्मकताओं के लिए डेटा क्लीनिंग गतिविधि प्रक्रियाधीन है और यह एक नियमित प्रक्रिया है। एसआई अंग्रेजी और हिंदी के फ़्रील्ड में भाषा को अलग-अलग मान्य करने की सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।

2.3 परियोजना एकीकरण

विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ आईएफएमआईएस के एकीकरण के विवरण को दर्शानेवाला विवरण चार्ट 2.1 में दिया गया है।

चार्ट 2.1: स्टेकहोल्डरों के साथ एकीकरण को दर्शानेवाला चार्ट



इस प्रणाली की परिकल्पना आईएफएमआईएस के समस्त स्टेकहोल्डरों के साथ एकीकरण के लिए की गई थी। आईएफएमआईएस के स्टेकहोल्डर में सभी विभागों के एचओडी, बीसीओ, डीडीओ और अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, महालेखाकार कार्यालय, एजेंसी बैंक, कर्मचारी, पेंशनर, विक्रेता और नागरिक

सम्मिलित थे। यह देखा गया कि आईएफएमआईएस स्टेकहोल्डरों के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ था जैसी परिकल्पना की गई थी।

2.3.1 भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एकीकरण

आरएफपी वॉल्यूम-III सेवा विशिष्टियों की शर्त 2.7 के अर्न्तगत सिस्टम एकीकरण के उप शर्त 2.7.1 के अनुसार, सिस्टम इंटीग्रेटर को यह सुनिश्चित करना था कि आईएफएमआईएस एप्लिकेशन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा होस्ट किए गए सिस्टम के साथ डेटा इंटरचेंज के लिए तकनीकी एकीकरण प्रदान करने में सक्षम हो और एप्लिकेशन को खुले मानकों के आधार पर डेटा इंटरचेंज क्षमताएं प्रदान करनी चाहिए थीं।

यह देखा गया कि सिस्टम की शुरुआत में आरबीआई की प्रणाली के साथ आईएफएमआईएस का एकीकरण नहीं किया गया जैसा आरएफपी की उपर्युक्त शर्त में वांछित था। समन्वय समिति ने आरबीआई के साथ एकीकरण के लिए परिवर्तन अनुरोध को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (जून 2022) कि सभी 54 कोषालयों में उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण 01 जुलाई 2022 से शुरू होगा। आईएफएमआईएस का आरबीआई के साथ एकीकरण अभी भी नहीं किया गया है (दिसंबर 2022)। विभाग ने ई-भुगतान करने के लिए आरबीआई की कोर बैंकिंग प्रणाली अर्थात् ई-कुबेर के साथ आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन के एकीकरण की योजना बनाई है।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि आरएफपी बनाने और अंतिम रूप देने के समय, ई-भुगतान की अवधारणा और ई-कुबेर में आधार आधारित भुगतान एकीकरण के रूप में विद्यमान नहीं थे। आरबीआई के साथ एकीकरण के प्रावधानों को आईएफएमआईएस के ऋण और निवेश मॉड्यूल के संबंध में संदर्भित किया गया था, जिसे आंशिक रूप से प्राप्त करने की कोशिश की गई है, हालांकि, आरबीआई के साथ समन्वय मुद्दों के कारण डीएमओ के साथ आरबीआई के एकीकरण की प्रक्रिया अभी भी लंबित है।

यह स्वीकार किया गया है कि आरबीआई का ई-कुबेर एप्लिकेशन आईएफएमआईएस के प्रारंभिक चरण में मौजूद नहीं था, हालांकि, तथ्य यह है कि आरबीआई के पास कुछ प्रकरण लंबित थे।

2.3.2 पीआरआईएसॉफ्ट के साथ एकीकरण

पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के खंड 7.69 में उल्लिखित अनुशंसा (अक्टूबर 2020) के अनुसार, उन्नत पीआरआईएसॉफ्ट¹² (पंचायती राज संस्था के लिए सॉफ्टवेयर) को राज्य सरकारों के आईएफएमआईएस और केंद्र सरकार में सीजीए¹³ के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन लेखा तैयार करने, ऐसे लेखाओं की ऑनलाइन ऑडिटिंग और राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर उनके समेकन को सक्षम करने के लिए यह आवश्यक था। यह देखा गया कि आईएफएमआईएस को पीआरआईएसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण की योजना नहीं बनाई गई थी।

शासन ने गैर-एकीकरण के तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2023) कि इसे आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन में यथोचित परिवर्तन सहित एकीकृत किया जाएगा।

2.3.3 एजेंसी बैंकों के साथ एकीकरण

एफआरएस के प्रावधानों के अनुसार, राज्य संवितरण प्रणाली को भुगतान गेटवे के माध्यम से एजेंसी बैंक प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पुनर्मिलान प्रणाली सम्मिलित होनी चाहिए जो बैंक से आने वाले ई-स्कॉल को कैप्चर करेगी और इसे किये गये संवितरण के साथ मिलान करेगी।

¹² पंचायती राज संस्थाएँ लेखांकन सॉफ्टवेयर।

¹³ महालेखा नियंत्रक

सिस्टम के साथ वॉकथ्रू के दौरान, यह देखा गया कि वल्लभ भवन सचिवालय के वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) कार्यालय में मैनुअल कैश बुक का संधारण किया जा रहा था, जो कि समय लेने वाला काम था क्योंकि आईएफएमआईएस में समेकित बिल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, जैसा कि पीएओ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पीएओ के सभी कार्यों को मैप किया गया है परन्तु वेतन निर्धारण और बकाया की गणना में समस्याएँ थीं।

यह भी बताया गया कि बैंक से लगेज फाइल¹⁴ अगले दिन मिल रही है और फेल हुए ट्रांजैक्शन के मामले में विवरण तीन से चार दिन में मिल रहे हैं। विंध्याचल भवन (साइबर कोषालय) में भारतीय स्टेट बैंक से भुगतान की स्वचालित प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया और सूचना के अनुसार यह प्रक्रिया विंध्याचल कोषालय और भोपाल कोषालय में पायलट आधार पर लागू की गई है। इसप्रकार, एफआरएस में परिकल्पित भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पुनर्मिलान के लिए स्वचालित एकीकरण पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि विकास चरण के दौरान एजेंसी बैंकों के पास कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग (सीआईएनबी), समाधान के रूप में उपलब्ध था। इस समाधान में सीआईएनबी के तहत सर्वर-टू-सर्वर वातावरण में फ़ाइलों के आदान-प्रदान को स्वचालित करने की सीमाएँ थीं। अब, ई-कुबेर और भारतीय स्टेट बैंक में स्वचालित सर्वर से सर्वर एकीकरण लागू किया गया है। आईएफएमआईएस में मासिक पुनर्मिलान विवरण डीडीओ स्तर पर तैयार किया जाता है और खातों के संधारण के लिए ट्रेजरी स्तर पर कैश बुक तैयार की जाती है। एसआई एफआरएस का अनुपालन प्रदान करने में विफल रहा।

2.4 वित्तीय प्रबंधन

2.4.1 परियोजना के अनुमान में अवांछित संशोधन

फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन के पैरा 2.8 के अनुसार, सिस्टम को एक से अधिक प्रकार के पे-रोल को संभालना चाहिए, उदाहरण के लिए, मासिक भुगतान वाले नियमित कर्मचारी, और अनियमित रूप से भुगतान किए गए अस्थायी/ अनुबंध कर्मचारी/ आकस्मिक कर्मचारी। शासन ने आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन के लिए 120.17 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन (एए) प्रदान की (जून 2010)। आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन के लिए शासन और मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के बीच अनुबंध निष्पादित किया गया। अनुबंध के अनुसार, कार्यान्वयन चरण और मैनेज्ड आईटी चरण की समयसीमा क्रमशः दो वर्ष और पांच वर्ष थी। फरवरी 2012 में प्रशासनिक अनुमोदन को संशोधित कर ₹ 149.55 करोड़ कर दिया गया। सितंबर 2016 में 10.46 लाख स्वीकृत पद थे और एसआई के अनुसार अगस्त 2016 में 4.54 लाख पदों के लिए वेतन आहरित किया था।

तकनीकी समिति ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में 2.37 लाख शिक्षण संवर्ग के संविलयन के कारण अतिरिक्त हार्डवेयर की अनुशंसा (दिसम्बर 2018) की। समन्वय समिति ने उल्लेख किया (जून 2019) कि 16 मॉड्यूल में से आठ मॉड्यूल का पायलट/गो-लाइव किया जा चुका है और बाकी मॉड्यूल के डिप्लायमेंट से हार्डवेयर पर लोड बढ़ेगा।

इसके अलावा, यह देखा गया कि विभाग ने परियोजना लागत को ₹ 19.55 करोड़ कम करके एवं स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में 2.37 लाख शिक्षण संवर्ग के संविलयन एवं सिस्टम से वेतन भुगतान करने के तर्क पर अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हेतु ₹ 69.52 करोड़ जोड़कर परियोजना लागत को संशोधित (सितंबर 2019) कर ₹ 199.52 करोड़ कर दिया। शासन द्वारा सितंबर 2019 को ₹ 199.52 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की गई।

¹⁴ प्रतिदिन सॉफ्ट कॉपी में एक समेकित फ़ाइल तैयार की जाती है, जिसमें भुगतान के सभी विवरण होते हैं।

परियोजना लागत में ₹ 69.52 करोड़ की वृद्धि अकारण थी, क्योंकि आईएफएमआईएस में पर्याप्त कर्मचारियों के लिए प्रावधान पहले से ही मौजूद था और यह अवास्तविक भी था क्योंकि मॉड्यूल के भविष्य में पूर्ण होने के तर्क पर अतिरिक्त हार्डवेयर का प्रावधान किया गया था, हालांकि अब तक (फरवरी 2022) केवल आठ मॉड्यूल ही लाइव किए गए हैं एवं विभाग नई आवश्यकता और तकनीकी उन्नयन के लिए नेक्स्ट जेनरेशन आईएफएमआईएस नामक नई वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विकास की योजना बना रहा है।

विभाग ने अतिरिक्त हार्डवेयर और उसके वार्षिक अनुरक्षण पर ₹ 39.76 करोड़ और ₹ 12.59 करोड़ व्यय किए। इसके अलावा, सिस्टम से संबंधित अपग्रेड को एपेक्स स्टीरिंग कमिटी द्वारा अधिकृत किया जाना था, जो कि नहीं किया गया।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि आरएफपी और एसआरएस बनाने और अंतिम रूप देने के समय पाँच लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनभोगियों के लिए परियोजना की परिकल्पना की गई थी। बाद में, अध्यापक संवर्ग (टीचिंग कैडर), गैर-नियमित कर्मचारियों मानदेयी/ मानसेवी/ दैनिक वेतन भोगी (ऑनरेरी डेली वेजर्स)/संविदा कर्मचारी (कांटरक्चुअल एम्प्लाइज) के लिए डेटा बेस बनाया गया और सिस्टम कॉन्फिगरेशन में बदलाव किया गया। इसके अलावा यह बताया गया कि कर्मचारी डेटा को पूर्व प्रणाली से आईएफएमआईएस में स्थानांतरित कर दिया गया था। आज की दिनांक में, सिस्टम 10.65 लाख कर्मचारियों (नियमित और गैर-नियमित) का वेतन जनरेट कर रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग रिक्त पदों के अनुसार कर्मचारी का प्रावधान न करने का औचित्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके अलावा, पे-रोल मॉड्यूल के एफआरएस और एसआरएस में पहले से ही गैर-नियमित कर्मचारियों जैसे संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों आदि के लिए पे-रोल को संभालने की कार्यात्मकता का प्रावधान था।

2.4.2 परिवर्तन अनुरोध के संबंध में अनुबंध तत्व में परिवर्तन

अनुबंध की शर्तों की शर्त 6.3.3 के अनुसार, यदि, सिस्टम इंटीग्रेटर के कारणों से, सिस्टम कार्यात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है या अनुबंध के अन्य सभी पहलुओं के अनुरूप नहीं है, तो सिस्टम इंटीग्रेटर इसे अपनी लागत और व्यय पर सिस्टम में ऐसे परिवर्तन, संशोधन और/ या परिवर्धन जो आवश्यक हो, करना होगा। इसके अलावा, खंड- II की शर्त 8.1.2.2 के अनुसार, यदि क्रेता परिवर्तन का प्रस्ताव करता है, तो वह सिस्टम इंटीग्रेटर को एक "परिवर्तन प्रस्ताव के लिए अनुरोध" भेजेगा, जिसमें सिस्टम इंटीग्रेटर को अन्य जानकारी के अलावा यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से एक "परिवर्तन प्रस्ताव" तैयार करने और क्रेता को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इसमें परिवर्तन की विस्तृत अनुमानित लागत (मानव दिवस/ दर/ कोड लाइनें) भी सम्मिलित होगी।

2.4.2.1 परिवर्तन अनुरोध के लिए भुगतान की अनुचित दर को अपनाना

विभाग ने तकनीकी समिति की अनुशंसाओं पर ₹ 6,000 प्रति मानव दिवस की दर से परिवर्तन अनुरोधों के कारण जून 2019 और नवंबर 2020 में ₹ 2.35 करोड़¹⁵ और मार्च 2019 में ₹ 0.38 करोड़¹⁶ की राशि का भुगतान किया। निम्न मुद्दे अवलोकित किए गए:

- आरएफपी के खंड 8.1.2 के अनुसार, परिवर्तन अनुरोधों का भुगतान विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों के लिए किया जाना था। आरएफपी खंड-II के खंड 8.1.2.5 के अनुसार किसी भी परिवर्तन के मूल्य की गणना अनुबंध में सम्मिलित दरों और कीमतों के अनुसार की जाएगी। हालाँकि, अनुबंध दस्तावेज़ में प्रति मानव दिवस की दर का उल्लेख नहीं किया गया था और परिवर्तन अनुरोधों के

¹⁵ सितंबर 2017 से पहले 4,083 मानव दिवस का भुगतान।

¹⁶ सितंबर 2017 के बाद 630 मानव दिवसों का भुगतान।

भुगतान के लिए प्रति मानव दिवस ₹ 6,000 की दर को अपनाया गया था। आगे, ₹ 6,000 प्रति मानव दिवस की दर को अपनाने के लिए कोई व्यक्तिगत गणना अभिलेखों में नहीं थी।

विभाग ने बताया (मार्च 2022) कि तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार सी-एसएफएमएस के लिए पिछले अनुबंध की दर को अपनाया गया था। शासन द्वारा विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया (जुलाई 2023)।

- यद्यपि परिवर्तन प्रस्तावों को तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, परन्तु उन्हें अपेक्स स्टीरिंग कमिटी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, जैसा कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि अपेक्स स्टीरिंग कमिटी सिस्टम से संबंधित सभी परिवर्तनों, संशोधनों, उन्नयन और नीतिगत पहलुओं को अधिकृत करेगी। ।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि सभी प्रकरणों को शीर्ष समिति को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि कोई राय मतभेद/ विवाद/ समन्वय समिति और तकनीकी समिति द्वारा संदर्भित है, तब ऐसे प्रकरणों का निर्णय अपेक्स स्टीरिंग कमिटी में किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

2.4.2.2 परिवर्तन अनुरोध के लिए परिहार्य भुगतान

विभाग ने सितंबर 2017 से पहले किए गए परिवर्तनों के लिए 4,083 मानव दिवसों के लिए ₹ 2.35 करोड़ की राशि का भुगतान किया, जिसमें से 781.47 मानव दिवस उन परिवर्तनों से संबंधित थे, जो पहले से ही अनुबंध के कार्यक्षेत्र में थे या बजट नियमावली के प्रावधानों के विपरीत थे। इसलिए ₹ 0.47 करोड़ का भुगतान परिहार्य था। विवरण परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि नियमों और संहिताओं में बदलाव और एसआरएस में सम्मिलित नहीं की गई प्रक्रियाओं या फंक्शनलिटी के कारण प्रकरण, परिवर्तन अनुरोध समिति को भेजा गया था। अधिकार प्राप्त समिति से अनुमोदन के बाद, वास्तविक परिवर्तन अनुरोध स्वीकार किया गया, एवं एसआई को भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समितियों ने उन परिवर्तनों के लिए भुगतान के लिए अनुमोदन दिया जो अनुबंध के दायरे में थे।

2.4.3 प्रथम वर्ष के लिए एएमसी पर अतिरिक्त भुगतान

अनुबंध में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ₹ 42.34 करोड़ रुपये के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) का प्रावधान था। एएमसी (प्रथम वर्ष) के लिए ₹ 3.10 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना था जिसमें विद्यमान हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के एएमसी के लिए ₹ 0.36 करोड़ की राशि सम्मिलित थी।

यह देखा गया कि एसआई विद्यमान हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को संधारित नहीं कर रहा था, विभाग ने ₹ 0.36 करोड़ की कटौती की एवं अनुबंध में दिए गये पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मूल्य ₹ 42.34 करोड़ के आधार पर पहले वर्ष के लिए नए अधिग्रहित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एएमसी के लिए ₹ 2.74 करोड़¹⁷ की राशि का भुगतान किया। जबकि, विभाग ने वास्तव में ₹ 34.40 करोड़ की राशि के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदे थे और तदनुसार एएमसी के कारण ₹ 2.22 करोड़ का भुगतान किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.52 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

¹⁷ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ₹ 3.10 करोड़ एएमसी – विद्यमान उपकरणों के एएमसी के लिए ₹ 0.36 करोड़ = ₹ 2.74 करोड़।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि मामले की एसआई से जाँच की जा रही है और गणना के अनुसार वसूली की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एएमसी के लिए भुगतान ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए किया गया था, जो खरीदे नहीं गए थे।

2.4.4 मॉड्यूल-वार भारांश पर विचार न करने एवं सेवा स्तर अनुबंध के मूल्यांकन पर विचार न करने के कारण अतिरिक्त भुगतान

शासन के आदेश (दिसंबर 2017) के अनुसार, आरएफपी में प्रत्येक मॉड्यूल के लिए दिए गए वेटेज के अनुसार वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) के लिए भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, अनुबंध की शर्त के अनुसार, मैनेज्ड आईटी चरण के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक चालान¹⁸ के आधार पर दो किशतों में सिस्टम इंटीग्रेटर को भुगतान किया जाना था, यथा सेवा स्तर अनुबंधों (एसएलए)¹⁹ के मूल्यांकन के पश्चात चालान के मूल्य का 90 प्रतिशत और अंतिम साइन ऑफ के बाद चालान मूल्य का 10 प्रतिशत। ठेके में सहमत एसएलए के विरुद्ध निष्पादन के आधार पर महीने के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर की मासिक एन्टाइटिलमेंट (पात्रता राशि) की गणना की जानी थी। महीने के लिए पात्रता राशि को क्रेता के साथ परामर्श और सहमति से तैयार किया जाना था।

यह अवलोकित किया गया (जुलाई 2022) कि आठ मॉड्यूल गो-लाइव के लिए साइन ऑफ किए गए थे। विभाग ने पूर्ण किये गये मॉड्यूल की एएमसी के लिए भारांश (वेटेज) पर विचार किए बिना भुगतान किया, यद्यपि आरएफपी के अनुसार पूर्ण किये गये मॉड्यूल के लिए भारांश सभी मॉड्यूल के कुल भारांश का 55.50 प्रतिशत था।

सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) ने ऑटोमेटिड टूल बेस्ड मॉनीटरिंग टूल (स्वचालित उपकरण-आधारित निगरानी उपकरण) प्रदान नहीं किया था इसलिए विभाग द्वारा आईएफएमआईएस के एसएलए की निगरानी नहीं की गई थी। यद्यपि, विभाग ने एसएलए के मूल्यांकन के बिना एसआई को भुगतान कर दिया। जनवरी 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने एसएलए के निष्पादन के लिए 60 प्रतिशत भारांश का विचारित किया और जून 2022 में नौवें वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए भुगतान किया। एसएलए के समग्र निष्पादन को 60 प्रतिशत मानते हुए, मॉड्यूलवार पूर्णता पर विचार न करने और एसएलए के निष्पादन का अनुपालन न करने के कारण एसआई को ₹ 15.67 करोड़ अतिरिक्त भुगतान किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिया गया है।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एप्लिकेशन की एएमसी का भुगतान कैबिनेट के निर्णय के अनुसार वास्तविक लाइव मॉड्यूल के भारांश के आधार पर किया गया था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भुगतान वास्तविक क्रय और परिभाषित एसएलए के अनुसार किया गया था। भुगतान एसएलए के आधार पर किया जाता है, जिसकी गणना एसआई द्वारा प्रदान किए गए स्वचालित टूल्स के अनुसार की गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एएमसी का भुगतान वास्तविक क्रय के आधार पर विनियमित किया गया था, परन्तु इसे गो-लाइव के लिए साइन ऑफ मॉड्यूल के भारांश के आधार पर विनियमित नहीं किया गया था। आगे, एसएलए रिपोर्ट तैयार करने और टिकटों का विश्लेषण करने के लिए स्वचालित उपकरण-आधारित निगरानी प्रणाली एसआई द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।

¹⁸ त्रैमासिक चालान में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण की लागत, सभी वाणिज्यिक ऑफ-द-शेल्फ (सीओटीएस) सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस शुल्क शामिल है।

¹⁹ प्रबंधित आईटी सेवाएँ, डेटा सेंटर और नेटवर्किंग सुविधा।

2.4.5 परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण केंद्रीय सहायता की हानि

मिशन मोड परियोजना-कोषालय के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत, भारत सरकार (जीओआई) नामित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को तीन किशतों में क्रमशः 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत केंद्रीय अंश को विमुक्त करेगी। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी परियोजना को तीन वर्ष में पूर्ण करना था एवं किसी भी शेष घटक को चौथे वर्ष में अधिप्लवित (स्पिल ओवर) होना अनुमत था। तथापि, किशतों का जारी होना निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि पर आधारित था।

सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ निष्पादित अनुबंध के आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन के संबंध में परिशिष्ट 6 (समय अनुसूची) के अनुसार, समस्त कार्यालयों में डेटा माइग्रेशन - परिचालन स्वीकरण - सिस्टम "गो लाइव"- रोल को अनुबंध को हस्ताक्षरित करने से 86 सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाना था। अनुबंध पर जुलाई 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे, इस प्रकार, आईएफएमआईएस के समस्त मॉड्यूल फरवरी 2012 तक गो-लाइव होने और सभी कार्यालयों में लागू होने थे।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) अर्थात् कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण को सम्मिलित किया। संचालनालय, कोष एवं लेखा ने भारत सरकार को सूचित किया (मार्च 2011) कि आईएफएमआईएस परियोजना को पूर्ण करने की समय-सीमा तीन वर्ष होगी और परियोजना के गो-लाइव के लिए 19 महीने निर्धारित किये गये थे। आयोजना के अंतर्गत, परियोजना के लिए भारत सरकार से प्रति जिले ₹ 0.75 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त की जानी थी, जो इंगित करता है कि विभाग को भारत सरकार से आईएफएमआईएस के लिए ₹ 37.5 करोड़²⁰ प्राप्त हो सकते थे। शेष निधि का प्रबंध राज्य शासन द्वारा किया जाना था। इस परियोजना में असामान्य रूप से विलंब हुआ एवं इसे योजनानुसार कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

यह अवलोकित किया गया कि ₹ 15 करोड़ की पहली किशत मार्च 2011 में जारी की गई थी, परन्तु जून 2011 तक विभाग द्वारा परियोजना पर कोई प्रगति भारत सरकार को सूचित नहीं की गई थी। अगस्त 2012 तक, विभाग ने मात्र 1.68 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) भेजे थे। विभाग ने ₹ 0.33 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र की अंतिम किशत वर्ष 2016-17 अर्थात् 5 साल से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद में भेजी, जब अक्टूबर 2016 में दूसरी किशत जारी करने पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई पहली किशत ₹ 15 करोड़ में से शेष ₹ 0.33 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इस प्रकार ₹ 22.50 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि परियोजना की समयसीमा एसआई द्वारा में विलंब के कारण आगे की केंद्रीय सहायता नहीं मांगी जा सकी।

तथ्य वही रहता है कि कार्य में विलंब के कारण विभाग भारत सरकार की आगे की सहायता प्राप्त करने से वंचित हुआ।

2.4.6 ओईएम प्रशिक्षण के लिए भुगतान का विनियमन न होना

अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष में सिस्टम इंटीग्रेटर को मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) उत्पाद के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना था। अनुबंध में ₹ 0.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। डिज़ाइन, विकास और कार्यान्वयन (सॉफ्टवेयर और सेवाओं) के लिए निविदादाता द्वारा उद्धृत

²⁰ उस समय 50 जिलों के लिए।

कुल राशि को आरएफपी में 'डी' के रूप में दर्शाया गया था और 'डी' का भुगतान दो उप-घटकों²¹ में किया जाना था। 'डी' की कुल राशि ₹ 13.77 करोड़ रुपये थी।

यह अवलोकित किया गया कि पहले उपघटक के भुगतान के लिए ब्रेक-अप को आगे पांच चरणों²² में विभाजित किया गया था जिसमें प्रशिक्षण चरण को विशेष रूप से अलग से सम्मिलित नहीं किया गया था।

सिस्टम इंटीग्रेटर ने बताया (मई 2022) कि परियोजना के वर्तमान चरण में ओईएम प्रशिक्षण व्यवहार्य नहीं था। यद्यपि, विभाग ने ओईएम प्रशिक्षण प्रदान न करने के लिए 'डी' के मूल्य को विनियमित किए बिना 'डी' की अनुबंध राशि पर विचार करते हुए एसआरएस साइन ऑफ, पायलट और सिस्टम गो-लाइव के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था। इसप्रकार, विभाग ने न केवल ₹ 8.42 लाख²³ का अधिक भुगतान किया किन्तु यह ओईएम प्रशिक्षण से भी वंचित हुआ था।

शासन ने इस तथ्य से सहमत होते हुए बताया (जुलाई 2023) कि कई अनुस्मारक के बावजूद एसआई ने ओईएम प्रशिक्षण नहीं दिया। तदनुसार शास्ति आरोपित की जाएगी एवं एसआई के देय भुगतानों में से ओईएम प्रशिक्षण से संबंधित तदनुसूच राशि वसूल की जाएगी।

तथ्य वही रहता है कि अधिकारियों को ओईएम और प्रशासकों के प्रशिक्षण से वंचित रखा गया था और उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि विभाग परियोजना के अंतिम वर्ष में ओईएम प्रशिक्षण कैसे प्रदान कर पाएगा एवं तदनुसार भुगतान को समायोजित नहीं किया गया था।

2.4.7 गैर-कार्यात्मक प्रक्रियाओं के लिए भुगतान का विनियमन न होना

मॉड्यूलवार भुगतान करने के लिए दिसंबर 2017 के शासन के आदेश को ध्यान में रखते हुए कार्यात्मक प्रक्रिया²⁴ के पूर्ण होने के आधार पर विभाग ने सात मॉड्यूल के सिस्टम गो-लाइव के लिए भुगतान को विनियमित किया। पांच मॉड्यूल के संबंध में कार्यात्मक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के अनुसार विभाग द्वारा भुगतान आनुपातिक रूप से कम किया गया था, जो निम्न तालिका 2.5 में दिया गया है:

तालिका 2.5: मॉड्यूल के अंतर्गत प्रक्रियाओं की संख्या का विवरण

मॉड्यूल	एसआरएस के अनुसार कुल प्रक्रिया	कुल कार्यात्मक प्रक्रिया
ईएसएस	49	46
पे-रोल	3	2
प्राप्ति एवं संवितरण	10	8
स्ट्रांग रूम	15	10
पेंशन	10	4

स्रोत: आईएफएमआईएस मॉड्यूल के सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन

यह अवलोकित किया गया कि विभाग ने नौ मॉड्यूल के लिए पायलट गो-लाइव के लिए भुगतान करते समय, उपरोक्त उल्लिखित पांच मॉड्यूल के लिए भुगतान को अपूर्ण कार्यात्मक प्रक्रियाओं के लिए अभिलेखों में अनुपलब्ध कारणों से आनुपातिक रूप से कम नहीं किया था, जिसके कारण ₹ 0.34 करोड़²⁵ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

21 1. डिजाइन, अनुकूलन, विकास और कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और 2. अंतिम साइन ऑफ।

22 1. एसआरएस साइनऑफ, 2. परीक्षण और उपयोगकर्ता स्वीकृति, 3. पायलट सिस्टम गो-लाइव (साइन ऑफ), 4. सिस्टम गो-लाइव और 5. समाधान दस्तावेज़ीकरण।

23 एसआरएस साइनऑफ: ₹ 3.64 लाख, पायलट सिस्टम गो-लाइव (साइन ऑफ): ₹ 2.98 लाख, सिस्टम गो-लाइव: ₹ 1.80 लाख = कुल: ₹ 8.42 लाख।


24 संबंधित मॉड्यूल के एसआरएस में उल्लिखित कार्यात्मक प्रक्रिया।

25 आरोपित की गई शास्ति को अनदेखा करते हुए गणना की गई।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि विकास होने के अनुसार प्रक्रियाओं का परीक्षण यूएटी चरण में और उसके बाद पायलट परीक्षण चरण में किया जा रहा था। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार विकसित की गई प्रक्रियाओं को गो-लाइव चरण में ले जाया गया और तदनुसार भुगतान किया गया। हालाँकि, एसआई के देय भुगतान से प्रक्रियावार आनुपातिक कटौती की जाएगी।

2.5 निगरानी

2.5.1 शीर्ष संचालन समिति एवं सूचना सुरक्षा समिति की बैठक



अनुबंध के आरएफपी खंड-III में प्रावधान है कि सिस्टम के सभी पहलुओं को एक शीर्ष संचालन समिति (एएससी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। एएससी सिस्टम से संबंधित सभी परिवर्तनों, संशोधनों, उन्नयनों एवं नीतिगत पहलुओं को अधिकृत करेगा। इस प्रकार, एएससी की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जानी थी। आईएफएमआईएस की सूचना सुरक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार, वित्त विभाग की सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), सूचना सुरक्षा अधिकारी (आईएसओ), प्रशासक (सुरक्षा, सिस्टम, डेटाबेस एवं नेटवर्क), आईएफएमआईएस सेल प्रतिनिधि, सुरक्षा प्रतिनिधि (सुरक्षा प्रशासक/तकनीकी सदस्य), राज्यव्यापी प्रतिनिधि, म.प्र. शासन के कार्यालय, परियोजना प्रमुख और विक्रेता सम्मिलित होंगे।

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों में, अप्रैल 2015 के बाद एएससी बैठक का आयोजन होना अभिलेखों में नहीं पाया गया। सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा सिस्टम में परिवर्तन और संशोधनों की सूचना दी गई और विभाग ने **कंडिका 2.4.2** में चर्चा के अनुसार परिवर्तन अनुरोधों के संबंध में भुगतान भी किया है। एएससी की बैठक न होने से संकेत मिलता है कि ये परिवर्तन एएससी द्वारा अधिकृत नहीं थे। आगे यह देखा गया कि आईएससी की त्रैमासिक बैठक आयोजित करने से संबंधित विवरण अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि आईएफएमआईएस परियोजना में, परिवर्तन अनुरोध के अनुमोदन के लिए एक अलग समिति थी, समन्वय समिति द्वारा अनुशंसित/संदर्भित किए गए केवल बड़े परिवर्तनों/विचलनों इत्यादि को ही शीर्ष संचालन समिति में लिया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बड़े परिवर्तन हुए थे, जैसे मॉड्यूल वार भुगतान करने का निर्णय (दिसंबर 2017) और परियोजना लागत में परिवर्तन (सितंबर 2019)। एएससी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए थी, जबकि एएससी की बैठकें अप्रैल 2015 के बाद आयोजित नहीं की गई थी।

2.5.2 सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा अपर्याप्त रिपोर्टिंग

आरएफपी वॉल्यूम-II अनुबंध की सामान्य शर्तों की शर्त 5.2.4, के अनुसार, सिस्टम इंटीग्रेटर को, प्राप्त परिणामों की मासिक रिपोर्ट, प्रगति लक्ष्य की अनुसूची से आज तक संचयी विचलन, योजनाबद्ध कार्यक्रम को प्रगति पर लौटाने के लिए की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाइयों, योजनाबद्ध कार्यक्रम में प्रस्तावित संशोधन, अन्य मुद्दे और बकाया समस्याएं, की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाइयां, संसाधन जो सिस्टम इंटीग्रेटर क्रेता द्वारा प्रदान किए जाने की अपेक्षा करता है, और/या अगली रिपोर्टिंग अवधि में क्रेता द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां, सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा अन्य पूर्वानुमानित मुद्दे या संभावित समस्याएं जो परियोजना की प्रगति और/या प्रभावशीलता पर प्रभाव डाल सकती हैं, की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

इसके अलावा, सिस्टम कार्यान्वयन के साथ अनुबंध निष्पादन/प्रगति की निगरानी के लिए आवश्यक अन्य रिपोर्टों में निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रतिभागियों के परीक्षण परिणाम, सर्विस कॉल का मासिक लॉग और समस्या समाधान सम्मिलित हैं। यद्यपि, सिस्टम इंटीग्रेटर ने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार, विभाग अनुबंध निष्पादन की निगरानी नहीं कर सका।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि परियोजना के निष्पादन की समीक्षा के संबंध में नियमित साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गई थी। यद्यपि, एसआई ने रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने पर अनुबंध और परियोजना आयोजना के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में प्रावधानित मासिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के अभाव में, विभाग परियोजना की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहा एवं परियोजना विलंबित हुई थी।

2.5.3 परिसंपत्ति और इन्वेंटरी प्रबंधन

सूचना सुरक्षा नीति की शर्त 4.1.1 के अनुसार, प्रत्येक सूचना प्रणाली से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण संपत्तियों की एक इन्वेंटरी तैयार की जाएगी और उसका संधारण किया जाएगा। संपत्ति (एसेट) रजिस्टर में हार्डवेयर एसेट, सॉफ्टवेयर एसेट, पेपर एसेट, इलेक्ट्रॉनिक एसेट, मानव एसेट, सपोर्टिंग एसेट और फैसिलिटी एसेट की जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संपत्ति रजिस्टर में संपत्ति-आईडी, संपत्ति द्वारा समर्थित प्रक्रिया, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का उपयोगकर्ता, अधिग्रहण तिथि, संपत्ति का प्रकार और टिप्पणियां जैसी जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। संपत्ति की जानकारी को उसके मूल्य, कानूनी आवश्यकताओं, संगठन के प्रति संवेदनशीलता और गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। आईएफएमआईएस में आईटी एसेट मैनेजमेंट रखने का उद्देश्य प्रत्येक आईटी एसेट्स का उचित ट्रैक और आवंटन रखने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना था। इससे उपयोगकर्ताओं को यह जानने में मदद मिलेगी कि कौन सी संपत्ति किसके स्वामित्व में है और वह कहां स्थित है।

यह अवलोकित किया गया कि प्रत्येक सूचना प्रणाली से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण संपत्तियों की इन्वेंटरी सूचना सुरक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखी जा रही थी। इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर और सिमेंटेक सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए सपोर्ट की वैधता 31 अगस्त 2020 तक थी, जिसे दिसंबर 2021 तक नवीनीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार, अभिलेख के उचित संधारण के अभाव में, विभाग सॉफ्टवेयर की वैधता अवधि की निगरानी करने में असमर्थ था।

विभाग ने बताया (सितंबर 2022) कि जानकारी, सूचना सुरक्षा नीति में निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं की जा रही है। इसे भविष्य में संधारित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर लाइसेंस के संबंध में, यह बताया गया कि ओईएम सपोर्ट को 31 अगस्त 2023 तक नवीनीकृत किया गया था, जैसा कि 27 मई 2022 को एसआई द्वारा सूचित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की वैधता की जानकारी नहीं थी, क्योंकि विभाग द्वारा बनाए गए परिसंपत्ति रजिस्टर में सिस्टम की सूचना सुरक्षा नीति दस्तावेज़ के अनुसार जानकारी नहीं थी।

2.6 निष्कर्ष


- परियोजना के पूर्ण होने में विलंब हुए थे। कुल 16 प्रस्तावित मॉड्यूल में से, एसआई द्वारा सिस्टम आर्किटेक्चर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विलंब, विभाग द्वारा साइट को सौंपने, हार्डवेयर क्रय और डिलीवरी और मॉड्यूल के विकास में विलंब जैसे कारणों से केवल दस मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए थे।
- सूचना सुरक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों की इन्वेंटरी नहीं रखी जा रही थी, इसलिए विभाग सॉफ्टवेयर की वैधता अवधि की निगरानी करने में असमर्थ था।
- नौ मॉड्यूल के लिए पायलट गो-लाइव के लिए भुगतान करते समय, विभाग ने पूर्ण हुई कार्यात्मक प्रक्रियाओं की निगरानी को अनदेखा कर दिया और अपूर्ण कार्यात्मक प्रक्रियाओं के लिए आनुपातिक राशि में कटौती करने में विफल रहा।
- विभाग अनुबंध की शर्तों के अनुसार डिलिवरेबल्स को अपने नियंत्रण में लेने में विफल रहा क्योंकि सिस्टम इंटीग्रेटर ने सोर्स कोड, समाधान डिज़ाइन दस्तावेज़, अन्य दस्तावेज़ी अभिलेख नहीं सौंपे थे।
- एसआई ने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और शीर्ष संचालन समिति की बैठकें भी नियमित रूप से नहीं हुईं, जिससे विभाग एसआई के अनुबंध निष्पादन की निगरानी नहीं कर सका।

2.7 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- शासन परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिए निगरानी तंत्र में सुधार करने और गो-लाइव के लिए साइन ऑफ पर कार्योंत्तर अनुमोदन करने से बचने पर विचार कर सकता है।
- शासन परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है और परिसंपत्तियों की इन्वेंटरी की निगरानी की एक कुशल प्रणाली विकसित कर सकता है।
- शासन सभी मॉड्यूल के लिए एसआरएस में परिकल्पित पूर्ण हुई कार्यात्मकताओं के आधार पर भुगतान को विनियमित करने पर विचार कर सकता है।
- शासन एसआई से सारी जानकारी स्थानांतरित कर सकता है और अनुबंध की अवधि समाप्त होने और एसआई द्वारा परियोजना छोड़ने से पहले एसआई की मदद के बिना सिस्टम को संभालने और चलाने के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए।
- शासन एसआई के निष्पादन की निगरानी के लिए विभिन्न समितियों की समयबद्ध रूप से बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित कर सकता है।

अध्याय ।।।
एप्लिकेशन विकास एवं
परिचालन



अध्याय III एप्लिकेशन विकास एवं परिचालन

सारांश

एप्लिकेशन विकास सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को डिजाइन करने, बनाने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि बजट कार्यक्रम के सभी विवरणों को दर्ज करने के लिए अपेक्षित तालिका में 2019-21 की अवधि के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं थे। सिस्टम में बजटीय नियंत्रणों की प्रभावी निगरानी में मदद करने के लिए नियत तिथि से पहले बचत पर अलर्ट/ ट्रिगर उत्पन्न करने का प्रावधान नहीं था। प्राप्ति बजट और वास्तविक प्राप्तियों के खातों के शीर्ष की मैपिंग से संबंधित विसंगतियां थीं।

आकस्मिकता निधि के भुगतान और प्रतिपूर्ति को सिस्टम के माध्यम से उचित तरीके से दर्ज और संसाधित नहीं किया गया था एवं आईएफएमआईएस के आंकड़ों और आकस्मिकता निधि से संबंधित वास्तविक आंकड़ों में अंतर था। हेल्पडेस्क और घटना प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि दर्ज की गई घटनाओं में से 97 प्रतिशत (2020-21) और 93 प्रतिशत (2021-22) निर्दिष्ट समाधान समय के 24 घंटे के पश्चात बंद कर दी गई थीं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व मद में व्यपगत जमा करने की प्रक्रिया को आईएफएमआईएस में मैप नहीं किया गया था।

इनपुट नियंत्रणों को अपर्याप्त माना गया क्योंकि कर्मचारी डेटा को दर्ज करने के लिए प्रावधानित मास्टर तालिका में, 157 पंक्तियों को एक से अधिक बार दोहराया गया, 3,49,293 प्रविष्टियों में पैन नंबर दर्ज नहीं किए गए थे और 11 रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण था। इसके अलावा, 726 प्रविष्टियों में आधार संख्या 12 अंकों से या तो अधिक या कम थी, 52,344 रिकॉर्ड में आधार संख्या दर्ज नहीं की गई थी और 4,357 रिकॉर्ड में बैंक खाते का विवरण दर्ज नहीं किया गया था। बैंक स्कॉल से संबंधित तालिकाओं और बिल रजिस्टर ट्रांजैक्शन तालिकाओं में अमान्य डेटा भी देखा गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे उदाहरण देखे गए जहां प्राप्ति डेटा तालिका में पूंजीगत परिव्यय के स्थान पर मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किए गए ट्रांजैक्शन सम्मिलित थे एवं कुछ चालान प्राप्ति ट्रांजैक्शन में, चालान की राशि ऋणात्मक पाई गई थी। उपर्युक्त कमियों से संकेत मिलता है कि सिस्टम में आवश्यक इनपुट नियंत्रण पर्याप्त रूप से मैप नहीं किए गए थे। इसप्रकार, अमान्य डेटा के आधार पर उत्पन्न रिपोर्ट्स त्रुटिपूर्ण होंगी और आगे के ट्रांजैक्शन या प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं होंगी।

एनपीएस राशि को प्रेषित करने के लिए तैयार की गई ई-फाइल में कर्मचारियों और कर्मचारी-वार एनपीएस अंशदान के विवरण नहीं थे। विफल भुगतान से संबंधित ट्रांजैक्शन में विसंगतियां देखी गईं और यह सुनिश्चित करने के लिए के लिए सिस्टम में नियंत्रण की कमी थी कि विफल ट्रांजैक्शन को पुनः संसाधित किया गया एवं उसी पार्टी को भुगतान किया गया जिसका भुगतान मूल रूप से विफल रहा था। प्राप्ति बजट तालिकाओं के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि सिस्टम के माध्यम से प्राप्ति अनुमान को प्राधिकृत करना सुनिश्चित नहीं किया गया था। बजट के समर्पण के लिए कर्तव्यों के पृथक्करण का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि राशियों को एक चरण में या तो निर्माता (क्रियेटर) द्वारा या सत्यापनकर्ता (वेरिफायर) द्वारा या अनुमोदनकर्ता (एप्रूवर) द्वारा समर्पित किया गया था। बिलों की प्रोसेसिंग में जाँच का अभाव था क्योंकि बिलों के भुगतान के लिए स्वीकृति को सिस्टम में उचित रूप से दर्ज नहीं किया गया था और कुछ प्रकरणों में भुगतान की गई राशि स्वीकृत राशि से अधिक थी। इसके अलावा, बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित अविश्वसनीय डेटा सिस्टम तालिका में दर्ज पाया गया था, जबकि बिलों के मूवमेंट का विवरण पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बिल मूवमेंट की ट्रैकिंग की कमी थी।

इस प्रकार, आईएफएमआईएस के बजट मॉड्यूल और प्राप्ति और संवितरण (आर एंड डी) मॉड्यूल के प्रकरणों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने, सिस्टम डिजाइन कमियों, खराब डेटा गुणवत्ता के परिणामस्वरूप सिस्टम में

अपूर्ण और गलत डेटा की उपलब्धता, अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण और डेटा सत्यापन की अनुपस्थिति और प्रमाणीकरण के बिना रिफंड को इंगित किया।

एप्लिकेशन विकास

एप्लिकेशन विकास, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को डिजाइन करने, निर्माण करने और लागू करने की प्रक्रिया है। एप्लिकेशन विकास प्रक्रिया को परिभाषित करता है कि एप्लिकेशन को कैसे बनाया जाता है एवं सामान्यतः एक मानक पद्धति का पालन किया जाता है। यह एप्लिकेशन नियंत्रणों से भी संबंधित है जो एक विशेष आईटी सिस्टम के लिए होते हैं और इसमें एप्लिकेशन में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग सम्मिलित होती है; इस प्रकार यह इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट नियंत्रण प्रदान करता है।

आईएफएमआईएस के बजट मॉड्यूल और प्राप्ति और संवितरण (आरएंडडी) मॉड्यूल के प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने सिस्टम डिजाइन की कमियों, अपर्याप्त डेटा गुणवत्ता और व्यावसायिक नियमों की अपर्याप्त मैपिंग के दृष्टांत अवलोकित किए, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण डेटा की उपलब्धता, अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण और डेटा सत्यापन का अभाव हुए थे, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

3.1 सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन और सिस्टम डिजाइन दस्तावेज़

3.1.1 अंतिम साइनऑफ़ के पश्चात सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन में परिवर्तन

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) की कंडिका 5.4.3.1 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन (एसआरएस) तैयार करेगा और क्रेता को प्रस्तुत करेगा जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को दस्तावेज़ों द्वारा सम्मिलित किए गए किसी भी सिस्टम या सबसिस्टम पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व क्रेता का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

आईएफएमआईएस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने 08 अप्रैल 2011 को एसआरएस संस्करण 1.4 के साइन ऑफ़ को अनुमोदित किया। विभाग को एसआरएस साइनऑफ़ तिथि से चार सप्ताह के भीतर एसआरएस के किसी भी भाग के संबंध में किसी भी संशोधन/ परिवर्तन की पहचान और समाधान करना था।

हालाँकि, आपूर्तिकर्ता ने परिवर्तनों को सम्मिलित करके एसआरएस संस्करण 1.5 चार सप्ताह के अंतराल के बाद जून 2011 में तैयार किया। एसआरएस संस्करण 1.5 का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एसआई ने एसआरएस संस्करण 1.5 को प्रस्तुत करने में विलंब किया था एवं एसआई को एसआरएस के माइलस्टोन के भुगतान पर अर्थदंड लगाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व क्रेता का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

3.1.2 एसडीडी में परिवर्तन स्वीकृत नहीं थे

जीसीसी की कंडिका 5.4.3.1 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता सिस्टम डिजाइन दस्तावेज़ (एसडीडी) तैयार करेगा और क्रेता को प्रस्तुत करेगा जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व क्रेता का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके अलावा, एसडीडी का उद्देश्य उन डिजाइन स्पेशिफिकेशन को समझना और सत्यापित करना था जिनका उपयोग मॉड्यूल को विकसित करने में किया गया था। जीसीसी की कंडिका 5.4.3.8 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता किसी भी स्वीकृत दस्तावेज़ का विचलन नहीं करेगा जब तक कि आपूर्तिकर्ता ने क्रेता को पहले एक संशोधित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर दिया हो और जीसीसी शर्त के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज़ का क्रेता का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया हो।

यह अवलोकित किया गया कि सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) ने एसडीडी संस्करण 1.2 फरवरी 2012 में तैयार किया। समन्वय समिति ने दोनो मॉड्यूल¹ के लिए एसडीडी को अनुमोदित किया (फरवरी 2012)। एप्लिकेशन के विकास के दौरान एसडीडी के प्रावधानों की तुलना में विचलन थे। तथापि, आपूर्तिकर्ता ने सिस्टम में परिवर्तन करने से पूर्व संशोधित एसडीडी को प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, एफआरएस में उल्लिखित जनरल सिस्टम रिक्वायरमेंट के अनुसार, आईएफएमआईएस की उद्यम-व्यापी प्रयोज्यता और वर्कफ्लो पहलुओं के लिए सिस्टम को अन्य बातों के साथ-साथ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तक पहुंच हेतु कार्यात्मकता (फंक्शनलिटी) प्रदान करना था। हालाँकि, ट्रांजेक्शन तालिकाओं की कुछ हिस्ट्री तालिकाओं में डेटा पूर्ण रूप से केप्चर नहीं हुआ था।


विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण तालिकाएं का उपयोग नहीं किया गया था, परिवर्तित प्रक्रिया के अनुसार नई तालिकाएं बनाई गई थीं। शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एसआई को कई अनुस्मारकों के बाद एसआई द्वारा गो-लाइव हुए मॉड्यूल के लिए संशोधित एसआरएस और एसडीडी (सभी परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए) प्रस्तुत किए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेता को पहले संशोधित एसडीडी प्रस्तुत करना था और दस्तावेज़ पर क्रेता का अनुमोदन प्राप्त करना था, जो नहीं किया गया था। एप्लिकेशन डेवलपमेंट से पहले एसडीडी में परिवर्तनों को अनुमोदन न मिलने के कारण, विभाग यह सत्यापित नहीं कर सका कि एसआई ने एफआरएस में निर्धारित सभी आवश्यकताओं को विकसित किया है या नहीं। हिस्ट्री तालिकाओं के लिए संपूर्ण डेटा दर्ज न करना कमियों को इंगित करता है।

3.2 कार्यात्मकता का अपर्याप्त प्रावधान/उपयोग

3.2.1 बजट कार्यक्रम का सक्रियण न किया जाना

बजट समेकन की प्रक्रिया को नीचे चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है:



¹ बजट मॉड्यूल और प्राप्ति एवं संवितरण मॉड्यूल।

म.प्र.बजट मेनुअल भाग-1 के प्रावधानों के अनुसार, योजना एवं गैर-योजना व्यय के लिए डी.डी.ओ. द्वारा अलग-अलग व्यय के प्राक्कलन बनाए जाने चाहिए एवं संसूचित अंतिम तिथि के भीतर संबद्ध बीसीओ को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आगे, बजट माँड्यूल के एसआरएस की कंडिका 4.22 के अनुसार, सिस्टम को बजट तैयारी गतिविधि को सक्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो बजट तैयार करने के संबंध में, जैसे प्रतिवर्ष प्राप्ति बजट, लोक लेखा, योजना बजट, गैर-योजना बजट, पुनरीक्षित बजट तैयार करने, अनुपूरक बजट अनुमान करने हेतु कार्य सूची में सूचनाएं भेजकर संबंधित हितधारकों को ऑनलाइन सूचित करेगा। वित्त विभाग (डीओएफ) के उपयोगकर्ता पुनःविनियोजन और बजट समर्पण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को भी निर्धारित कर सकते हैं। वित्त विभाग से अधिसूचना प्राप्त होने के बाद, सिस्टम में संबंधित प्रशासनिक विभाग और बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) को बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए डीडीओ के लिए समय सीमा को निर्धारित करने का विकल्प होगा।

यह अवलोकित किया गया कि बजट एक्टिवेशन कार्यात्मकता (फंक्शनलिटी) के लिए एसडीडी में चार तालिकाओं का प्रावधान किया गया था। जिसमें से, अनुमोदित बजट कार्यक्रम के सभी विवरणों को दर्ज करने के लिए बनाई गई तालिका में केवल छह रिकॉर्ड थे और निर्माता, सत्यापनकर्ता और अनुमोदनकर्ता के सभी विवरणों सहित बजट कार्यक्रम के सभी विवरणों को दर्ज करने के लिए संपादन तालिका में 2019-21 की अवधि के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं थे। इसके अलावा, इन तालिकाओं के विभिन्न कॉलमों में कोई डेटा नहीं था, इसलिए बजट एक्टिवेशन कार्यात्मकता सिस्टम के माध्यम से नहीं हो रही थी। इस प्रकार, म.प्र.बजट मेनुअल एवं बजट माँड्यूल के एसआरएस में परिकल्पित कार्यात्मकता को सिस्टम में कार्यान्वित नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों और बीसीओ को बजट कार्यक्रमों की अधिसूचना जारी की गई थी। डीडीओ द्वारा बीसीओ को बजट अनुमान प्रस्तुत करने में विलंब के कारण बीसीओ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बजट अनुमान तैयार किया था।

उत्तर स्वयं इंगित करता है कि बजट कार्यक्रम प्रक्रिया का एक्टिवेशन सिस्टम के माध्यम से नहीं किया गया था।

3.2.2 बजट माँड्यूल में प्राप्ति की बजटलाइन में अनियमितताएँ

बजट माँड्यूल के एसडीडी के अनुसार, बजट तैयारी प्रक्रिया में बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) मास्टर और लेखा शीर्ष (एचओए) कॉन्फिगरेशन को बनाना सम्मिलित था। इसमें आगे प्राप्ति बजट को तैयार करना प्रावधानित किया गया था। तदनुसार, बजट कार्यक्रम/ बजट तैयार करने की गतिविधि को प्राप्ति बजट अनुमान के लिए वित्त विभाग द्वारा सक्रिय किया जाना था। प्राप्ति बजट को तैयार करना डीडीओ स्तर से प्रारंभ होना था। डीडीओ को संबन्धित प्राप्ति शीर्षों के लिए प्राप्ति अनुमान तैयार करना एवं इसे बीसीओ, प्रशासनिक विभाग और डीओएफ को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना था।

बजट माँड्यूल के एसआरएस के अनुसार, सिस्टम को प्राप्ति बजट प्रारूपों को ऋण प्रबंधन माँड्यूल के साथ ऋण और अग्रिम, व्याज भुगतान और खराब ऋणों को बट्टे खाते में डालने के डेटा के अनुपालन के लिए एकीकरण को अनुमत करना चाहिए।

यह देखा गया कि लेखा शीर्षों की मास्टर तालिका में 222 बजट लाइन कोड के लिए प्राप्ति शीर्ष के लिए अनुदान संख्या को '0000' के रूप में दर्ज किया गया था। बजट माँड्यूल की बजट प्राप्तियां ट्रांज़ैक्शन तालिका में, 310 रिकॉर्ड मुख्य शीर्ष कोड "0000" से संबंधित थे, जो मुख्य शीर्षों की अप्रभावी मैपिंग को दर्शाता है। इनमें से केवल 16 रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ थीं, शेष 294 रिकॉर्ड में निरंक मान थे। चूंकि गलत मुख्य शीर्ष को सिस्टम द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, तब भी जबकि डेटा अवास्तविक था, 16 अभिलेखों में से दो

अभिलेख, जिनकी राशि ₹ 2,00,000 (प्रत्येक ₹ 1,00,000) थी, को बजट नियंत्रण अधिकारी और प्रशासक द्वारा विभिन्न चरणों में अनुमोदित² किया गया था।

इसप्रकार, प्राप्ति बजट में डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की गई थी और प्राप्ति बजट की प्रक्रिया सिस्टम के माध्यम से नहीं की जा रही थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि बजट तैयार करने के दौरान सिस्टम उन सभी लेखा शीर्षों को दर्शाता है, जिनका उपयोग पिछले 5 वर्षों से किया गया था। बीसीओ को शून्य शीर्षों के साथ नया लेखा शीर्ष जोड़ने की अनुमति दी गई थी। वास्तविक लेखा शीर्षों को वित्त विभाग द्वारा बनाया गया था। सिस्टम को वित्त विभाग स्तर पर लचीला बनाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है बजट के अनुसार लेखा शीर्षों की मैपिंग के लिए सिस्टम में सत्यापन जाँच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिन प्रकरणों में मुख्य शीर्ष शून्य के रूप में दर्ज किया गया था, उनमें डीडीओ स्तर पर बजट तैयार करने की प्रक्रिया को अनदेखा किया गया था।

3.2.3 बजट समर्पण निगरानी

बजट संहिता खण्ड 1 के बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए त्वरित मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार, यदि प्रशासनिक विभाग वर्णित रीति से आधिक्य की जाँच के बाद भी बचत की प्रत्याशा करता है, तो उसे वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 15 जनवरी तक किया जाना चाहिए ताकि वित्त विभाग द्वारा संसाधनों का आवंटन अनुदान की अन्य मांगों के लिए किया जा सके। एक बार समर्पण का अनुमोदन हो जाएगा, तो इसके आधार पर विभाग उपलब्ध राशि को किसी अन्य बजट शीर्ष में पुनर्विनियोजित करेगा। तदनुसार, सिस्टम में विभाग को नियत तिथि पर बजट समर्पण करने का संकेत देने के लिए अलर्ट सुविधा होनी चाहिए थी या सिस्टम को नियत तिथि के बाद समर्पण की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा ने परिवीक्षण तंत्र में निम्न कमियों को अवलोकित किया:

- बजटीय नियंत्रण के प्रभावी निगरानी में सहायता के लिए नियत दिनांक यथा 15 जनवरी से पहले सिस्टम में बचत पर अलर्ट/ट्रिगर जनरेट करने के प्रावधान नहीं थे। आईएफएमआईएस के बजट समर्पण से संबंधित तालिकाओं के विश्लेषण से पता चला कि सिस्टम ने 15 जनवरी के बाद भी समर्पण करने को अनुमत किया और वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित बजट अनुमान ₹ 482.21 करोड़ को 31 मार्च 2020 को एवं वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 298.46 करोड़ को 31 मार्च 2021 को समर्पित किया गया था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष के अंत में समर्पित की गई राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
- वर्ष 2019-20 में, अधीक्षण अभियंता, राजधानी परियोजना³ द्वारा समर्पित की गई ₹ 16.20 करोड़ की राशि आवंटित बजट (₹ 16.15 करोड़) से अधिक थी, जो दर्शाता है कि नियंत्रणों को आरोपित नहीं गया था। महालेखाकार कार्यालय⁴ ने भी सूचित किया कि विलंबित समर्पणों के कारण विनियोग लेखाओं में राशियां विचारित नहीं की गई थीं।

² एफडी_बीयूडी_आरसीपीटी_डीटीएलएस_टीएक्सएन तालिका में मुख्य शीर्ष "0000" के साथ 'एडमिन एप्रूव्ड एएमटी', 'बीसीओ एप्रूव्ड एएमटी' और 'बीसीओ एप्रूव्ड आरई एएमटी' कॉलम में दर्शाया गया।

³ शहरी विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत, बीसीओ कोड: 1807

⁴ कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.)-1 ग्वालियर

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 15 जनवरी से पहले बचत के समर्पण के संबंध में बजट मैनुअल के प्रावधानों की आईएफएमआईएस के साथ मैपिंग न होने के परिणामस्वरूप समर्पण प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी के लिए संसाधनों का कार्यान्वयन नहीं हो सका।

समयबद्ध समर्पण यथा 15 जनवरी से पहले, के स्थान पर वित्तीय वर्ष के अंत में विलंबित समर्पण ने समर्पित राशियों को पुनर्आवंटन से वंचित किया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि सभी बीसीओ को निर्देश जारी किया गया है कि सिस्टम में डीडीओ के लिए ग्लोबल बजट सीमा मैपिंग की कार्यात्मकता है, जिसका उपयोग डीडीओ से बीसीओ स्तर तक समर्पण की निर्भरता से बचने के लिए किया जा सकता है। सुझावों को नेक्स्ट जेन में सम्मिलित किया जाएगा।

3.2.4 बजट पुस्तकों और आईएफएमआईएस डेटा के आंकड़ों का बेमेल होना

बजट मॉड्यूल के एसआरएस के अनुसार, सिस्टम में विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न भागों में बजट पुस्तकों को संकलित/ तैयार करने के लिए प्रारूप होने चाहिए।

अंतिम बजट आवंटन और बजट लेखा शीर्ष की तालिकाओं के विश्लेषण के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि नियमित बजट अनुमान और अनुपूरक बजट अनुमान किसी विशेष वर्ष के लिए तालिकाओं में अलग-अलग संग्रहित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन की बजट पुस्तिका भाग-3 में दिए गए नियमित बजट अनुमानों की तुलना दर्ज आंकड़ों से करने पर, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 21 अनुदानों⁵ एवं 18 अनुदानों⁶ के संबंध में बजट पुस्तकों के अनुसार अनुमानों और आईएफएमआईएस की बजट तालिकाओं में दर्ज आंकड़ों के अनुसार अनुमानों के बीच अंतर अवलोकित किया गया। संक्षेपित विवरण नीचे दी गई तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: स्वीकृत और भारत राशियों के अनुदानों के अंतर का संक्षेपित विवरण

वर्ष	स्वीकृत		भारत	
	अनुदानों की संख्या	अंतर की राशि	अनुदानों की संख्या	अंतर की राशि
2019-20	19	5,215.25	4	30.02
2020-21	18	5,068.96	1	19.28

स्रोत: आईएफएमआईएस डेटाबेस

बजट पुस्तक के आंकड़ों एवं आईएफएमआईएस में संग्रहित बजट डेटा में भिन्न आंकड़े थे, इससे सिस्टम के माध्यम से अंतिम रूप दिए जाने की स्वचालित प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप इंगित हो रहा था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि चूंकि बजट लेखानुदान के आधार पर तैयार किया गया था, इसलिए डेटा में सुधार वित्त विभाग द्वारा किया गया है और सुधारों के लिए महालेखाकार कार्यालय और विभाग से अनुरोध किया गया था।

उत्तर से इंगित होता है कि प्रक्रिया को अनदेखा कर दिया गया था क्योंकि वित्त विभाग द्वारा किए गए सुधारों को बाद में सिस्टम में अपडेट किया जा रहा था।

⁵ अनुदान संख्या: 001, 010, 012, 016, 019, 020, 022, 023, 024, 025, 029, 030, 033, 045, 046, 048, 052, 053, 055, 058 और 064

⁶ अनुदान संख्या: 003, 007, 009, 010, 012, 020, 023, 024, 025, 029, 030, 033, 048, 052, 053, 055, 058 और 064

3.2.5 आर्थोपाय (वेज़ एंड मीन्स) प्रबंधन प्रणाली

एसआरएस की शर्त 1.5.1.5 और एसडीडी के 2.1 के अनुसार, सिस्टम आर्थोपाय प्रबंधन को सम्मिलित करेगा जिसके द्वारा वित्त विभाग दावों की प्राथमिकता को प्रशासित करने में सक्षम होगा। सिस्टम में सभी स्वीकृत बिलों के भुगतान की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने की सुविधा प्रदान करके राज्य शासन के रोकड़ बहिर्वाह को नियंत्रित करने की सुविधा होगी।

यह अवलोकित किया गया कि शासन ने समय-समय पर बजट व्यय में सीमा को लागू किया था। हालाँकि, आर्थोपाय प्रबंधन से संबंधित तालिकाएँ डेटाबेस में रिक्त पाई गईं। इसके अतिरिक्त कार्यात्मकता को संचालित करने की सुविधा फ्रंट-एंड पर उपलब्ध नहीं थी। इससे इंगित होता है कि सिस्टम में आर्थोपाय प्रबंधन कार्यात्मकता आंशिक रूप से बनाई गई थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि चूंकि आईएफएमआईएस का आरबीआई के साथ सर्वर-टू-सर्वर एकीकरण नहीं था और ऋण और निवेश प्रबंधन कार्यालय (डीएमओ) मॉड्यूल परिचालन में नहीं था, इसलिए इस तालिका का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा, वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार सीमा निर्धारित करके आर्थोपाय को नियंत्रित करने के लिए बजट मॉड्यूल में कार्यात्मकताओं को पुनः विकसित किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर एंड डी मॉड्यूल के एसडीडी के अनुसार बिलों के भुगतान को प्राथमिकता देने की कार्यात्मकता एक आंतरिक प्रक्रिया थी, जिसे लागू नहीं किया गया था।

3.2.6 सिस्टम के माध्यम से आकस्मिकता निधि को कैप्चर नहीं किया जाना

बजट मॉड्यूल के एसडीडी की कंडिका 3.11 और 3.12 के अनुसार, आकस्मिकता निधि के भुगतान के लिए, यदि आवश्यक व्यय को पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बीसीओ कार्यालय को आवश्यक विवरण प्रदान करते हुए आकस्मिकता निधि के लिए प्रस्ताव तैयार करना था और शासन को प्रस्तुत करना था। एक बार आकस्मिकता निधि के भुगतान को विभाग से अनुमोदन मिल जाने के पश्चात आकस्मिकता निधि के पुनर्भरण के लिए संबद्ध बीसीओ अनुवर्ती अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगा। सिस्टम में अनुपूरक बजट अनुमान तैयार करते समय संबंधित लेखा शीर्ष के लिए बकाया आकस्मिकता निधि की सूची तैयार करेगा।

ट्रांजेक्शन तालिका के अनुसार आकस्मिकता निधि के भुगतान और निधि के पुनर्भरण का विवरण नीचे दी गई तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: आकस्मिकता निधि के भुगतान और पुनर्भरण का विवरण

वित्तीय वर्ष	आकस्मिकता निधि से भुगतान	आकस्मिकता निधि का पुनर्भरण	(₹ करोड़ में)
2017-18	191.67		निरंक
2018-19	251		निरंक
2019-20	260.06		230
2020-21	390.50		237
2021-22 (11/2021 तक)	33.62		निरंक
कुल	1,126.85		467

स्रोत:- आईएफएमआईएस डेटाबेस

इसके अतिरिक्त सिस्टम से वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए जनरेट हुई रिपोर्ट भिन्न आंकड़े दर्शाती थी, जिससे इंगित होता है कि आकस्मिकता निधि का भुगतान और पुनर्भरण सिस्टम के माध्यम से सही ढंग से दर्ज और संसाधित नहीं किया गया था। इसप्रकार, आईएफएमआईएस और आकस्मिकता निधि से संबंधित वास्तविक आंकड़ों में मेल नहीं था जो आकस्मिकता निधि के माध्यम से धन के प्रवाह पर अप्रभावी निगरानी और नियंत्रण को दर्शाता है।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि आकस्मिकता निधि जारी करने और आकस्मिकता निधि के पुनर्भरण के लिए दो प्रक्रियाएँ थीं। बजट जारी होने के समय आकस्मिकता निधि का पुनर्भरण किया जा सकता था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सिस्टम आकस्मिकता निधि के भुगतान और आकस्मिकता निधि के पुनर्भरण का संपूर्ण विवरण कैप्चर करने में विफल रहा एवं उत्तर विषय को संबोधित नहीं करता है।

3.2.7 एसएमएस और ईमेल भेजने में अनियमितता

आईएफएमआईएस के प्राप्ति और संवितरण (आरएंडडी) मॉड्यूल के सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) के बिंदु 1.5.1.3 'डीडीओ कार्यालय में देयक प्रोसेसिंग' के अनुसार, जब भी डीडीओ कार्यालय में किसी देयक पर किसी कारण से आपत्ति आती है, तो संबंधित पक्ष/ कर्मचारी को अस्वीकृति के बारे में उल्लेख करते हुए एक एसएमएस भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, देयक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की सूचना पक्ष/ कर्मचारी को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार, प्राप्तकर्ता को सेल्फ-जनरेटेड ई-चालान की प्रति का ई-मेल नोटिफिकेशन भेजने का प्रावधान को भी एसआरएस में सम्मिलित किया गया था।

यह अवलोकित गया कि यद्यपि संबंधित पक्षों/ कर्मचारियों को एसएमएस नियमित रूप से भेजे जा रहे थे, किन्तु संसाधित देयकों और संबंधित पक्षों/ कर्मचारियों को भुगतान के किसी भी चरण के लिए उन्हें एसएमएस भेजने में सात दिनों से लेकर 68 दिनों तक का अंतर था। इसी प्रकार, संबंधित पक्षों/कर्मचारियों को नियमित रूप से ईमेल भेजे जाने थे, किन्तु संसाधित बिलों और भुगतान की जानकारी के लिए ईमेल भेजने में पाँच से 77 दिनों तक का अंतर था।

इस प्रकार, एसएमएस और ईमेल भेजने में उपरोक्त अंतर ने बिल प्रसंस्करण/ बिल भुगतान में पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एसआई ने एसएमएस भेजने में तकनीकी समस्या की सूचना दी है। दोष दूर कर दिया गया था और इसके बाद नियमित एसएमएस भेजे गए थे। हितधारकों को एसएमएस केवल नोटिफिकेशन के रूप में भेजे जाते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसआई निर्बाध कार्यात्मकता प्रदान करने में विफल रहा।

3.2.8 अपर्याप्त सहायता डेस्क और घटना प्रबंधन

आरएफपी जीसीसी खण्ड-11 की शर्त 9.3 के अनुसार, मैनेज्ड आईटी चरण के लिए आपूर्तिकर्ता को हेल्प डेस्क के लिए एक शिकायत संलेखन सिस्टम⁷ स्थापित करना होगा। हेल्प डेस्क से संबंधित एसएलए⁸ की निगरानी के लिए शिकायत संलेखन सिस्टम की रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा। 'संकट' श्रेणी के लिए हेल्प डेस्क पर दर्ज की गई समस्याओं का औसत समाधान समय एक घंटे के भीतर है और 'गैर-संकट' श्रेणी के लिए यह तीन घंटे के भीतर है। लिया गया समय हेल्प डेस्क टूल और एप्लिकेशन प्रदर्शन निगरानी टूल का उपयोग करके अभिलेखित किया जाना था। निर्धारित सीमा से अधिक समय लगने को एक उल्लंघन माना जाएगा।

यह अवलोकित किया गया कि प्रदर्शन सूचकांकों की स्वचालित उपकरण-आधारित निगरानी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली एसआई द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा, विभाग ने शिकायत के प्रकार (संकट या गैर-संकट) की प्रकृति का पता लगाने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। शिकायतों के समाधान का समयावधिवार, वर्षवार विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है:

7 पोर्टल, वॉयस और ई-मेल।

8 सर्विस लेवल एग्रीमेंट।

तालिका 3.3: शिकायतों के समाधान में लगने वाला समय⁹

अवधि	2020-21	2021-22
उसी दिन	524	851
एक सप्ताह के भीतर	5,394	5,057
7 से 15 दिन के भीतर	2,638	2,971
15 से 30 दिन के भीतर	3,397	2,107
30 से 180 दिनों के भीतर	7,304	2,679
180 दिनों के बाद	984	7
समाधान प्रगति पर है	2	24
कुल	20,243	13,696

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ें

जैसा कि ऊपर बताया गया है, दर्ज की गई 97 प्रतिशत (2020-21) और 93 प्रतिशत (2021-22) शिकायतें निर्दिष्ट समाधान समय के 24 घंटे के पश्चात बंद की गई थीं। शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसके अलावा, हेल्पडेस्क टिकटों को, की गई कार्रवाई को रिकॉर्ड किए बिना बंद के रूप में चिह्नित किया गया था। टिकट के समाधान पर इसे आरंभ करने वालों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फीडबैक तंत्र के अभाव में, हेल्पडेस्क कार्यात्मकता की प्रभावशीलता सत्यापित नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त, एसएलए के संदर्भ में टिकटों के गैर-वर्गीकरण के अभाव में, आपूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए विचार किया गया वेटेज तर्कसंगत नहीं था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एप्लीकेशन के टिकटों की निगरानी के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर और डीटीए स्तर पर नोडल टीमों का गठन किया गया है और तदनुसार एसएलए रिपोर्टों की निगरानी की गई थी। एप्लीकेशन के टिकटों के समाधान में विलंब के लिए एसएलए के अनुसार शास्ति भी आरोपित की गई थी। समय आधारित गैर-महत्वपूर्ण कॉल लॉग के समाधान के संबंध में एसएलए के आरएफपी भाग-II शर्त 9 के प्रावधानों का पालन करने में एसआई विफल रहा है।

तथ्य वही रहता है क्योंकि विभाग टिकटों को संकट/ गैर-संकट के रूप में वर्गीकृत करने में असमर्थ था, इसलिए मैनेज्ड आईटी चरण और विस्तारित मैनेज्ड आईटी चरण के दौरान एसएलए के माध्यम से निष्पादन की निगरानी नहीं की जा रही थी।

3.3 नियमों की मैपिंग न होना

3.3.1 वास्तविक प्राप्तियों के साथ प्राप्ति बजट के लेखा शीर्ष की अपर्याप्त मैपिंग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली, भाग-I की कंडिका 6.8 के अनुसार, उचित रोकड़ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग बजट के संदर्भ में व्यय की प्रगति और प्राप्तियों के संग्रहण की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 की कंडिका 11 के अनुसार, महालेखाकार प्रत्येक माह में अपने खातों में प्रस्तुत किए गए राजस्व के मुख्य, लघु और विस्तृत शीर्षों के अनुसार प्राप्तियों का विवरण विभागीय नियंत्रण अधिकारी को भेजेंगे। पूर्ववर्ती नियम के अंतर्गत प्रस्तुत विभागीय विवरणियों को नियंत्रण अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में समेकित किया जाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों में खाते के शीर्षों के अनुसार वर्गीकृत प्रत्येक माह की कुल प्राप्तियां दर्शाई जा सकें। फिर आंकड़ों के दो सेटों की तुलना की जानी चाहिए। बजट के एसआरएस में बजट लाइन के साथ बजट योजना मैपिंग की कार्यात्मकता सम्मिलित थी। लेखा शीर्षों और बीसीओ के साथ बजट मैपिंग के बाद, यह संबंधित बीसीओ द्वारा बजट तैयार करने के लिए उपलब्ध होगा।

⁹ 05 अगस्त 2022 तक की स्थिति में।

इसके अलावा, आर एंड डी मॉड्यूल के एसआरएस के अनुसार, वित्तीय वर्ष की आरंभ से पूर्व प्राप्ति शीर्ष की मैपिंग करने की भूमिका लिए साइबर ट्रेजरी प्रशासक को सौंपी गई थी।

यह अवलोकित किया गया कि बजट मॉड्यूल के लिए एसआरएस में प्रावधान¹⁰ था कि सिस्टम ऑफिस एकाउंटिंग मॉड्यूल से वास्तविक प्राप्तियों को दर्ज करेगा एवं लेखाओं के शीर्ष (एचओए) को बीसीओ के साथ मैप किया जाएगा। हालांकि, एसआरएस में लेखा शीर्ष के आधार पर वास्तविक प्राप्तियों की प्राप्ति अनुमान से मैपिंग का प्रावधान नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 से 2021 के लिए अंतिम बजट आवंटन और वास्तविक प्राप्तियों के लिए तालिकाओं में निहित डेटा की तुलना करने पर, दोनों में से प्रत्येक तालिका में खातों के शीर्षों की मैपिंग से संबंधित विसंगतियां देखी गईं, क्योंकि वर्ष 2019-21 के लिए वास्तविक प्राप्ति तालिका में उल्लेख किए गए लेखा शीर्ष बजट तालिका में नहीं पाए गए एवं इसके विपरीत भी था। इस प्रकार, मध्य प्रदेश बजट नियमावली और मध्य वित्तीय संहिता खंड-1 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यात्मकता को आईएफएमआईएस में मैप नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि अब आईएफएमआईएस की साइबर-ट्रेजरी कार्यात्मकता के अंतर्गत, 97 प्रतिशत चालान, ई-चालान हैं। ई-चालान प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए लेखाओं के शीर्ष को बजट पुस्तक भाग-2 के अनुसार संधारित किया जाता है, दैनिक निगरानी प्रतिवेदन को वित्त विभाग के प्रशासकों को भेजा जाता है एवं वित्त विभाग प्राप्ति बजट अनुमान तैयार करते समय आंकलन करता है। आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन में सीएजी/ सीजीए के साथ एकीकरण का प्रावधान प्रस्तावित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन का उत्तर वर्ष 2019-21 से संबंधित विषय को संबोधित नहीं करता है।

3.3.2 राजस्व मद में व्यपगत जमा का लेखांकन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एमपीटीसी), 2020 के नियम 334 के अनुसार ₹ 10,000 से कम की राशि, जो तीन साल तक आहरित नहीं की गई हो, उसे लेखांकन शीर्ष 0075 में लेखांकित किया जाएगा। इसके अलावा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एफआरएस) के अनुसार सिस्टम को संबद्ध नियम सिस्टम में प्रावधानित करना चाहिए और व्यपगत होने की निर्धारित वैधता अवधि के पश्चात कुछ प्रकार के जमा नामतः के-डिपॉजिट/राजस्व की राशि को संबद्ध शासकीय राजस्व प्राप्ति शीर्ष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। व्यपगत जमा एवं शेषों की सूची 31 मार्च के बाद तत्काल महालेखाकार को भेजी जाएगी।

यह अवलोकित किया गया कि एसआरएस और एसडीडी में यद्यपि व्यपगत जमा की रिफंड की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था, किन्तु एफआरएस के प्रावधानों के अनुसार व्यपगत जमा की राशि के प्राप्ति शीर्ष में लेखांकन से संबंधित एफआरएस के अनुसार कार्यात्मकता का विवरण एसआरएस और एसडीडी में नहीं पाया गया था। इससे इंगित होता है कि एमपीटीसी, 2020 के प्रावधानों के अनुसार व्यपगत जमा को राजस्व मद में जमा करने की प्रक्रिया आईएफएमआईएस में मैप नहीं की गई थी। यह कार्य नियम की अपर्याप्त मैपिंग को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, व्यपगत जमा की एक सूची 31 मार्च के तुरंत बाद फॉर्म एमपीटीसी-71 में महालेखाकार को प्रस्तुत की जानी थी, जिसे एसआरएस में प्रावधानित नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एसआरएस और एसडीडी 2010 में तैयार किए गए थे। इसलिए, उस समय कार्यात्मकता सम्मिलित नहीं थी। किसी जमा राशि को व्यपगत करने की प्रक्रिया के लिए संबंधित डिपॉजिट ऑपरेटर द्वारा आगामी प्रक्रिया के लिए अनुरोध किया जाएगा। वर्तमान में, आईएफएमआईएस का व्हीएलसी के साथ एकीकरण न हो पाने के कारण यह प्रक्रिया ऑफ़लाइन थी। इससे व्यपगत जमा के संकलन में विलंब होता है। इसके लिए महालेखाकार कार्यालय के परामर्श से एक प्रक्रिया विकसित की जा रही है।

¹⁰ जैसा कि एसआरएस एक्शन ट्रेकर वी 1.2 में टिप्पणियों में बताया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यात्मकता को एफआरएस में सम्मिलित किया गया था और एसआई कार्यात्मकता को विकसित करने में विफल रहा।

3.3.3 मुख्य अभियंता की भूमिका निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार मैप नहीं होना

निर्माण विभाग नियमावली खंड-11 (भाग -1) के परिशिष्ट 1.23 के अनुसार, मुख्य अभियंता (सीई) वार्षिक बजट अनुमान तैयार करेगा और बजट आवंटन को शासित करेगा। वह यह भी अवलोकन करेगा कि वर्ष के दौरान जिस भी धन की आवश्यकता नहीं होने की संभावना है, उसे तुरंत समर्पित कर दिया जाए। मुख्य अभियंता अपने घाटी/ क्षेत्र/ परियोजना आदि के संबंध में विभाग का प्रमुख होता है और विभिन्न डीडीओ मुख्य अभियंता के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

यह अवलोकित किया गया कि निर्माण विभाग के सचिव, प्रमुख अभियंता, परियोजना निदेशक, निदेशक और आयुक्त का विवरण बीसीओ मास्टर तालिका में बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) के रूप में दर्ज किया गया था। हालाँकि, मप्र निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बजट आवंटन को प्रशासित करने के लिए मुख्य अभियंताओं की भूमिका को मैप नहीं किया गया था। इस प्रकार, उनके नियंत्रण में काम करने वाले डीडीओ के संबंध में समग्र बजट प्रक्रिया पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इसके परिणामस्वरूप बजट नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में मुख्य अभियंता के कार्यों की उपेक्षा की गई थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार, मुख्य अभियंता बीसीओ नहीं हैं। बीसीओ बजट नियमावली के अनुसार बनाए जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यात्मक आवश्यकता विशिष्टियों के अनुसार सिस्टम को निर्माण/ वन विभागों के प्रकरण में उनकी लेखाकरण प्रणाली को डीडीओ द्वारा कस्टमाइस किया जाना अनुमत करना चाहिए था। आगे, विकसित की जा रही किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में बिजिनेस नियमों की मैपिंग करना प्राथमिक आवश्यकता होती है। यद्यपि मुख्य अभियंता बीसीओ नहीं थे तथापि बजट प्राक्कलनों को तैयार करने एवं बजट आवंटनों को प्रशासित करने के लिए लेखाकरण प्रणाली में मुख्य अभियंता के रोल को मैप किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया था।

3.4 इनपुट नियंत्रण

इनपुट नियंत्रण वे एप्लिकेशन नियंत्रण हैं जो सत्यापन जाँच, डुप्लिकेट जाँच और अन्य संबंधित नियंत्रण प्रदान करके त्रुटिपूर्ण डेटा की प्रविष्टि के जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं। ये संभावित अशुद्धियों का पता लगाने और उन्हें शीघ्रतापूर्वक ठीक करने का अवसर प्रदान करते हैं। इनपुट नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में त्रुटि या धोखाधड़ी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अशुद्ध या छलपूर्ण इनपुट है। इनपुट पर नियंत्रण सिस्टम की शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। कमजोर इनपुट नियंत्रण से अनधिकृत डेटा की प्रविष्टि का जोखिम बढ़ना, एप्लिकेशन में दर्ज किया गए डेटा का अप्रासंगिक होना, अपूर्ण डेटा प्रविष्टि, डुप्लिकेट/ अनावश्यक डेटा की प्रविष्टि हो सकता है।

3.4.1 मास्टर तालिकाओं में डुप्लिकेट और अमान्य डेटा

प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल के एसआरएस के अनुसार, एड्मिनिस्ट्रेटर निर्माता के पास सभी प्रकार के मास्टर डेटा बनाने की भूमिका थी और एड्मिनिस्ट्रेटर सत्यापनकर्ता को मास्टर डेटा को सत्यापित और अद्यतन करने का अधिकार था।

यह देखा गया कि मास्टर डेटा में कमियाँ थीं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- बैंक शाखाओं की विस्तृत जानकारी रखने के लिए जिस तालिका का प्रावधान था उसकी सात पंक्तियों में गलत आईएफएससी कोड और 1.55 लाख रिकॉर्ड में प्रतिरूपी शाखा बीएसआर कोड दर्ज था।

विभाग ने बताया कि विभागों से बीएसआर कोड प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतिरूपी मान दर्ज किए गए थे।

- कर्मचारी डेटा दर्ज करने के लिए प्रावधानित तालिका में, 157 पंक्तियाँ एक से अधिक बार दोहराई गईं, 3,49,293 रिकॉर्ड में पैन नंबर¹¹ दर्ज नहीं किया गया और 11 रिकॉर्ड में गलत दर्ज किया गया। इसके अलावा, 726 रिकॉर्ड में आधार संख्या या तो 12 अंकों से अधिक या कम थी, 52,344 रिकॉर्ड में आधार संख्या केप्चर नहीं की गई थी, 4,357 रिकॉर्ड में बैंक खाते का विवरण केप्चर नहीं किया गया था। डेटा में उपर्युक्त विसंगतियाँ आईएफएमआईएस में अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण को दर्शाती हैं। डेटा को विश्वसनीय तब होता है जब डेटा उस मानदण्ड को सटीक रूप से केप्चर करता है जिसे वह दर्शा रहा होता है। आईएफएमआईएस में कमजोर इनपुट नियंत्रण के परिणामस्वरूप अविश्वसनीय, अधूरा और त्रुटिपूर्ण डेटा केप्चर हुआ था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) पैन, आधार और खाता संख्या सत्यापन पहले से ही सिस्टम में सम्मिलित है, डुप्लिकेट रिकॉर्ड की जाँच के लिए सत्यापन को लागू किया गया है। साथ ही सभी रिकॉर्ड की डाटा क्लीनिंग का कार्य चल रहा है।

उत्तर स्वयं विरोधाभासी है क्योंकि डाटा क्लीनिंग कमजोर इनपुट नियंत्रण के परिणामस्वरूप अमान्य डेटा के अस्तित्व को इंगित करती है।

3.4.2 बैंक स्कॉल से संबंधित तालिकाओं में अमान्य डेटा दर्ज किया जाना

आर एंड डी मॉड्यूल के एसडीडी के अनुसार, हेडर डेटा और विस्तृत डेटा के लिए बैंक भुगतान स्कॉल का विवरण दो तालिकाओं में दर्ज किया गया था। निम्नलिखित अवलोकित किया गया:

- शीर्ष तालिका के स्कॉल दिनांक और ई-फ़ाइल दिनांक कॉलम में अमान्य दिनांक दर्ज किए गए थे। इसके अलावा एक प्रतिरूपी डेबिट खाता संख्या '1111111111111111' और दिखावटी ई-फ़ाइल नाम 'ई-फ़ाइल 1' सभी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। विवरण तालिका में अमान्य/ त्रुटिपूर्ण आईएफएससी कोड, वाउचर नंबर, डीडीओ कोड के अतिरिक्त बैंक का नाम और भुगतान पहचानकर्ता केप्चर नहीं हुए थे।
- प्राप्ति ट्रांजेक्शन को दर्ज करने की तालिका के प्रकरण में, वर्ष का अमान्य मान दर्ज किया गया था, इसके अलावा 16.95 करोड़ रिकॉर्ड में कोई मान दर्ज नहीं किया गया था।
- टीए बिलों की प्रक्रिया से संबंधित तालिकाओं के प्रकरण में, समान आगमन तिथि और प्रस्थान तिथि और समय, यात्रा की एक समान श्रेणी जैसा अमान्य डेटा दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, यात्रा का प्रकार और यात्रा उद्देश्य कॉलम में अवास्तविक डेटा¹² पाया गया। इस प्रकार, की गई यात्रा के वैध डेटा के अभाव में, टीए बिलों के भुगतान के औचित्य को सिस्टम में पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया जा रहा था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि डेटा टेक्स्ट फ़ील्ड में दर्ज किया गया है, इसलिए सत्यापन उपलब्ध नहीं है और यह उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए इनपुट पर आधारित था। जैसा कि सुझाव दिया गया है, एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में डेटा दर्ज करने में आवश्यक सत्यापन को सम्मिलित करने के लिए एसआई से कहा जा रहा है।

3.4.3 बिल रजिस्टर संपादन तालिका में अमान्य वित्तीय वर्ष कोड दर्ज होना

आर एंड डी मॉड्यूल के एसडीडी के अनुसार, दावे से प्राप्त बिल को बनाते समय डेटाबेस में बिल रजिस्टर के विवरण में बिल के सामान्य विवरण को संग्रहित करने के लिए एक तालिका सम्मिलित थी।

¹¹ स्थायी खाता संख्या।

¹² डेटा जैसे 'महत्वपूर्ण, एनए, 000, 03/19 से 06/19 आदि' यात्रा के मोड के कॉलम में दर्ज किए गए थे और '01/02/2020, 05/2019, 0.026 आदि जैसे डेटा यात्रा उद्देश्य के कॉलम में दर्ज किए गए थे।

बिल रजिस्टर तालिका के विश्लेषण से इंगित हुआ कि त्रुटिपूर्ण वित्तीय वर्षों को तालिका के वित्तीय वर्ष कोड में दर्ज किया गया था जैसा कि नीचे दी गई तालिका 3.4 में बताया गया है:

तालिका 3.4: सृजित एवं अद्यतन तिथि के संबंध में वित्तीय वर्ष का विवरण

वित्तीय वर्ष कोड	संगत वित्तीय वर्ष	सृजित दिनांक से	सृजित दिनांक तक	अद्यतन दिनांक से	अद्यतन दिनांक तक	रिकार्ड्स की संख्या ¹³
03	2003-04	08-02-18	16-06-20	12-02-18	16-06-20	74
04	2004-05	15-05-18	11-12-19	16-05-18	11-12-19	14
05	2005-06	08-05-18	29-06-20	09-05-18	30-06-20	19
06	2006-07	10-01-18	01-07-20	16-01-18	04-07-20	245
07	2007-08	08-05-18	23-06-20	08-05-18	25-06-20	200
08	2008-09	13-02-18	23-06-20	19-02-18	25-06-20	174
09	2009-10	22-03-18	19-06-20	23-03-18	19-06-20	219
10	2010-11	09-05-18	30-06-20	10-05-18	08-07-20	363
11	2011-12	09-05-18	30-06-20	14-05-18	30-06-20	423
12	2012-13	12-03-18	28-06-20	15-03-18	01-07-20	465
13	2013-14	22-03-18	28-06-20	24-03-18	01-07-20	759
14	2014-15	13-01-18	30-06-20	24-01-18	06-07-20	1,181
15	2015-16	12-01-18	01-07-20	16-01-18	09-07-20	1,918
16	2016-17	20-01-18	30-06-20	24-01-18	17-08-20	4,852
17	2017-18	01-01-18	01-07-20	01-01-18	31-12-20	25,698
18	2018-19	10-01-18	03-12-21	16-01-18	03-12-21	6,01,738
19	2019-20	11-01-19	03-12-21	12-01-19	03-12-21	7,80,899
20	2020-21	01-01-20	03-12-21	01-01-20	03-12-21	6,93,689
21	2021-22	09-01-21	03-12-21	11-01-21	03-12-21	6,36,914
22	2022-23	16-01-21	02-12-21	19-01-21	03-12-21	151
23	2023-24	13-01-21	30-11-21	15-01-21	02-12-21	39
निरंक	--	08-01-18	03-12-21	09-01-18	03-12-21	48,68,334

स्रोत: आईएफएमआईएस डाटाबेस से प्राप्त।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सिस्टम, बिल रजिस्टर संपादन तालिका में सही वित्तीय वर्ष कोड दर्ज के प्चर करने में विफल रहा। इसी प्रकार, 48,68,334 ट्रांज़ैक्शन ऐसे हैं जिनमें वित्तीय वर्ष कोड निरंक था। इसलिए, तालिका में वित्तीय वर्ष कोड का कॉलम बनाने का उद्देश्य विफल हो गया।

आगे यह भी देखा गया कि समस्त व्यय डेटा को व्यय रिपोर्ट तालिका¹⁴ में दर्ज किया गया था। वित्तीय वर्ष-वार डेटा गलत प्रकार से दर्ज किया गया है क्योंकि 48,98,017 रिकॉर्ड (कुल 80,83,369 रिकॉर्ड में से) ऐसे थे, जिनके सामने वित्तीय वर्ष कोड 'निरंक' था। इससे तालिका के वित्तीय वर्ष कोड के कॉलम पर 'नॉट नॉल' अवरोध का लागू नहीं होना इंगित हुआ।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि व्यय रिपोर्ट वाउचर तिथि के आधार पर तैयार की जाती है। हालांकि, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया, त्रुटि एसआई की अनभिज्ञता के कारण थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गलत वित्तीय वर्ष कोड दर्ज करने के कारण, डेटा की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी और वित्तीय वर्षों के गलत डेटा के कारण प्रबंधन के लिए त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट तैयार हो सकते हैं।

¹³ केवल टीओ द्वारा अनुमोदित बिलों को लिया गया।

¹⁴ एफडी_आरएनडी_ईएक्सपी_आरपीटी तालिका का उपयोग विभिन्न एमआईएस व्यय प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किया गया था।

3.4.4 इनपुट नियंत्रण के अभाव के कारण विश्वसनीयता का अभाव

आईएफएमआईएस के प्राप्ति और संवितरण (आर एंड डी) मॉड्यूल के सिस्टम डिजाइन दस्तावेज़ (एसडीडी) के अनुसार, आर एंड डी मॉड्यूल एक एकीकृत राज्य प्राप्ति और राज्य संवितरण प्रणाली को लागू करेगा जो क्रमशः राज्य के समस्त प्रकार के राजस्व और व्यय की प्रक्रिया को संभालेगा। शासकीय लेखा नियम, 1990 की कंडिका 25 के अनुसार मुख्य शीर्ष को चार अंकों का कोड आवंटित किया गया है, पहला अंक यह दर्शाता है कि मुख्य शीर्ष, प्राप्ति शीर्ष या राजस्व व्यय शीर्ष, या पूंजीगत व्यय शीर्ष या ऋण और अग्रिम है। यदि पहला अंक '0' या '1' है, तो लेखा शीर्ष (एचओए) राजस्व प्राप्ति को दर्शाएगा; '2' या '3' राजस्व व्यय को दर्शाएगा; '4' या '5' पूंजीगत व्यय; '6' या '7' ऋण तथा अग्रिम शीर्ष; और '8' आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाते को दर्शाएगा।

प्राप्ति डेटा तालिका के सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- चार ट्रांजेक्शन्स के प्रकरणों में, अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 के दौरान चालान के माध्यम से शुल्क और ट्रेजरी-बाय-ट्रांसफर के लिए प्राप्त ₹ 54,33,716 की राशि को त्रुटिपूर्ण ढंग से मुख्य शीर्ष 4425 और 4801 के तहत प्राप्ति के रूप में दर्ज किया गया था, जो क्रमशः 'सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय' और 'विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय' से संबंधित थे। विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है।
- 15 मई 2019 से 16 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान चालान प्राप्ति के सात ट्रांजेक्शन के प्रकरणों में, चालान की राशि ऋणात्मक (₹ -13,324) थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मई 2019 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान 322 चालान प्राप्ति ट्रांजेक्शन के प्रकरणों में, चालान की राशि '₹ 0' थी, जिसके लिए चालान तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। चालान विभिन्न प्रयोजनों के लिए 14¹⁵ विभिन्न मुख्य शीर्षों के लिए थे, जैसे विद्युत लाइन, जमा, बैंक गारंटी का नकदीकरण, कॉलेज, पंचायत, अस्पताल, वसूली, सुरक्षा राशि, सांसद निधि, हस्तांतरण द्वारा कार्य, इत्यादि।

- आईएफएमआईएस के आर एंड डी मॉड्यूल के एसआरएस और एसडीडी के अनुसार, चालान के विवरण पर सिस्टम द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या जनरेट की जानी थी। चालान संख्या का प्रारूप तालिका 3.5 के अनुसार होना था:

तालिका 3.5: चालान संख्याओं का विवरण

संदर्भ अंक	कोषालय कोड	बैंक शाखा कोड	मुख्य शीर्ष	माह	वर्ष	क्रम संख्या
	3	7	4	2	2	5

स्रोत: आईएफएमआईएस के आर एंड डी मॉड्यूल के एसआरएस तथा एसडीडी।

प्राप्ति तालिका में दर्ज 2019-20 और 2020-21 के चालान विवरण की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त कोडिंग पैटर्न का आईएफएमआईएस द्वारा समान रूप से पालन नहीं किया गया था। कुल 3,16,31,284 चालानों में से 2,47,66,517 चालानों (78.29 प्रतिशत) के प्रकरणों में कोडिंग पैटर्न की एकरूपता का पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा 68,64,767 चालानों के प्रकरणों में जहां आईएफएमआईएस के एसआरएस और एसडीडी के अनुसार कोडिंग पैटर्न का पालन किया गया था, बैंक शाखा कोड को त्रुटिपूर्ण रूप से '9999999' के रूप से केप्चर किया गया था। इस प्रकार, इनपुट नियंत्रण की कमी इंगित होती है।

उपरोक्त कमियों से इंगित होता है कि आवश्यक इनपुट नियंत्रणों को सिस्टम में पर्याप्त रूप से मैप नहीं किया गया था, जिसके कारण सिस्टम द्वारा गलत मुख्य शीर्ष और त्रुटिपूर्ण राशियां स्वीकार की गईं। इसके अतिरिक्त,

¹⁵ 0028, 0040, 0058, 0071, 0202, 0216, 0401, 0701, 8011, 8443, 8658, 8782, 8443 एवं 8782

पूर्ववर्ती सिस्टम सी-एसएफएमएस से आईएफएमआईएस में डेटा माइग्रेशन में भी कमी थी, जिससे आईएफएमआईएस के डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

डेटा को तब विश्वसनीय कहा जाता है जब डेटा उस मानदण्ड को सटीक रूप से केप्चर करता है जिसे वह दर्शा रहा होता है। आईएफएमआईएस में कमजोर इनपुट नियंत्रणों के परिणामस्वरूप अविश्वसनीय, अपूर्ण और गलत डेटा केप्चर हुआ था। इसप्रकार, अमान्य डेटा के आधार पर जनरेट हुए प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण होंगे एवं आगे के ट्रांजेक्शन या प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं होंगे।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि आईएफएमआईएस के तहत ई-प्राप्ति साइबर ट्रेजरी कार्यात्मकता नवंबर 2021 में आरंभ की गई थी। इससे पहले, बजट पुस्तक के साथ लेखाशीर्ष का सत्यापन उपलब्ध नहीं था, इस प्रकार विभागों के अनुरोध के अनुसार पूंजीगत लेखाशीर्ष को मैनुअल रूप से जोड़ा गया था। जैसा कि अवलोकन में इंगित किया गया है, अब विसंगति को ठीक कर लिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखाशीर्ष से संबंधित प्रावधान पहले से ही विद्यमान थे और चालान संख्या के स्वरूप को एसआरएस और एसडीडी में भी सम्मिलित किया गया था। सिस्टम को त्रुटिपूर्ण मानों को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। एसआई प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा था।

3.5 प्रक्रिया नियंत्रण

प्रक्रिया नियंत्रण, वे एप्लिकेशन नियंत्रण हैं जो इनपुट की पूर्ण और सही प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि त्रुटिपूर्ण ट्रांजेक्शन संसाधित न हों। प्रक्रिया नियंत्रणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ट्रांजेक्शन संसाधन सटीक और पूर्ण हैं, ट्रांजेक्शन अद्वितीय हैं और कोई दोहरे नहीं हैं, सभी ट्रांजेक्शन वैध हैं इत्यादि।

कमजोर प्रक्रिया नियंत्रण से ट्रांजेक्शन की अशुद्ध प्रोसेसिंग होगी जिसके परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण आउटपुट/परिणाम होंगे और एप्लिकेशन द्वारा संसाधित किए जा रहे कुछ ट्रांजेक्शन अधूरे रह सकते हैं। इसके अलावा, दोहरी प्रविष्टियों या प्रसंस्करण की अनुमति देने से सामग्रियों के लिए विक्रेताओं को भुगतान के प्रकरणों में दोहरा भुगतान हो सकता है। इससे विद्यमान डेटा में अनधिकृत परिवर्तन या संशोधन भी हो सकता है।

3.5.1 एनपीएस अंशदान देयकों की राशि में अंतर

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 01 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रारंभ की गई थी। प्राप्ति और संवितरण (आर एंड डी) मॉड्यूल की सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) के अनुसार, एनपीएस में कर्मचारियों और शासन के अंशदान को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को कोषालय कार्यालय द्वारा राज्य संवितरण प्रणाली के माध्यम से सहायक दस्तावेज के रूप में कर्मचारी और शासकीय कटौती अनुसूची के साथ राजस्व रिफंड (एमपीटीसी-44) का एक देयक बनाकर संवितरित किया जाना था। इसके अलावा, एनएसडीएल द्वारा संधारित गए कर्मचारियों के एनपीएस खातों में कर्मचारियों और शासन के एनपीएस अंशदान को जमा करने के लिए कोषालय अधिकारी द्वारा एनएसडीएल पोर्टल पर ई-फाइल अपलोड की जानी थी।

यह देखा गया कि हेडर¹⁶ और विस्तृत ट्रांजेक्शन्स और डीपीपीएफआई¹⁷ के माध्यम से एनएसडीएल को प्रेषण के विवरण दर्ज करने के लिए तालिका में डेटा समाविष्ट था। तथापि, विस्तृत संपादन तालिका में कर्मचारी और कर्मचारी-वार एनपीएस अंशदान के विवरण सम्मिलित नहीं थे एवं सारांशित डीडीओ-वार जानकारी संग्रहित करने के लिए केवल हेडर तालिका का उपयोग किया जा रहा था। आर एंड डी मॉड्यूल में दावा और

¹⁶ तालिका में विस्तृत तालिका के आधार पर डेटा समेकित किया गया है।

¹⁷ पेंशन, भविष्य निधि, बीमा संचालनालय (डीपीपीएफआई), भोपाल।

देयक बनाने के बाद एनपीएस की समेकित राशि का भुगतान डीपीपीएफआई को किया गया था। इसलिए एनपीएस की राशि के प्रेषण के लिए बनाई गई ई-फाइल में कर्मचारियों और कर्मचारी-वार एनपीएस अंशदान का विवरण सम्मिलित नहीं था।

आगे, एनपीएस अंशदान को दावा प्रोससिंग तालिका और एनपीएस बिल हेडर तालिका के माध्यम से प्रेषण के लिए संसाधित किया गया था। दोनों तालिकाओं में 2019-21 की अवधि से संबंधित डेटा की समीक्षा से पता चला कि 21 प्रकरणों में, वास्तविक कर्मचारी और शासकीय एनपीएस अंशदान की तुलना में ₹ 11.37 लाख की कम राशि प्रेषित की गई, जबकि अन्य नौ प्रकरणों में, ₹ 3.38 करोड़ की राशि को एनपीएस विवरण तालिका या एनपीएस शीर्ष तालिका में अंशदान विवरण दर्ज किए बिना प्रेषित किया गया था। फ्रंट एंड से यह पता नहीं चल सका कि क्या यह पूर्व अवधि के समायोजन से संबंधित था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि विसंगति, नियंत्रण और सत्यापन की कमी के कारण थी। अब, नियंत्रण और सत्यापन सिस्टम में लगा दिया गया है। शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि सुधारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं और महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गो-लाइव के लिए साइन ऑफ करने से पहले नियंत्रण और सत्यापन सिस्टम में सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

3.5.2 आईएफएमआईएस में विफल भुगतान ट्रांजेक्शन में विसंगतियाँ

एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में निधि अंतरण के लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (आईएफएससी) अनिवार्य है। प्रत्येक बैंक शाखा में 11 अंकों का एक अद्वितीय आईएफएससी होगा, जिसके पहले चार अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, पाँचवाँ अक्षर शून्य है और अंतिम छह अक्षर शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, आईएफएमआईएस डेटाबेस में वेंडर मास्टर तालिका और विफल ट्रांजेक्शन तालिका सम्मिलित थी।

यह अवलोकित किया गया कि वेंडर मास्टर तालिका में 212 वेंडरों के प्रकरणों में गलत आईएफएससी फीड किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.2 (ए) में बताया गया है। इसके अलावा 2019-21 की अवधि के लिए विफल भुगतान ट्रांजेक्शन तालिका की आगे की संवीक्षा से पता चला कि 2,19,902 प्रकरणों में, त्रुटिपूर्ण आईएफएससी कोड के कारण ₹ 357.17 करोड़ का भुगतान विफल हो गया था। इसमें 50 ऐसे प्रकरण, जहाँ पर सत्यापन जाँच एवं आईएफएमआईएस में सत्यापनकर्ता/ अनुमोदनकर्ता स्तर पर मास्टर डेटा की शुद्धता के सत्यापन की कमी के कारण भुगतानकर्ता का खाता नंबर '0' के रूप में फीड किया गया था, भी सम्मिलित थे। आईएफएमआईएस डेटाबेस में त्रुटिपूर्ण आईएफएससी कोड जारी रहा और 30,103 बैंक खातों में ₹145.55 करोड़ रुपये का भुगतान लगातार दो से 90 बार तक विफल हुआ।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि इसका मुख्य कारण कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थानांतरण/ विलय होने के कारण था। ई-कुबेर और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग और समन्वय से एप्लिकेशन में सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसआई द्वारा परिस्थितियों में बदलाव को एप्लिकेशन में मैप नहीं किया गया था।

3.5.3 विफल ट्रांजेक्शन्स के लिए लेखाशीर्ष की मैपिंग न होना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता, 2020 के परिशिष्ट 4 के अनुसार, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को सभी असफल ट्रांजेक्शन्स को सत्यापित करना एवं जाँचना और खाता विवरण अपडेट करना आवश्यक था। आईएफएमआईएस के एसआरएस में विफल भुगतान ट्रांजेक्शन्स के समाधान का प्रावधान था। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के परिशिष्ट 25 और 26 में प्रावधान है कि "विफल भुगतान/ट्रांजेक्शन" की राशि उसी

दिन सिविल डिपॉजिट लेखाशीर्ष¹⁸ में चालान के माध्यम से प्रस्तुत की जानी है। इसे संशोधित किया गया था (जुलाई 2020) एवं एक "असफल भुगतान ट्रांजेक्शन" की राशि को राजस्व लेखा शीर्ष (0 और 1 से शुरू होने वाले मुख्य शीर्ष) में चालान के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है।

यह अवलोकित किया गया कि 30 जून 2020 तक 49 विफल भुगतानों के प्रकरणों में, ₹ 4.12 करोड़ की राशि सही सिविल डिपॉजिट जमा शीर्ष के स्थान पर 'स्थानीय निधियों के जमा'¹⁹ के लेखा शीर्ष में त्रुटिपूर्ण रूप से हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.2 (बी) में विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग 1 जुलाई 2020 से कोषालय संहिता में संशोधन के बाद आईएफएमआईएस को अपडेट करने में भी विफल रहा एवं "विफल भुगतान ट्रांजेक्शन" को चालान के माध्यम से राजस्व लेखा शीर्ष में स्वचालित रूप से जमा करने हेतु मैप नहीं किया, इसलिए 30 जून 2020 के बाद के 253 असफल भुगतानों के प्रकरणों में, ₹ 2.49 करोड़ की राशि त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व लेखा शीर्ष के स्थान पर 'स्थानीय निधियों की जमा' (मुख्य शीर्ष - 8448) और 'सिविल जमा' (मुख्य शीर्ष - 8443) लेखा शीर्ष में जमा कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप विफल ट्रांजेक्शन्स का त्रुटिपूर्ण लेखांकन हुआ।

शासन द्वारा बताया गया (जुलाई 2023) कि अब सुधारात्मक और निवारक उपाय किए गए हैं तथा ई-कुबेर और एसबीआई एसएलआईए के पश्चात, विफल भुगतान स्वचालित रूप से नियंत्रित हो जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं करता है कि संशोधन से पहले और बाद में एसआई, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के संशोधित नियमों को मैप करने में विफल क्यों रहा।

3.5.4 विफल भुगतान ट्रांजेक्शन्स की प्रक्रिया में विसंगतियाँ

आर एंड डी मॉड्यूल के एसडीडी के अनुसार, बैंक सूची के विवरण वाले भुगतान सूची विवरण को भुगतान स्कॉल तालिका में अभिलेखित किया जाना था। भुगतान ई-स्कॉल की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने के लिए भुगतान शाखा उपयोगकर्ता हेतु एक प्रावधान था। सफल या असफल ट्रांजेक्शन की स्थिति को भुगतान स्कॉल तालिका में दर्ज किया जाना था।

यद्यपि, विफल ट्रांजेक्शन तालिका में 2019-21 की अवधि के दौरान 4.47 लाख विफल ट्रांजेक्शन थे, किन्तु भुगतान स्कॉल विवरण तालिका में सभी भुगतान ट्रांजेक्शन्स की स्थिति को सफल के रूप में दर्ज किया गया था।

विफल ई-भुगतान ट्रांजेक्शन्स के पुनः संसाधन में नियंत्रण का अभाव

यह अवलोकित किया गया कि ई-भुगतान की विफलता के कारणों को तालिका में या आईएफएमआईएस द्वारा उत्पन्न विफल ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया था। विफल भुगतानों को पुनः संसाधित करते समय, भुगतान उस पक्ष को किया जाना चाहिए जिसका भुगतान मूल रूप से विफल हुआ था। तथापि, विफल ई-भुगतान ट्रांजेक्शन्स से भुगतान के पुनः संसाधन में कोई नियंत्रण नहीं थे।

विफल ई-भुगतान के पुनः संसाधन में प्रक्रिया में नियंत्रण की जाँच करने के लिए लेखापरीक्षा ने आईएफएमआईएस एप्लिकेशन (प्रतिकृति) मेनू के माध्यम से छह विफल चालानों के भुगतान को पुनः संसाधित किया। विभिन्न डीडीओ से संबंधित छह विफल चालानों का भुगतान को विभाग के एक कर्मचारी के पक्ष में पुनः संसाधित किया गया। निर्माता से अनुमोदक तक भुगतान प्रक्रिया सफल रही और ई-भुगतान कोषालय अधिकारी द्वारा पारित किया गया था।

यह अवलोकित किया गया कि विफल ट्रांजेक्शन्स से भुगतान को शुरू करते समय, एक निश्चित अवधि के लिए सभी विफल ई-भुगतान ट्रांजेक्शन्स डीडीओ का ध्यान रखे बिना दर्शाए गए थे और लॉग इन

¹⁸ मुख्य शीर्ष-8443

¹⁹ मुख्य शीर्ष -8448

किया हुआ उपयोगकर्ता एक विशेष कोषालय के अंतर्गत प्रदर्शित सूची में से किसी भी ट्रांजेक्शन का चयन करने एवं इसे भुगतान के लिए पुनः संसाधित करने में सक्षम था। इस विसंगति ने आईएफएमआईएस में प्रक्रिया और सत्यापन नियंत्रणों की कमी का संकेत दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में नियंत्रण की कमी थी कि विफल ट्रांजेक्शन्स को पुनः संसाधित किया गया और उस पार्टी को भुगतान किया गया जिसका भुगतान मूल रूप से विफल हुआ था। विफल ट्रांजेक्शन को पुनः संसाधित करने के लिए उचित नियंत्रण तंत्र के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या विफल ई-भुगतान उन वास्तविक पक्षों को पुनः संसाधित किया गया था जिनके भुगतान मूल रूप से देय थे साथ ही त्रुटिपूर्ण एवं अधिक भुगतान की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि नवंबर 2022 से पहले सीआईएनबी²⁰ प्रणाली के कारण, विभाग को डीडीओ के अनुसार विफल भुगतान का डेटा प्राप्त करना होता था। विफल ट्रांजेक्शन्स डेटा की जाँच करना एवं उसके अनुसार बिल तैयार करना डीडीओ का उत्तरदायित्व था। नवंबर 2022 और एईपीएस²¹ के रोलआउट के बाद, हितग्राही के अनुसार विफल ट्रांजेक्शन्स की जाँच की जा सकती है और डीडीओ द्वारा तदनुसार बिल जनरेट किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिस्टम विफल ट्रांजेक्शन्स का ट्रैक रखने में असमर्थ था और इस प्रकार इसने विफल ट्रांजेक्शन्स के त्रुटिपूर्ण पुनः संसाधन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

3.5.5 आवश्यक व्यावसायिक नियमों की मैपिंग नहीं करने के परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण के बिना रिफंड किया जाना

एसआरएस के अनुसार, जब दावेदार द्वारा पूर्व में जमा राशि के विरुद्ध कार्यालय में रिफंड हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया गया हो तो राजस्व बिल का रिफंड, डीडीओ के कार्यालय में तैयार किया जाना चाहिए था। राजस्व और सुरक्षा जमा के रिफंड के लिए, रिफंड बिलों का संधारण करने के लिए संबंधित विभाग से रिफंड स्वीकृति आदेश की आवश्यकता थी। जिनके क्रेडिट डेटा सिस्टम में उपलब्ध नहीं थे, उनके चालान के विवरण दर्ज करने का प्रावधान प्रदान किया जाना था। यदि रिफंड का दावा प्राप्ति वाले वित्तीय वर्ष में ही किया जाता है, तो उचित प्राप्ति शीर्ष को बिल से घटा लिया जाएगा, अन्यथा, रिफंड के लेखांकन के लिए संबंधित व्यय शीर्ष का उपयोग किया जाएगा।

आगे, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एमपीएफसी) की शर्त 166 के अनुसार, राजस्व के रिफंड को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यथा वह रिफंड जिसके लिए दावेदार कानूनी रूप से हकदार हैं एवं वह रिफंड जो अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाता है, जिन्हें देने के लिए शासन किसी कानूनी दायित्व के अधीन नहीं होता है। एमपीएफसी की शर्त 167 (बी) के अनुसार, ऐसे रिफंड के प्रकरणों में, जिसमें शासन उन्हें देने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं रखती है, संबंधित पक्ष के आवेदन की दिनांक से एक वर्ष से अधिक के विलंब के प्रकरण में रिफंड आवेदन को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

यह अवलोकित किया गया कि आर एंड डी मॉड्यूल के एसडीडी में राजस्व रिफंड तालिका का उपयोग करते हुए राजस्व रिफंड के एट्रीब्यूट्स का प्रावधान सम्मिलित था, किन्तु डेटा डिक्शनरी में तालिका के बारे में कोई विवरण नहीं था। इसलिए, तालिका बनाने का उद्देश्य अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं था।

राजस्व रिफंड तालिका और प्राप्ति तालिका की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ सामने आईं:

- रिफंड बिलों का संसाधन करने के लिए राजस्व रिफंड तालिका में चालान विवरण और प्राप्ति ट्रांजेक्शन आईडी को दर्ज करने के प्रावधान थे। हालांकि, जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के दौरान संसाधित

²⁰ कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग।

²¹ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली।

किए गए राजस्व रिफंड के 9,541 बिलों²² के प्रकरण में, मूल चालान संख्या के विवरण जिसके माध्यम से मूल राजस्व को बैंक/ कोषालय द्वारा शासन के खातों में प्राप्त/ जमा किया गया था या प्राप्ति ट्रांजेक्शन आईडी उपलब्ध नहीं थे।

- एमपीएफसी के प्रावधानों के अनुसार राजस्व की रिफंड के प्रकार को वर्गीकृत करने के लिए चालान विवरण को केचर करने में सिस्टम असमर्थ था। 15.99 करोड़ की राशि के राजस्व रिफंड के 1,874 देयकों के प्रकरण में, राजस्व प्राप्ति के चालान की दिनांक से एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आईएफएमआईएस के द्वारा रिफंड की प्रक्रिया संसाधित की गई थी। विलंब 366 दिनों से लेकर 962 दिनों तक का था। आगे, संबंधित पक्षों द्वारा रिफंड के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के विवरण भी इसे सत्यापित करने के लिए आईएफएमआईएस में उपलब्ध नहीं थे।
- आईएफएमआईएस में मूल राजस्व प्राप्ति के चालान विवरण दर्ज करने का प्रावधान अनिवार्य रूप से न होने के कारण, सिस्टम ने राजस्व रिफंड के 37 प्रकरणों में राजस्व प्रस्तुत करने वालों के अलावा अन्य पार्टियों को ₹ 0.49 करोड़ का भुगतान करना अनुमत किया था। विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है। चार प्रकरणों में यह भी देखा गया कि रिफंड की प्रक्रिया चालान की दिनांक से दो दिन से छह दिन पहले तक आईएफएमआईएस के माध्यम से की गई थी, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और यह आईएफएमआईएस में नियंत्रण की बड़ी त्रुटियों की ओर इंगित करता है। इसने राजस्व के रिफंड के भुगतान की प्रक्रिया में सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित किया।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि राजस्व रिफंड में विफल ई-भुगतान ट्रांजेक्शन्स, कर और गैर-कर राजस्व भी हैं, और प्रक्रिया के अनुसार चालान प्रस्तुत करने के बाद लेजर अद्यतन हो जाता है और रिफंड ऑपरेटर के शेष के आधार पर संसाधित किए जाते हैं, न कि चालान के अनुसार। चालान के व्यपगत होने के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए सक्षम अनुमति लेना डीडीओ का उत्तरदायित्व है। अन्य विसंगतियों और दोषों को सुझाव के अनुसार हल किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 में उल्लिखित विफल ट्रांजेक्शन्स का सत्यापन सिस्टम के माध्यम से संभव नहीं था, क्योंकि इसे चालान लेजर के जमा के आधार पर पुनः संसाधित किया जा रहा था। चालान के व्यपगत होने के संबंध में, फंक्शनल रिक्वियरमेंट स्पेशिफिकेशन के अनुसार, सिस्टम को संबंधित नियम सिस्टम में प्रदान करना था और परिभाषित वैधता अवधि के समाप्त होने के पश्चात राजस्व की राशि को संबंधित शासकीय राजस्व प्राप्ति शीर्ष पर स्थानांतरित करना था।

3.6 प्राधिकार एवं सत्यापन जाँच

संसाधनों तक पहुंचने के अधिकार को विनिर्दिष्ट करने का कार्य प्राधिकार होता है। उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए एक्सेस नियंत्रण, प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी संसाधन तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो एक्सेस नियंत्रण प्रक्रिया यह जाँच करती है कि उपयोगकर्ता को संसाधन का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। सूचना सुरक्षा नीति की कंडिका 9.2 के अनुसार, शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इनपुट डेटा सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं/ दिशानिर्देशों में, मापदंडों की जाँच, सीमा से बाहर के मान, अमान्य कैरेक्टर, अनुपलब्ध या अपूर्ण डेटा इत्यादि सम्मिलित थे। इसके अलावा दस्तावेज़ में डेटा सत्यता के मुद्दों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में आंतरिक प्रक्रिया का नियंत्रण भी सम्मिलित किया गया था। इसमें निम्नलिखित कमियाँ अवलोकित की गई थी:

3.6.1 प्राप्ति अनुमानों के अनुमोदन विवरण का अभिलेखन न होना

बजट मॉड्यूल के एसआरएस के प्रावधानों के अनुसार, समग्र बजट कार्यक्रम को सिस्टम में कॉन्फ़िगर किया जाएगा जिसमें प्रशासनिक विभागों/ बीसीओ द्वारा बजट प्रस्तुत करने की समयसीमा होगी। सभी प्राप्ति बजट

²² ईडी, पीडी और एलएफडी पुनर्भुगतान से संबंधित।

के प्रस्ताव पूर्व-निर्धारित तिथि से पहले विभाग के पास पहुंच जाने चाहिए। बीसीओ के पास अलग-अलग डीडीओ के साथ संबंधित बजट योजनाओं/ बजट शीर्षों को मैप करने की सुविधा होगी एवं डीडीओ केवल उन्हीं योजनाओं/ बजट शीर्षों को देख पाएंगे जो उनके मूल बीसीओ के द्वारा उनके साथ मैप किए गए हैं। डीडीओ, बीसीओ/ एचओडी, प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग के प्रत्येक स्तर की प्रक्रिया को एसआरएस में सम्मिलित किया गया था।

प्राप्ति बजट तालिकाओं के विश्लेषण के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि डीडीओ द्वारा निर्मित किए गए प्राप्ति अनुमान के लिए ₹ 2,134.72 करोड़ (वर्ष 2019-20 के लिए) के 32 रिकॉर्ड में से नौ रिकॉर्ड और प्राप्ति अनुमान के ₹ 10,731.66 करोड़ (2020-21 के लिए) के 30 रिकॉर्ड में से आठ रिकॉर्ड लिए बीसीओ, प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन का विवरण को सिस्टम में दर्ज नहीं पाया गया था। इस प्रकार प्राप्ति अनुमानों का प्राधिकार को सुनिश्चित नहीं किया गया और निर्मित सुविधा का आंशिक उपयोग होना इंगित हुआ।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि बजट तैयार करने के दौरान अधिकांश प्राप्ति अनुमानों को बीसीओ के स्तर पर अंतिम रूप दिया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीसीओ स्तर पर प्राप्ति अनुमान को अंतिम रूप देने के पश्चात प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन के विवरण भी उपलब्ध नहीं थे।

3.6.2 आवंटित बजट तालिकाओं और बीसीओ को आवंटन के मध्य बजट आंकड़ों का बेमेल होना

बजट मॉड्यूल (बजट आवंटन/वितरण प्रक्रिया) के एसआरएस के प्रावधानों के अनुसार, विभाग बीसीओ को बजट आवंटित/ वितरित करेगा और बीसीओ डीडीओ को बजट आवंटित/ वितरित करेगा। विभाग विशिष्ट लेखा शीर्ष के लिए सामान्यतः कटौती दर्ज कर सकता है (प्रतिशत के रूप में)। वित्त विभाग द्वारा दर्ज किए गए प्रतिशत के आधार पर सिस्टम स्वचालित रूप से बजट आवंटन में कटौती करेगा। सिस्टम समस्त या किसी विशेष शीर्ष में बजट आवंटन/ वितरण को रोकने की सुविधा प्रदान करेगा। बीसीओ बजट को एक अवधि से अन्य अवधि में और एक डीडीओ से अन्य डीडीओ में पुनः वितरित भी कर सकता है।

शासन द्वारा आवंटित बजट और बीसीओ को आवंटित बजट से संबंधित आईएफएमआईएस प्रतिकृति डेटाबेस की तालिकाओं के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए बीसीओ को आवंटित बजट आंकड़ों और बजट आंकड़ों के बीच अंतर थे। मांगे गए एसक्यूएल²³ स्टेटमेंट्स के आधार पर, यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2019-20 में 11 अनुदानों के लिए और वर्ष 2020-21 में 64 अनुदानों के लिए बीसीओ को आवंटन, बजट आवंटन से अधिक हुआ था। इसका विवरण परिशिष्ट 3.4 (ए) एवं (बी) में दर्शाया गया है।

शासन ने सूचित किया (जुलाई 2023) कि आंकड़ों में अंतर का पता लगाने के लिए प्रश्न पर एसआई के साथ चर्चा की जाएगी।

3.6.3 बजट सरेंडर के लिए मेकर-चेकर नियंत्रण की कमी

बजट मॉड्यूल के सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन (एसआरएस) की कंडिका 1.4, भूमिकाएं और विवरण के अनुसार, संसाधित करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) कार्यालय स्तर पर चार भूमिकाएं अर्थात् बजट सहायक, प्रथम सत्यापनकर्ता, अंतिम सत्यापनकर्ता और अनुमोदनकर्ता का प्रावधान किया गया था। आगे, बजट मॉड्यूल के सिस्टम डिज़ाइन दस्तावेज़ की कंडिका 3.7 समर्पण तैयार करना, के अनुसार, बजट समर्पण की प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट की बचत की पहचान करने के साथ प्रारंभ होती है। डीडीओ बजट उपलब्धता के साथ वास्तविक व्यय की तुलना को देखने में सक्षम हो सकेंगे।

²³ ओरॉकल तालिकाओं के लिए संरचित क्वेरी भाषा।

डीडीओ द्वारा बजट को सरेंडर करने से संबंधित तालिकाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 46 विभागों के 3,234 डीडीओ से संबंधित 35,325 ट्रांजेक्शन्स में 2019-21 के दौरान निर्माता, सत्यापनकर्ता या अनुमोदनकर्ता²⁴ द्वारा केवल एक चरण में ₹ 6,592.51 करोड़ की राशि समर्पित की गई थी। इन 35,325 ट्रांजेक्शन्स में से कुल 25,200 ट्रांजेक्शन्स डीडीओ द्वारा संसाधित किए गए और शेष 10,125 ट्रांजेक्शन डीडीओ के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा संसाधित किए गए। विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इससे इंगित होता है कि डीडीओ स्तर पर धनराशि समर्पित करने की प्रक्रिया में मेकर और चेकर के अलग-अलग नियंत्रण का पालन नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि सभी बीसीओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सिस्टम में डीडीओ के लिए ग्लोबल बजट सीमा मैपिंग की कार्यक्षमता है, जिसका उपयोग डीडीओ से बीसीओ स्तर तक समर्पण की निर्भरता से बचने के लिए किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पदानुक्रम में भूमिका के गैर-कार्यान्वयन के विषय को संबोधित नहीं करता है।

3.6.4 स्वीकृत राशि के साथ बिल राशि की जाँच का अभाव

प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल के एसआरएस की कंडिका 1.5.1.2 के अनुसार, दावे को स्वीकृति देने के लिए, सभी दावों की वित्तीय अधिकार के प्रति जाँच की जानी थी। सभी स्वीकृत दावे, स्वीकृति आदेश संख्या और दिनांक जैसा भी लागू हो के साथ डीडीओ कार्यालय के बिल क्लर्क को आगे की प्रक्रिया करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बिल क्लर्क द्वारा स्वीकृत किए गए दावों के लिए बिल बनाए जाएंगे। सभी शासकीय ट्रांजेक्शन्स में, किसी भी बिल का भुगतान ऐसे बिलों के लिए स्वीकृत राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

यह अवलोकित किया गया कि परियोजना प्रबंधन मॉड्यूल में अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति की कार्यात्मकता भी सम्मिलित थी। प्रोजेक्ट प्रबंधन मॉड्यूल को गो-लाइव के लिए साइन ऑफ नहीं किया गया था एवं प्रोजेक्ट मॉड्यूल में समस्याएं थीं। यह भी अवलोकित किया गया कि स्वीकृति आदेश का विवरण मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है और आदेश की स्कैन की गई प्रति अपलोड करने की भी सुविधा थी। इसने मात्र मैनुअल स्वीकृति आदेश के लिए एक संदर्भ डेटा प्रदान किया। बिल डेटा के विश्लेषण से पाया गया कि दर्ज किए गए स्वीकृति आदेश के संदर्भ डेटा में, स्वीकृति आदेश के स्थान पर जंक डेटा सम्मिलित था।

इसके अलावा, पूर्ण रूप से प्रमाणित आकस्मिकता बिल तालिका की स्वीकृति आदेश तालिका के साथ तुलना करने पर, यह पाया गया कि 4,329 ट्रांजेक्शन्स थे, जिनमें भुगतान की गई राशि स्वीकृत राशि से अधिक थी। इससे इंगित हुआ कि बिलों के निर्माण के दौरान स्वीकृत राशि के साथ बिल की राशि को सीमित करने के लिए सिस्टम में कोई जाँच/ नियंत्रण नहीं थे। इसकी भी नमूना जाँच की गई कि सिस्टम ने उस बिल के लिए कम स्वीकृत राशि के विरुद्ध भुगतान के लिए बिल को प्रोसेस करने की अनुमति देता है। स्वीकृत दावा ट्रांजेक्शन तालिका और भुगतान विवरण तालिका के विश्लेषण पर यह देखा गया कि 51 ट्रांजेक्शन्स के प्रकरणों में स्वीकृत राशि दावा की गई राशि से अधिक थी, जिनमें से 31 ट्रांजेक्शन्स में भुगतान किया गया था। इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति आदेशों की अनुपस्थिति के साथ-साथ अविश्वसनीय संदर्भ डेटा ने प्रमाणकों की प्रामाणिकता को प्रभावित किया।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एसआई द्वारा एप्लीकेशन में अपडेट और पैचिंग के कारण, बिल राशि से अधिक की स्वीकृत राशि का पुष्टिकरण एसआई द्वारा चूक गया होगा। चूंकि, आईएफएमआईएस में ई-स्वीकृति मॉड्यूल प्रारंभ नहीं किया गया था। वैकल्पिक हल की भांति स्वीकृत राशि का बिल राशि से कोई संबंध नहीं था। स्वीकृति आदेशों को बिल प्रस्तुत करने के साथ अपलोड करने की अनुमति दी गई थी और बिल पास करते समय मैनुअल रूप से जाँच की जाती थी। हालांकि, इसे नेक्स्ट-जेन में लिया जा रहा है।

²⁴ 10 या 20 या 30 की लेवल आईडी के साथ।

पूर्ण रूप से प्रमाणित आकस्मिकता बिल तालिका एवं स्वीकृति आदेश तालिका के मध्य उचित मैपिंग के अभाव में सिस्टम में पुष्टिकरण नियंत्रणों से संबंधित समस्याएं थीं एवं देयकों को पारित करते समय मैनुअल रूप से अपलोड किए स्वीकृति आदेशों की भी जांच नहीं की जा रही थी।

3.6.5 बैंक खातों की अपर्याप्त मैपिंग

आर एंड डी मॉड्यूल के एसआरएस की कंडिका 2.2.2 के अनुसार, बिल तैयार करते समय डीडीओ कार्यालय द्वारा भुगतान का प्रकार, दावेदार का नाम, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक आईएफएससी कोड, बैंक खाता संख्या और निवल राशि को केप्चर किया जाएगा। आगे, कंडिका 2.1.8 के अनुसार, यदि एक ही दावेदार के विरुद्ध कई बैंक खाता संख्या मैप किए गए हैं और संबंधित राशि को अलग-अलग बैंक खातों में जमा किया जाना है, तो सिस्टम निवल भुगतान योग्य राशि को विभाजित करेगा और अलग-अलग बैंक खाता संख्याओं में जमा करेगा। सिस्टम जांच करेगा कि विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई कुल राशि, निवल राशि के बराबर है। पक्ष यथा कर्मचारी/विक्रेता/ ठेकेदार के लिए पार्टी कोड एक अद्वितीय (यूनिक) कोड था। एसआरएस के अनुसार, संबंधित दावा प्रस्तुत करने वाले मॉड्यूल से दावा के विवरणों से पार्टी कोड को स्वचालित रूप से पॉप्युलेट किया जाना था। आर एंड डी मॉड्यूल का एसडीडी में बैंक स्कॉल विवरण में ट्रांजेक्शन की स्थिति (सफल या असफल) के ऐट्रीब्यूट के लिए प्रावधान किया गया था। बैंक स्कॉल के विवरण एक अलग तालिका में दर्ज किए गए थे।

यह अवलोकित किया गया कि पार्टी कोड और पार्टी का नाम भुगतान विवरण तालिका में केप्चर किए गए हैं। भुगतान ट्रांजेक्शन तालिका के साथ बिल रजिस्टर तालिका, भुगतान स्कॉल विवरण तालिका, विफल भुगतान विवरण तालिका और आईएफएमआईएस एप्लिकेशन द्वारा जनित वाउचर विवरण रिपोर्ट से सफल ई-भुगतान ट्रांजेक्शन्स के विश्लेषण में, एक खाता संख्या में दो कर्मचारियों और तीन विक्रेताओं को भुगतान जैसी विसंगतियों, एक खाता संख्या में एक कर्मचारी और एक विक्रेता का भुगतान, एक खाता संख्या में दो कर्मचारियों का भुगतान इत्यादि को अवलोकित किया गया जिनका विवरण परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है। अवलोकित की गई अन्य कमियाँ इस प्रकार हैं:

- 2019-21 की अवधि के लिए भुगतान विवरण तालिका में, 102 ट्रांजेक्शन्स में, '0000000000' जैसे अमान्य बैंक खाता नंबर दर्ज किए गए, जिनमें से 22 ट्रांजेक्शन्स विफल ट्रांजेक्शन तालिका में दर्ज किए गए थे, किन्तु अन्य 22 ट्रांजेक्शन्स में, जिनका यूटीआर नंबर भुगतान स्कॉल तालिका में जनरेट हुआ था, सफल या असफल ट्रांजेक्शन की स्थिति विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि भुगतान स्कॉल तालिका में सभी ट्रांजेक्शन्स की स्थिति को '1' के रूप में दर्शाया गया था।
- इसी प्रकार के 57 ट्रांजेक्शन्स में, तालिका में यूटीआर नंबर उपलब्ध नहीं थे, यद्यपि चेक को क्लियर होना दर्शाया गया था। अन्य 22 ट्रांजेक्शन्स में, विफल ट्रांजेक्शन स्कॉल तालिका के अनुसार भुगतानों को विफल दर्शाया गया था। यद्यपि, इन प्रकरणों में चेक क्लियर होना दर्शाया गया था एवं समाधान की स्थिति 'एस' थी।

इस प्रकार, आईएफएमआईएस की महत्वपूर्ण तालिकाओं में ट्रांजेक्शन्स के अविश्वसनीय डेटा सम्मिलित था एवं लेखापरीक्षा, उन वास्तविक पक्षों के नाम जिन्हें भुगतान किया गया था, एक खाता संख्या के लिए अलग-अलग आईएफएससी कोड को संबद्ध तालिकाओं में कैसे दर्ज किया गया एवं आईएफएमआईएस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में वाउचर के विवरण दर्शाए जाने के बारे में जानकारी का पता नहीं लगा सकी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि ई-भुगतान के लिए विक्रेता पंजीकरण बैंक खाता संख्या के अनुसार बनाए रखा जाता है, विक्रेता/ लाभार्थी के नाम की पुष्टि नहीं की जा सकती है, एवं वेंडर मास्टर डीडीओ स्तर पर स्थानीय रूप से संधारित किया जाता है, न कि ग्लोबल स्तर पर। वेंडर मास्टर में खाता संख्या दर्ज किए जाने का सत्यापन बैंक शाखा की आवश्यकताओं जैसे 15 अंकों से अधिक, 18 अंक और अल्फा न्यूमेरिक के अनुसार मान्य किया जाता है। हालाँकि, 000000000000 और 11111111111111 जैसे वेलिडेशन उपलब्ध नहीं थे। यह स्पष्ट किया गया कि अधिक परिमाण में एक्सेल अपलोड के माध्यम से भी वेंडर निर्मित करने की

अनुमति दी गई थी, इसलिए डीडीओ स्तर पर ऐसी विसंगतियां हुई हैं। राज्य भर में वेंडर मास्टर को यूनिक बनाने के लिए, शासन ने बताया कि वे वेंडर मास्टर को ग्लोबल के रूप में यूनिक बनाने के लिए कार्य कर रहे थे।

उत्तर ने स्वयं इंगित करता है कि सिस्टम में आवश्यक सत्यापन सम्मिलित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप डेटा में अनियमितताएं हुईं।

3.6.6 प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल में सत्यापन जाँच का अभाव

प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल के सिस्टम डिज़ाइन दस्तावेज़ (एसडीडी) के अनुसार, वर्कफ़्लो जॉब मास्टर तालिका को परिभाषित किया गया था, जिसमें कर्मचारी का नाम, पोस्ट कोड, जॉब आईडी, जॉब शीर्षक इत्यादि जैसे विवरण सम्मिलित थे। जॉब मास्टर तालिका में 78,53,435 रिकॉर्ड थे जो विभिन्न विवरण²⁵ दर्शाते थे। इसके अलावा, सत्यापन के लिए निम्नलिखित तालिकाओं का उपयोग किया जाना था, जैसा कि नीचे तालिका 3.6 में बताया गया है:

तालिका 3.6: सत्यापन जाँच से संबंधित तालिकाओं का विवरण

तालिका का नाम	विवरण
एफडी_आरएनडी_वीएलडीटीएन_एमएसटी (सत्यापन मास्टर तालिका)	सत्यापन मास्टर तालिका, विवरण का उपयोग बिल संसाधित करते समय बिल को सत्यापित करने के लिए किया जाता है
एफडी_आरएनडी_वीएलडीटीएन_टीएक्सएन	यह तालिका उपयोगकर्ता द्वारा भूमिका निर्माता, सत्यापनकर्ता और अनुमोदक के साथ किए गए ट्रांजेक्शन संबंधी डेटा को दर्ज करेगी।
एफडी_आरएनडी_बिलटाइप_वीएलडीटीएन_आरएलटी	वैलिडेशन मास्टर अपडेट स्क्रीन एट्रीब्यूट में तालिका का उपयोग सम्मिलित है।

स्रोत: आईएफएमआईएस के आर एंड डी मॉड्यूल का एसडीडी

सत्यापन मास्टर तालिका में जॉब आईडी का एक कॉलम था। प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल की एसडीडी में एंट्री रिलेशनशिप रेखाचित्र में जॉब आईडी नंबर कॉलम को परिभाषित किया गया था। प्रतिकृति डेटाबेस में इंगित हुआ कि जॉब आईडी नंबर कॉलम को प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल की 35 तालिकाओं में सम्मिलित किया गया था। हालाँकि, जिनमें से मात्र 10 तालिकाएं ही एसडीडी में पहचानी जा सकीं।

यह देखा गया कि मास्टर डेटा के संग्रहण और बैंक शाखाओं की मैपिंग, बिल प्रकार, बिल अनुमोदन, चेक वैधता इत्यादि से संबंधित 10 तालिकाओं में जॉब आईडी का प्रावधान था हालाँकि, जॉब आईडी कॉलम में अलग-अलग मान (शून्य, 0 और -1) दर्ज थे। उपरोक्त तालिकाओं में से, सत्यापन मास्टर तालिका के प्रकरण में केवल 45 प्रविष्टियाँ थीं और सत्यापन ट्रांजेक्शन तालिका में कोई प्रविष्टि नहीं थीं। इस प्रकार, सिस्टम में किसी सत्यापन की जाँच का उपयोग नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि सत्यापन मास्टर को माइग्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया था जिसके कारण जॉब आईडी का उपयोग नहीं किया गया था। यदि इसे फ्रंट एंड के माध्यम से बनाया गया होता तो यह फ़ील्ड अद्यतन किया गया होता। आगे यह भी बताया गया कि बिल के प्रकारों के साथ सत्यापन को मैप करने का प्रावधान था। जॉब आईडी फ़ील्ड में डेटा की अनुपस्थिति के प्रकरण में, विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि प्रारंभिक प्रक्रिया के अनुसार प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल पदानुक्रम आधारित वर्कफ़्लो के आधार पर विकसित किया गया था और जिसे भूमिका आधारित वर्कफ़्लो में परिवर्तित किया गया था, इसलिए,

²⁵ शाखा_नाम, निर्मित_तिथि, विभाग_नाम, नियत_तिथि, ईएमपी_डेसिगनेशन_नेम, ईएमपी_नेम, एंड_डेट, फ्राम_ईएमपी_नेम, फ्राम_ईएमपी_पोस्ट_कोड, फ्राम_लोकेशन_कोड, जॉब_आईडी, लोकेशन_नेम, पेरेंट_जॉब_आईडी, पोस्ट_नेम।

जॉब आईडी फ्रील्ड का उपयोग नहीं हुआ था। शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि वर्कफ्लो के बदलाव के लिए विभाग से परिवर्तन अनुरोध किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जॉब आईडी के अभाव में सत्यापन प्रक्रिया समाप्त हो गई। सत्यापन जाँच के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना आपूर्तिकर्ता का उत्तरदायित्व था। सत्यापन को मैप करने के लिए सत्यापन मास्टर अपडेट स्क्रीन एट्रीब्यूट नहीं बनाए गए थे। इसके अलावा, परिवर्तन अनुरोध के परिणामस्वरूप सत्यापन नियंत्रण से संबंधित अनियमितताएं हुईं।

3.6.7 कोषालयों द्वारा मुख्य शीर्षों का अनधिकृत संचालन

प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल के एसडीडी की कंडिका 1.5.1.9 के अनुसार, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) शासन का अधिकृत अधिकारी है, जिसके पास राज्य शासन की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाते से निधि को आहरित करने का अधिकार निहित है। डीडीओ को राज्य की समेकित निधि से धनराशि के आहरण एवं भुगतान के लिए कोषालय में दावे प्रस्तुत करना आवश्यक था।

बजट आवंटन के अनुसार, जिला कोषालय अधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) की भांति वेतन, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

यह अवलोकित किया गया कि 40 कोषालय अधिकारियों ने डीडीओ के रूप में वेतन, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा के भुगतानों के अलावा अन्य 34 मुख्य शीर्षों²⁶ का संचालन किया और ₹ 6,418.30 करोड़ मूल्य के 12,519 बिलों को संसाधित किया। विवरण परिशिष्ट 3.7 में दिया गया है। इस प्रकार, प्रत्येक डीडीओ की संबंधित भूमिकाओं के अनुसार मुख्य शीर्षों के संचालन में सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति ने डीडीओ द्वारा मुख्य शीर्ष के अनधिकृत संचालन का जोखिम उत्पन्न किया।

शासन ने बताया (जुलाई 2013) कि नियंत्रण एवं सत्यापन में सुधार के लिए म.प्र. कोषालय संहिता, बिल प्रकारों के साथ लेखाशीर्षों की मैपिंग की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं करता है कि सिस्टम ने भूमिका आधारित प्राधिकार के बावजूद भी भिन्न लेखा शीर्षों को संचालित करने की अनुमति कैसे दी।

3.6.8 प्राप्ति डेटा की अपर्याप्त विश्वसनीयता

प्राप्तियों के मिलान से संबंधित प्राप्ति और संवितरण (आर एंड डी) मॉड्यूल के सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन (एसआरएस) की कंडिका 2.10 के अनुसार, एजेंसी बैंक प्रशासक, पोर्टल ट्रांजेक्शन डेटाबेस को एजेंसी बैंक द्वारा प्राप्त भुगतान के साथ समकालिक (सिंक्रोनाइज़) करने के लिए प्रतिदिन पोर्टल पर मिलान रिपोर्ट अपलोड करता है। उसके बाद, एजेंसी बैंक एडमिन प्रतिदिन अंतिम रूप से डिजिटल हस्ताक्षरित ई-स्कॉल को पोर्टल पर अपलोड करता है, जिसे कोषालय एडमिन द्वारा सत्यापित किया जाता है। प्राप्ति शाखा उपयोगकर्ता के पास फ़ाइल अपलोड करने से पहले स्कॉल की दिनांक को चुनने का विकल्प होगा। अनुमोदन प्राप्त चालानों पर कोषालय में लेखांकन के लिए विचार किया जाता है। आगे, आईएफएमआईएस में कोषालय प्रशासक के लिए स्कॉल दिनांक को दर्ज करने/ संशोधित करने का प्रावधान होगा। प्राप्तियों का लेखांकन स्कॉल दिनांक के अनुसार माना गया था।

अप्रैल 2019 से मार्च 2021 की अवधि के लिए प्राप्ति ट्रांजेक्शन तालिका²⁷ की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

²⁶ मुख्य शीर्ष: 2013, 2014, 2029, 2030, 2039, 2040, 2041, 2043, 2049, 2053, 2055, 2056, 2058, 2059, 2070, 2075, 2202, 2210, 2216, 2217, 2225, 2230, 2250, 2401, 2408, 2425, 2701, 2810, 2851, 2852, 2853, 3475, 6003 एवं 6075

²⁷ एफडी_आरएनडी_सीएमएन_आरसीपीटी_टीएक्सएन।

- अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के दौरान 29,65,595 प्राप्ति ट्रांजेक्शन्स के प्रकरणों में, स्कॉल दिनांक ट्रांजेक्शन/ प्राप्ति की दिनांक से पहले पाई गई थी। स्कॉल दिनांक और ट्रांजेक्शन दिनांक में अंतर एक दिन से लेकर 6,580 दिनों तक थे। यह आईएफएमआईएस में स्कॉल दिनांक को दर्ज करने में इनपुट और सत्यापन नियंत्रण और अनुमत्य मेन्युअल हस्तक्षेप की कमी को दर्शाता है।
- 38,84,167 प्राप्ति ट्रांजेक्शन्स के प्रकरणों में यद्यपि स्कॉल दिनांक दर्ज की गई थी, किन्तु स्कॉल संख्या रिक्त थी।
- 'फ्राम_डेट' कार्यकाल की प्रारंभ दिनांक है जिसके लिए चालान प्रस्तुत किया जा रहा है और 'टू_डेट' कार्यकाल की समाप्ति दिनांक है जिसके लिए चालान प्रस्तुत किया जा रहा है। हालाँकि, 12,800 प्राप्ति ट्रांजेक्शन के प्रकरणों में, 'फ्राम_डेट', 'टू_डेट' के बाद था। दोनों तिथियों में एक दिन से लेकर 902 दिन तक का अंतर था।

इससे इंगित होता है कि आवश्यक इनपुट और सत्यापन नियंत्रण आईएफएमआईएस में पर्याप्त रूप से मैप नहीं किए गए थे, जिसके कारण सिस्टम द्वारा गलत दिनांक को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आईएफएमआईएस के डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि अब आवश्यक सत्यापन को लागू किया जाएगा। शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि ई-चालान प्रस्तुत करने में 'दिनांक से और दिनांक तक' के प्रारूप में अवधि दर्ज करने का प्रावधान है और यह करदाताओं द्वारा किए जा रहे कर भुगतान पर निर्भर करता है। 2021 से पहले, एजेंसी बैंकों द्वारा चालान प्रस्तुत करने की कटऑफ दिनांक का समय अर्द्ध रात्रि नहीं था। ट्रांजेक्शन की दिनांक के लिए एसबीआई के पास रात 08:00 बजे का कटऑफ समय था। अब, सभी एजेंसी बैंक कटऑफ समय 00:00 बजे का बनाए रख रहे हैं।

हालाँकि विभाग स्कॉल दिनांक फ्रील्ड पर वेलिडेशन लगाएगा, किन्तु उत्तर दिनांक से और दिनांक तक कॉलम में गलत प्रविष्टियाँ दर्ज करने का वैध कारण नहीं बताता है। साथ ही, शासन का उत्तर चालान दिनांक और रिक्त स्कॉल संख्याओं में अनियमितताओं के बारे में मौन है।

3.6.9 बिल संचलन की अपर्याप्त ट्रैकिंग

एसआरएस (आर एंड डी) की कंडिका 2.2 के अनुसार, स्वीकृत दावों से डीडीओ कार्यालय-बिल लिपिकों द्वारा बिल बनाए जाने चाहिए और डीडीओ कार्यालय द्वारा स्वीकार किए गए दावों से बनाए गए बिलों को आगे की कार्यवाही के लिए सत्यापनकर्ता(ओं)/ डीडीओ को प्रेषित किए जाने चाहिए। बिल क्लर्क, डीडीओ कार्यालय-बिल क्लर्क द्वारा दर्ज किए गए बिल विवरण को सत्यापन के लिए डीडीओ कार्यालय के प्रथम सत्यापनकर्ता को अग्रेषित करेगा। पदानुक्रम में अगला, अंतिम सत्यापनकर्ता होगा। सत्यापनकर्ता, सिस्टम में कॉन्फिगर की गई चेकलिस्ट के विरुद्ध लेखा शीर्ष, राशि, दावा विवरण, अनुदान की उपलब्धता और बिलों के सहायक दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। एक बार जब सत्यापनकर्ता बिल का सत्यापन कर लेंगे, तो इसे अनुमोदन के लिए डीडीओ को भेज दिया जाएगा। सत्यापनकर्ताओं और डीडीओ को अनुमोदन/ अस्वीकृति का विकल्प प्रदान किया जाएगा। डीडीओ लेखा शीर्ष की जानकारी, दावा राशि, अनुदान की उपलब्धता और सहायक दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। आगे, आर एंड डी मॉड्यूल के एसडीडी के अनुसार, बिल मूवमेंट ट्रांजेक्शन तालिका का उपयोग उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता तक बिल की प्रत्येक गतिविधि पर स्थिति को दर्ज करने के लिए किया गया था।

यह अवलोकित किया गया कि:

- बिल मूवमेंट मास्टर तालिका जिसमें बिल मूवमेंट विवरण दर्ज किए जाते हैं, में सात कॉलम और 1.79 करोड़ रिकॉर्ड²⁸ थे। हालाँकि, बिल मूवमेंट की स्थिति, मूवमेंट दिनांक, मूवमेंट आईडी, बिल राशि

²⁸ 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक।

जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तालिका में दर्ज नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 49 कॉलम वाली बिल मूवमेंट ट्रांज़ैक्शन तालिका में मात्र 31 मार्च 2019 तक का डेटा था।

- बिल मूवमेंट मास्टर तालिका और भुगतान विवरणों की तालिका²⁹ के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि 12 सितंबर 2018 से 03 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान ₹ 2,427.80 करोड़ की राशि के 7,770 बिल थे, जिनमें बिल के बनाने से लेकर अनुमोदन/अस्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया एकल उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई थी। इस प्रकार, सिस्टम में वर्कफ़्लो अनुक्रम³⁰ का अनुपालन नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि कार्यात्मकता (अनुक्रम आधारित वर्कफ़्लो) विकसित की गई थी किन्तु बाद में इन कार्यात्मकताओं को बंद कर दिया गया और कुछ प्रक्रिया के लिए भूमिका आधारित कार्यात्मकता विकसित की गई है। सभी स्तरों के लिए वर्कफ़्लो के विवरण सिस्टम में केचर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि वर्कफ़्लो तंत्र में बदलाव पर विभाग द्वारा परिवर्तन अनुरोध किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक ही उपयोगकर्ता द्वारा कई भूमिकाएँ निभाई जा रही थीं जो दर्शाता है कि विभाग द्वारा अपनाया गया भूमिका आधारित वर्कफ़्लो, एसआरएस और एसडीडी की आवश्यकता के अनुसार नहीं था। इसके अलावा, पदानुक्रम आधारित वर्कफ़्लो से भूमिका आधारित वर्कफ़्लो में परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुमोदन अभिलेखों में नहीं पाया गया था। कर्तव्यों के पृथक्करण की अनुपस्थिति एवं इसके कार्यान्वयन में, लीकेज के जोखिम, कपट एवं निधि के व्यपवर्तन को नकारा नहीं जा सकता है।

जैसा कि विभाग आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन की ओर स्विच कर रहा है एवं आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन का कार्य मे. टेरासिस टेक्नोलाजीस लि. को सौंपा है (अक्टूबर 2023) यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग, आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन के विकास के दौरान आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन के साथ संबद्ध दिक्कतों को टालने के लिए इंगित किए गए मुद्दों जैसे सत्यापन जांचों को अभाव अथॉराइजेशन तंत्र को अभाव, डिज़ाइन में कमियाँ, खराब डेटा गुणवत्ता एवं बिजिनेस नियमों की अपर्याप्त मैपिंग इत्यादि को संबोधित कर सकता है।

3.6.10 बिलों के सरल क्रमांक अनुपस्थित होना

आर एंड डी मॉड्यूल के एसआरएस अध्याय 1.5.1.2 - दावा प्रसंस्करण, के अनुसार बिल के बनाने पर सिस्टम द्वारा डीडीओ कार्यालय के रनिंग सरल क्रमांक के साथ एक यूनिक बिल नंबर जनरेट किया जाएगा।

बिल रजिस्टर तालिका³¹ की संवीक्षा के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2019-20 के लिए 5,812 डीडीओ के मध्य बिल संख्या में 1 और 1,743 के मध्य तक अंतर थे। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल 5,27,245 बिल क्रमांक अनुपस्थित हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के लिए, 5,643 डीडीओ के मध्य बिल संख्या के मध्य अंतर 1 और 1,547 के बीच थे। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 4,87,898 बिल क्रमांक अनुपस्थित हैं।

इससे इंगित होता है कि सिस्टम डीडीओ-वार बिल क्रमांको के लिए रनिंग सरल क्रमांक तैयार करने के संबंध में बिजिनेस नियम का पालन करने में विफल रहा। इसप्रकार, डेटा की विश्वसनीयता उस हद तक प्रभावित हुई थी।

²⁹ एफडी_आरएनडी_पेमेंट_डीटीएलएस_टीएक्सएन।

³⁰ निर्माता, सत्यापनकर्ता और अनुमोदनकर्ता।

³¹ एफडी_आरएनडी_बिल_रजिस्टर_टीएक्सएन प्राप्त दावों से बिल बनाते समय सामान्य बिल विवरण दर्ज करने के लिए मुख्य बिल रजिस्टर तालिका है।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि ओरॉकल अनुक्रम का उपयोग तेजी से प्रसंस्करण करने के लिए किया जाता है क्योंकि कैशे फंक्शनलिटी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण रनिंग सरल क्रमांक नंबर छूट सकते हैं।

3.7 निष्कर्ष

- लेखापरीक्षा ने सिस्टम डिजाइन की कमियों के उदाहरण अवलोकित किए जिनके परिणामस्वरूप खराब डेटा गुणवत्ता और व्यावसायिक नियमों की अपर्याप्त मैपिंग हो रही थी जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में आईएफएमआईएस के बजट मॉड्यूल और प्राप्ति और संवितरण (आर एंड डी) मॉड्यूल में अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण डेटा, दोषयुक्त इनपुट नियंत्रण एवं डेटा सत्यापन का अभाव हुआ।
- राजस्व की वापसी के प्रकरण में बिजिनेस नियमों की मैपिंग न होने के परिणामस्वरूप राजस्व वापसी के भुगतान के लिए तर्कसंगतता का अभाव हुआ।
- विफल भुगतान के ट्रांजेक्शन्स में विसंगतियां मुख्य रूप से खाते के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण देखी गईं और विफल ट्रांजेक्शन्स के पुनः प्रसंस्करण पर नियंत्रण की कमी थी।
- अनुबंध और ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के निष्पादन की स्वचालित उपकरण आधारित निगरानी को सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

3.8 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- शासन, डिजाइन कमियों को टालने एवं आईएफएमआईएस में डेटा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वेलिडेशन जांचों, प्राधिकार तंत्र को सुनिश्चित करते हुए आईएफएमआईएस के संपूर्ण ओवरहॉल करने की आवश्यकता को निर्धारित कर सकता है। आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन के विकास के दौरान विभाग द्वारा आईएफएमआईएस के साथ संबद्ध सभी कमियों की ओर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जा सकता है।
- आईएफएमआईएस नेक्स्ट-जेन के विकास के दौरान बिजिनेस नियमों की पर्याप्त मैपिंग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- शासन, विफल ट्रांजेक्शन्स के विस्तृत विश्लेषण के लिए प्रणाली में एक तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकता है एवं विफल ट्रांजेक्शन्स के पुनः प्रसंस्करण के लिए शासन नियंत्रण तंत्र विकसित कर सकता है।
- शासन यह सुनिश्चित कर सकता कि कार्य निष्पादन को मापने के लिए स्वचालित उपकरण आधारित निगरानी प्रणाली और ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली एसआई द्वारा प्रदान की जाती है।

अध्याय IV

एप्लीकेशन सुरक्षा



अध्याय IV एप्लीकेशन सुरक्षा

सारांश


आईएफएमआईएस के एप्लीकेशन सुरक्षा पहलुओं की लेखापरीक्षा से पता चला कि प्रणाली की सुरक्षा लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा नहीं की गई थी एवं अक्टूबर 2012 के बाद सुरक्षा नीति की कोई समीक्षा नहीं की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ या ट्रांजेक्शन में डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन का उपयोग नहीं किया गया था और डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बिल/उप-वाउचर संवितरण कार्यालय को अग्रेषित किए गए थे। 31 अक्टूबर 1992 और 30 नवंबर 2021 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कुल 67,182 कर्मचारियों की उपयोगकर्ता आईडी को आईएफएमआईएस एप्लीकेशन से निष्क्रिय नहीं किया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद 178 उपयोगकर्ताओं द्वारा ₹ 139.17 करोड़ रुपये के बिल के ट्रांजेक्शन किए गए थे।

रोल आधारित प्राधिकृत करने का कार्यान्वयन न होने के परिणामस्वरूप प्रणाली के लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अपर्याप्त थे और अपात्र पद के व्यक्तियों को ट्रांजेक्शन करने की अनुमति मिली। ट्रांजेक्शन उन उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए थे जो सिस्टम में दर्ज नहीं किए गए थे। यह देखा गया कि सिस्टम बैक-एंड समायोजन करने के लिए भेद्य था और सिस्टम के लिए व्यावसायिक नियमों को लागू करने के लिए परिभाषित इंडीग्रिटी कंसट्रेण्ट्स कमजोर थे। बिज़नस कंटीन्यूइटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान का अभ्यास परीक्षण नहीं किया गया था। परीक्षण की गई बायोमेट्रिक विवरण तालिका में 65,489 रिकॉर्ड निरंक अंगूठे के अटेचमेंट के साथ पाए गए और 35,084 रिकॉर्ड निरंक फोटो अटेचमेंट के साथ थे। इससे संकेत मिलता है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए बुनियादी डेटा अपूर्ण था और इस प्रकार कार्यात्मकता को उल्लिखित रूप से लागू नहीं किया गया था।

4.1 एप्लीकेशन सुरक्षा

एक सूचना परिसंपत्ति एक इकाई द्वारा निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए सटीक डेटा या जानकारी के प्रावधान से संबंधित है। इसे संगठन के लिए मूल्यवान माना जाता है और इसलिए गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करके इसकी रक्षा की जानी चाहिए।

संविदा दस्तावेज में यह प्रावधान किया गया था कि आपूर्तिकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा नीति दस्तावेज प्रस्तुत करना था। संविदा की शर्तों के अनुसार, सुरक्षा आर्किटेक्चर के डिजाइन और कार्यान्वयन को भी प्रदेय वस्तुओं में सम्मिलित किया गया था। आपूर्तिकर्ता को बाहरी संपर्क, प्रमाणन में मदद एवं सुरक्षा को सरल बनाना और समन्वय करना था। आपूर्तिकर्ता ने आईएफएमआईएस सूचना सुरक्षा नीति ढांचा



सूचना सुरक्षा के घटक

निर्धारित करने के लिए सूचना सुरक्षा नीति दस्तावेज संस्करण 1.6 तैयार किया (अक्टूबर, 2012) ताकि

आईएफएमआईएस ऐप्लीकेशन का उपयोग करते हुए डीसी/ डीआर/ एनडीआर और विभाग के अन्य कार्यालयों के लिए सूचना की सुरक्षा और सुरक्षा वृद्धि करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रियाएं प्रदान करके सूचना सुरक्षा नीति को लागू करने में विभाग की सहायता की जा सके। ऐप्लीकेशन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.1.1 स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा सुरक्षा लेखापरीक्षा और सुरक्षा नीति की समीक्षा

सूचना सुरक्षा नीति की शर्त 9.6 के अनुसार, सूचना प्रणालियों के लिए सिस्टम में परिवर्तनों पर ध्यान दिए बिना जोखिम मूल्यांकन (वलनरेबिलिटी असैसमेंट) (वीए) छह माह में एक बार किया जाएगा। वीए सुरक्षा प्रशासक और उनकी टीम के साथ-साथ महत्वपूर्ण व्यावसायिक सूचना प्रणालियों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाएगा। वीए रिपोर्ट के आधार पर संभावित तकनीकी जोखिम को संबंधित टीम द्वारा सहमत समय सीमा के भीतर हल किया जाएगा। इसके अलावा, सूचना सुरक्षा नीति की स्वतंत्र समीक्षा के संबंध में सुरक्षा नीति की शर्त 3.3.7 के अनुसार सूचना सुरक्षा नीति दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी और छह माह में कम से कम एक बार या जब महत्वपूर्ण तकनीकी, प्रक्रिया या सुरक्षा कार्यान्वयन परिवर्तन होते हैं, तब अद्यतन किया जाएगा। सुरक्षा जोखिम की औपचारिक रूप से पहचान एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक जिसे विभाग द्वारा नियुक्त किया जाना था, के द्वारा हर छह माह में आयोजित सुरक्षा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से की जानी थी।

यह पाया गया कि विभाग द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, सुरक्षा नीति अक्टूबर 2012 में बनाई गई थी लेकिन सुरक्षा नीति की समीक्षा या इसे अद्यतन नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि थर्ड पार्टी/ सुरक्षा लेखापरीक्षा, परियोजना का हिस्सा थी और उसके कार्यक्षेत्र में थी। कुछ सुरक्षा लेखापरीक्षाएं की गई थी और बाकी एसटीक्यूसी एजेंसी के उपलब्ध न होने के कारण लंबित थी। सुरक्षा लेखापरीक्षक को बदलने के लिए प्रकरण को एसआई के समक्ष उठाया गया है। चूंकि प्रथम स्तर की लेखापरीक्षा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सोपानी (केस्केडिंग) सुरक्षा लेखापरीक्षाएं नहीं की जा सकी। आगे यह भी बताया गया (नवंबर 2022) कि वीए को नई डिलीवरी और स्थापना पर किया जाना प्रस्तावित था। वीए को हर छह माह में दोहराया नहीं गया था क्योंकि हार्डवेयर पर कोई बदलाव अपेक्षित नहीं था या नहीं किया गया था। इसके अलावा, शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि विशिष्ट अनुबंध शर्तों को आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन में सम्मिलित किया जाएगा।

तथ्य वही है, कि सुरक्षा नीति की समीक्षा नहीं की गई थी और सुरक्षा लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी जैसा कि परिकल्पित था।

4.1.2 डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन न होना

एफआरएस की सामान्य सिस्टम आवश्यकताओं में एंटरप्राइज़-वाइड प्रयोज्यता के लिए प्रावधान किया गया था, तदनुसार, सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्य और पुनः मान्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षरों के निर्माण और उपयोग का समर्थन करने के लिए कार्यात्मकता प्रदान किया जाना था और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ या ट्रांजेक्शन के साथ संयोजन में इलेक्ट्रॉनिक और

डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन का रिकॉर्ड बनाए रखना था। तदनुसार, एसआरएस में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे जैसा कि निम्न तालिका 4.1 में बताया गया है।

तालिका 4.1: डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग से संबंधित प्रावधान

एसआरएस/ एसडीडी की कंडिका	विवरण
2.3.2	डीडीओ को अनुमोदन पर बिल पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन सुविधा संवितरण कार्यालय के सभी उपयोगकर्ताओं को दी जानी थी, ताकि बिल पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डीडीओ के डिजिटल प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच की जा सके और डीडीओ द्वारा संवितरण कार्यालय को प्रस्तुत बिल डेटा की सत्यता की भी जाँच की जा सके।
2.10.2.2	ऑनलाइन चालान के मिलान और अनुमोदन के लिए, एजेंसी बैंक एडमिन को ई-स्कॉल पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना था और दैनिक रूप से पोर्टल पर अंतिम रूप से डिजिटल हस्ताक्षरित ई-स्कॉल अपलोड करना था। कोषालय एडमिन को डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करना था और ई-स्कॉल की चालान प्रविष्टियों को मंजूरी देनी थी। ई-स्कॉल फ़ाइल के किसी भी डेटा छेड़छाड़ को रोकने के लिए ई-स्कॉल प्रस्तुतीकरण हेतु डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान किए जाने थे।
3.10	रसीद मिलान के लिए एजेंसी बैंक एडमिन को ई-स्कॉल पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना था और दैनिक रूप से पोर्टल पर अंतिम डिजिटल हस्ताक्षरित ई-स्कॉल को अपलोड करना था। कोषालय एडमिन को डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करना था और ई-स्कॉल की चालान प्रविष्टियों को मंजूरी देनी थी।

स्रोत: आईएफएमआईएस के आर एण्ड डी मॉड्यूल के एसआरएस और एसडीडी

तालिका¹ में 5,978 सक्रिय डीडीओ थे, जिनके विरुद्ध डिजिटल हस्ताक्षर क्रय तालिका² में मात्र 5,370 डिजिटल हस्ताक्षर आईडी पाए गए जो डिजिटल हस्ताक्षर की अपर्याप्त उपलब्धता को दर्शाता है। यहाँ तक कि 5,370 डिजिटल हस्ताक्षर आईडी में से 646 आईडी को अस्वीकार के रूप में दर्ज किया गया था। केवल 3,087 आईडी को कोषालय अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और 1,636 आईडी की स्थिति को 'अनुरोधित' के रूप में दर्ज किया गया था, हालांकि, सभी आईडी को सक्रिय के रूप में दिखाया गया था।

यह भी अवलोकित किया गया कि संवितरण कार्यालय को अग्रेषित किए गए बिलों/उप-वाउचरों पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इंदौर शहर और विंध्याचल कोषालय के सितंबर 2020 और मार्च 2021 के वाउचर/ सब-वाउचर की परीक्षण जाँच के दौरान डिजिटल हस्ताक्षर लागू नहीं होने के अतिरिक्त निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- सितंबर 2020 के माह में, वाउचर नंबर 1338³ के साथ संलग्न सब-वाउचर पठनीय नहीं था।

1 सीएमएन_डीडीओ_एमएसटी (डीडीओ मास्टर तालिका)

2 सीएमएन_डिजिटल_साइन_पीआरओसी_टीएक्सएन

3 बिल संदर्भ संख्या 20007221430 के साथ वाउचर नंबर 1338

- महालेखाकार कार्यालय⁴ के वीएलसी सिस्टम में सितंबर 2020 माह के लिए दर्ज वाउचर की तुलना करने पर यह अवलोकित किया गया कि विंध्याचल कोषालय से संबंधित 12 वाउचर⁵ और मुख्य शीर्ष 2071 से संबंधित इंदौर शहर के कोषालय से संबंधित 15 वाउचर⁶ आईएफएमआईएस सिस्टम में नहीं पाए गए थे।
- ₹ 3,53,041 के भुगतान के लिए मुख्य शीर्ष-2055 के वाउचर क्रमांक 517 में ₹ 33,491 और ₹ 3,19,550 के दो भुगतान सम्मिलित थे, लेकिन दोनों भुगतानों के लिए सिस्टम में सब-वाउचर के रूप में एक ही इन्वाइस संख्या 477/ए संलग्न थी।
- मुख्य शीर्ष- 2071 के अंतर्गत सितंबर 2020 का वाउचर क्रमांक 135 तीन कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण के भुगतान से संबंधित था। अवकाश नकदीकरण की राशि के लिए गणना पत्रक संलग्न नहीं किया गया था। इससे अनुमोदन प्राधिकारी को अपर्याप्त सूचना की उपलब्धता का संकेत मिलता है। इसके अलावा, पास ऑर्डर भी संलग्न नहीं किया गया था।
- इसके अलावा, खाली सब-वाउचर, कम राशि के सब-वाउचर, असंबंधित दस्तावेज और अप्रासंगिक सहायक दस्तावेज वाउचर के साथ अपलोड किए गए थे।
- वाउचर, सब-वाउचर और मासिक लेखे जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को भेजे गए थे, वे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं थे।

इस प्रकार, डिजिटल हस्ताक्षर के कार्यान्वयन की अनुपस्थिति ने सिस्टम में अपूर्ण वाउचर/ सब-वाउचर से संबंधित अनियमितताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिसके परिणामस्वरूप भुगतान के औचित्य का अभाव था और इसलिए, अस्वीकार करने और डेटा की सत्यता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया का कार्यान्वयन अपर्याप्त था।

डिजिटल हस्ताक्षर के कार्यान्वयन न होने के प्रकरण में विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि आपूर्तिकर्ता को इन-हाउस डिजिटल हस्ताक्षर समाधान को लागू करना था, लेकिन कार्यान्वयन चरण के दौरान आपूर्तिकर्ता ने डिजिटल हस्ताक्षर समाधान को रोक दिया। विभाग ने मैप_आईटी⁷ के माध्यम से ई-साइन समाधान को लागू करने की योजना बनाई है। हालांकि, इंदौर और विंध्याचल कोषागारों में वाउचर/सब-वाउचर में विसंगतियों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि म.प्र. कोषालय संहिता के प्रावधानों के अनुसार, डीडीओ और कोषालय अधिकारियों के पास लॉगिन आधारित प्रवेश मार्ग और अनुमोदन हैं। यद्यपि, एसआरएस के प्रावधानों के अनुसार, एसआई को बिल अनुमोदन पर डिजिटल हस्ताक्षर की कार्यात्मकता प्रदान करनी थी। एसआई परिकल्पना के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा प्रदान करने और क्रय करने में विफल रहा, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने एमपीएसईडीसी⁸ से ई-साइन की सेवा ली और इसे आईएफएमआईएस में एसआई द्वारा लागू

4 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश ग्वालियर

5 वाउचर क्रमांक 303, 18, 398, 308, 309, 116, 320, 336, 412, 144, 139 एवं 228

6 वाउचर क्रमांक 75, 134, 170, 215, 216, 234, 251, 255, 290, 301, 319, 360, 361, 391 एवं 394

7 सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश एजेंसी

8 मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम

किया गया। महालेखाकार कार्यालय के सुझावों/सिफारिशों के अनुसार, डीडीओ और कोषालय अधिकारी द्वारा पारित किया जाने वाला बिल अब फरवरी 2023 से ई-साइन के साथ प्रमाणित किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि साइबर ट्रेजरी कार्यात्मकता के तहत, दैनिक स्कॉल/ एमआईएस अपलोडिंग एजेंसी बैंक द्वारा स्वयं की जाती है, क्योंकि लॉगिन क्रेडेंशियल संबंधित नोडल एजेंसी लिंक बैंक शाखा को प्रदान किए जाते हैं। चूंकि बिलों में उप वाउचर और स्वीकृत अटेचमेंट, डीडीओ की जिम्मेदारी है इसे कोषालयों द्वारा सत्यापित किया जाना है। नियमों का पालन न करने पर संबंधित कोषालयों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल के गो-लाइव किए जाने के पहले डिजिटल हस्ताक्षरों के स्थिर समाधान के लिए आयोजना एवं कार्यान्वयन किया जाना चाहिए था।

4.1.3 पासवर्ड नीति का अपर्याप्त कार्यान्वयन

एमपीटीसी 2020 के एसआर 75 के अनुसार, कोषालय द्वारा डीडीओ को प्रदान किए गए पासवर्ड को तुरंत और समय-समय पर बदला जाना चाहिए, लेकिन इनमें 30 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सूचना सुरक्षा नीति दस्तावेज के उपयोगकर्ता पासवर्ड प्रबंधन- संस्करण 1.6 के अनुसार, पासवर्ड किसी सूचना प्रणाली या सेवा तक पहुंच देने से पहले उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने का एक सामान्य साधन है। आवश्यकता पड़ने पर पासवर्ड को बदलने की अनुमति देने के लिए पासवर्ड को कभी भी इन-हाउस विकसित



आईएफएमआईएस की लॉगिन स्क्रीन

या संशोधित सॉफ्टवेयर/ स्क्रिप्ट में हार्ड-कोडेड (सम्मिलित) नहीं किया जाएगा। पासवर्ड को फोन के माध्यम से या पासवर्ड संरक्षित फ़ाइल में ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। नए उपयोगकर्ताओं के मामले में पासवर्ड उनके संबंधित पर्यवेक्षकों को सूचित किया जाएगा। उपयोगकर्ताओं को पहले लॉगिन के तुरंत बाद पासवर्ड बदलना होगा। पासवर्ड दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ पासवर्ड की अधिकतम आयु 42 दिन रखने का प्रावधान सम्मिलित था।

तालिका में पासवर्ड डेटा की नमूना-जाँच में यह अवलोकित किया गया कि आईएफएमआईएस के उपयोगकर्ताओं के कई एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से संबंधित जानकारी संग्रहित की गई थी जिसने उपयोगकर्ताओं द्वारा पासवर्ड बदलने की ट्रैकिंग का संकेत दिया था। 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि केवल 65.72 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने बार-बार अपने पासवर्ड बदले और पासवर्ड नीति केवल उसी सीमा तक लागू की गई थी। इसने संकेत दिया कि विभाग द्वारा परिभाषित पासवर्ड नीति लागू नहीं की जा सकी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि वर्तमान में उपयोगकर्ता के लिए लागू पासवर्ड नीति 90 दिनों की है और यह केवल तभी लागू होती है जब उपयोगकर्ता सिस्टम पर लॉगइन करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह शेष मामलों में पासवर्ड नहीं बदलने के कारणों की व्याख्या नहीं करता है जो दर्शाता है कि पासवर्ड नीति उस सीमा तक लागू नहीं की गई थी।

4.1.4 सेवानिवृत्त अधिकारियों की उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय न करना

आईएफएमआईएस सूचना सुरक्षा नीति दस्तावेज के अध्याय 5.3 के पैरा एक के अनुसार सामान्य इस्तीफा/ सेवानिवृत्ति/ समाप्ति/ स्थानांतरण और उपयोगकर्ता की कार्यमुक्ति या तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध की समाप्ति के प्रकरणों में प्रवेश अधिकारों को तत्काल प्रभाव से रद्द/ अक्षम कर दिया जाएगा।

उपयोगकर्ता मास्टर तालिका के विश्लेषण से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- 31 अक्टूबर 1992 से 30 नवंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए 67,182 कर्मचारियों की यूजर आईडी को आईएफएमआईएस ऐप्लिकेशन से निष्क्रिय नहीं किया गया था। ये सेवानिवृत्त उपयोगकर्ता आईएफएमआईएस ऐप्लिकेशन में लॉगिन करने और बिलों को बनाने सहित ट्रांजेक्शन करने में सक्षम थे। सक्रिय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नमूने नीचे तालिका 4.2 में उल्लिखित हैं:

तालिका 4.2: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सक्रिय उपयोगकर्ता आईडी का नमूना

लॉगिन_आईडी	कर्मचारी_कोड	नाम	डीओबी	डीओआर
400002913	500523754	दाता राम जरमन	05-09-59	30-09-21
051000999	436	सुरेश कुमार श्रीवास्तव	25-10-59	31-10-21
052017248	500454691	आशा कौल	27-03-59	31-03-21
171006293	500255521	यशवंत सिंह पंवार	12-03-58	31-03-20

स्रोत: आईएफएमआईएस डेटाबेस से उद्धरण

सेवानिवृत्त कर्मचारियों/प्रयोक्ताओं के खातों को निष्क्रिय न किए जाने से लेन-देन के लिए प्रयोक्ता खाते के अनधिकृत उपयोग का खतरा उत्पन्न हो गया था। यह आईएफएमआईएस सूचना सुरक्षा नीति दस्तावेज में अनुमत्य प्रकटनों का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा ने बिल रजिस्टर और भुगतान विवरण की ट्रांजेक्शन तालिकाओं की नमूना-जाँच की और पाया कि 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त किए गए 178 कर्मचारियों द्वारा ₹ 139.17 करोड़ रुपये के 3,991 बिल ट्रांजेक्शन किए गए क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आईएफएमआईएस में कर्मचारियों की उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय नहीं किया गया था। कुछ दृष्टांतों को निम्न तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा ट्रांजेक्शन के नमूना उदाहरण

लॉगिन_आईडी	उपयोगकर्ता का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	बिल नं	बिल बनाने की तिथि	राशि ₹ में
230007694	अनिल सोनी	10/06/58	30/06/20	20006693251	17/07/20	1,98,91,369
140003975	विष्णु मोरगांवकर	14/01/59	31/01/21	20008797883	12/03/21	1,15,85,581
130002412	नम्रू लाल मगरोर	05/07/58	31/07/20	20006997201	27/08/20	1,03,80,920
141020288	घनश्याम दास तलरेजा	01/07/58	30/06/20	20007295934	29/09/20	98,64,750

स्रोत: आईएफएमआईएस डेटाबेस से उद्धरण

विशेष रूप से 30-04-2020 को सेवानिवृत्त होने वाले एक उपयोगकर्ता⁹ के प्रकरण में, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद 02 मई 2020 और 25 मार्च 2021 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 4.63 करोड़ की राशि के 302 बिलों को संसाधित किया गया।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ प्रयोक्ताओं द्वारा आईएफएमआईएस एप्लीकेशन तक अनधिकृत पहुंच और सेवानिवृत्ति के बाद उनके द्वारा किए गए लेन-देन ने बहुत कमजोर लॉगिन एक्सेस नियंत्रण और बड़े जोखिम का संकेत दिया।

- उपयोगकर्ता मास्टर तालिका में कर्मचारी नाम के कॉलम को प्रत्येक उपयोगकर्ता के नाम की पहचान के लिए स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाना था। हालांकि, उपयोगकर्ता मास्टर तालिका में 11,725 रिकॉर्ड ऐसे थे जिसमें कर्मचारी के नाम¹⁰ के अलावा अन्य डेटा दर्ज¹¹ किया गया था, जिसमें से 119 उपयोगकर्ता सक्रिय थे।
- कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि¹² से पहले 1,158 रिकॉर्ड निष्क्रिय पाए गए थे, हालांकि, आईएफएमआईएस डेटा से इस प्रकार की निष्क्रियता के कारणों को सत्यापित नहीं किया जा सका। इससे संकेत मिलता है कि सिस्टम सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर मास्टर तालिका की फ्लैग वैल्यू¹³ को स्वचालित रूप से अपडेट नहीं कर रहा था। आगे, विश्लेषण से पता चला कि सिस्टम ने 3,68,135 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तालिका के अद्यतन होने की दिनांक वाले कॉलम में कोई डेटा कैप्चर नहीं किया। यह दर्शाता है कि उपयोगकर्ता मास्टर तालिका में डेटा स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा था और लॉगिन एक्सेस कंट्रोल को नियंत्रित करने वाले एप्लीकेशन के अन्य प्रोग्राम/ प्रक्रियाओं के साथ भी मैप नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि प्रक्रिया के अनुसार उपयोगकर्ता को निष्क्रिय नहीं किया जाता है। संबंधित कार्यालय प्रभारी कर्मचारी को पद से हटा देता है। कर्मचारी को पद से हटाए जाने के बाद उपयोगकर्ता लॉगिन नहीं कर सकता है।

शासन ने (जुलाई 2023) बताया कि एसआई से सिस्टम में रोल प्लेयर्स के लिए वन टाइम पासवर्ड के साथ दो घटक प्रमाणीकरण लागू करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन एसआई सुरक्षा नीति की सिफारिश को लागू करने में विफल रहा है। यह आश्वासन दिया गया था कि आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन में प्रावधान किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामान्य इस्तीफा/ सेवानिवृत्ति/ समाप्ति/ उपयोगकर्ता के स्थानांतरण के प्रकरणों में प्रवेश के अधिकार रद्द/ अक्षम किए जाने थे। इस प्रकार, कार्यात्मकता पर्याप्त रूप से लागू नहीं की गई थी।

⁹ लॉगिन आईडी: 181009776

¹⁰ 'एडमिन_डिपार्टमेंट', 'एडमिन', 'डायरेक्टर', 'एफएमआईएस', 'एचपी', 'डीपीओ', 'कलेक्टर', 'डीडीओ_व्यवस्थापक', 'व्यवस्थापक'

¹¹ 12 मार्च 2015 और 02 जून 2016 के बीच बनाया गया

¹² 30 नवंबर 2021 और उसके बाद

¹³ सक्रिय के लिए इएमपी_एसआरव्हीसी_एफएलएजी =1 और निष्क्रिय के लिए 2

इसके अलावा, सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा अनधिकृत परिचालन से धोखाधड़ी वाले भुगतानों का संभावित जोखिम उत्पन्न हो सकता है तथा वित्तीय प्रणाली खतरे में पड़ सकती है।

4.1.5 लॉग जानकारी की सुरक्षा

सूचना सुरक्षा नीति के कंडिका 7.9.3 के अनुसार, लॉगिंग सुविधाओं और लॉग जानकारी को छेड़छाड़ और अनधिकृत पहुंच से बचाया जाएगा। नेटवर्क डिवाइस और महत्वपूर्ण सर्वर सहित लॉग फ़ाइलों का बैकअप एक केंद्रीकृत सर्वर पर लिया जाएगा। भविष्य की जाँच, विश्लेषण, या साक्ष्य उद्देश्य के लिए आवश्यक लेखापरीक्षा लॉग सुरक्षित रूप से बनाए रखा जाएगा। सूचना सुरक्षा नीति के अनुसार, सर्वर के लिए सभी इवेंट लॉग का बैकअप लिया जाएगा और कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

प्रोडक्शन एनवायरमेंट में लॉगइन करने के प्रयास के दौरान यह देखा गया कि सिस्टम ने संदेश के साथ इनकार कर दिया कि "उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संख्या पार हो गई"। प्रयास के समय उपयोगकर्ताओं की संख्या का आंकलन करने के लिए उपयोगकर्ता लॉग के बारे में पूछताछ करने पर यह बताया गया कि कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार लॉग को एक सप्ताह के लिए बनाए रखा जा रहा था। इस प्रकार, सूचना सुरक्षा नीति के अनुसार लॉग सूचना नहीं रखी जा रही थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि लॉगइन एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं की जानकारी की संख्या बनाए रखी जाती है लेकिन विशिष्ट सर्वर से संबंधित लॉग को बनाए नहीं रखा जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूचना सुरक्षा नीति के अनुसार सर्वर के लिए सभी इवेंट लॉग का बैकअप लिया जाना था और पाँच वर्ष तक बनाए रखा जाना था।

4.1.6 अपर्याप्त उपयोगकर्ता प्रबंधन

आईएफएमआईएस फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर दस्तावेज़ के अनुसार, प्राधिकृत करने को प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। आईएफएमआईएस में भूमिका आधारित प्राधिकृत करने का समर्थन किया गया था, जिसमें लॉगइन उपयोगकर्ता की भूमिकाओं को एक्सेस किए गए संसाधन की भूमिकाओं के साथ मिलान किया जाता है। उपयोगकर्ता को उन संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी जिनके लिए भूमिका उस उपयोगकर्ता को नहीं सौंपी गई है। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत बजट उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार बजट प्रबंधन गतिविधि में सम्मिलित बजट सहायक को बजट सरेंडर प्रस्ताव बनाना था।

यह देखा गया कि 3.13 करोड़ रिकॉर्ड वाली 14 तालिकाओं के मामले में 0.25 करोड़ रिकॉर्ड के लिए बनाई गई उपयोगकर्ता आईडी दर्ज नहीं की गई थी। तालिकाएं मुख्य रूप से बजट आवंटन, डीडीओ की मैपिंग आदि से संबंधित थीं। बनाए गए उपयोगकर्ता आईडी के विवरण वाले कॉलम में नल कंसट्रेंट को सक्षम नहीं करने के कारण विवरण रिकॉर्ड में अनुपस्थित थे।

इसके अलावा, बजट सरेंडर विवरण तालिका और पोस्ट रिलेशनशिप तालिका के विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 8,49,146 की कुल बजट सरेंडर प्रस्तावों में 'चपरासी' के पद वाले उपयोगकर्ता द्वारा 33 रिकॉर्ड बनाए गए थे और ₹ 7,23,021 की राशि के सरेंडर में 'दफ्तरी' के पद वाले उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए 28 रिकॉर्ड सम्मिलित थे और ये ट्रांजेक्शन विशेष रूप से 30 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को निष्पादित किए गए थे। इसी तरह, 'ट्रैक्टर ड्राइवर' के पद वाले उपयोगकर्ता द्वारा ₹ 5,54,87,000 की राशि के बजट सरेंडर के सात रिकॉर्ड बनाए गए थे। उपरोक्त में से 30 मार्च 2021 को 'चपरासी' द्वारा सरेंडर की गई ₹ 8.49 लाख

की राशि के मामले में, स्थिति को 'अनुमोदित' के रूप में दिखाया गया था और 'दफ्तरी' के मामले में इसे 'ड्राफ्ट' के रूप में दिखाया गया था और 'ट्रैक्टर ड्राइवर' के लिए यह 'शून्य' दिखाया गया था। इसका ब्यौरा परिशिष्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, भूमिका आधारित प्राधिकृत करने को उस सीमा तक सुनिश्चित नहीं किया गया था और बजट सहायक के अलावा अन्य उपयोगकर्ताओं के पास आईएफएमआईएस में बजट मॉड्यूल तक पहुंच थी। यह आईएफएमआईएस में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल और बिजनेस मैपिंग नियमों की अपर्याप्ता को इंगित करता है। विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि आईएफएमआईएस में बजट से संबंधित कार्यों के लिए पदानुक्रम बनाना अनिवार्य है और सभी डीडीओ, बीसीओ, प्रशासनिक विभागों, वित्त विभाग को उनकी आवश्यकता के अनुसार पदानुक्रम बनाने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। कुछ डीडीओ, बीसीओ और विभागों में सरकारी अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उसी के अनुसार कार्य किया गया था। शासन ने (जुलाई 2023) बताया कि प्रणाली को आर एंड डी मॉड्यूल को छोड़कर पदानुक्रम आधारित के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो भूमिका आधारित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिस्टम को उपयोगकर्ताओं द्वारा आयोजित पदों की भूमिकाओं की सीमाओं के अनुसार पदानुक्रम बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए था।

4.1.7 उपयोगकर्ता मास्टर तालिका में दर्ज नहीं किए गए उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्रांजेक्शन किया जाना

प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल के एसडीडी के अनुसार उपयोगकर्ताओं को निर्माता, सत्यापनकर्ता और अनुमोदक की विशिष्ट भूमिकाओं के साथ कॉन्फिगर किया गया था। उपयोगकर्ता भूमिकाओं की मैपिंग के अनुसार रिकॉर्ड को अपडेट करने में सक्षम थे।

भुगतान विवरण और कर्मचारी मास्टर डेटा से संबंधित तालिकाओं के विश्लेषण से पता चला कि जिन 17 उपयोगकर्ताओं¹⁴ को कर्मचारी मास्टर डेटा में नहीं पाया गया था, उन्होंने 07 फरवरी 2018 और 31 मार्च 2021 के बीच ₹ 159.16 करोड़ की राशि के 2,764 बिल के ट्रांजेक्शन किए और इन मामलों में चेक भी क्लियर किए गए।

यह भी देखा गया कि बिल रजिस्टर तालिका के अपडेट किए गए कॉलम में उल्लिखित 12 उपयोगकर्ता¹⁵ कर्मचारी मास्टर डेटा में नहीं पाए गए थे, हालांकि, इन उपयोगकर्ताओं ने 16 जनवरी 2018 से 01 अप्रैल 2019 के दौरान ₹ 690.78 करोड़ मूल्य के 14,066 बिल संसाधित किए थे। चूंकि उपर्युक्त उपयोगकर्ताओं की पहचान कर्मचारियों की मास्टर तालिका से सत्यापित नहीं की जा सकती थी, इसलिए प्राप्ति और संवितरण मॉड्यूल की मुख्य प्रक्रिया में वैधीकरण नियंत्रण में बड़ा जोखिम था।

¹⁴ उपयोगकर्ता आईडी: 310319, 31032020, 808007, 2803007, 410007, 1204007, 2504007, 404007, 904007, 304007, 3006007, 3103007, 406007, 2403007, 1104007, 31032021, 507007

¹⁵ उपयोगकर्ता आईडी: 2310007, '11007', '31032019', '2503007', '2509777', '5062018', 1022020, '14007', '220118', '1805007', '123456', '220918777'

शासन ने (जुलाई 2023) बताया कि जब फ़ील्ड को सिस्टम में अपडेट किया जाता है, तब उल्लिखित तालिका के 'यूजर द्वारा अपडेट' फ़ील्ड पर कोई वैधीकरण नहीं था। यह सिर्फ एक संख्या थी और वास्तविक कर्मचारी आईडी या उपयोगकर्ता आईडी नहीं थी। सिस्टम इंटीग्रेटर के मॉड्यूल लीडर में अपर्याप्त जानकारी और संचार अंतर के कारण यह विसंगति हुई।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 'यूजर आईडी द्वारा अपडेट' कॉलम में ऊपर उल्लिखित 29 मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों में डेटा कैप्चर किया गया था। विभाग के उत्तर में यह नहीं बताया गया कि कर्मचारी मास्टर तालिका से ये 29 उपयोगकर्ता कैसे गायब थे, जो आईएफएमआईएस में सुरक्षा कमजोरियों को इंगित करता है क्योंकि सिस्टम इन उपयोगकर्ताओं की पहचान करने में विफल रहा। इसके अलावा, मास्टर टेबल में उपलब्ध नहीं होने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा परिचालन अनधिकृत भुगतान का संभावित जोखिम पैदा कर सकता है और वित्तीय प्रणाली को खतरे में डाल सकता है।

4.1.8 सिस्टम में बैकएंड समायोजन का जोखिम

सॉफ्टवेयर विकास और पुनः इंजीनियरिंग दिशानिर्देशों की कंडिका 2.1 के अनुसार, सोल्यूशन आर्किटेक्चर में सेवा की सूक्ष्मताएँ सम्मिलित है। इसमें प्रत्येक सेवा ऑपरेशन को एक एकल व्यवसाय फ़ंक्शन में सम्मिलित किया गया है, हालांकि, यदि एक एकल ऑपरेशन डिजाइन जटिलता को जोड़ने या संदेश आकार बढ़ाने के बिना कई फ़ंक्शन प्रदान कर सकता है, तो यह आनुवंशिक रूप से कार्यान्वयन और उपयोग लागत को कम कर सकता है। इसके अलावा, इसमें गतिविधि लॉग को बनाए रखना सम्मिलित होगा- जिसमें उपयोगकर्ता की जानकारी, डेल्टा परिवर्तन, टाइम स्टैम्प सम्मिलित हैं।

यह पाया गया कि तालिका बनाने की तिथि बाद में और तालिका अद्यतन की तिथि पहले की थी जैसा की नीचे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: तालिकाओं का नाम जिसमें उनको बनने की तिथि अद्यतन दिनांक से बाद की दिखाई गई थी

तालिका का नाम	उद्देश्य	अभिलेखों की संख्या
एफडी_आरएनडी_सीएमएन_आरसीपीटी_टीएक्सएन	प्राप्तियों के ट्रांजेक्शन के सभी विवरण संग्रहीत करता है	3
एफडी_आरएनडी_बीआईएलएल_बीयूडएलआईएनई_टीएक्सएन	प्राप्त दावे से बनाए गए बिल के लिए स्टोर हेड ऑफ अकाउंट (बजट लाइन) विवरण।	14

स्रोत: आईएफएमआईएस डेटाबेस से उद्धरण

यह भी देखा गया कि बिल रजिस्टर तालिका के क्रमशः 1,97,891 और 1,97,495 रिकॉर्ड में वाउचर तिथि और कोषालय अधिकारी की अनुमोदन तिथियों की तुलना में बनाई गई तिथि बाद में थी।

इसके अलावा, भुगतान विवरण तालिका की जाँच से पता चला कि 'बनाने की तिथि' और 'अद्यतन तिथि' दोनों के डेटा प्रकार को 'टाइमस्टैम्प' के बजाय 'तिथि' के रूप में परिभाषित किया गया था। जबकि 'बनाने की तिथि' का डिफ़ॉल्ट मान 'सिसडेट' था, 'अद्यतन दिनांक' का डिफ़ॉल्ट मान 'निरंक' पर सेट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप इन फ़ील्ड्स में तिथि के साथ-साथ समय नहीं दर्शाया गया था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि वर्तमान में उल्लिखित तालिकाओं में अद्यतन तिथि फ़ील्ड में कोई जाँच और सत्यापन नहीं है। इसके अलावा, शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एसआई डिजाइन दस्तावेज का पालन नहीं कर सका, इससे सत्यापन की ऐसी विसंगतियाँ हुई हैं। एसआई को इस मुद्दे को ठीक करने के लिए बताया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसडीडी में 'अद्यतन तिथि' के सत्यापन का उल्लेख नहीं किया गया था। इसने 'अद्यतन दिनांक' फ़ील्ड पर सत्यापन जाँच के गैर-प्रावधान का मार्ग प्रशस्त किया। 'अद्यतन तिथि' सिस्टम द्वारा जेनरेट की जाती है और ऊपर उल्लिखित 17 रिकॉर्ड को छोड़कर सभी रिकॉर्ड में सही ढंग से कैप्चर की गई थी। यह दर्शाता है कि सिस्टम के लिए व्यावसायिक नियमों को लागू करने के लिए इंटीग्रेटी कंसट्रेंट्स कमजोर थे और बैकएंड समायोजन के लिए भेद्य थे।

4.1.9 बिजनेस कंटीन्यूइटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान का परीक्षण नहीं किया जाना

आरएफपी भाग-111 के अनुसार, सिस्टम द्वारा सभी परिचालन स्वीकृति परीक्षणों को मंजूरी देने से पहले आपूर्तिकर्ता को एक विस्तृत बिजनेस कंटीन्यूइटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान (बीसीपी और डीआरपी) विकसित करना था। बीसीपी और डीआरपी को सीआईएसओ¹⁶ के परामर्श से विकसित किया जाना था और एपेक्स स्टीयरिंग समिति से लिखित में अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाना था। बीसीपी और डीआरपी में डिजास्टर रिकवरी के कार्यों का एक संरचित सेट सम्मिलित होगा जो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव (आरटीओ), रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव (आरपीओ) और सर्विस डिलीवरी ऑब्जेक्टिव (एसडीओ) जैसे मापदंडों का पालन करेगा।

यह देखा गया कि आकस्मिकता/ डिजास्टर रिकवरी प्लान से पहले बिजनेस प्रभाव विश्लेषण (बीआईए) नहीं किया गया था और बीसीपी और डीआरपी का अभ्यास परीक्षण नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि बजट मॉड्यूल को 01 सितंबर 2015 से लाइव होने की सूचना दी गई थी और डेटा सेंटर को उस तिथि से मैनेज्ड आईटी चरण के तहत माना गया था, लेकिन चूंकि डेटा रिकवरी सेंटर अप्रैल 2017 में स्थापित किया गया था, यह दर्शाता है कि सितंबर 2015 से अप्रैल 2017 तक डेटा रिकवरी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, आरटीओ, आरपीओ और एसडीओ के मापदंडों का पालन करने के लिए डिजास्टर रिकवरी की कार्यवाहियाँ नहीं की गईं और सिस्टम को जोखिम में डाल दिया गया।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि कई अनुस्मारकों के बावजूद, एसआई ने बिजनेस कंटीन्यूइटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान का परीक्षण नहीं किया है। एसआई को फिर से तृतीय पक्ष के परीक्षक (एसटीक्यूसी) के साथ बीसीपी गतिविधि को पूरा करने और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अनुस्मरण कराया गया था। इस गतिविधि के कारण दस प्रतिशत भुगतान रोक दिया गया है।

तथ्य वही है कि आईएफएमआईएस के लिए बीसीपी और डीआरपी का परीक्षण नहीं किया गया था जबकि आपदा की स्थिति में बीसीपी और डीआरपी, एक संगठन की महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं और आईटी प्रणालियों की एक कुशलता से और समयबद्ध रूप से रिकवरी को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

¹⁶ मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी

4.1.10 बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की कार्यात्मकता कार्यान्वित न किया जाना

एफआरएस में उल्लिखित सामान्य सिस्टम आवश्यकता के अनुसार, सिस्टम को बायोमेट्रिक थंब इंफ्रेशन डिवाइस और सुरक्षित यूजरनेम और लॉगिन के माध्यम से सिस्टम को सुरक्षित लॉगिन प्रदान करना चाहिए। आगे, एसआरएस, आर एंड डी मॉड्यूल की कंडिका 2.10.11.2 के अनुसार, ई-स्कॉल अनुमोदन के लिए बायोमेट्रिक लॉगिन सुरक्षा सुविधा ट्रेजरी एडमिन को प्रदान किए जाने थे। आर एंड डी मॉड्यूल के एसआरएस के अनुसार, डीडीओ द्वारा अनुमोदित बिलों को पारित/ लेखापरीक्षा के लिए संवितरण कार्यालय को अग्रेषित किया जाना था। लॉगिन के बाद पहली बार ट्रांजेक्शन को मंजूरी देते समय अनुमोदनकर्ता के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य था।

प्रतिकृति डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि सिस्टम में बायोमेट्रिक डेटा से संबंधित तीन तालिकाएं थीं। यद्यपि, उन में से दो तालिकाओं में से कोई रिकॉर्ड नहीं था और एक तालिका में बायोमेट्रिक विवरण के लिए 3,69,546 रिकॉर्ड थे। बायोमेट्रिक विवरण की तालिका में, 65,489 रिकॉर्ड निरंक अंगूठे के संलग्नक के साथ थे और 35,084 रिकॉर्ड निरंक फोटो संलग्नक के साथ थे। इससे संकेत मिलता है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए बुनियादी डेटा अपूर्ण था और इस प्रकार कार्यात्मकता को उल्लिखित रूप से लागू नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के संबंध में प्रारंभ में यूआईडीएआई¹⁷ से बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त करने का प्रस्ताव था। लेकिन आधार अधिनियम के अनुसार, यूआईडीएआई ने जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करने से इनकार कर दिया और आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन के दौरान, यूआईडीएआई एकीकरण उपलब्ध नहीं था। हालांकि, एसआई को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए कहा गया है, लेकिन एसआई इसे प्रदान करने में विफल रहा।

तथ्य वही है कि कार्यात्मकता को लागू नहीं किया गया था जैसी की परिकल्पना की गई थी।

4.1.11 डेटा प्रतिधारण नीति को तैयार न किया जाना

विभाग को डाटा प्रतिधारण नीति बनानी होती है। एक संगठन की डेटा प्रतिधारण नीति यह नियंत्रित करती है कि वह अनुपालन या नियामक कारणों से डेटा को कैसे सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ जब इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती तब वह डेटा का निपटारा कैसे करता है।

यह अवलोकित किया गया कि समझौते में लाइव डेटाबेस के भीतर ट्रांजेक्शन डेटा की अवधारण अवधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। आगे, न तो समझौते में और न ही आर एंड डी मॉड्यूल के एसआरएस/ एसडीडी में सभी हिस्ट्री डेटा का बैकअप कब तक बनाए रखा जाना था, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि परियोजना के लिए विभाग द्वारा डाटा प्रतिधारण नीति तैयार नहीं की गई थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि आईएफएमआईएस में बैकअप और प्रतिधारण नीति बनाए रखी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रलेखित डेटा प्रतिधारण नीति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

¹⁷ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

4.2 निष्कर्ष

- सूचना सुरक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।
- डिजिटल हस्ताक्षरों को लागू नहीं किया गया था और अपलोड किए गए अपठनीय उप-वाउचरों, वाउचरों की अनुपलब्धता और अप्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के उदाहरण देखे गए थे।
- सेवानिवृत्त अधिकारियों की यूजर आईडी निष्क्रिय नहीं की गई थी और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की दिनांक के बाद भी ट्रांजेक्शन किए थे।
- बिजनेस कंटीन्यूइटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान का परीक्षण नहीं किया गया था।

4.3 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- शासन एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा का नियमित कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकता है।
- शासन प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा को एक अनिवार्य आवश्यकता बना सकता है और इसे आवश्यक वेलिडेशन नियंत्रण के साथ लागू कर सकता है।
- किसी भी अनधिकृत ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय करना लागू किया जा सकता है।
- शासन यह सुनिश्चित कर सकता है कि बिजनेस कंटीन्यूइटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान का परीक्षण संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए।

अध्याय V

महालेखाकार के कार्यों के साथ
आईएफएमआईएस का एकीकरण



अध्याय V

महालेखाकार के कार्यों के साथ आईएफएमआईएस का एकीकरण

सारांश

कार्यात्मक आवश्यकता विशिष्टियों के अनुसार यह आवश्यक है कि आईएफएमआईएस का इंटरफ़ेस अन्य हितधारकों के लिए प्रारूप विशिष्ट के साथ समान हो जिसमें कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की प्रणाली के लिए आवश्यक प्रवेश अधिकार के साथ होना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि इस सिस्टम में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा वर्गीकरण जाँच के लिए बजट और प्राप्ति तथा व्यय के विवरण कैप्चर करने की सुविधा नहीं है। इसके अलावा, राज्य शासन विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों को अनुदान प्रदान करती है हालांकि लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति की जाँच करने का प्रावधान सिस्टम में नहीं किया गया था।

ऐसे दृष्टांत भी पाए गए जहां ट्रांसफर एंट्री के बिना डेटा में सुधार किए गए थे। महालेखाकार कार्यालय में जमा करने के बाद नियत तिथि से एक से 736 दिनों के विलंब के साथ लेखाओं को फ्रीज किया जाना पाया गया था। महालेखाकार कार्यालय को भेजने से पहले मासिक लेखे को फ्रीज करने में यह विलंब मासिक लेखों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। महालेखाकार कार्यालय के स्वीकृति विवरण को दर्ज किए बिना सिस्टम में आहरण और संवितरण अधिकारी बनाए गए थे (01 जुलाई 2020 से पहले)। सीपीडब्ल्यू कोड या म.प्र. कोषालय संहिता के अनुसार मानक प्रपत्र और प्रारूप के प्रावधान सिस्टम में अपर्याप्त पाए गए और मासिक लेखाओं के साथ सहायक प्रपत्र भी उपलब्ध नहीं थे।

5.1 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली

5.1.1 आईएफएमआईएस और वीएलसी सिस्टम के मध्य इंटरफ़ेस की कमी

कार्यात्मक आवश्यकता विशिष्टियों विनिर्देश (एफआरएस) के अनुसार सिस्टम का इंटरफ़ेस अन्य हितधारकों के लिए समान होना चाहिए जिसमें कार्यालय महालेखाकार (लेखा और हकदारी)¹ की प्रणाली के लिए विशिष्ट प्रारूप होना चाहिए जिसमें आवश्यक प्रवेश अधिकार हों। बजट मॉड्यूल के एसआरएस के अनुसार प्रणाली बजट पुस्तकों को सृजन/ तैयार करेगी जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

यह देखा गया कि आईएफएमआईएस, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को वर्गीकरण जाँच और लेखा तैयार करने के लिए क्रमशः बजट और प्राप्ति एवं व्यय विवरण लेने की अनुमति नहीं देता है। इसमें निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

- आईएफएमआईएस के माध्यम से बजट प्राप्त करने की सुविधा प्रणाली में नहीं थी और विभाग एक कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में बजट डेटा भेज रहा था। इस प्रकार प्राप्त बजट डेटा को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के वाउचर लेवल कंप्यूटरीकरण (वीएलसी) प्रणाली में अपलोड किया जाना था। जिस प्रारूप में विभाग डेटा भेज रहा था वह वीएलसी प्रणाली के साथ पूरी तरह से संगत नहीं था। बजट

¹ महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर

बुक्स की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के लिए अलग-अलग प्रारूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग द्वारा अनुपूरक बजट सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है केवल अनुपूरक बजट की बजट पुस्तिकाएं ही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को भेजी जा रही हैं। इसके अलावा, प्राप्ति बजट डेटा को मैनुअल रूप से वीएलसी सिस्टम में फीड किया जा रहा था।

- महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया गया प्राप्ति का डेटा केवल लघु शीर्ष तक था। विस्तृत शीर्ष संख्या 73² और 74³ का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण भी पाया गया। वीएलसी प्रणाली में व्यय डेटा अपलोड करने के लिए कोषागारों से टेक्स्ट प्रारूप में प्राप्त डेटा को वीएलसी प्रणाली में इम्पोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अधूरे डेटा के कारण शेष डेटा को मैनुअल रूप से पोस्ट किया जाना था। इसके अलावा मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन के तहत व्यय का पूरा वर्गीकरण कोषालय लेखाओं में प्राप्त नहीं हो रहा है और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय ने इन वाउचरों को मैनुअल रूप से संकलित किया।
- पेंशन बिलों से संबंधित विभाजित डेटा की अनुपलब्धता, सशर्त और गैर-सशर्त सहायता अनुदान वाउचर के लिए अलग-अलग वाउचर कोड, 8009-जीपीएफ निकासी वाउचर से संबंधित सेवा शीर्ष का प्रावधान न होना इत्यादि की अनियमितताएं देखी गईं। इसके अलावा, आईएफएमआईएस के पास जब भी आवश्यक हो, स्थानांतरण प्रविष्टि को सम्मिलित करने का कोई प्रावधान नहीं है। बजट के अनुसार, कोषालय लेखाओं से त्योहार अग्रिम और अन्य अग्रिमों के वर्गीकरण का प्रावधान प्राप्त नहीं हो रहा था।

आईएफएमआईएस और व्हीएलसी के मध्य एकीकरण के अभाव में, लेखापरीक्षा आईएफएमआईएस में डेटा की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकता है एवं इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में बनाए गए व्हीएलसी डेटा के साथ व्यापक मिलान की आवश्यकता है।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि कार्यान्वयन चरण के दौरान एसआई और संचालनालय कोष एवं लेखा के प्रतिनिधियों ने एकीकरण आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए महालेखाकार कार्यालय का दौरा किया था। वीएलसी में सॉफ्टवेयर संस्करण के संगतता मुद्दे थे और महालेखाकार कार्यालय में कोई सिस्टम इंटीग्रेटर नहीं था। इसलिए, मासिक लेखा प्रतिवेदन की निगरानी के लिए महालेखाकार कार्यालय को आईएफएमआईएस एप्लिकेशन का प्रवेश प्रदान किया गया था। आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेनेरेशन के लिए भी वीएलसी के साथ एकीकरण पर विचार-विमर्श हुआ है और तदनुसार नेक्स्ट जेनेरेशन में प्रावधान किए गए हैं।

हालांकि नेक्स्ट-जेन आईएफएमआईएस में महालेखाकार कार्यालय को शामिल करने का विभाग का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन नेक्स्ट-जेन आईएफएमआईएस को विभाग द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।

5.1.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वस्तुस्थिति हेतु प्रावधान नहीं किया जाना

राज्य शासन विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों को अनुदान प्रदान करती है। इन अनुदानों को जारी करते समय, व्यय को लेखा की कार्यात्मक मद में प्रभारित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा जारी सहायता अनुदान की प्रभावशीलता और उपयोग की निगरानी उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) तंत्र के माध्यम से की जाती है। वित्तीय नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि सशर्त अनुदान के मामले में अनुदान के उचित उपयोग की गारंटी देते हुए अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को जिस वर्ष अनुदान जारी

2 अंतर लेखे हस्तांतरण

3 (-) वसूलियां

किया गया था, के अनुवर्ती वर्ष के 30 सितंबर को या उससे पहले तक यूसी प्रस्तुत किया जाना है। एक विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक तक यूसी के बकाया रहना अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए अनुदानों के उपयोग के संबंध में आश्वासन के अभाव को दर्शाता है।

यह देखा गया कि सहायता अनुदान के संबंध में यूसी विकल्प का चयन करने की सुविधा सिस्टम में उपलब्ध थी लेकिन यूसी की निगरानी से संबंधित कार्यात्मकता सिस्टम में उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और अधिकारियों द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित ₹ 1,406.31 करोड़ रुपये के कुल 18 यूसी प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि आईएफएमआईएस प्रणाली में यूसी के लिए विकल्प पहले से ही सम्मिलित है और यह आहरण और वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि तदनुसार यूसी का चयन करें और इसे संलग्न करें। साथ ही, यूसी विकल्प जोड़ने की सुविधा अलग से प्रावधानित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में ऑब्जेक्ट/ विस्तृत कोड के माध्यम से विभाजन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि आईएफएमआईएस के माध्यम से लंबित यूसी की निगरानी कैसे की गई थी।

5.1.3 अंतरण प्रविष्टि के बिना सुधार किया जाना

एसआरएस के खंड 4.20 और आर एंड डी मॉड्यूल के एसडीडी के खंड 2.17 के अनुसार जब महालेखाकार कार्यालय में लेखे जमा करने के बाद गलत वर्गीकरण की पहचान की गई हो तब लेखा शीर्ष में सुधार करने के लिए संवितरण / डीडीओ कार्यालय के भुगतान शाखा उपयोगकर्ता द्वारा एक स्क्रीन का उपयोग किया जाएगा। इस स्क्रीन का उपयोग उस स्थिति में किया जाएगा जब महालेखाकार कार्यालय आईएफएमआईएस एप्लिकेशन का उपयोगकर्ता बनने के लिए सहमत नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, जब महालेखाकार कार्यालय द्वितीयक लेखा में आवश्यक सुधार करता है, तो सुधारों का विवरण महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा, जिसे इस स्क्रीन के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा और संवितरण कार्यालय द्वारा मूल रूप से प्रस्तुत प्राथमिक लेखे को प्रभावित या अद्यतन किए बिना द्वितीयक लेखे के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। नीचे दी गई तालिका 5.1 में उल्लिखित एसडीडी में निम्नलिखित तालिकाओं का प्रावधान किया गया था:

तालिका 5.1: एसडीडी में प्रावधानित तालिकाओं की सूची

स.क्र.	तालिका का नाम	विवरण
1.	एफडी_आरएनडी_ईएक्सपी_रिवएन्ट्री_एमएसटी	रिवर्सल एंट्री मास्टर के लिए तालिका
2.	एफडी_आरएनडी_ईएक्सपी_रिवएन्ट्री_एमएसटी_एचएसटी	यह तालिका रिवर्सल एंट्री मास्टर तालिका के लिए हिस्ट्री बनाए रखेगी।
3.	एफडी_आरएनडी_ईएक्सपी_रिवएन्ट्री_टीएक्सएन	यह तालिका उपयोगकर्ता द्वारा किए गए लेन-देन के डेटा को रोल क्रिएटर, सत्यापनकर्ता और अनुमोदक के साथ संग्रहीत करेगी।
4.	एफडी_आरएनडी_ईएक्सपी_रिवएन्ट्री_टीएक्सएन_एचएसटी	यह तालिका रिवर्सल एंट्री ट्रांजेक्शनल तालिका की हिस्ट्री बनाए रखेगी।
5.	डब्ल्यूएफ_जॉब_एमएसटी	यह वर्कफ्लो जॉब मास्टर तालिका है।

स्रोत: आईएफएमआईएस के आर एण्ड डी मॉड्यूल का सिस्टम डिजाइन दस्तावेज़

इसके अलावा, यदि महालेखाकार कार्यालय में लेखे भेजने के बाद कोई सुधार किया जाना है तो सुधार प्रस्तावित किए जाते हैं और महालेखाकार कार्यालय में ट्रान्सफर एंट्री की जाती है।

डेटाबेस में रिवर्सल एंट्री मास्टर तालिका⁴ को छोड़कर सभी संबंधित तालिका खाली थी जिसमें 2019-21 की अवधि के लिए कुल 5,243 रिकॉर्ड थे। निम्नलिखित देखा गया था:

- 3,438 एंट्री ऐसी थीं जिनमें पुराने और नए लेखा शीर्ष एकसमान थे। रिवर्सल एंट्री केवल तभी की जानी थीं जब महालेखाकार कार्यालय में लेखाओं को भेजने के बाद गलत वर्गीकरण अवलोकित किया गया हो।
- 5,243 प्रकरणों में से 1,281 प्रकरणों में रिवर्सल एंट्री में पुरानी राशि बदल दी गई थी। चूंकि अधिकांश एंट्री प्राप्ति शीर्ष से संबंधित थीं और राशि में परिवर्तन के कारणों का पता नहीं चल पाया था और पार्टी का नाम भी बदल दिया गया।
- 3,438 एंट्री में से केवल 159 एंट्री में महालेखाकार स्वीकृति आदेश की तिथि सम्मिलित थी, जो दर्शाता है कि शेष रिवर्सल एंट्री महालेखाकार कार्यालय से स्वीकृति के बिना की गई थीं।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि लेखा शीर्ष को बदलने का कोई प्रावधान नहीं था और केवल महालेखाकार कार्यालय से उचित सहमति के बाद लेखा-अंतरण को संशोधित किया जा सकता है एवं फिर इसे अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा संशोधित किया जाता है। एसआई, जनरल लेजर और असेट एकाउंटिंग मॉड्यूल को लागू करने में विफल रहा जिसमें आर एंड डी मॉड्यूल में किए गए रिवर्सल एंट्री और ट्रान्सफर एंट्री से प्रभावित होना प्रावधानित किया गया था। शासन ने आगे बताया कि उन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक लेखाओं में ट्रान्सफर एंट्री और रिवर्सल एंट्री का प्रावधान करने के लिए कई बार याद दिलाया और एसआरएस के साथ अवधारणा नोट को साझा किया था, लेकिन एसआई लागू करने में विफल रहा। लेखाओं में परिवर्तन के पश्चात संबंधित कोषालयों द्वारा संशोधित लेखा महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग प्राथमिक और द्वितीयक लेखाओं में ट्रान्सफर एंट्री की कार्यात्मकता को लागू करने में विफल रहा।

5.1.4 महालेखाकार कार्यालय को भेजने से पहले मासिक लेखे को फ्रीज करने में विलंब

आईएफएमआईएस प्रणाली में कोषालय अधिकारी, मासिक लेखा तैयार करके महालेखाकार कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा। भुगतान की सूची (एलओपी) और प्राप्तियों की सूची (एसओआर) की मुद्रित और हस्ताक्षरित प्रति को भी इलेक्ट्रॉनिक लेखाओं की पुष्टि के लिए महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना था। कोषालयों को संकलित लेखाओं को प्रत्येक माह महालेखाकार कार्यालय को भेजना आवश्यक है, यदि कोई गलत वर्गीकरण या त्रुटिपूर्ण एंट्री पाई जाती है तो सुधार के लिए अनुरोध महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। महालेखाकार कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही एंट्री को सुधारा जाएगा।

आगे, एसआरएस की कंडिका 4.13 में प्रावधान है कि सिस्टम में एक विशेष तिथि तक लेखाओं को मुख्य शीर्ष वार फ्रीज करने की कार्यात्मकता होगी। मुख्य शीर्ष के एक बार फ्रीज/ लॉक हो जाने के बाद उस मुख्य शीर्ष के संगत चालान/ वाउचर का विवरण बदला नहीं जा सकता है। सामान्यतया इसे एक विशेष मुख्य शीर्ष के लिए किसी विशेष तिथि तक लेखाओं के मिलान के पश्चात किया जाता है। महालेखाकार कार्यालय में जमा करने से पहले लेखाओं को कोषालय-वार फ्रीज करने की उपयोगिता प्रदान की जाती है। चयनित किए गए

⁴ एफडी_आरएनडी_आरईसी_रिवएन्ट्री_एमएसटी

मुख्य शीर्ष के प्रकार के आधार पर सिस्टम, भुगतान से संबंधित सभी मुख्य शीर्षों या प्राप्तियों से संबंधित सभी मुख्य शीर्षों को पापुलेट करेगा। व्यय और प्राप्ति से संबंधित मुख्य शीर्षों की रेंज के लिए, सिस्टम बजट मॉड्यूल का संदर्भ लेगा। साथ ही साथ, एसडीडी के कंडिका 2.13.3 में लेखाओं को फ्रीज करने की मैपिंग के लिए कुल नौ तालिकाओं का प्रावधान किया गया है जैसा की नीचे दी गई तालिका 5.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: लेखों को फ्रीज करने से संबंधित तालिकाओं की सूची

संक्र०	तालिका का नाम	विवरण
1.	एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी	इस तालिका में फ्रीज किए गए लेखाओं का विवरण है।
2.	एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी_एचएसटी	यह तालिका फ्रीज्ड हुए लेखाओं की मास्टर तालिका की हिस्ट्री बनाए रखेगी।
3.	एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_टीएक्सएन4	यह तालिका उपयोगकर्ता द्वारा किए गए लेन-देन के डेटा को रोल क्रिएटर, सत्यापनकर्ता और अनुमोदक के साथ संग्रहीत करेगी।
4.	एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_टीएक्सएन_एचएसटी	यह तालिका फ्रीज्ड हुए लेखाओं की लेनदेन तालिका की हिस्ट्री बनाए रखेगी।
5.	एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी_डीटीएल	फ्रीज्ड हुए लेखों की मास्टर डीटेल तालिका।
6.	एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी_डीटीएल_एचएसटी	फ्रीज्ड हुए लेखाओं के लिए हिस्ट्री तालिका मास्टर विवरण तालिका
7.	एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_टीएक्सएन_डीटीएल	फ्रीज्ड हुए लेखाओं की लेन-देन विवरण तालिका।
8.	एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_टीएक्सएन_डीटीएल_एचएसटी	फ्रीज्ड हुए लेखाओं के लेन-देन विवरण तालिका के लिए हिस्ट्री तालिका।
9.	डब्ल्यूएफ_जॉब_एमएसटी	यह वर्कफ्लो कार्य मास्टर तालिका है।

स्रोत: आईएफएमआईएस के आर एंड डी मॉड्यूल का सिस्टम डिजाइन दस्तावेज़

निम्नलिखित अवलोकित किया गया था:

- इन प्रावधानित तालिकाओं में से केवल दो तालिकाएँ यथा एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी और एफडी_आरएनडी_फ्रीज्ड_एसीसी_टीएक्सएन ही डेटाबेस में उपलब्ध हैं अन्य तालिकाएँ यद्यपि सिस्टम में नहीं पाई गईं। ट्रांसेक्शन तालिका में कोई डेटा नहीं था, लेकिन लेखे को फ्रीज करने से संबंधित सभी डेटा एक मास्टर तालिका में संग्रहीत हैं।
- महालेखाकार कार्यालय में जमा करने के बाद नियत तिथि से एक से 736 दिनों तक के विलंबों से लेखाओं को फ्रीज किया गया था, जैसा परिशिष्ट 5.1 में दर्शाया गया है।
- भोपाल के वल्लभ भवन कोषालय के प्रकरण में यह अवलोकित किया गया कि अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 माह तक के लिए, मासिक लेखाओं को फ्रीज करने की दिनांक को महालेखाकार कार्यालय में मासिक लेखाओं को जमा करने की तिथि के 294 से 331 दिन पहले दर्ज किया गया था।
- वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए 27 पंक्तियों में महालेखाकार कार्यालय में जमा करने के बाद रिकॉर्ड को अपडेट किया गया था। विवरण परिशिष्ट 5.2 में दिया गया है।
- 20 जिला कोषालयों के लिए 56 माहों के संबंध में फ्रीज करने, प्रस्तुतीकरण इत्यादि के विवरण ऊपर उल्लिखित तालिका में दर्ज नहीं थे। इसलिए, प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। विवरण परिशिष्ट 5.3 में दर्शाया गया है।
- यह भी देखा गया कि जहाँ मासिक लेखाओं को महालेखाकार कार्यालय को भेजने के बाद अपडेट किया गया था वहाँ 27 प्रकरणों में परिवर्तन किए गए थे।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि वर्ष 2022 से प्रत्येक माह की पांच तारीख को लेखा स्वचालित रूप से फ्रीज हो जाता है। महालेखाकार कार्यालय से सुधार के लिए अनुरोध की स्वीकृति मिलने के बाद ही डीटीए में लेखाओं को अनफ्रीज करने की प्रक्रिया की जा रही है। आवश्यक सुधार करने के पश्चात संबंधित कोषालय संशोधित लेखा आवश्यक कार्रवाई के लिए महालेखाकार कार्यालय को भेजता है।

उत्तर स्वतः ही इंगित करता है कि वर्ष 2022 से लेखों को स्वचालित रूप से फ्रीज किया जा रहा था। हालांकि, 2019-21 की अवधि से संबंधित अनियमितताओं के बारे में उत्तर मौन है, जिसने महालेखाकार कार्यालय में लेखाओं को प्रस्तुत करने के पश्चात भी डेटा में परिवर्तन की अनुमति देने के कारण मासिक लेखों की विश्वसनीयता को प्रभावित किया था।

5.1.5 सकल राशि से अधिक निवल राशि वाले वाउचर

एसडीडी के अनुसार, दो तालिकाएं⁵ अन्य बातों के साथ-साथ वेतन देयक विवरण लेनदेनों के साथ जीपीएफ, डीपीएफ आदि⁶ की कटौतियों और जीआईएस, आयकर आदि की कटौती⁷ की सूचना एकत्र करती हैं। लेखाओं के संकलन के लिए इन आंकड़ों पर आगे प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा, बिल की निवल राशि, सकल राशि से कटौती को घटाते हुए के आधार पर एक परिगणित कॉलम थी।

2019-21 की अवधि से संबंधित डेटा की जाँच के दौरान यह देखा गया कि 21 वाउचर ऐसे थे जिनमें निवल राशि सकल राशि से अधिक थी एवं दोनों तालिकाओं के कटौती के कॉलम में दर्ज आंकड़े नकारात्मक थे, जिसके परिणामस्वरूप सकल राशि की तुलना में निवल राशि अधिक की थी। विवरण परिशिष्ट 5.4 में दर्शाया गया है। इससे इंगित हुआ कि एसडीडी में उल्लिखित प्रक्रिया को सिस्टम में सम्मिलित नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि सकल राशि से अधिक निवल राशि के वेलिडेशन का अभाव एसआई द्वारा लापरवाही/ एप्लिकेशन में बग के कारण था। एसआई द्वारा बग को ठीक कर पहले ही निवारक कार्रवाई की जा चुकी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग सिस्टम में वाउचर की मात्रा पर बुनियादी वेलिडेशन नियंत्रण को लागू करने में विफल रहा।

5.1.6 डीडीओ के सृजन के लिए प्राधिकार प्राप्त न किया जाना

मप्र कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 15सी के अनुसार कोषालय अधिकारी नवसृजित आहरण अधिकारी को तब तक प्रथम आहरण की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि कोषालय अधिकारी को महालेखाकार से कोई प्राधिकार प्राप्त न हो जाए, जिसमें नए आहरण अधिकारी को कोषालय के लेखे में लिया गया हो। इसके अलावा, एसआरएस के अनुसार आहरण अधिकारी राज्य शासन से स्वीकृति और प्रशासनिक विभाग के प्रमुख की विज्ञप्ति और महालेखाकार कार्यालय द्वारा आहरण अधिकारी को संबंधित कोषालय में लिए जाने के बाद आहरण प्रारम्भ कर सकता है। यह प्रावधान जून 2020 तक लागू रहा।

5 एफडी_आरएनडी_बिल_रजिस्टर_टीएक्सएन और एचआर_पीएवाय_पेबिल_डीटीएल_टीएक्सएन

6 एजी_बीटी

7 टीआरवाय_बीटी

यह देखा गया (जून 2022) कि डीडीओ मास्टर तालिका⁸ के अनुसार 5,945 सक्रिय डीडीओ थे। किन्तु तालिका में महालेखाकार की स्वीकृति के विवरण⁹ संग्रहीत करने के लिए कॉलम में कोई वैध प्रविष्टि नहीं थी। इसके अतिरिक्त महालेखाकार स्वीकृति तिथि के लिए डीडीओ मास्टर तालिका में 4,987 रिकॉर्ड में 1 जनवरी 2000 के रूप में अमान्य डेटा कैप्चर किया गया था। इससे इंगित होता है कि सिस्टम ने अमान्य डेटा स्वीकार किया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि कोषालय संहिता के अनुसार आयुक्त, कोष एवं लेखा को आहरण और संवितरण अधिकारी के सृजन के लिए अधिकृत किया गया है। सी-एसएफएमएस के डेटा में महालेखाकार अनुमोदन का अनिवार्य फ़ील्ड नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 5,580 रिकॉर्ड 1 जुलाई 2020 से पहले की अवधि के हैं जिसमें महालेखाकार स्वीकृति की वैध प्रविष्टि सम्मिलित नहीं थी। हालांकि, 30 जून 2020 के बाद की अवधि से संबंधित रिकॉर्ड में अमान्य प्रविष्टियों के बारे में उत्तर मौन है।

5.1.7 फ्रंट एंड रिपोर्ट और डेटाबेस के बीच रिज़र्व बैंक जमा के आंकड़ों में अंतर

एसडीडी और वास्तविक डेटाबेस के अनुसार, बैंक स्कॉल के भुगतान और प्राप्तियों का विवरण दो तालिकाओं¹⁰ में संग्रहीत किया गया था।

जिला कोषालय, इंदौर के मार्च 2021 के डेटा की संवीक्षा के दौरान फ्रंट एंड (आरबीडी आंतरिक) से रिज़र्व बैंक जमा (आरबीडी) की भुगतान और प्राप्तियों के लिए बैंकवार और तिथिवार रिपोर्ट और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई क्लेरी के आधार पर प्रतिकृति सर्वर डेटा से उत्पन्न रिपोर्ट रिज़र्व बैंक जमा (आरबीडी) के आंकड़ों में अंतर अवलोकित किए गए। आंकड़ों के दो सेट नीचे तालिका 5.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.3: रिज़र्व बैंक जमा आंकड़ों में अंतर दर्शाने वाला विवरण

एसबीआई शाखा का नाम	प्रतिकृति सर्वर डेटा से उत्पन्न रिपोर्ट के अनुसार		फ्रंट-एंड (आरबीडी आंतरिक) से उत्पन्न रिपोर्ट के अनुसार	
	क्रेडिट राशि	डेबिट राशि	क्रेडिट राशि	डेबिट राशि
पी.वाय. रोड	11,61,85,525	3,30,42,06,680	1,15,58,725	3,35,83,33,905
इंदौर नाका, देपालपुर	1,49,91,217	44,47,39,755	1,49,89,217	44,47,39,755
टाउन हॉल, महु	95,26,448	23,40,21,210	95,26,448	23,82,56,785
सावेर	2,05,557	30,19,97,143	2,05,557	30,19,97,143

स्रोत: आईएफएमआईएस डेटाबेस और आईएफएमआईएस की फ्रंट-एंड रिपोर्ट से उद्धरण

इस प्रकार, आंकड़ों में भिन्नता के कारण आंकड़ों की विश्वसनीयता का आश्वासन नहीं दिया जा सका।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि यह प्रकरण जिला कोषालय इंदौर में उप कोषालय और नगर कोषालय इंदौर के विलय के कारण उत्पन्न हुआ।

⁸ सीएमएन_डीडीओ_एमएसटी

⁹ महालेखाकार स्वीकृति आईडी

¹⁰ एफडी_आरएनडी_पेमेंट_स्कॉल_डीटीएल और एफडी_आरएनडी_आरसीपीटी_स्कॉल_एचडीआर_टीएक्सएन

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोषालयों का विलय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हुआ था। इसके अलावा, डेटाबेस और जनरेट की गई रिपोर्टों से आंकड़ों का अंतर मासिक लेखों में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग का संकेत देता है।

5.1.8 फ्रंट एंड रिपोर्ट से प्राप्त और डेटाबेस से निकाले गए नकद लेख के आंकड़े में अंतर

इंदौर कोषालय का माह जनवरी 2021 के लिए रोकड़ लेखा फ्रंट एंड एवं एसक्यूएल¹¹ के माध्यम से डेटाबेस से जनरेट किया गया था। चार प्रकरणों में यह अवलोकित किया गया कि रोकड़ लेखों में राशि के साथ-साथ चालान की संख्याओं में अंतर था, जैसा कि नीचे तालिका 5.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: रोकड़ लेख के आंकड़ों में अंतर दर्शाने वाला विवरण

लेखा शीर्ष	रोकड़ लेख के लिए प्रदान की गई एसक्यूएल क्वेरी के अनुसार		फ्रंट एंड से उत्पन्न रिपोर्ट के अनुसार	
	कुल धनराशि	चालान	कुल धनराशि	चालान
सामान्य भविष्य निधि	5,03,896	18	6,95,644	20
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	63,274	46	80,875	47
आवास आदि	1,59,556	133	1,65,136	136
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12,600	7	46,974	25

स्रोत: आईएफएमआईएस डेटाबेस और आईएफएमआईएस की फ्रंट-एंड रिपोर्ट से उद्धरण

शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। हालांकि, शासन ने 10 अप्रैल 2023 को हुई बैठक की चर्चा का उल्लेख किया (जुलाई 2023) और बताया कि अवलोकन की क्वेरी पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के परिणाम विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई एसक्यूएल क्वेरी पर आधारित हैं।

5.2 मानक प्रपत्रों के प्रावधान

5.2.1 प्रपत्र-51 का प्रावधान न होना

सीपीडब्ल्यूए कोड में प्रावधान है कि एक ही लेखा अधिकारी को लेखा सौंपने वाले अधिकारियों के बीच प्रेषणों को प्रपत्र सीपीडब्ल्यूए-51 में चेक और प्रेषणों के मिलान की अनुसूची में दर्ज किया जाएगा। माह की समाप्ति के तुरंत बाद उनके साथ पूरे निर्माण संभाग के लेनदेन के संबंध में सभी कोषालयों के साथ मासिक निपटान किया जाना चाहिए। संभागीय अधिकारी प्रपत्र-51 में मिलान करेंगे जो चेक और प्रेषण के बीच अंतर को दर्शाता है। प्रपत्र-51 को मासिक लेखाओं के साथ महालेखाकार कार्यालय में भेजा जाना था। तथापि, यह देखा गया कि आईएफएमआईएस में प्रपत्र-51 का प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे इंगित होता है कि उस सीमा तक मिलान प्रभावित हुआ।

5.2.2 सीपीडब्ल्यूए प्रपत्र-65 का अपर्याप्त प्रारूप

सीपीडब्ल्यूए कोड की कंडिका 22.4.16 में सीपीडब्ल्यूए प्रपत्र -65 में डिपॉजिट कार्यों की अनुसूची के लिए प्रावधान किया गया था, जिसे संभागीय अधिकारी द्वारा मासिक लेखा के साथ प्रस्तुत किया जाना था।

¹¹ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैङ्ग्वेज

अनुसूची के भाग-II में (1) मार्च के लेखाओं के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने और (2) उस पर कोई भी व्यय जो विविध लोक निर्माण अग्रिमों पर प्रभारित किया गया हो एवं ऐसे कार्यों से संबंधित भाग II से निष्कर्ष जो केवल वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हो, प्रावधानित था।

आईएफएमआईएस के फ्रंट एंड से यह अवलोकित किया गया कि प्रपत्र-65 का प्रारूप सीपीडब्ल्यूए कोड के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि भाग-I और भाग-II का प्रावधान भी प्रारूप में नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप महालेखाकार कार्यालय को अपूर्ण डेटा प्रस्तुत किया गया।

5.2.3 मासिक लेखाओं के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक सहायक प्रपत्रों की अनुपलब्धता

सीपीडब्ल्यूए कोड की कंडिका 22.4.12 में यह निर्धारित करती है कि मासिक लेखे को सम्भागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने और वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र सीपीडब्ल्यूए -80¹² में तैयार किया जाना चाहिए। यह लेखा माह की संपूर्ण प्राप्ति और संवितरणों का एक सार है जैसा कि सार पुस्तक¹³ में तैयार किया जाता है एवं जैसा कि विभिन्न अनुसूचियों और रजिस्ट्रों में विवरण दिया गया है, तथा इसे प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेषों में भी दर्शाया जाता है।

आगे, सीपीडब्ल्यूए कोड की कंडिका 22.4.15 में महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखा प्रस्तुत करना प्रावधानित है। इसे परिशिष्ट 5.5 में उल्लिखित विभिन्न प्रारूपों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

प्रतिरूप डेटा/ फ्रंट एंड की जाँच और संभागीय डेटा की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सिस्टम में मासिक लेखा के कुछ प्रपत्रों¹⁴ का प्रावधान नहीं किया गया है। आगे, प्रपत्र-61 जो वाउचर, ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर आदि सम्मिलित करने के लिए था, वह सिस्टम में उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप निर्माण विभाग के अधूरे मासिक लेखाओं को महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

शासन ने प्रपत्र-51 के जनरेट न होने, प्रपत्र-65 और मासिक लेखों के साथ संलग्न किए जाने वाले सहायक प्रपत्रों के संबंध में बताया (जुलाई 2023) कि सीपीडब्ल्यूए कोड के संबंध में समस्त सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा। तकनीकी प्रगति के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार सीपीडब्ल्यूए प्रपत्रों को भी युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।

5.2.4 प्रणाली में एमपीटीसी प्रपत्रों का अपर्याप्त प्रावधान

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एमपीटीसी) को 2020 में संशोधित किया गया था। यह देखा गया कि एमपीटीसी में निर्धारित प्रपत्रों/ रजिस्टर के प्रावधानों को एसआरएस में सम्मिलित नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका 5.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.5: अवलोकनों का विवरण

एमपीटीसी 2020 प्रपत्र और प्रावधान का उद्देश्य	विभाग का उत्तर
एमपीटीसी-8: नियम 53 के अनुसार भूमि राजस्व और उपकर के लिए चालान के माध्यम से पैसा जमा करने के लिए प्रपत्र एमपीटीसी-8 में चालान दिया जाता है।	केवल ₹ 10,000 तक के भौतिक चालान कोषालय में जमा किए जा रहे हैं और शेष डिपॉजिट साइबर ट्रेजरी के माध्यम से किए जा रहे हैं। डीटीए का उत्तर अप्रासंगिक है क्योंकि एमपीटीसी-8 भूमि राजस्व और उपकर जमा करने का एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है।

¹² सभी सहायक रजिस्ट्रों, अनुसूची, वाउचर आदि के साथ

¹³ प्रपत्र-81

¹⁴ प्रपत्र-64ए, 61, 67, 76, 76ए, 66, 83 और 81

एमपीटीसी 2020 प्रपत्र और प्रावधान का उद्देश्य	विभाग का उत्तर
एमपीटीसी-17: नियम 39 नोट 4 में प्रावधान है कि जब किसी बिल का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक हो या जब डिमांड ड्राफ्ट, केश ऑर्डर आदि के माध्यम से भुगतान किया जाना वांछित हो या जब ट्रेजरी से निकाली गई नकदी को संवितरण के लिए अधीनस्थ अधिकारी को भेजा जाता है, तो आहरण अधिकारी के लिए बिल रजिस्टर यथा एमपीटीसी-17 प्रारूप में इस आशय का नोट बनाना आवश्यक होगा।	बिल रजिस्टर के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आईएफएमआईएस में सम्मिलित किया गया है। जो फ्रील्ड महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें सिस्टम में सम्मिलित नहीं किया गया है।
एमपीटीसी-78ए: नियम 27(2) में प्रावधान है कि यदि महालेखाकार कार्यालय में लेखा जमा करने के बाद कोई त्रुटि देखी जाती है, तो उस स्थिति में जहां प्रविष्टि करते समय कोषालय में त्रुटि हुई है, ऐसे बिंदु के सामने एक नोट बनाया जाना है। कोषालय अधिकारी को आंकड़ों, लेखा शीर्ष, या किसी अन्य में कोई सुधार नहीं करना चाहिए। उचित हस्तांतरण के लिए, प्रपत्र एमपीटीसी 78 ए में एक पत्र महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना है।	चूंकि वीएलसी के साथ ऑनलाइन एकीकरण सिस्टम में नहीं है इसलिए सुधार के लिए अनुरोध हेतु ऑफलाइन का प्रावधान किया गया था। इसलिए, एसआरएस/ एसडीडी में एमपीटीसी-78 का प्रावधान नहीं किया गया था।

स्रोत: मध्य प्रदेश ट्रेजरी कोड के प्रावधान और लेखापरीक्षा अवलोकन

एमपीटीसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रपत्रों का भी आईएफएमआईएस में प्रावधान नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका 5.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.6: प्रावधानों का विवरण

एमपीटीसी 2020 में प्रावधानित प्रपत्र और उद्देश्य
एमपीटीसी-55: नियम 289 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के लेखे में समस्त प्राप्तियों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
एमपीटीसी-56: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग के पास ऐसी जल आपूर्ति योजनाओं की लागत के नगर पालिकाओं द्वारा अपने हिस्से के लिए जमा की गई राशि को रजिस्टर/अनुसूची में दर्ज किया जाना चाहिए, यद्यपि विभाग के अधिकारियों द्वारा कोषालय में राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।
एमपीटीसी-58: इसी प्रकार, उक्त नियम 294 में माह के दौरान प्राप्त और जमा किए गए वन प्रेषण के लिए प्रपत्र एमपीटीसी-58 में एक समेकित रसीद प्रदान करने का प्रावधान है, जिसे कोषालय अधिकारी द्वारा आगामी माह के पांचवें दिन को प्रत्येक वन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
एमपीटीसी-64: नियम 348 में प्रावधान किया गया है कि प्राप्त जमा की प्रत्येक मद को प्रत्येक सिविल कोर्ट द्वारा रखे जाने वाले जमा रजिस्टर में प्रपत्र एमपीटीसी-64 में दर्ज किया जाएगा।
एमपीटीसी-65: इन जमा राशि से किए गए सभी भुगतानों को अदालत द्वारा प्रपत्र एमपीटीसी-65 में जमा के पुनर्भुगतान के एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
एमपीटीसी-75: नियम 347 में व्यक्तिगत जमा रजिस्टर को एमपीटीसी-75 में संधारित किए जाने के लिए प्रावधान किया गया था।
एमपीटीसी-69: नियम 375 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक स्थानीय निधि के लिए प्रपत्र एमपीटीसी-69 में एक प्लस और माइनस मेमोरेंडम को माह की शुरुआत में शेष राशि, माह के दौरान प्राप्त और जमा की गई राशि, माह के दौरान भुगतान की गई राशि और माह के अंत में शेष राशि दिखाते हुए मासिक लेखाओं के संलग्न किया जाना चाहिए।

स्रोत: मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधान

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि एमपीटीसी प्रपत्र को युक्तिसंगत बनाने के लिए महालेखाकार कार्यालय के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गई थी और अनुमोदन के लिए महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग आईएफएमआईएस के कार्यान्वयन से पहले आयोजना के चरण को पूर्ण करने में विफल रहा।

5.3 निष्कर्ष

- आईएफएमआईएस और वीएलसी प्रणाली के बीच इंटरफेस की कमी थी। मुख्य रूप से प्राप्ति शीर्ष से संबंधित सुधार प्रविष्टियां ट्रान्सफर एंट्रीयों के बिना की गई थीं। महालेखाकार कार्यालय को भेजने से पूर्व मासिक लेखाओं को फ्रीज किया जाना अधिक विलंबों से कार्यान्वित किया गया था।
- सीपीडब्ल्यूए कोड और एमपीटीसी के संबंध प्रपत्रों के प्रावधान सिस्टम में ठीक से नहीं किया गया था।

5.4 अनुशंसा

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि महालेखाकार कार्यालय की प्रणाली के साथ आईएफएमआईएस की संगतता के प्रकरणों को हल किया गया है ताकि विभाग कुशलता से महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत कर सके।
- विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि सीपीडब्ल्यूए कोड और एमपीटीसी के अनुसार लेखों के संबंध प्रपत्रों का आईएफएमआईएस में प्रावधान किया गया है।

भोपाल
दिनांक: 28 अक्टूबर 2024

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्टूबर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट



परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.1.5 में संदर्भित)

संसाधनों के परिनियोजन में परिवर्तन का विवरण

स.क्र.	भूमिका	परियोजना योजना मार्च 2011 के अनुसार (कर्मियों की संख्या)	परियोजना योजना के अनुसार संसाधनों की परिनियोजन अवधि	विभाग की टिप्पणी
1	सहभागिता प्रबंधक	2	प्रथम, गो-लाइव तक प्रति तिमाही एक सप्ताह द्वितीय, नियमित	अनुपस्थित प्रतिस्थापित और एसआरएस अनुमोदन के बाद से कोई उपस्थिति नहीं
2	परियोजना प्रबंधक	2	प्रथम, गो-लाइव तक प्रति तिमाही एक सप्ताह द्वितीय, परियोजना स्थल पर पूर्णकालिक	-- अनुमति के बिना प्रतिस्थापित
3	एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन लीड	2	प्रथम, गो-लाइव तक प्रति तिमाही एक सप्ताह द्वितीय, नियमित	अप्रैल 2011 से अनुपस्थित प्रतिस्थापित
4	सिक्वोरिटी लीड	1	पहले वर्ष में 5 माह के लिए	नियमित रूप से उपलब्ध नहीं
5	नेटवर्किंग लीड	2	पहले वर्ष में 2 माह के लिए परियोजना स्थल पर चौथे माह से 16 वें माह तक	प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित
6	इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा सेंटर लीड	2	पहले वर्ष में 3 माह के लिए तीसरे माह से गो-लाइव तक	अनुपस्थित --
7	ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट प्रबंधन लीड	2	12-16 माह की अवधि में माह के दूसरे आधे भाग से	अनुपस्थित
8	क्वालिटी एश्योरेंस लीड	2	माह 11 से माह 26 तक हर तिमाही के लिए 7 दिन गो-लाइव तक प्रति माह लगातार 7 दिन	अनुमति के बिना प्रतिस्थापित अनुपस्थित --
9	डोमेन स्पेशलिस्ट फाइनेंस	2	परियोजना स्थल पर पूर्णकालिक परियोजना स्थल पर पूर्णकालिक	अप्रैल 2011 से अनुपस्थित --

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स.क्र.	भूमिका	परियोजना योजना मार्च 2011 के अनुसार (कर्मियों की संख्या)	परियोजना योजना के अनुसार संसाधनों की परिनियोजन अवधि	विभाग की टिप्पणी
10	डोमेन स्पेशलिस्ट एचआर	3	7 वें, 8 वें, 10 वें और 12 वें माह के लिए लगातार 7 दिन और 15 वें माह के लिए 15 दिन। प्रारम्भ से 8 माह के लिए 6 वें माह से गो-लाइव तक	अनुपस्थित -- --
11	डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लीडर	3	परियोजना स्थल पर पूर्णकालिक गो-लाइव तक प्रति माह लगातार 7 दिन	अनुमति के बिना प्रतिस्थापित अनुमति के बिना प्रतिस्थापित
12	वेब एडमिनिस्ट्रेटर	2	18 वें, 20 वें, 22 वें और 24 वें माह के लिए लगातार 7 दिन गो-लाइव तक पिछले 7 माह	अनुपस्थित --

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.1.6 में संदर्भित)

आरएफपी खंड-III के अनुसार किए जाने वाले ऑपरेशनल एक्सेप्स टेस्ट का विवरण

आरएफपी खंड-III का क्लॉज़	परीक्षा	कार्यप्रणाली/ तकनीक
3.2.1.1	डेटाबेस परीक्षण	(अ) डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की पूर्ण और सही स्थापना की पुष्टि करें (ब) डाटा इंटेग्रेटी परीक्षण
3.2.1.2	डेटा नमूनाकरण	(अ) डेटाबेस बैक-अप और रिकवरी परीक्षण (ब) क्लेरी परीक्षण
3.2.1.3	कार्यक्षमता परीक्षण	(स) डेटाबेस कनेक्शन परीक्षण (निर्धारित करें कि डेटाबेस सर्वर कनेक्शन की अपेक्षित संख्या को बनाए रखने में सक्षम होगा या नहीं) (अ) परीक्षण करें कि सभी मॉड्यूल में निर्दिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है (ब) जब उपयोगकर्ता सही और गलत इनपुट के साथ इनपुट प्रदान करता है तो सभी कार्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए (स) प्रारूपों का परीक्षण
3.2.1.4	इकाई परीक्षण	(अ) एकीकरण से पहले प्रत्येक मॉड्यूल या घटक को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए
3.2.1.5	सिस्टम परीक्षण	(अ) सभी निर्दिष्ट कार्यक्षमता मौजूद होनी चाहिए। यह परीक्षण सॉफ्टवेयर उत्पाद के लिए आवश्यकताओं के संबंध में अंतर्निहित प्रोग्राम की कार्यक्षमता और प्रदर्शन की पुष्टि करता है। (ब) मेनू के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले सभी सिस्टम के फ़ंक्शंस का परीक्षण किया जाना चाहिए। (स) दोष परीक्षण: कार्यान्वयन से पहले सॉफ्टवेयर दोषों का परीक्षण करें (द) संग्रह करने जैसे हाउस कीपिंग कार्य (ई) उपयोग करने में आसान: आवश्यकता विनिर्देश के अनुसार ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस (एफ) सर्वर, स्टोरेज सिस्टम शटडाउन और पावर अप परीक्षण (जी) सिस्टम बैकअप और पुनर्स्थापना परीक्षण
3.2.1.6	सुरक्षा	(अ) पासवर्ड तोड़ने का प्रयास (ब) निष्क्रिय मेनू/स्क्रीन पर टाइम आउट की सुविधा। खूली स्क्रीन का उपयोग जारी रखने के लिए उपयोगकर्ता को फिर से लॉगिन करना होगा

आएफपी बंड-III का क्वॉज़	परीक्षा	कार्यप्रणाली/ तकनीक
		(स) सुरक्षा नियंत्रणों की समीक्षा और मूल्यांकन करना
		(द) प्रवेश परीक्षण, सुरक्षा लेखापरीक्षा और कठोर अभ्यास आयोजित करें
3.2.1.7	तनाव परीक्षण	(अ) ऐसी त्रुटियों को ढूँढना जो घटनाओं या डेटा मानों के कुछ संयोजनों के अनुसार स्वयं को दिखाएँगी
		(ब) कुछ कार्यों या इनपुट की भारी पुनरावृत्ति
		(स) समय परीक्षण - यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विशिष्ट व्यावसायिक लेनदेन उचित समय में पूरा हो जाते हैं
3.2.1.8	विश्वसनीयता परीक्षण	(अ) अलग-अलग स्तरों पर लंबे समय तक उपयोग के लिए सिस्टम का परीक्षण या संभवतः चरम स्तर पर स्थिर मान
3.2.1.9	प्रदर्शन परीक्षण	(अ) निर्धारित समय के विरुद्ध सिस्टम की जांच के लिए परीक्षण
3.2.1.10	स्थिरता परीक्षण	(अ) अनुप्रयोगों में डेटा और परिणामों की स्थिरता का परीक्षण
3.2.1.11	पुनर्प्राप्ति परीक्षण	(अ) सभी प्रकार की विफलताओं के लिए सिस्टम की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना जो बिजली की विफलता तक सीमित नहीं है
3.2.1.12	ऑडिट ट्रेल	(अ) महत्वपूर्ण लेन-देन को ट्रैक करना
		(ब) सभी महत्वपूर्ण त्रुटियों को लॉग करना
3.2.1.13	बहु-उपयोगकर्ता क्षमता	(अ) परीक्षण करें कि एप्लिकेशन सिस्टम कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकता है
3.2.1.14	सहायता सूचना परीक्षण	(अ) सहायता जानकारी के लिए परीक्षण करना जो विवरण और प्रस्तुति के लिए सत्यापित किया जाएगा
3.2.1.15	सीमा परीक्षण	(अ) परीक्षण करें कि सिस्टम उस डेटा पर कैसे प्रतिक्रिया करता है जो सीमा प्राप्त करने के अर्थ में अधिकतम या न्यूनतम है
		(ब) सिस्टम को निर्दिष्ट सीमाओं से परे परीक्षण किया जाएगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या पर्याप्त मार्जिन बनाया गया है
3.2.1.16	वॉल्यूम परीक्षण	(अ) सिस्टम को डेटा की बड़ी मात्रा में सबमिट करने के लिए परीक्षण करें
3.2.1.17	सिस्टम एकीकरण परीक्षण	(ए) घटकों और घटक एकीकरण का परीक्षण
		(बी) सिस्टम इंटरफेस का परीक्षण
		(सी) एक बड़ी प्रणाली बनाने के लिए प्रत्येक सिस्टम को पूरी तरह से एकीकृत करने के बाद, प्रत्येक मॉड्यूल या सब-सिस्टम में एक परिभाषित इंटरफेस होना चाहिए जिसका उपयोग किसी अन्य प्रोग्राम घटक को कॉल करने के लिए किया जाएगा
		(डी) पैरामीटर इंटरफ़ेस: डेटा और फ़ंक्शन संदर्भ एक घटक से दूसरे में पारित किए जाते हैं
		(ई) प्रक्रिया इंटरफ़ेस: एक सब-सिस्टम प्रक्रिया के एक सेट को समाहित करती है जिसे अन्य सब-सिस्टम द्वारा कॉल किया जाता है
		(एफ) संदेश पासिंग इंटरफ़ेस: एक उप-सिस्टम दूसरे सबसिस्टम से सेवा का अनुरोध करता है

आरएफपी खंड-III का क्लोज़	परीक्षा	कार्यप्रणाली/ तकनीक
		<p>(जी) सत्यापन (पूर्णता)</p> <p>(एच) मजबूती परीक्षण</p> <p>(आई) 24x7 उपलब्धता के लिए परीक्षण</p> <p>(जे) त्रुटि का पता लगाना और पुनर्प्राप्ति परीक्षण</p> <p>(के) प्रतिक्रिया समय, शूट और उपलब्धता को मापना</p> <p>(एल) संसाधन उपयोग की निगरानी</p> <p>(एम) डेटा कनवर्जन</p>
3.2.1.18	संगतता और कॉन्फिगरेशन परीक्षण	<p>(ए) ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस संगतता</p> <p>(बी) हार्डवेयर और नेटवर्क संगतता</p> <p>(सी) हॉल के उद्योग मानकों के अनुपालन की जांच करना</p> <p>(डी) लागू होने पर उच्च संस्करण के लिए डेटा की संगतता का परीक्षण करना</p>
3.2.1.19	भंडारण परीक्षण	<p>(अ) ऐसे उदाहरणों का पता लगाने के लिए परीक्षण जब सिस्टम निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो (उदाहरण के लिए बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करना या आपूर्ति करना)</p>
3.2.1.20	इन्स्टालेशन परीक्षण	<p>(ए) इन्स्टालेशन की आसानी की जांच की जाएगी</p> <p>(बी) जहां इन्स्टालेशन गणना लागू होती है, निर्दिष्ट इन्स्टालेशन की संख्या का परीक्षण किया जाएगा। सिस्टम को निर्दिष्ट से अधिक संख्या में इन्स्टालेशन के लिए जांचा जाएगा, और अनइन्स्टाल भी किया जाएगा यह जांचने के लिए भी कि इन्स्टालेशन गिनती कम हो गई है या नहीं</p>
3.2.1.21	पर्यावरण परीक्षण	<p>(ए) एप्लिकेशन का परीक्षण किया जाएगा कि क्या यह विभिन्न वातावरणों के तहत काम करता है। उदाहरण एप्लिकेशन विभिन्न नेटवर्क पर परीक्षण किया जाएगा</p>
3.2.1.22	ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस (जीयूआई) परीक्षण	<p>सिस्टम को जी यू आई के लिए परीक्षण किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे लेकिन इन तक सीमित नहीं होंगे:</p> <p>(ए) मेनू</p> <p>(बी) संदेश बॉक्स</p> <p>(सी) कीबोर्ड इंटरफ़ेस</p> <p>(डी) कर्सर प्रबंधन</p>

आएफपी बंड-III का क्वॉज़	परीक्षा	कार्यप्रणाली/ तकनीक
		(ई) दृश्य डिजाइन
3.2.1.23	मैनुअल प्रक्रिया परीक्षण	(ए) यदि सिस्टम केवल मैनुअल सहायता के साथ काम करता है, तो एक संग्रह उपयोगिता जिसके लिए टेप के मैनुअल लोडिंग की आवश्यकता होती है या एक प्रणाली जिसे प्रसंस्करण के दौरान दूरस्थ उपकरणों के मैनुअल स्विचिंग की आवश्यकता होती है
3.2.1.24	उपयोगकर्ता सूचना परीक्षण	(ए) त्रुटियों की प्रतिकृति की अनुमति देने के लिए पर्याप्त जानकारी के साथ स्पष्टता, उपयोग में आसानी, सभी आवश्यक सिस्टम सुविधाओं के विवरण और सभी सिस्टम त्रुटि संदेशों के विवरण के लिए उपयोगकर्ता दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी
3.2.1.25	रखरखाव की क्षमता	(ए) रखरखाव की समीक्षा और मूल्यांकन
3.2.1.26	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का अनुरक्षण और निगरानी प्रदर्शन	(क) लेन/वेन वातावरण में निष्पादन
कुल	26 परीक्षण	60 कार्यप्रणाली/ तकनीक

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.2.1 में संदर्भित)

सहायता अनुदान को राजस्व खाते के बजाय नुटिपूर्ण रूप से पूंजीगत खाते में डेबिट किया गया

आईएफएमआईएस मुख्य शीर्ष कोड	संचालित मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	बिलों की संख्या	निचल बिल राशि (₹)
1687	5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	20	11,96,00,000
1703	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4	20,14,60,000
1711	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2,060	68,33,82,32,950
1733	4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	167	1,99,08,86,164
1736	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	566	1,29,85,65,002
1857	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	121	19,00,65,15,900
1896	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6	1,54,04,000
1927	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	19	1,47,63,021
1935	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	23	26,92,15,400
1951	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	19	4,48,79,07,000
महायोग			3,005	95,74,25,49,437
			महायोग करोड़ में	₹ 9,574.25 करोड़

परिशिष्ट 2.4

(कॉडिका 2.4.2.2 में संदर्भित)

सितंबर 2017 से पहले विभाग द्वारा परिहार्य परिवर्तन अनुरोध पर विचार किया जाना

स.क्र.	मॉड्यूल	के लिए आवश्यक परिवर्तन अनुरोध	आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किए गए और विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मानव-दिवस	भुगतान के लिए विभाग द्वारा विचारित किए गए मानव-दिवस	टिप्पणियां
1	बजट	बजट क्रॉस डीडीओ/ बीसीओ आवंटन परिवर्तन: एसआरएस में आवश्यकता के अनुसार ऐसी कोई प्रक्रिया परिभाषित नहीं है जिसमें बीसीओ सीधे किसी अन्य बीसीओ डीडीओ को आवंटन प्रदान कर सके। एक नई प्रक्रिया पूरी तरह से बीसीओ स्तर पर तैयार की गई है ताकि बीसीओ सीधे अन्य बीसीओ डीडीओ को आवंटित कर सके।	246.50	197.20	मध्य प्रदेश बजट मैनुअल खंड के पैरा बी 14 के प्रावधानों के विपरीत
2	बजट	योजना और गैर-योजना परिवर्तन: वित्त वर्ष 2017-18 में योजना और गैर-योजना के विलय के कारण	302.60	242.08	यह कार्य बजट लाइन मास्टर टेबल से संबंधित था और प्रतिकृति (रेप्लिका) में यह कार्य किया जाना नहीं पाया गया।
3	बजट	विलय के कारण प्रभावित टेबल	246.50	202.20	कार्य बजट लाइन मास्टर टेबल से संबंधित था।
4	अनुसंधान एवं विकास और जीएसटी	चालान पोस्टिंग प्रक्रिया में बदलाव: ऑफलाइन पोस्टिंग बैंक स्कॉल वार की अनुमति देने के लिए एकल चालान स्क्रीन, चालान वार अलग स्क्रीन को सिंगल स्क्रीन के साथ बदल दिया गया है।	175.00	139.99	एफआरएस में पहले से ही रसीद शाखा उपयोगकर्ता के लिए रसीद ई-स्कॉल की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की व्यवस्था की गई है यदि यह बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है।
			कुल	781.47	
			₹ 6,000 प्रति मानव-दिवस की दर से लाख में राशि		46.89 लाख

परिशिष्ट 2.5

(कंडिका 2.4.4 में संदर्भित)

मॉड्यूल-वार पूर्णता और सेवा स्तर अनुबंध के आधार पर भुगतान का गैर-विनियमन

(राशि ₹ में)

स.क्र.	घटक	वाय 3	वाय 4	वाय 5	वाय 6	वाय 7	वाय 8
		(तीसरा वर्ष)	(चौथा वर्ष)	(5 वां वर्ष)	(6 वां वर्ष)	(7 वां वर्ष)	(8 वें वर्ष)
1	अनुबंध के अनुसार रखरखाव और समर्थन शुल्क	1,92,11,931	1,27,87,231	1,27,87,231	1,27,87,231	1,23,44,943	1,01,33,503
2	अनुबंध के अनुसार समर्थन और वृद्धि	2,25,38,228	2,25,84,554	2,26,32,270	2,26,81,417	2,31,51,919	2,36,32,338
3	अनुबंध के अनुसार एएमसी	6,48,09,571	6,31,01,513	6,40,81,544	6,13,60,385	6,79,57,657	6,18,86,522
4	अनुबंध के अनुसार कुल	10,65,59,730	9,84,73,298	9,95,01,045	9,68,29,033	10,34,54,519	10,34,54,519
5	सौजूदा उपकरणों (अनुबंध के समय पुराने उपकरण) के रखरखाव के कारण ₹ 36,16,393 की कटौती के बाद एएमसी	6,11,93,178	5,94,85,120	6,04,65,151	5,77,43,992	6,43,41,264	5,82,70,129
6	ऑपरेशनल हाईवेयर/ सॉफ्टवेयर के अनुसार विभाग द्वारा विचार की गई एएमसी	2,69,04,070	3,85,60,456	4,91,28,853	4,69,17,870	5,22,78,254	4,73,45,365
	विभाग द्वारा किया गया भुगतान						
7	समर्थन और वृद्धि	2,25,38,228	2,25,84,554	2,26,32,270	2,26,81,417	2,31,51,919	2,36,32,338
8	एएमसी का भुगतान (ऑपरेशनल हाईवेयर/सॉफ्टवेयर के अनुसार विभाग द्वारा विचार किए गए एएमसी का प्रतिशत की दर से)	2,42,13,663	3,47,04,410	4,42,15,968	4,22,26,083	4,70,50,429	4,26,10,828
9	विभाग द्वारा भुगतान की गई कुल राशि	4,67,51,891	5,72,88,964	6,68,48,238	6,49,07,500	7,02,02,348	6,62,43,166
10	गो-लाइव मॉड्यूल के लिए बेटेज के अनुसार राशि यानी भुगतान किये गए एएमसी का 55.5 प्रतिशत	1,34,38,583	1,92,60,948	2,45,39,862	2,34,35,476	2,61,12,988	2,36,49,010

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स.क्र.	घटक	वाय 3	वाय 4	वाय 5	वाय 6	वाय 7	वाय 8
		(तीसरा वर्ष)	(चौथा वर्ष)	(5 वां वर्ष)	(6 वां वर्ष)	(7 वां वर्ष)	(8 वें वर्ष)
11	भुगतान एसएलए के प्रदर्शन का 60 प्रतिशत (10 * 60 प्रतिशत) के आधार पर किया जाना था।	80,63,150	1,15,56,569	1,47,23,917	1,40,61,286	1,56,67,793	1,41,89,406
12	भुगतान का अंतर (8-11)	1,61,50,513	2,31,47,841	2,94,92,051	2,81,64,797	3,13,82,636	2,84,21,422

कुल अंतर राशि (पंक्ति 12 का योग): ₹ 15,67,59,261 (यथा ₹ 15.67 करोड़)

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.4.4 में संदर्भित)

चालान का विवरण जिन्हें प्राप्ति के बजाय पूंजीगत परिव्यय के रूप में दर्ज किया गया

स.क्र.	ट्रांजेक्शन आईडी	रसीद की तारीख	ट्रेजरी कोड	पार्टी का नाम	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	प्रयोजन	चालान संख्या	राशि (₹ में)
1	2000198938694	08/04/20	14925	मैसर्स इंदौर प्रीमियर सी	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	शुल्क	170/99999999/4425/03/20/0000001	51,31,929
2	2000213907726	06/04/21	14925	मुख्य कार्यप अधि	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	शुल्क	170/99999999/4425/03/21/0000002	3,00,000
3	200219718546	22/09/21	9242	जिला, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, उमरिया	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	ट्रेजरी बाय-ट्रांसफर	440/99999999/4801/09/21/0000002	724
4	200219718534	22/09/21	9242	जिला, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, उमरिया	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	ट्रेजरी बाय-ट्रांसफर	440/99999999/4801/09/21/0000001	1,063
								कुल	54,33,716

परिशिष्ट 3.2 (ए)

(कंडिका 3.5.2 में संदर्भित)

बैंडर मास्टर तालिका में त्रुटिपूर्ण आईएफएससी कोड का विवरण

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050435930	देविदीन चौधरी	SBIN000405	30897843967
200050441705	मीना पटेल	PUNB099000	990000100853333
200050442271	चंद्रहास पटले	UBIN054216	421602010012356
200050448479	अशोक	SBIN000468	10990090151
200050449763	रामावरनसिंह पिता मलखानसिंह	PUNB078800	788000100019822
200050449765	राजेंद्र सिंह पिता निरभानसिंह	PUNB078800	788000100089609
200050449767	जितेंद्र सिंह पिता महादेवप्रसाद	PUNB078800	7880001000920
200050449769	मीनाबाई बेवा राजेंद्रसिंह	PUNB078800	788001700147713
200050449771	धानुकुवर बेवा भागवणसेन	PUNB078800	788001700224429
200050452243	गिरजा पीडी पिता राधेचरण	SBIN000474	10633161216
200050452329	प्रह्लाद	SBIN000474	30263019702
200050452349	फूलचंद शर्मा	SBIN000453	10801526030
200050452351	देवेंद्र आरसे	SBIN000453	20349990343
200050452353	भागवत पटेल	SBIN000453	33826124355
200050452355	रामसेवक चौवे	SBIN000453	10801486085
200050452357	हरप्रसाद पटेल	SBIN000453	10801519704
200050452377	रामसेवक पिता रामऔतार	ALLA021037	22095359158
200050455169	महरानी	UBIN055474	594702130001452
200050456475	रामसिंह पुत्र सतूलाल सोठिया	PUNB068000	680001700078454
200050457359	गोपाल सिंह	CBIN0MPDCA	183000594315

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050457369	भगीताराम कुशवाह	CBIN0MPDCA	183000978562
200050457529	श्रीमती दवी	CBIN0MPDCA	183002454059
200050458117	अतर सिंह	CBIN0MPDCA	183000823187
200050458315	मुंशी बघेल	CBIN0MPDCA	683511002836
200050458693	ऊधम सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह	CBIN028221	175000698972
200050462905	सुमित पुत्र हरिनारायण	SBIN000355	32693630843
200050464233	हीरालाल अहिरवार	SBIN000410	31112798693
200050476197	सालिकराम चार्मकर	ALLA0	2491828688
200050476441	कालूसिंह	BARB0PARAX	11960100002199
200050476451	मुनसिंह पटालिया	CNRB000474	4142101001984
200050477863	राहुल चौधरी	CBIN028163	3145103624
200050486267	कमलेश पुत्र रामायण	BIN0548146	481402010422829
200050487015	राधा	CBIN028229	3668761216
200050487069	प्रकाश चंद्र शर्मा	BARB0SATNA	24820100012486
200050488755	भारती सिंह	PUNB021400	2104001700071320
200050488769	ज्योति गौतम	SBIN001260	33187384737
200050489245	भयालाल	PUNB063800	638001700006636
200050502637	सुमित पुत्र हरिनारायण	SBIN000355	32693630843
200050502925	कमलेश ठठिया	SBIN000408	33706134360
200050503119	गुड्डी सिकरवार	SBIN000578	10526666082
200050509940	राजेश्वरी डहेरिया	SBIN000478	33384386876
200050509994	हिमांशु प्रवीण	BARB0BETUL	30720100003410
200050515418	श्रीमती शशि ठाकुर	HDFC000224	2241000032006
200050519687	दिनेश बिलवाल	SBIN000396	31853462942

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050523397	दाउजा पुत्र फूलचंद	SBIN007107	34450282716
200050533242	कल्याण सिंह पुत्र समर्थ सिंह	SBIN000218	53031040148
200050537731	रेखा वर्मा	BIN0RRMBGB	80015639171
200050537931	नसरीन मंसूरी	SBIN000408	11253064306
200050537933	अनीता जत्रे	SBIN004092	30287994353
200050539991	राघवेंद्र रामावतार पटेल	RRMBGB	8076428906
200050540101	कु अक्षता पॉलघंटवार	PUNB009100	591001500101397
200050540911	राजेश्वरी डहेरिया	SBIN000478	33384386876
200050541125	अजुलता	SBIN000390	32292877376
200050541938	कमलेश पुत्र रामायण	BIN0548146	481402010422829
200050543298	प्राण सिंह पाल	SBIN001069	34821958479
200050543300	अमर सिंह पाल	SBIN001069	34806827943
200050547860	धनराज	SBIN000544	32426565675
200050550332	ब्रजेन्द्र कोशल	CBIN028452	3423749899
200050552638	प्रेमरानी विश्वकर्मा	PUNB099000	990001700023582
200050553280	नंदराम पुत्र भीकम	SYN	77562200009864
200050557604	कल्पना	SBIN000280	20317901688
200050559174	सुहागरानी	PUNB009900	990001700128423
200050560724	राहुल पटेल	SBIN000453	33869606474
200050561924	लालबिहारी बैस	CBIN0MPDCB	685007029233
200050562040	गुड्डी गोंड	CBIN0R2000	2002041010000600
200050562124	सावनम खान 13 I	PUNB019500	1935000104124270
200050566640	मीता खेडेकर	BKID000824	882410100009145
200050567446	महेन्द्र पुत्र बोगोराम	HDFC	50100205831180

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050580886	पुखराज पुत्र भगवान	IN0005332	10048447813
200050589124	शिवकुमार भैयालाल	ALLA021037	50208954177
200050589226	कृष्णपाल मिथिला प्रसाद	SBIN000851	31056901635
200050589268	लक्ष्मी प्रसाद	ALLA02127	50265071375
200050589528	लक्ष्मण साधु	ALLA021272	50307369536
200050589888	जवाहरलाल वल्द रामप्रसाद बीआरए	PUNB044500	445000100190868
200050590602	कल्याण पुत्र धनसिंह	UBIN053749	373402011000580
200050590610	ज्ञानसिंघ पुत्र ध्यानसिंह	UBIN053349	373402010995895
200050590614	सम्राट पुत्र कल्याण	UBIN053349	373402010995599
200050592114	संग्राम	UBIN053437	373402010997722
200050592148	प्रेमबाई	UBIN053437	37402011000979
200050595604	करण सिंह पुत्र जावरलाल	SBIN003027	20336321865
200050596808	रावजी बजर 105	HDFC000036	361050033738
200050596830	राजनगर 1 कला गोयल	SBIN000388	30704188150
200050599359	शिवकुमार भैयालाल	ALLA021037	50208954177
200050599439	कृष्णपाल मिथिला प्रसाद	SBIN000851	31056901635
200050599475	लक्ष्मी प्रसाद	ALLA02127	50265071375
200050599617	लक्ष्मण साधु	ALLA021272	50307369536
200050599851	जवाहरलाल वल्द रामप्रसाद बीआरए	PUNB044500	445000100190868
200050602319	श्री अनिल कुमार	SBIN000348	10545087171
200050603319	निशा भुवनसिंह	PUNB021570	2157001500012320
200050604701	शकील अहमद	30152	32141457527
200050604703	पवन लोधी	30152	32264981154
200050604707	धर्मेंद्र सोनी	30152	35612790266

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050604709	विनोद जाटव	30152	31930647063
200050604711	दिनेश चौधरी	30152	63017555559
200050604713	मुकेश कोली	30152	30083751694
200050604715	सुमंत साहू	30152	31558209677
200050604717	सेंदपाल यादव	30152	33581090511
200050604719	सीताराम पांडे	30152	53035150226
200050604721	रोशन लाल रजक	30152	31660351605
200050604723	राजाराम पाल	30152	63025416333
200050604725	ब्रजेन्द्र सिंह यादव	30152	33584458971
200050604727	नंदराम यादव	30152	35299211670
200050604729	राजेश झाँ	30152	36042330591
200050604731	देवेंद्र शर्मा	30152	31788218921
200050606597	अनिल गुप्ता	30152	32043347468
200050606599	बलवीर जाटव	30152	34295486534
200050606601	पवन विश्वकर्मा	30088	32573924206
200050606603	राकेश रजक	30152	33733912873
200050606605	देवेंद्र भरदेनिया	30152	32999656901
200050606607	नरेंद्र चौहान	30152	53035131134
200050606609	अशीष दुबे	30088	35069382457
200050606611	नरेश भार्गव	30152	33248312640
200050606613	अंकित तिवारी	30088	63051632363
200050608618	अनिल कुमार डेहरिया	SBIN000348	33436790760
200050608626	मणिकराव मार्शकोल	SBIN000348	33060515302
200050608632	धीरा लाल झल्लू प्रसाद	PUNB027300	2723000102019730

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050608644	रामबिहारी तघलिया कोल	SBIN000474	10633097033
200050608772	मुन्नेलाल पिता रामसुजान	PUNB044500	445001700053904
200050608894	रानी बेवा उमाकांत	PUNB026700	2675000100023450
200050609814	आशक चंदभान दयाराम	PUNB027300	273000170002
200050619736	विजय	MAHB000008	60193122135
200050622786	सरोज	SYNB000771	77182250001204
200050624322	कामलेश आदाफे	PUNB008300	83001700013274
200050625416	गोरेलाल पटेल	BARB0MACHH	5070100002755
200050634648	रामसरूप पटेल	UBIN053250	325502010248167
200050634650	गणपत	UBIN053250	325502010261561
200050635680	बुइया बाई	SBIN000417	10779509799
200050638340	द्रोपती बाई श्रीवास्तव पत्नी रामबाबू	UCBA000259	2590110077634
200050638344	मोनिका श्रीवास्तव पुत्र रामबाबू	UCBA000259	2593211023845
200050638350	अंजली नरवरिया पुत्र रामदयाल	UCBA000259	2590110052693
200050638660	प्रभात कुमार ठकुरे	SBIN000468	30116692248
200050641496	माधोराव हीरालाल	PUNB013430	1390000100073390
200050643013	अर्जुन सिंह तवर	SBIN	32553765746
200050643332	पार्वती रामेश्वर	BKID0NAMRG	603510410001026
200050644796	ऊधम सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह	CBIN028221	175000698972
200050645086	सुरेंद्र प्रसाद तिवारी	UBIN054658	466502010559670
200050645870	राजभूषण सिंह	ALLA021044	50055861044
200050648392	जोषू	UBIN054179	484302010004707
200050654216	शालकू रामप्रसाद	SBIN000537	34214303217
200050654226	शंभू रामशय	SBIN000537	34281142566

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050654252	दुर्जनसिंह फूलसिंह	SBIN000537	34496418555
200050654296	पुस्परानी नन्हेलाल	BIN0MPDCBC	167000078902
200050654318	रामप्रसाद रामलाल	UBIN057032	417745175023
200050654366	मोतीलाल करोदी	UBIN057032	7300201002925
200050654368	महेंद्र शंकर	UBIN057032	20125101000013
200050654372	बलराम बट्टलाल	UBIN057032	73002010001378
200050655188	वीरसिंह पुत्र भैरोसिंह	UCBA00010	100110025765
200050657843	जगदीश	CBIN0MPDCA	180000313778
200050659218	रजनी	BARB0BHIKA	38978100016034
200050664831	वडाना वंदन स्व सहायता समूह सोनपुरा	SBIN000544	34445571975
200050665121	वाई बिस्वास	SBIN000348	10545081077
200050665129	भामरी बाई गुडबल	UCBA000259	2590110123263
200050665165	दिनेश कुमार पुत्र नर्वदा प्रसाद	PUNB008700	887000100083863
200050665349	राहुल पिता हुकुम सिंह	UBIN057685	776802010000431
200050665365	वंदना कोराव	SBIN000842	20396149326
200050668689	रीना	BARB0DEORI	4970100015230
200050669191	प्रेम लाल साहू पुत्र पंचम	CBIN028015	2347254072
200050669891	अम्बरीष शिवकुमार	SBIN001143	31684708718
200050669893	चंदादेवी शिवकुमार	SBIN001143	31689503410
200050671285	ओमप्रकाश	ALLA021087	50138711405
200050680841	माया	UCBA000146	14610110041727
200050683241	गणेशराम पुत्र नारायण सिंह धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000709702
200050683243	विमला बाई पत्नी गणेशराम धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000709611
200050683281	संध्य पत्नी रामराजसिंह धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000267059

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050683283	रामचरण दुलत सिंह धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000267162
200050683289	राजेश पुत्र बाबूलाल धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000272659
200050683293	गीताबाई पत्नी गणेशराम धतुरिया	CBIN0MPDCB	175001102529
200050683295	गणेशराम पुत्र रामप्रसाद धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000192025
200050683297	विनीता पत्नी तेजेंद्र सिंह धतुरिया	CBIN0MPDCB	175006283598
200050683299	तेजेंद्र सिंह पुत्र हरिनारायण धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000293759
200050683301	महेंद्र सिंह पुत्र हरिनारायण धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000293840
200050683303	हल्कीबाई पत्नी हरिनारायण धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000293806
200050683309	हरिनारायण पुत्र नवल सिंह धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000199348
200050683343	काशीबाई रामसिंह धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000198811
200050683345	परमलाल सिंह रामसिंह धतुरिया	CBIN0MPDCB	175000198720
200050685371	पूजा बालू चावड़ा	UCBA000114	11420100003604
200050692987	मुन्नी बाई कौरव	SBIN000372	33207652255
200050695073	राकेश राधेलाल	IBKL000040	939988016
200050695115	मंगल सिंह मान सिंह	PUNB004200	420000100238721
200050695119	राधेलाल परमानंद	PUNB004200	42000100148020
200050697273	तेजभान सिंह	BARBO	37518100001979
200050697281	प्रेम बाई सकरवार	CBIN028151	3150857788
200050697283	कुंती बाई मनेरी	CBIN028151	3388519794
200050697285	राम बाई जरहा वन	CBIN028151	3315568931
200050697287	माधुरी बाई कोल भुंडी	CBIN028151	3937759676
200050697289	किस्मत बाई राघोपुर	CBIN028151	3153478458
200050697291	अमसिया बाई बोडले	CBIN028151	3430579541
200050697293	सुमित्रा बाई करही	CBIN028151	3272570547

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वीएनडीआर_कोड	वीएनडीआर_नाम	आईएफएससी_कोड	खाता_क्र
200050697295	जानकी बाई कौडिया 63	CBIN028151	3236305083
200050697297	कौसिल्या बाई बरहैकुदरी	CBIN028151	3095528802
200050700379	इमरत पुत्र गफूर खान	UCB0000010	10100001477
200050700431	हीरालाल सनोडिया	PUNB004900	490000100714154
200050701156	आयुष साहू	SBIN002153	34798751161
200050702728	मोहम्मद आशिफ कुरैशी	ALLA021240	50263212287
200050705300	चुनवाड़ी	PUNB062400	6240001700021030
200050713147	एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	SBIN000342	10434283117
200050715258	मगन पिता लमजी	UNB0716300	7163000100041540
200050721133	भागीरथ गणपत	PUNB013900	1319001700001470
200050721463	जयंत पटेल	SBIN000355	34459857686
200050722345	प्रकाश लडका अखाडे दशनावाल	SMCB000102	53022456261
200050722827	रूपा हरदश	SBIN003004	20289177184
200050723179	प्रवीण रघुसिंह	BARB0BHARA	8340100011170
200054801953	अंबू पाठक	SBIN0RRMBGB	80008373693
200056745804	रकमणी कल्लू	BKID0008916	891610510002559
200059620130	होटल उजैनी उजैन एमपी स्टेट टूरिज्म डेव कॉर्प लिमिटेड	HDFC0004989	MPTOUR2118
200063038264	रंगोली प्रिंटर	CBIN0R20002	2002041130000320
200065588075	जगदेव तोमर	0	63044057924
200065588076	वीरेंद्र राठौर	0	2002010040510
200065588077	वीरेंद्र कौशिक	0	945210100023464
200065597948	गुजरात स्वीट्स	CBIN0MPDCAK	655001007649
200066932575	एकता	0	4063755778
200076396740	प्रखर	BARB0INDORE	6060200000719

परिशिष्ट 3.2 (बी)

(कंडिका 3.5.3 में संदर्भित)

30 जून 2020 तक विफल भुगतान लेनदेन के प्रकरण में गलत लेखा शीर्ष का विवरण

स्काल_डीटीएल_आईडी	स्काल_एचडीआर_आईडी	जमाकर्ता_नाम	स्कीम_कोड	सकल राशि (₹ में)	एचओए	निर्मित_दिनांक
200011936136	2000310952	परियोजना अधिकारी गोविंदपुरा	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	2,59,336	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:30 अप.
200011936137	2000310952	परियोजना अधिकारी गोविंदपुरा	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	8,96,088	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:30 अप.
200011936138	2000310952	परियोजना अधिकारी गोविंदपुरा	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	9,01,116	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:30 अप.
200011936139	2000310952	परियोजना अधिकारी गोविंदपुरा	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	13,62,971	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:30 अप.
200011936170	2000310952	परियोजना अधिकारी गोविंदपुरा	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	17,67,426	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:32 अप.
200011936171	2000310952	परियोजना अधिकारी गोविंदपुरा	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	27,35,392	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:32 अप.
200011936172	2000310952	परियोजना अधिकारी गोविंदपुरा	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	27,78,785	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:32 अप.
200011936173	2000310952	परियोजना अधिकारी गोविंदपुरा	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	50,60,641	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:32 अप.
200011936269	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास एसईआर फंडा भोपाल	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	16,95,454	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:38 अप.
200011936270	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास एसईआर फंडा भोपाल	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	16,43,795	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:38 अप.
200011936287	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रैजिक्शन लाइली लक्ष्मी योजना	11,37,528	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:41 अप.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स्क्राल_डीटीएल_आईडी	स्क्राल_एचडीआर_आईडी	जमाकर्ता_नाम	स्त्री_कोड	सकल राशि (₹ में)	एचओए	निमित्त_दिनांक
		एसईआर फंडा भोपाल	दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना			
200011936293	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास एसईआर फंडा भोपाल	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	9,84,636	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:41 अप.
200011936296	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास एसईआर फंडा भोपाल	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	9,40,349	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:42 अप.
200011936297	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास एसईआर फंडा भोपाल	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	9,09,052	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:42 अप.
200011936306	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास एसईआर फंडा भोपाल	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	8,82,835	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:43 अप.
200011936313	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास एसईआर फंडा भोपाल	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	8,06,454	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:44 अप.
200011936320	2000310952	परियोजना कार्यालय बाल विकास एसईआर फंडा	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	7,75,642	000-8448-00-120-0120-00	7-23-2018 2:45 अप.
200012485613	2000336968	परियोजना अधिकारी आईसीडीएस एनएमएच	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	11,85,069	000-8448-00-120-0120-00	11-2-2018 4:17 अप.
200012575393	2000343561	परियोजना अधिकारी आईसीडीएस एनएमएच	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	24,10,007	000-8448-00-120-0120-00	12-6-2018 3:30 अप.
200012791365	2000351687	परियोजना अधिकारी ग्रामीण महिला एवं बाल विकास एमएनएस	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	8,88,976	000-8448-00-120-0120-00	1-10-2019 5:10 अप.
200012791366	2000351687	परियोजना अधिकारी ग्रामीण महिला एवं बाल विकास एमएनएस	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	9,32,885	000-8448-00-120-0120-00	1-10-2019 5:10 अप.
200012847423	2000353695	पीओआईसीडीएस कसरबद	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	13,95,216	000-8448-00-120-0120-00	1-19-2019 5:28 अप.
200012847424	2000353695	पीओआईसीडीएस कसरबद	500272514~1~0120~ विफल ई-दुर्गेशन लाइली लक्ष्मी योजना	10,46,412	000-8448-00-120-0120-00	1-19-2019 5:28 अप.

स्क्राल_डीटीएल_आईडी	स्क्राल_एचडीआर_आईडी	जमाकर्ता_नाम	स्कीम_कोड	सकल राशि (₹ में)	एचओए	निमित्त_दिनांक
200013417640	2000375773	परियोजना अधिकारी गरोठ	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	11,78,398	000-8448-00-120-0120-00	4-10-2019 4:34 अप.
200013470948	2000378697	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास मल्हारगढ़ एमडीएस	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	13,26,120	000-8448-00-120-0120-00	4-25-2019 4:52 अप.
200013691801	2000390100	परियोजना अधिकारी आईसीडीएस एनएमएच	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	8,84,642	000-8448-00-120-0120-00	6-14-2019 3:22 अप.
200014329354	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	4,500	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:24 अप.
200014329444	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	6,120	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329445	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	5,000	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329446	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	6,000	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329447	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	10,760	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329454	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	37,770	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329448	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	4,279	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329449	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	15,000	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329450	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	6,052	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329451	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडकेशन लाइली लक्ष्मी योजना	11,876	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स्क्राल_डीटीएल_आईडी	स्क्राल_एचडीआर_आईडी	जमाकर्ता_नाम	स्त्रीम_कोड	सकल राशि (₹ में)	एचओए	निमित्त_दिनांक
			दुर्गैकशन लाइली लक्ष्मी योजना			
200014329452	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-	8,100	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329453	2000423930	एसबीआई मंडला	दुर्गैकशन लाइली लक्ष्मी योजना	1,00,624	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329455	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-	762	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329456	2000423930	एसबीआई मंडला	दुर्गैकशन लाइली लक्ष्मी योजना	14,040	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329457	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-	3,750	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329458	2000423930	एसबीआई मंडला	दुर्गैकशन लाइली लक्ष्मी योजना	20,000	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014329459	2000423930	एसबीआई मंडला	500272514~1~0120~ विफल ई-	44,109	000-8448-00-120-0120-00	11-1-2019 2:29 अप.
200014561091	2000435906	परियोजना अधिकारी आईसीडीएस एनएमएच	दुर्गैकशन लाइली लक्ष्मी योजना	1,90,036	000-8448-00-120-0120-00	12-20-2019 12:07 अप.
200014789013	2000443932	परियोजना अधिकारी एलसीडीएस सोंडवा जिला अलीराजपुर	500272514~1~0120~ विफल ई-	6,37,243	000-8448-00-120-0120-00	1-21-2020 2:44 अप.
200014789014	2000443932	परियोजना अधिकारी एलसीडीएस सोंडवा जिला अलीराजपुर	दुर्गैकशन लाइली लक्ष्मी योजना	7,10,052	000-8448-00-120-0120-00	1-21-2020 2:44 अप.
200014789015	2000443932	परियोजना अधिकारी एलसीडीएस सोंडवा जिला अलीराजपुर	500272514~1~0120~ विफल ई-	8,54,114	000-8448-00-120-0120-00	1-21-2020 2:44 अप.
200014789016	2000443932	परियोजना अधिकारी एलसीडीएस सोंडवा जिला अलीराजपुर	दुर्गैकशन लाइली लक्ष्मी योजना	2,55,570	000-8448-00-120-0120-00	1-21-2020 2:44 अप.

स्क्राल_डीटीएल_आईडी	स्क्राल_एचडीआर_आईडी	जमाकर्ता_नाम	स्कीम_कोड	सकल राशि (₹ में)	एचओए	निमित्त_दिनांक
200014970332	2000451906	परियोजना अधिकारी आईसीडीएस रामपुरा जिला एनएमएच	500272514~1~0120~ विफल ई-ट्रेंडेशन लाइली लक्ष्मी योजना	14,27,195	000-8448-00-120-0120-00	2-24-2020 3:34 अप.
कुल	49 प्रकरण			4,11,58,177		

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.5.5 में संदर्भित)

राजस्व वापसी के उन मामलों का विवरण जिनमें रिफंड अयोग्य पक्षों को दिया गया था, जिन्होंने मूल चालान जमा नहीं किए थे

स.क्र.	रेफ़रेबिल_डीटी एल_टीएक्सएन _आईडी	रिफंड की तारीख	मूल रूप से जमा की गई राशि (₹ में)	रिफंड की गई राशि (₹ में)	चालान संख्या	पार्टी का नाम जिसके द्वारा मूल राशि जमा की गई थी	पार्टी का नाम जिसे रिफंड दिया गया	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य	ट्रेजरी प्रदर्शन कोड	चालान की तारीख	धनवाप सी में समय अंतराल (दिन)
1	2000665419	09-09-2020	8,700	8,000.00	0030118041/051/ 280720	व च ओ पी डी	? ? ओ पी डी	0030		051	28-07-2020	43
2	2000414702	07-11-2019	14,474	1,124.00	010/1777777/865 8/11/184/55550	संभागीय परियोजना अभियंता बालाघाट	ईई रेस बालाघाट	8658	स्थानांतरण द्वारा कार्य	010	21-10-2019	17
3	2000601875	03-06-2020	150	67,275.00	014/9999999/844 3/10/19/000001	ज्ञानचंद्र जैन बारासिवनी	एसवीआई बारासिवनी	8443	किराया	014	03-10-2019	244
4	2000306304	21-05-2019	58,199	58,199.00	030/9999999/844 3/04/19/000019	0303102001	0301402001	8443	एफईपी	030	04-04-2019	47
5	2000683593	09-10-2020	27,800	27,800.00	030/9999999/844 3/06/20/000162	0302506019	0302106019	8443	भुगतान में विफलता	030	20-06-2020	111
6	2000683594	09-10-2020	27,800	27,800.00	030/9999999/844 3/06/20/000162	0302506019	0302106019	8443	भुगतान में विफलता	030	20-06-2020	111
7	2000680189	06-10-2020	27,800	27,800.00	030/9999999/844 3/06/20/000162	0302506019	0302106019	8443	भुगतान में विफलता	030	20-06-2020	108
8	2000439117	12-12-2019	1,43,900	1,43,900.00	030/9999999/844 3/11/19/000085	डीडीओ कोड 0302506024	डीडीओ कोड 0301003004	8443	विफल ई-पे	030	06-11-2019	36

स.क्र.	रेफ़रेन्स_डीटी एल_टीएक्सएन _आईडी	रिफंड की तारीख	मूल रूप से जमा की गई राशि (₹ में)	रिफंड की गई राशि (₹ में)	चालान संख्या	पार्टी का नाम जिसके द्वारा मूल राशि जमा की गई थी	पार्टी का नाम जिसे रिफंड दिया गया	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य	ट्रेजरी प्रदर्शन कोड	चालान की तारीख	धनवाप सी में समय अंतराल (दिन)
9	2000449493	02-01-2020	1,43,900	1,43,900.00	030/99999999/844 3/11/19/000085	डीडीओ कोड 0302506024	डीडीओ कोड 0301003004	8443	विफल ई-पे	030	06-11-2019	57
10	2000459442	10-01-2020	1,43,900	1,43,900.00	030/99999999/844 3/11/19/000085	डीडीओ कोड 0302506024	डीडीओ कोड 0301003004	8443	विफल ई-पे	030	06-11-2019	65
11	2000459575	10-01-2020	1,43,900	1,43,900.00	030/99999999/844 3/11/19/000085	डीडीओ कोड 0302506024	डीडीओ कोड 0301003004	8443	विफल ई-पे	030	06-11-2019	65
12	2000641599	31-07-2020	60,660	2,000.00	030/99999999/844 3/12/19/000001	डीएफओ पी बैतूल	0300709002	8443	व्यक्तिगत जमा	030	02-12-2019	242
13	2000663928	07-09-2020	60,660	2,000.00	030/99999999/844 3/12/19/000001	डीएफओ पी बैतूल	0300709002	8443	व्यक्तिगत जमा	030	02-12-2019	280
14	2000415928	08-11-2019	78,018	78,018.00	044/99999999/844 3/11/19/000002	डीडीओ कोड सीईओ मेहगांव	डीडीओ कोड 0442003049 बीईओ मेहगांव	8443	एनए	044	04-11-2019	4
15	2000126046	30-07-2018	20,000	1,22,306.00	070/99999999/844 3/05/18/000012	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0705802015	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0701003003	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	70
16	2000225781	19-12-2018	7,75,294	7,500.00	070/99999999/844 3/05/18/000015	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 07002506001	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0705002001	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	212
17	200014334	19-05-2018	7,384	12,52,500.00	070/99999999/844 3/05/18/000016	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0701003001	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0700405999	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	-2
18	200014244	18-05-2018	7,384	12,52,500.00	070/99999999/844	एसबीआई	एसबीआई	8443	विफल ई	070	21-05-2018	-3

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स.क्र.	रेफ़रेन्स_डीटी एल_टीएसएन _आईडी	रिफंड की तारीख	मूल रूप से जमा की गई राशि (₹ में)	रिफंड की गई राशि (₹ में)	चालान संख्या	पार्टी का नाम जिसके द्वारा मूल राशि जमा की गई थी	पार्टी का नाम जिसे रिफंड दिया गया	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य	ट्रेजरी प्रदर्शन कोड	चालान की तारीख	धनवाप सी में समय अंतराल (दिन)
					3/05/18/000016	सीडब्ल्यूए, 0701003001	सीडब्ल्यूए, 0700405999		भुगतान			
19	200036006	06-06-2018	7,241	65,500.00	070/99999999/844 3/05/18/000018	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0701003001	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0703502001	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	16
20	2000182892	10-09-2018	4,560	6,055.00	070/99999999/844 3/05/18/000019	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0701402001	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0701003004	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	112
21	2000122631	26-07-2018	10,150	7,38,622.00	070/99999999/844 3/05/18/000020	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0705002001	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0700709004	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	66
22	200029109	01-06-2018	1,48,842	30,870.00	070/99999999/844 3/05/18/000021	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0701003003	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0700709004	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	11
23	2000136040	06-08-2018	6,000	49,703.00	070/99999999/844 3/05/18/000022	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0705002001	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0700709004	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	77
24	200084948	03-07-2018	19,581	44,640.00	070/99999999/844 3/05/18/000024	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0705403001	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0700704013	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	43
25	2000189324	19-09-2018	47,075	10,000.00	070/99999999/844 3/05/18/000025	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0701003003	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0703802002	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	121
26	2000198768	06-10-2018	47,075	10,000.00	070/99999999/844	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0701003003	एसबीआई सीडब्ल्यूए, 0703802002	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	138

स.क्र.	रेफ़रेन्स_डीटी एल_टीएसएन _आईडी	रिफंड की तारीख	मूल रूप से जमा की गई राशि (₹ में)	रिफंड की गई राशि (₹ में)	चालान संख्या	पार्टी का नाम जिसके द्वारा मूल राशि जमा की गई थी	पार्टी का नाम जिसे रिफंड दिया गया	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य	ट्रेजरी प्रदर्शन कोड	चालान की तारीख	धनवाप सी में समय अंतराल (दिन)
					3/05/18/000025	0701003003	0703802002					
27	200013754	18-05-2018	1,326	7,500.00	070/99999999/844 3/05/18/000026	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0704206005	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0700709004	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	-3
28	2000184896	11-09-2018	1,326	7,500.00	070/99999999/844 3/05/18/000026	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0704206005	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0700709004	8443	विफल ई भुगतान	070	21-05-2018	113
29	200062983	22-06-2018	2,581	22,742.00	070/99999999/844 3/05/18/000027	कुम्हट पालन इमलीखेड़ा	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0702506009	8443	पी डी	070	21-05-2018	32
30	2000119091	24-07-2018	2,581	22,742.00	070/99999999/844 3/05/18/000027	कुम्हट पालन इमलीखेड़ा	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0702506009	8443	पी डी	070	21-05-2018	64
31	200084946	03-07-2018	4,362	2,23,910.00	070/99999999/844 3/05/18/000028	कुम्हट पालन इमलीखेड़ा	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0700704013	8443	पी डी	070	21-05-2018	43
32	200091050	06-07-2018	5,290	6,450.00	070/99999999/844 3/05/18/000029	कुम्हट पालन इमलीखेड़ा	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0702003006	8443	पी डी	070	21-05-2018	46
33	200093035	07-07-2018	5,290	6,450.00	070/99999999/844 3/05/18/000029	कुम्हट पालन इमलीखेड़ा	एसबीआई सीडब्ल्यूए 0702003006	8443	पी डी	070	21-05-2018	47
34	2000420730	15-11-2019	20,000	13,800.00	162/99999999/844 3/11/19/000004	एसबीआई इटारसी	एसबीआई आईटी 1622506008	8443	विफल ट्रैजिक्शन	162	21-11-2019	-6

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स.क्र.	रेफ़रेन्सिल_डीटी एल_टीएक्सएन _आईडी	रिफंड की तारीख	मूल रूप से जमा की गई राशि (₹ में)	रिफंड की गई राशि (₹ में)	चालान संख्या	पार्टी का नाम जिसके द्वारा मूल राशि जमा की गई थी	पार्टी का नाम जिसे रिफंड दिया गया	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य	ट्रेजरी प्रदर्शन कोड	चालान की तारीख	धनवाप सी में समय अंतराल (दिन)
35	2000440661	16-12-2019	20,000	9,958.00	162/99999999/844 3/12/19/000002	एसबीआई	एसबीआई आईटी 1623102009	8443	विफल	162	11-12-2019	5
36	2000648511	11-08-2020	65,899	76,838.00	351/99999999/844 3/03/20/000003	प्राचार्य शासकीय डिग्री कॉलेज 3513802003	तहसीलदार जावर 3510709002	8443	विफल ई भुगतान	351	18-03-2020	146
37	2000667980	14-09-2020	65,899	59,187.00	351/99999999/844 3/03/20/000003	प्राचार्य शासकीय डिग्री कॉलेज 3513802003	तहसीलदार जावर 3510709002	8443	विफल ई भुगतान	351	18-03-2020	180
37 प्रकरण				49,22,889								

परिशिष्ट 3.4 (अ)

(कड़िका 3.6.2 में संदर्भित)

वर्ष 2019-20 के लिए बजट आंकड़ों की तुलना

(राशि ₹ में)

वर्ष से	वर्ष तक	बीसीओ को बजट आवंटन				बजट तालिका के अनुसार बजट				भारतों में अंतर (8-5)
		मांग	मददेय	भारित	जीएनसीडी	मददेय	भारित	मददेय में अंतर (7-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2019	2020	.	-	1,44,32,07,48,000	.	-	1,44,32,07,48,000	-	-	
2019	2020	..	-	1,48,03,33,73,000	..	-	1,48,03,33,73,000	-	-	
2019	2020	001	7,01,07,20,598	62,25,01,000	001	7,54,32,59,404	34,80,01,750	53,25,38,806	-27,44,99,250	
2019	2020	002	92,60,17,000	-	002	99,97,28,000	-	7,37,11,000	-	
2019	2020	003	75,57,16,17,906	1,21,60,000	003	76,47,52,36,000	1,52,00,000	90,36,18,094	30,40,000	
2019	2020	004	66,87,72,200	1,44,000	004	79,26,08,000	1,80,000	12,38,35,800	36,000	
2019	2020	005	4,21,72,93,600	-	005	4,30,16,71,000	-	8,43,77,400	-	
2019	2020	006	1,18,11,61,93,700	1,04,82,24,200	006	1,46,23,63,60,543	1,30,98,53,000	28,12,01,66,843	26,16,28,800	
2019	2020	007	33,24,54,74,000	15,68,000	007	34,80,95,41,000	19,60,000	1,56,40,67,000	3,92,000	
2019	2020	008	20,62,47,49,400	2,16,24,000	008	20,82,44,09,001	2,06,34,000	19,96,59,601	-9,90,000	
2019	2020	009	26,36,03,600	-	009	27,88,21,000	-	1,52,17,400	-	
2019	2020	010	27,23,09,64,802	72,00,000	010	23,80,01,94,201	90,00,000	-3,43,07,70,601	18,00,000	
2019	2020	011	10,12,11,97,000	-	011	10,48,99,37,001	-	36,87,40,001	-	
2019	2020	012	97,35,36,06,800	5,76,10,07,200	012	1,06,72,89,94,000	7,20,12,59,000	9,37,53,87,200	1,44,02,51,800	
2019	2020	013	2,02,54,27,82,200	32,00,000	013	2,26,08,44,94,105	40,00,000	23,54,17,11,905	8,00,000	
2019	2020	014	11,33,69,78,400	15,86,000	014	11,82,64,67,001	17,86,000	48,94,88,601	2,00,000	
2019	2020	015	1,600	-	015	2,000	-	400	-	
2019	2020	016	98,25,69,600	17,17,500	016	1,00,90,65,000	20,16,500	2,64,95,400	2,99,000	
2019	2020	017	22,66,12,53,800	48,000	017	25,11,46,23,000	60,000	2,45,33,69,200	12,000	
2019	2020	018	8,15,05,78,600	2,37,800	018	9,25,94,56,000	2,71,000	1,10,88,77,400	33,200	

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष से	बीसीओ को बजट आवंटन				बजट तालिका के अनुसार बजट				भारतों में अंतर (8-5)
	वर्ष तक	मांग	मदद	भारत	जीएनसीडी	मदद	भारत	मदद में अंतर (7-4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	2020	019	74,66,49,74,600	7,20,00,000	019	76,47,67,83,003	7,25,00,000	1,81,18,08,403	5,00,000
2019	2020	020	40,49,77,74,800	5,30,00,000	020	32,90,27,56,000	5,50,00,000	-7,59,50,18,800	20,00,000
2019	2020	021	73,67,41,200	-	021	81,39,50,000	-	7,72,08,800	-
2019	2020	022	85,18,77,54,800	15,40,00,000	022	85,57,28,61,009	15,50,00,000	38,51,06,209	10,00,000
2019	2020	023	73,37,45,57,700	1,16,00,000	023	80,26,30,70,907	1,16,00,000	6,88,85,13,207	-
2019	2020	024	81,50,92,97,000	3,20,00,00,000	024	86,42,08,20,604	3,20,00,00,000	4,91,15,23,604	-
2019	2020	025	3,54,17,34,400	5,61,64,00,000	025	3,30,65,39,000	7,02,05,00,000	-23,51,95,400	1,40,41,00,000
2019	2020	026	2,03,15,11,000	80,000	026	2,26,13,22,000	1,00,000	22,98,11,000	20,000
2019	2020	027	1,68,76,09,46,200	-	027	1,69,61,42,96,001	-	85,33,49,801	-
2019	2020	028	95,04,26,400	61,81,800	028	96,39,29,000	61,85,000	1,35,02,600	3,200
2019	2020	029	19,02,29,81,200	1,79,05,11,200	029	15,88,94,75,001	1,83,16,84,000	-3,13,35,06,199	4,11,72,800
2019	2020	030	39,73,73,81,000	3,84,800	030	39,25,55,58,000	4,81,000	-48,18,23,000	96,200
2019	2020	031	2,53,97,39,200	48,000	031	2,58,73,49,101	60,000	4,76,09,901	12,000
2019	2020	032	3,70,94,44,800	8,000	032	4,50,07,85,000	10,000	79,13,40,200	2,000
2019	2020	033	89,17,85,22,000	4,40,000	033	88,70,17,54,001	5,50,000	-47,67,67,999	1,10,000
2019	2020	034	8,64,88,46,487	1,44,000	034	9,37,91,53,204	1,80,000	73,03,06,717	36,000
2019	2020	035	9,82,80,69,400	800	035	11,21,93,86,000	1,000	1,39,13,16,600	200
2019	2020	036	1,10,05,81,600	1,92,000	036	1,12,30,38,000	2,40,000	2,24,56,400	48,000
2019	2020	037	2,15,92,83,600	96,000	037	2,39,33,69,000	1,20,000	23,40,85,400	24,000
2019	2020	038	5,53,13,43,400	8,00,000	038	5,57,78,24,000	10,00,000	4,64,80,600	2,00,000
2019	2020	039	13,12,39,91,800	1,00,000	039	15,50,45,61,102	1,25,000	2,38,05,69,302	25,000
2019	2020	040	36,70,75,23,264	54,00,000	040	37,03,38,65,101	60,00,000	32,63,41,837	6,00,000
2019	2020	041	800	-	041	1,000	-	200	-
2019	2020	042	1,29,35,86,400	800	042	1,34,42,52,000	1,000	5,06,65,600	200

वर्ष से	बीसीओ को बजट आवंटन					बजट तालिका के अनुसार बजट					भारतों में अंतर (8-5)
	वर्ष तक	मांग	भारत			जीएनसीडी	भारत		मददेय में अंतर (7-4)	10	
			मददेय	5	6		7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2019	2020	043	1,90,43,06,600	4,00,000	043	2,01,22,42,000	5,00,000	10,79,35,400	1,00,000		
2019	2020	044	25,35,78,54,200	8,00,000	044	25,69,69,78,000	10,00,000	33,91,23,800	2,00,000		
2019	2020	045	1,61,92,77,000	4,00,000	045	1,62,86,69,000	4,00,000	93,92,000	-		
2019	2020	046	2,16,85,02,400	-	046	2,46,71,92,000	-	29,86,89,600	-		
2019	2020	047	16,14,13,44,000	4,80,000	047	16,70,32,83,000	6,00,000	56,19,39,000	1,20,000		
2019	2020	048	33,23,95,69,200	35,00,000	048	30,71,57,64,000	3,27,00,000	-2,52,38,05,200	2,92,00,000		
2019	2020	049	14,23,28,05,400	8,00,000	049	14,54,70,31,000	10,00,000	31,42,25,600	2,00,000		
2019	2020	050	9,95,18,31,000	96,000	050	11,27,19,64,000	1,20,000	1,32,01,33,000	24,000		
2019	2020	051	86,55,23,400	40,000	051	1,09,32,88,102	50,000	22,77,64,702	10,000		
2019	2020	052	24,56,09,83,200	-	052	23,00,20,39,000	-	-1,55,89,44,200	-		
2019	2020	053	2,58,17,67,71,200	-	053	2,70,45,46,37,000	-	12,27,78,65,800	-		
2019	2020	054	1,51,36,97,600	-	054	1,60,92,16,000	-	9,55,18,400	-		
2019	2020	055	50,68,14,94,200	12,00,000	055	49,94,84,23,434	13,00,000	-73,30,70,766	1,00,000		
2019	2020	056	1,54,26,86,400	48,000	056	1,70,08,77,000	60,000	15,81,90,600	12,000		
2019	2020	057	1,000	-	057	1,000	-	-	-		
2019	2020	058	33,83,83,30,000	-	058	1,47,03,78,27,000	-	1,13,19,94,97,000	-		
2019	2020	059	14,00,00,00,000	-	059	14,00,00,00,000	-	-	-		
2019	2020	060	3,32,23,33,000	-	060	3,42,23,33,003	-	10,00,00,003	-		
2019	2020	061	2,73,17,400	-	061	2,73,18,000	-	600	-		
2019	2020	062	2,11,26,46,600	57,600	062	2,11,40,77,000	72,000	14,30,400	14,400		
2019	2020	063	32,17,07,600	-	063	33,23,68,000	-	1,06,60,400	-		
2019	2020	064	69,00,72,15,200	6,01,73,60,000	064	75,16,85,75,003	6,02,17,00,000	6,16,13,59,803	43,40,000		
2019	2020	065	1,02,95,84,000	-	065	1,07,74,46,000	-	4,78,62,000	-		
2019	2020	066	8,90,50,75,400	-	066	8,94,53,83,000	-	4,03,07,600	-		

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष से	बीसीओ को बजट आवंटन			बजट तालिका के अनुसार बजट			मददेय में अंतर (7-4)	भारतों में अंतर (8-5)	
	वर्ष तक	मांग	मददेय	भारत	जीएनसीडी	मददेय			भारत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	2020	067	8,26,66,85,000	2,40,00,000	067	8,93,18,98,101	3,00,00,000	66,52,13,101	60,00,000
2019	2020	068	2,18,79,86,000	-	068	2,71,21,91,000	-	52,42,05,000	-
2019	2020	069	29,70,76,600	-	069	31,51,11,000	-	1,80,34,400	-
2019	2020	070	88,20,200	-	070	90,93,000	-	2,72,800	-
2019	2020	071	30,86,36,800	-	071	35,54,42,000	-	4,68,05,200	-
2019	2020	072	1,800	-	072	2,000	-	200	-
		योग	19,90,45,14,50,257	3,16,79,59,07,700		21,96,98,22,32,933	3,19,71,91,81,250	2,06,53,07,82,676	2,92,32,73,550

परिशिष्ट 3.4 (बी)
(कड़िका 3.6.2 में संदर्भित)
वर्ष 2020-21 के लिए बजट आंकड़ों की तुलना

वर्ष से	वर्ष तक	बीसीओ को बजट आवंटन				बजट तालिका के अनुसार बजट				स्वीकृतियों में अंतर (7-4)	भारतों में अंतर (8-5)
		मांग	स्वीकृत	भारत	जीएनसीडी	स्वीकृत	भारत	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2020	2021	.	-	1,71,15,23,54,700	.	-	1,70,09,31,46,100	-	-1,05,92,08,600		
2020	2021	..	-	1,82,23,92,43,400	..	-	1,63,46,13,06,000	-	-18,77,79,37,400		
2020	2021	001	7,75,77,22,000	61,04,01,600	1	7,52,53,04,000	39,97,20,100	-23,24,18,000	-21,06,81,500		
2020	2021	002	1,34,43,45,600	-	2	1,33,93,76,000	-	-49,69,600	-		
2020	2021	003	80,23,08,60,100	1,52,50,000	3	79,96,92,92,700	1,52,50,000	-26,15,67,400	-		
2020	2021	004	97,05,03,500	3,00,000	4	94,91,44,000	3,00,000	-2,13,59,500	-		
2020	2021	005	4,55,88,39,500	-	5	4,52,28,11,000	-	-3,60,28,500	-		
2020	2021	006	1,74,62,09,67,600	3,30,12,31,800	6	1,74,26,92,61,400	3,30,05,47,000	-35,17,06,200	-6,84,800		
2020	2021	007	37,40,01,58,100	23,00,000	7	37,34,00,82,000	23,00,000	-6,00,76,100	-		
2020	2021	008	36,98,82,98,500	4,08,49,800	8	36,74,27,52,000	3,98,49,000	-24,55,46,500	-10,00,800		
2020	2021	009	74,26,75,000	-	9	12,59,12,000	-	-61,67,63,000	-		
2020	2021	010	28,28,25,04,900	48,80,000	10	23,89,54,82,500	45,99,000	-4,38,70,22,400	-2,81,000		
2020	2021	011	9,88,03,87,400	25,000	11	9,11,12,29,000	25,000	-76,91,58,400	-		
2020	2021	012	1,18,81,62,04,200	1,000	12	1,09,76,19,37,000	1,000	-9,05,42,67,200	-		
2020	2021	013	1,46,70,96,07,000	34,00,000	13	1,40,62,21,29,000	34,00,000	-6,08,74,78,000	-		
2020	2021	014	9,91,53,60,800	13,88,000	14	9,43,97,75,000	13,88,000	-47,55,85,800	-		
2020	2021	015	25,63,75,000	1,00,000	15	25,45,75,000	1,00,000	-18,00,000	-		
2020	2021	016	1,29,57,52,700	17,35,000	16	1,28,30,32,000	17,35,000	-1,27,20,700	-		
2020	2021	017	9,86,73,11,800	2,00,000	17	6,40,97,14,000	2,00,000	-3,45,75,97,800	-		
2020	2021	018	9,84,70,01,500	3,37,600	18	9,75,54,48,000	3,00,000	-9,15,53,500	-37,600		

(राशि ₹ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष से	बीसीओ को बजट आवंटन				बजट तालिका के अनुसार बजट				स्वीकृतियों में अंतर (7-4)	भारतों में अंतर (8-5)
	वर्ष तक	मांग	स्वीकृत	भारत	जीएनसीडी	स्वीकृत	भारत	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2020	2021	019	76,38,47,91,300	25,50,000	19	75,63,13,52,900	25,50,000	-75,34,38,400	-	
2020	2021	020	51,46,04,33,400	5,00,00,000	20	42,17,56,29,000	5,00,00,000	-9,28,48,04,400	-	
2020	2021	021	62,37,41,000	-	21	62,35,01,000	-	-2,40,000	-	
2020	2021	022	68,49,63,50,500	10,11,00,000	22	56,92,51,44,000	10,11,00,000	-11,57,12,06,500	-	
2020	2021	023	68,91,24,33,700	1,05,12,000	23	63,05,48,18,400	1,00,00,000	-5,85,76,15,300	-5,12,000	
2020	2021	024	68,13,08,72,400	2,55,00,00,000	24	65,81,65,95,000	2,55,00,00,000	-2,31,42,77,400	-	
2020	2021	025	58,26,83,200	7,50,05,00,000	25	33,14,06,000	7,50,05,00,000	-25,12,77,200	-	
2020	2021	026	1,72,24,18,700	2,00,000	26	1,63,53,33,000	2,00,000	-8,70,85,700	-	
2020	2021	027	1,90,11,29,71,900	2,00,000	27	1,89,49,38,34,000	2,00,000	-61,91,37,900	-	
2020	2021	028	98,10,09,200	65,22,800	28	97,62,28,000	65,21,000	-47,81,200	-1,800	
2020	2021	029	19,77,83,77,000	1,72,15,91,800	29	17,70,92,48,900	1,70,41,59,000	-2,06,91,28,100	-1,74,32,800	
2020	2021	030	38,02,91,08,700	7,04,200	30	37,15,80,55,000	6,81,000	-87,10,53,700	-23,200	
2020	2021	031	1,05,54,06,800	1,00,000	31	1,05,08,45,000	1,00,000	-45,61,800	-	
2020	2021	032	3,56,26,08,500	10,000	32	3,55,36,94,000	10,000	-89,14,500	-	
2020	2021	033	98,89,40,88,300	5,00,000	33	89,94,90,78,100	5,00,000	-8,94,50,10,200	-	
2020	2021	034	7,44,33,38,230	1,20,000	34	7,38,24,28,630	1,20,000	-6,09,09,600	-	
2020	2021	035	7,69,17,78,000	2,000	35	6,86,74,73,000	2,000	-82,43,05,000	-	
2020	2021	036	1,10,74,27,300	4,00,000	36	1,10,68,85,100	4,00,000	-5,42,200	-	
2020	2021	037	1,05,39,05,300	80,000	37	1,01,54,49,000	80,000	-3,84,56,300	-	
2020	2021	038	5,93,48,76,466	8,00,000	38	5,62,89,34,666	8,00,000	-30,59,41,800	-	
2020	2021	039	9,22,20,07,000	1,10,000	39	8,82,50,73,400	1,10,000	-39,69,33,600	-	
2020	2021	040	37,62,57,78,600	30,00,000	40	36,81,04,22,000	30,00,000	-81,53,56,600	-	
2020	2021	041	90,93,000	-	41	90,93,000	-	-	-	
2020	2021	042	1,35,00,22,700	1,000	42	1,31,93,11,000	1,000	-3,07,11,700	-	

वर्ष से	बीसीओ को बजट आवंटन				बजट तालिका के अनुसार बजट				स्वीकृतियों में अंतर (7-4)	भारतों में अंतर (8-5)
	वर्ष तक	मांग	स्वीकृत	भारत	जीएनसीडी	स्वीकृत	भारत	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2020	2021	043	1,64,18,56,500	5,00,000	43	1,55,75,49,000	5,00,000	-8,43,07,500	-	
2020	2021	044	30,63,28,88,000	10,00,000	44	30,38,77,42,000	10,00,000	-24,51,46,000	-	
2020	2021	045	1,000	-	45	1,000	-	-	-	
2020	2021	046	1,62,56,83,400	-	46	1,50,92,90,000	-	-11,63,93,400	-	
2020	2021	047	12,97,17,17,400	4,00,000	47	12,40,53,67,000	4,00,000	-56,63,50,400	-	
2020	2021	048	51,90,71,22,200	63,20,000	48	48,77,78,63,000	60,00,000	-3,12,92,59,200	-3,20,000	
2020	2021	049	15,29,84,33,700	10,00,000	49	14,98,27,37,000	10,00,000	-31,56,96,700	-	
2020	2021	050	6,31,31,09,900	1,00,000	50	6,15,26,36,000	1,00,000	-16,04,73,900	-	
2020	2021	051	61,89,17,100	1,50,000	51	50,14,42,000	1,50,000	-11,74,75,100	-	
2020	2021	052	21,67,64,75,900	-	52	20,30,87,13,000	-	-1,36,77,62,900	-	
2020	2021	053	2,13,66,77,43,200	-	53	2,03,23,21,62,800	-	-10,43,55,80,400	-	
2020	2021	054	1,83,39,50,500	-	54	1,64,14,21,000	-	-19,25,29,500	-	
2020	2021	055	53,26,08,00,400	4,80,000	55	51,13,41,85,000	2,15,000	-2,12,66,15,400	-2,65,000	
2020	2021	056	1,15,62,35,100	1,00,000	56	1,09,71,63,000	1,00,000	-5,90,72,100	-	
2020	2021	057	42,87,33,400	-	57	41,37,69,200	-	-1,49,64,200	-	
2020	2021	058	1,05,48,04,81,600	10,000	58	78,13,58,31,000	10,000	-27,34,46,50,600	-	
2020	2021	059	11,31,28,00,000	-	59	11,31,28,00,000	-	-	-	
2020	2021	060	7,08,70,42,800	-	60	7,00,23,42,000	-	-8,47,00,800	-	
2020	2021	061	3,00,17,800	-	61	4,50,16,000	-	1,49,98,200	-	
2020	2021	062	2,00,49,53,200	50,000	62	2,00,27,01,000	50,000	-22,52,200	-	
2020	2021	063	1,22,71,05,100	-	63	1,19,28,11,900	-	-3,42,93,200	-	
2020	2021	064	80,89,22,60,400	7,20,05,44,000	64	74,37,54,71,000	7,20,00,00,000	-6,51,67,89,400	-5,44,000	
2020	2021	065	1,27,80,05,800	-	65	1,27,78,15,000	-	-1,90,800	-	
2020	2021	066	9,23,20,44,700	-	66	9,19,92,87,000	-	-3,27,57,700	-	

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष से	बीसीओ को बजट आवंटन			बजट तालिका के अनुसार बजट			स्वीकृतियों में अंतर (7-4)	भारतों में अंतर (8-5)	
	वर्ष तक	मांग	स्वीकृत	भारत	जीएसटीडी	स्वीकृत			भारत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	2021	067	5,11,09,77,600	2,00,00,000	67	4,85,00,30,000	2,00,00,000	-26,09,47,600	-
2020	2021	068	4,00,00,000	-	68	4,00,00,000	-	-	-
	योग		20,76,37,97,53,096	3,76,55,36,55,700		19,51,90,32,34,598	3,56,48,47,25,200	-1,24,47,65,18,498	-20,06,89,30,500

परिशिष्ट 3.5
(कंडिका 3.6.3 में संदर्भित)
केवल एक स्तर पर समर्पित ट्रांजेक्शन्स का विवरण दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	विभाग कोड	विभाग का नाम	उपयोगकर्ता द्वारा संचालित डीडीओ कार्यालयों की संख्या				स्तर 10 के अनुसार		स्तर 20 के अनुसार लेनदेन		स्तर 30 के अनुसार लेनदेन		(राशि लाख में) कुल लेन-देन	
			स्तर 10	स्तर 20	स्तर 30	कुल डीडीओ	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	1	सामान्य प्रशासन	17	8	38	63	123	207.11	61	618.89	304	343.78	488	1,169.78
2	10	वन	35	17	59	111	362	1,281.53	81	499.98	1,623	6,646.86	2,066	8,428.38
3	11	वाणिज्य एवं उद्योग			2	2	-	-		-	12	901.42	12	901.42
4	12	खनिज साधन	1		2	3	3	0.27		-	15	2.43	18	2.71
5	13	ऊर्जा विभाग	1	1	1	3	4	0.15	4	-	2	0.02	10	0.17
6	14	कृषि	56	22	93	171	343	3,512.34	105	604.14	1,640	4,814.58	2,088	8,931.06
7	15	सहकारिता	4	1	6	11	6	1.27	2	0.05	20	3,155.88	28	3,157.20
8	16	श्रम	8	6	8	22	20	2.55	42	34.60	18	1.63	80	38.79
9	17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	33	18	70	121	236	580.47	134	590.93	1,327	1,889.42	1,697	3,060.81
10	18	शहरी विकास एवं पर्यावरण	8	2	14	24	54	312.82	4	0.06	147	4,31,383.27	205	4,31,696.15
11	19	लोक निर्माण	22	4	27	53	75	975.70	7	223.86	93	5,371.13	175	6,570.69
12	2	गृह	51	32	95	178	611	774.58	306	281.28	2,117	5,098.62	3,034	6,154.48
13	20	स्कूल शिक्षा	49	31	95	175	320	14,525.65	259	2,232.40	877	7,026.43	1,456	23,784.48
14	21	विधि और विधायी कार्य	17	5	22	44	264	985.80	52	313.62	708	1,031.42	1,024	2,330.84
15	22	पंचायत	9	4	3	16	33	508.41	17	469.35	28	29.55	78	1,007.31
16	23	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	10	9	22	41	43	278.58	42	85.47	264	1,627.93	349	1,991.98
17	24	जनसंपर्क विभाग	11	7	28	46	167	220.27	46	3.50	292	267.27	505	491.03

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	विभाग कोड	विभाग का नाम	उपयोगकर्ता द्वारा संचालित डीडीओ कार्यालयों की संख्या					स्तर 10 के अनुसार		स्तर 20 के अनुसार लेनदेन		स्तर 30 के अनुसार लेनदेन		कुल लेन-देन	
			स्तर 10	स्तर 20	स्तर 30	कुल डीडीओ	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या
18	25	जनजातीय कार्य विभाग	37	34	105	176	271	1,954.66	308	4,838.30	2,372	19,638.54	2,951	26,431.50	
19	26	समाज कल्याण	22	10	42	74	188	358.53	44	22.39	471	2,572.94	703	2,953.86	
20	27	नर्मदा घाटी विकास	22	8	24	54	105	746.53	22	165.89	149	107.64	276	1,020.06	
21	29	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	14	9	31	54	72	10.93	38	14.92	218	98.26	328	124.12	
22	3	जेल	17	5	46	68	161	65.11	8	1.33	427	270.56	596	337.00	
23	30	संस्कृति	5	5	4	14	26	2.03	23	216.14	47	19.90	96	238.07	
24	31	जल संसाधन विभाग	23	5	31	59	61	341.90	46	14.28	125	5,237.99	232	5,594.17	
25	34	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	22	10	46	78	137	2,063.66	28	158.23	370	4,066.41	535	6,288.29	
26	35	पशुपालन और डेयरी फार्मिंग विभाग	10	6	18	34	115	27.15	30	8.51	328	92.78	473	128.44	
27	36	मत्स्य पालन	17	5	30	52	77	36.67	23	26.07	297	206.70	397	269.43	
28	38	उच्च शिक्षा	58	23	118	199	166	383.23	69	143.95	757	1,724.92	992	2,252.10	
29	4	वित्त	15	11	46	72	74	12.11	88	28.41	362	5,246.43	524	5,286.95	
30	42	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	73	39	124	236	306	14,422.24	162	394.29	924	17,696.24	1,392	32,512.77	
31	47	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	2	2	2	6	40	79.82	38	19.15	52	115.45	130	214.42	
32	5	वाणिज्यिक कर	20	8	42	70	98	42.72	41	9.93	344	9,826.37	483	9,879.03	
33	50	महिला एवं बाल विकास	35	21	85	141	370	1,947.73	376	1,110.13	2,497	8,101.12	3,243	11,158.98	
34	52	ग्रामोद्योग	5	2	7	14	26	17.55	2	0.85	35	27.99	63	46.40	

स. क्र.	विभाग कोड	विभाग का नाम	उपयोगकर्ता द्वारा संचालित डीडीओ कार्यालयों की संख्या				स्तर 10 के अनुसार		स्तर 20 के अनुसार लेनदेन		स्तर 30 के अनुसार लेनदेन		कुल लेन-देन	
			स्तर 10	स्तर 20	स्तर 30	कुल डीडीओ	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
35	53	चिकित्सा शिक्षा	12	3	14	29	135	1,983.99	15	69.55	216	3,784.26	366	5,837.80
36	54	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग	24	12	35	71	305	2,188.93	189	295.36	965	1,755.00	1,459	4,239.29
37	55	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	1	1		2	7	196.63	15	17.70		-	22	214.33
38	58	ग्रामीण विकास	66	35	132	233	375	3,455.61	145	1,573.18	1,148	30,068.53	1,668	35,097.32
39	59	उद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण	28	15	48	91	177	287.13	131	2,504.34	775	2,207.25	1,083	4,998.72
40	6	अध्यात्म			1	1		-		-	5	0.02	5	0.02
41	60	आयुष	19	9	41	69	232	45.89	173	15.18	1,293	530.31	1,698	591.38
42	61	गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन			1	1		-		-	21	10.73	21	10.73
43	65	एमएसएमई	15	6	21	42	47	2.70	31	0.81	128	20.41	206	23.92
44	7	राजस्व	37	30	70	137	308	347.22	276	576.48	1,165	2,285.53	1,749	3,209.24
45	8	परिवहन	3	1	10	14	6	0.58	1	-	40	5.09	47	5.67
46	9	खेल एवं युवा कल्याण	19	8	32	59	68	143.65	24	60.08	182	366.12	274	569.85
						योग	3,234							6,59,251.14

परिशिष्ट 3.6

(कंडिका 3.6.5 में संदर्भित)

आईएफएमआईएस डेटाबेस के भुगतान ट्रांजेक्शन और आईएफएमआईएस एप्लिकेशन से उत्पन्न वाउचर के आधार पर टिप्पणियों का विवरण

अवलोकन	प्रभाव
<p>एक खाता संख्या में दो कर्मचारियों और तीन विक्रेताओं का भुगतान: दो कर्मचारियों (सुरेश रघु, सहायक शिक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी सिलवानी, ईएमपी_कोड: 57318 और कोदुलाल एनए, हेड मास्टर (मिडिल स्कूल), खंड शिक्षा अधिकारी सिलवानी, EMP_CODE: 500154565) और तीन विक्रेताओं (सलीम खान- पार्टी_कोड: 50032964009, तौफीक- पार्टी_कोड: 2000118815145 और सलीम खान- पार्टी_कोड: 2000203185080) के प्रकरण में समान खाता संख्या (31638223218) दिखाई गई थी। उन्हें एक ही खाता संख्या 31638223218 में क्रमशः ₹ 4,72,800, ₹ 2,07,483, ₹ 23,400, ₹ 12,800 और 30,435 का भुगतान किया गया। हालांकि, विभिन्न आईएफएससी कोड (एसबीआईएन000544 और एसबीआईएन0010504) को डेटाबेस तालिका में आईएफएमआईएस से उत्पन्न वाउचर विवरण रिपोर्ट में दर्शाया गया था।</p> <p>एक खाता संख्या में एक कर्मचारी और एक विक्रेता का भुगतान: एक कर्मचारी श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, फॉरेस्टर, डीएफओ (पूर्व प्रादेशिक, छिंदवाड़ा (ईएमपी_कोड: 500317195) और एक विक्रेता लक्ष्मी ट्रेडर्स (पार्टी_कोड: 2000202621509) के पास अलग-अलग आईएफएससी कोड के साथ 1415602135 समान खाता संख्या है और 17-02-2021 को इन दोनों पक्षों को क्रमशः ₹ 11,685 और ₹ 57,880 का भुगतान एक ही खाता संख्या 1415602135 में किया गया था। हालांकि, विभिन्न आईएफएससी कोड (सीबीआईएन0280750 और सीबीआईएन0284170) को डेटाबेस तालिका में आईएफएमआईएस से उत्पन्न वाउचर विवरण रिपोर्ट में दर्शाया गया था।</p> <p>एक खाता संख्या में दो कर्मचारियों का भुगतान: हेमराज कबीर पंथी, EMP_CODE: 5001047743 (पार्टी_कोड), एक प्राथमिक शिक्षक, बी.ई.ओ. गुना और कृष्णा परिहार, ईएमपी_कोड: 5001047962 (पार्टी_कोड) एक प्राथमिक शिक्षक, बी.ई.ओ. गुना का खाता संख्या 06102041008336 (आईएफएससी कोड समान) है और 02-09-2020 को इन दोनों पक्षों को क्रमशः ₹ 31,365 और ₹ 43,090 का भुगतान एक ही खाता संख्या 06102041008336 में किया गया था।</p> <p>एक खाता संख्या में तीन विक्रेताओं का भुगतान: तीन विक्रेताओं राजकुमार (पार्टी_कोड: 2000118815146), विमलेश एए अमरसिंह जीएण्डी (पार्टी_कोड: 50040290698) और छोदू आदिवासी (पार्टी_कोड: 2000159196516) जिनके पास एक खाता संख्या 3308073184 है, उन्हें 22-08-2019 और 18-03-2020 को क्रमशः ₹ 19,500, ₹ 39,000 और ₹ 2,250 का भुगतान किया गया था, लेकिन आईएफएससी कोड (सीबीआईएन0282031, सीबीआईएन0284903 और सीबीआईएन0281596) को अलग-अलग दर्शाया गया।</p>	<p>लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि वास्तविक भुगतान किसे (किस कर्मचारी/विक्रेता को) किया गया था और अलग-अलग आईएफएससी कोड वाले एक खाता संख्या में ट्रांजेक्शन कैसे किया गया।</p> <p>आईएफएमआईएस आंकड़ों में उपर्युक्त विसंगति के कारण लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि वास्तविक भुगतान किसे (कर्मचारी या विक्रेता को) किया गया था और अलग-अलग आईएफएससी कोड वाले एक खाता संख्या में ट्रांजेक्शन कैसे किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि वास्तविक भुगतान किसे (किस कर्मचारी को) किया गया था।</p> <p>आईएफएमआईएस आंकड़ों में उपर्युक्त विसंगति के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि वास्तविक भुगतान किसे (किस पक्ष को) किया गया था और विभिन्न आईएफएससी कोड वाले एक खाता संख्या में ट्रांजेक्शन कैसे किया गया था।</p>

अवलोकन

विभिन्न पार्टी कोड के साथ एक ही पार्टी के नामों के लिए भुगतान एक ही पार्टी के नामों पर अलग-अलग पार्टी कोड के साथ किए गए थे, जिसमें भुगतान की गई राशि, बिल नंबर, चेक नंबर और भुगतान की तारीख समान थी। हालांकि, एक ही खाता संख्या के आईएफएससी कोड अलग-अलग थे।

चूंकि पार्टी का नाम, राशि, बिल नंबर, चेक नंबर, खाता संख्या और भुगतान की तारीख समान थी, इसलिए लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये भुगतान अलग-अलग पार्टियों को किए गए थे या एक ही पार्टी को दोहरे भुगतान किए गए थे। इन मामलों में केवल पार्टी कोड अलग हैं। इसके अलावा अलग-अलग आईएफएससी कोड वाले एक खाता नंबर पर ट्रांजेक्शन कैसे किया गया था।

प्रभाव

विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा वास्तविक पार्टियों के नाम के बारे में जानकारी का पता नहीं लगा सका, जिन्हें भुगतान किया गया था, कैसे एक खाता संख्या के लिए अलग-अलग आईएफएससी कोड प्रासंगिक तालिकाओं में लिए गए थे और आईएफएमआईएस द्वारा उत्पन्न वाउचर विवरण रिपोर्ट में प्रदर्शित किए गए थे।

परिशिष्ट 3.7

(कंडिका 3.6.7 में संदर्भित)

बिलों के प्रसंस्करण के लिए कोषालय कार्यालयों द्वारा संचालित अनधिकृत मुख्य शीर्षों का विवरण

स.क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (कोषालय) संचालित मुख्य शीर्ष का नाम	बिल की शुद्ध राशि (राशि ₹ में)
1	वरि कोषाधिकारी जिला कोषालय भोपाल के लिए अतिरिक्त कोषाधिकारी, (योग)	62,84,25,58,684
	न्याय प्रशासन	16,26,520
	ब्याज भुगतान	15,31,01,30,411
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	46,69,59,76,656
	विविध सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	81,22,40,000
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2,20,70,647
	मुद्रांक और पंजीयन	5,14,450
2	जिला कोषाधिकारी, शिवपुरी, (योग)	5,79,744
	न्याय प्रशासन	43,400
	विविध सामान्य सेवाएं	15,000
	मुद्रांक और पंजीयन	5,21,344
3	जिला कोषाधिकारी, राजगढ़ (योग)	8,199
	मुद्रांक और पंजीयन	8,199
4	जिला कोषाधिकारी, विदिशा (योग)	38,075
	मुद्रांक और पंजीयन	38,075
5	जिला कोषाधिकारी, हरदा (योग)	19,000
	मुद्रांक और पंजीयन	19,000
6	जिला कोषाधिकारी एच बाद (योग)	17,781
	मुद्रांक और पंजीयन	17,781
7	जिला कोषाधिकारी, शाजापुर (योग)	14,292
	मुद्रांक और पंजीयन	14,292
8	जिला कोषाधिकारी, कार्यालय छिन्दवाड़ा म. प्र. (योग)	78,352

स.क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (कोषालय) संचालित मुख्य शीर्ष का नाम	बिल की शुद्ध राशि (राशिरु में)
	मुद्रांक और पंजीयन	78,352
9	जिला कोषाधिकारी, देवास (योग) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य विविध सामान्य सेवाएं	76,074 70,074 6,000
10	जिला कोषाधिकारी, इंदौर (म.प्र.) (योग) मुद्रांक और पंजीयन	4,61,485 4,61,485
11	जिला कोषाधिकारी, जबलपुर (योग) मुद्रांक और पंजीयन	5,64,151 5,64,151
12	जिला कोषाधिकारी, झाबुआ (योग) न्याय प्रशासन मुद्रांक और पंजीयन	96,000 50,900 45,100
13	जिला कोषाधिकारी, खंडवा (योग) मुद्रांक और पंजीयन	51,186 51,186
14	जिला कोषाधिकारी, सिंगरौली (योग) भू-राजस्व मुद्रांक और पंजीयन	75,961 15,575 60,386
15	जिला कोषाधिकारी, बड़वानी (योग) मुद्रांक और पंजीयन	5,000 5,000
16	जिला कोषाधिकारी, ग्वालियर (योग) मुद्रांक और पंजीयन	8,29,689 8,29,689
17	जिला कोषाधिकारी, खरगोन (योग) न्याय प्रशासन	11,87,000 11,87,000
18	जिला कोषाधिकारी, अशोकनगर (योग) मुद्रांक और पंजीयन	36,367 36,367
19	जिला कोषाधिकारी, बुरहानपुर (योग) मुद्रांक और पंजीयन	76,322 76,322

स.क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (कोषालय) संचालित मुख्य शीर्ष का नाम	बिल की शुद्ध राशि (राशिरु में)
20	जिला कोषाधिकारी, सतना (योग) न्याय प्रशासन मुद्रांक और पंजीयन	11,30,435 6,72,600 4,57,835
21	जिला कोषाधिकारी, डिंडोरी (योग) अन्य प्रशासनिक सेवाएं मुद्रांक और पंजीयन	13,410 10,000 3,410
22	जिला कोषाधिकारी, पन्ना (योग) न्याय प्रशासन मुद्रांक और पंजीयन	1,08,440 16,000 92,440
23	जिला कोषाधिकारी, रतलाम (योग) मुद्रांक और पंजीयन	43,207 43,207
24	जिला कोषाधिकारी, सिवनी (योग) मुद्रांक और पंजीयन	19,661 19,661
25	जिला कोषाधिकारी टीकेजी (योग) मुद्रांक और पंजीयन	53,957 53,957
26	जिला कोषाधिकारी, उज्जैन (योग) मुद्रांक और पंजीयन	4,67,000 4,67,000
27	जिला कोषाधिकारी, कटनी (योग) मुद्रांक और पंजीयन	77,100 77,100
28	जिला कोषाधिकारी, मुरेना (योग) मुद्रांक और पंजीयन	69,968 69,968
29	जिला कोषाधिकारी, मंडला (योग) मुद्रांक और पंजीयन	1,27,700 1,27,700
30	जिला कोषाधिकारी, सागर (योग) न्याय प्रशासन सामान्य शिक्षा	1,02,063 42,000 17,000

स.क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (कोषालय) संचालित मुख्य शीर्ष का नाम	बिल की शुद्ध राशि (राशिरु में)
	मुद्रांक और पंजीयन	43,063
31	जिला कोषाधिकारी, बैतूल (योग)	2,18,000
	सामान्य शिक्षा	1,62,000
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	35,000
	मुद्रांक और पंजीयन	21,000
32	उप कोषाधिकारी, स्थानीय बीटीबी (योग)	11,07,500
	न्याय प्रशासन	11,07,500
33	उप कोषाधिकारी, नलखेड़ा, स्थानीय बीटीबी (योग)	2,51,250
	न्याय प्रशासन	6,250
	मुद्रांक और पंजीयन	2,45,000
34	उप कोषाधिकारी, स्थानीय बीटीबी (योग)	19,11,350
	न्याय प्रशासन	17,96,750
	विविध सामान्य सेवाएं	1,14,600
35	जिला कोषाधिकारी, श्योपुर (योग)	21,895
	मुद्रांक और पंजीयन	21,895
36	जिला कोषाधिकारी, अनूपपुर (योग)	7,030
	मुद्रांक और पंजीयन	7,030
37	जिला कोषाधिकारी, जिला आगर मालवा मंत्र (योग)	18,200
	मुद्रांक और पंजीयन	18,200
38	जिला कोषाधिकारी, उमरिया (योग)	10,000
	मुद्रांक और पंजीयन	10,000
39	कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी, स्थानीय बीटीबी (योग)	82,41,530
	न्याय प्रशासन	5,91,750
	उद्योगों	9,600
	विक्री, व्यापार आदि पर कर।	76,40,180
40	कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी, स्थानीय बीटीबी (योग)	1,32,22,45,024

स.क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (कोषालय) संचालित मुख्य शीर्ष का नाम	बिल की शुद्ध राशि (राशिरु में)
	न्याय प्रशासन	3,69,43,952
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	9,31,66,836
	सहकारिता	19,832
	मंत्रिपरिषद	14,31,99,916
	फल पालन	9,750
	जिला प्रशासन	21,68,636
	खाद्य, संग्रहण और भंडारण	6,38,560
	सामान्य शिक्षा	48,17,322
	आवास	67,375
	उद्योग	3,98,000
	ब्याज भुगतान	8,526
	जेल	2,39,831
	श्रम और रोजगार	90,000
	भू-राजस्व	1,42,73,213
	वृहद और मध्यम सिंचाई	13,09,970
	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	18,89,051
	विविध सामान्य सेवाएं	1,62,59,840
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	25,78,20,016
	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	3,69,110
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51,45,846
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	87,200
	अन्य सामाजिक सेवाएं	2,13,000
	पुलिस	22,290
	लोक निर्माण	81,000
	मुद्रांक और पंजीयन	34,11,82,043
	राज्य उत्पाद शुल्क	82,28,331

स.क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (कोषालय) संचालित मुख्य शीर्ष का नाम	बिल की शुद्ध राशि (राशिरु में)
	स्टेशनरी और मुद्रण	30,000
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	38,88,57,936
	वाहनों पर कर	34,50,000
	शहरी विकास	1,06,500
	ग्रामीण और लघु उद्योग	4,86,000
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,65,142
	महायोग	64,18,30,18,082

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.1.6 में संदर्भित)

चपरासी, दफ्तरी और ट्रेक्टर चालक द्वारा सैन्डर किए गए बजट को दर्शाने वाले विवरण

बजट सैन्डर करने की पहचान संख्या	सैन्डर की गई राशि (₹ में)	दिनांक	पद का नाम
चपरासी द्वारा सैन्डर किया गया बजट			
200013761	99,130	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013851	1,35,152	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013881	5,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013853	2,863	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013854	6,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013855	16,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013856	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013857	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013858	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013859	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013860	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013861	12,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013862	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013863	40,563	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013864	15,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013865	10,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013866	50,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013867	11,852	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013868	1,22,029	30-03-21	चपरासी-0000113389

बजट सैंडर करने की पहचान संख्या	सैंडर की गई राशि (₹ में)	दिनांक	पद का नाम
200013869	32,790	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013870	48,159	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013871	50,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013872	9,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013873	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013874	9,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013875	14,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013876	71,009	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013877	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013878	1,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013879	19,826	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013880	68	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013852	10,705	30-03-21	चपरासी-0000113389
200013904	50,000	30-03-21	चपरासी-0000113389
33 अभिलेख	8,49,146		
दफ्तरी द्वारा सैंडर किया गया बजट			
200010623	59,522	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010653	4,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010625	10,390	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010626	19,442	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010627	16,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010628	16,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010629	1,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049

बजट सैंडर करने की पहचान संख्या	सैंडर की गई राशि (₹ में)	दिनांक	पद का नाम
200010630	1,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010631	1,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010632	1,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010633	1,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010634	5,706	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010635	800	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010636	8,040	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010639	16,932	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010640	10,712	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010641	98,947	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010642	17,804	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010643	25,860	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010644	40,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010645	9,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010646	9,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010647	14,400	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010648	2,59,982	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010649	1,000	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010651	4,576	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010652	26,370	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
200010624	43,538	31-03-20	दफ्तरी-0000114049
28 अभिलेख	7,23,021		
ट्रैक्टर चालक द्वारा सैंडर किया गया बजट			

बजट सैंडर करने की पहचान संख्या	सैंडर की गई राशि (₹ में)	दिनांक	पद का नाम
2000203727	35,00,000	30-03-20	ट्रेक्टर चालक-0000292341
2000203728	27,42,000	30-03-20	ट्रेक्टर चालक-0000292341
2000203729	2,00,00,000	30-03-20	ट्रेक्टर चालक-0000292341
2000203733	25,67,000	30-03-20	ट्रेक्टर चालक-0000292341
2000203731	16,78,000	30-03-20	ट्रेक्टर चालक-0000292341
2000203732	50,00,000	30-03-20	ट्रेक्टर चालक-0000292341
2000203730	2,00,00,000	30-03-20	ट्रेक्टर चालक-0000292341
7 अभिलेख	5,54,87,000		

परिशिष्ट 5.1

(कंडिका 5.1.4 में संदर्भित)

खातों को प्रीज करने में दिनों में विलंब

2019-20

कोषालय का नाम / माह वर्ष	अप्रैल-19	मई-19	जून-19	जुलाई-19	अगस्त-19	सितंबर-19	अक्टूबर-19	नवंबर-19	दिसंबर-19	जनवरी-20	फरवरी-20	मार्च-20
आगर मालवा कोषालय	123	91	61	170	370	371	309	279	247	240	324	180
अलीराजपुर कोषालय	0	213	183	153	121	91	63	29	35	159	127	95
अनूपपुर कोषालय	402	373	340	312	281	251	218	188	160	127	97	67
अशोक नगर कोषालय	23	25	23	29	41	35	84	53	60	119	90	115
बालाघाट कोषालय	337	283	276	246	215	184	154	123	93	62	31	122
बड़वानी जिला कोषालय	555	525	496	464	434	404	372	342	313	280	250	223
बैतूल जिला कोषालय	616	582	554	521	484	456	428	399	366	338	308	275
भिंड कोषालय	231	199	169	137	108	79	47	16	84	52	29	157
बुरहानपुर कोषालय	83	179	173	141	109	78	50	386	378	345	315	287
छतरपुर कोषालय	60	30	33	508	476	444	414	383	353	322	291	261
छिन्दवाड़ा कोषालय	116	84	56	23	153	122	88	60	203	173	142	115
दमोह कोषालय	11	0	7	1	21	3	1	40	32	0	7	0
दतिया कोषालय	334	302	272	243	214	183	152	123	91	61	29	78
देवास कोषालय	1	0	0	0	70	62	34	60	25	31	24	5
धार कोषालय	600	569	537	509	477	445	394	383	354	323	295	263
डिंडौरी कोषालय	9	42	46	36	54	34	29	63	35	38	31	97
जिला कोषालय कार्यालय भोपाल	277	245	216	184	145	120	73	63	32	351	326	293
जिला कोषालय कार्यालय निवाड़ी	लागू नहीं	0	232	192	163	134	179					

कोषालय का नाम / माह वर्ष	अप्रैल-19	मई-19	जून-19	जुलाई-19	अगस्त-19	सितंबर-19	अक्टूबर-19	नवंबर-19	दिसंबर-19	जनवरी-20	फरवरी-20	मार्च-20
गुना कोषालय	36	249	217	188	154	126	96	66	367	362	333	304
हरदा कोषालय	31	47	161	129	94	66	36	231	220	191	162	129
होशंगाबाद कोषालय	32	29	90	60	27	27	30	26	36	60	30	159
इंदौर सिटी कोषालय	319	286	257	226	194	161	131	103	69	61	33	124
इंदौर जिला कोषालय	280	246	218	186	154	134	93	64	180	145	117	89
जबलपुर सिटी कोषालय	280	248	219	190	316	280	254	225	192	162	155	125
जबलपुर जिला कोषालय	33	26	40	33	30	29	69	37	39	30	48	54
झाबुआ कोषालय	27	83	54	126	91	63	36	67	37	33	154	125
कटनी कोषालय	607	579	547	517	484	456	427	396	364	334	305	274
खंडवा कोषालय	88	64	25	67	35	89	57	28	21	3	3	7
खरगौन कोषालय	274	245	217	183	152	123	92	60	31	176	164	315
मंडला कोषालय	34	19	31	38	64	56	23	15	7	2	504	504
मंदसौर कोषालय	586	554	525	494	463	397	401	393	361	26	22	47
मुरैना कोषालय	307	273	245	216	183	153	122	91	63	340	340	304
मोतीमहल ग्वालियर कोषालय	95	63	76	68	36	97	97	66	35	267	238	207
नरसिंहपुर कोषालय	606	595	566	535	484	476	443	402	385	350	322	294
नीमच जिला कोषालय	21	31	23	26	19	27	17	29	28	32	28	87
पन्ना कोषालय	90	60	29	57	25	68	38	161	153	121	90	61
रायसेन कोषालय	147	114	85	56	23	68	37	125	117	84	55	27
राजगढ़ कोषालय	98	68	46	365	492	736	715	676	653	621	593	559
रतलाम कोषालय	89	81	50	496	485	456	421	395	365	333	303	274
रीवा कोषालय	19	62	33	122	90	60	30	421	393	360	331	301
सागर कोषालय	620	587	558	528	496	466	435	405	376	343	312	285

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कोषालय का नाम / माह वर्ष	अप्रैल-19	मई-19	जून-19	जुलाई-19	अगस्त-19	सितंबर-19	अक्टूबर-19	नवंबर-19	दिसंबर-19	जनवरी-20	फरवरी-20	मार्च-20
सतना कोषालय	308	269	239	210	177	147	115	85	56	24	16	7
सीधी कोषालय	31	14	35	29	30	32	28	28	48	29	80	70
सीहोर कोषालय	25	96	68	156	121	93	64	34	5	62	33	37
सिवनी कोषालय	484	453	424	393	366	335	279	266	239	204	179	150
शहडोल कोषालय	148	118	87	57	338	286	254	245	215	184	154	124
शाजापुर कोषालय	262	230	201	171	138	110	76	46	279	270	237	209
श्यामपुर कोषालय	87	66	483	453	422	391	360	330	300	271	238	209
शिवपुरी कोषालय	637	608	581	547	512	487	455	421	392	355	329	265
सिंगरौली कोषालय	634	604	574	539	508	478	442	413	392	354	326	296
टीकमगढ़ कोषालय	31	29	29	27	24	86	30	24	40	33	43	33
उज्जैन कोषालय	31	46	39	35	41	80	123	94	64	31	123	95
उमरिया कोषालय	90	60	29	237	206	174	144	114	84	53	29	57
वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल	91	61	46	58	74	67	-272	-302	12	304	276	242
विदिशा कोषालय	2	51	22	44	60	27	55	26	39	145	112	84
विंध्याचल कोषालय	28	30	22	13	7	61	28	6	96	63	33	114

2020-21

कोषालय का नाम	अप्रैल-20	मई-20	जून-20	जुलाई-20	अगस्त-20	सितंबर-20	अक्टूबर-20	नवंबर-20	दिसंबर-20	जनवरी-21	फरवरी-21	मार्च-21
आगर मालवा कोषालय	263	233	203	194	163	131	102	72	40	31	लागू नहीं	लागू नहीं
अलीराजपुर कोषालय	67	38	177	148	116	65	54	22	32	176	145	117
अनूपपुर कोषालय	208	183	153	147	116	85	62	33	104	220	24	24
अशोकनगर कोषालय	49	49	85	56	115	84	54	38	6	29	25	27

कोषालय का नाम	अप्रैल-20	मई-20	जून-20	जुलाई-20	अगस्त-20	सितंबर-20	अक्टूबर-20	नवंबर-20	दिसंबर-20	जनवरी-21	फरवरी-21	मार्च-21
बालाघाट कोषालय	90	59	27	151	120	88	57	27	35	27	लागू नहीं	लागू नहीं
बड़वानी जिला कोषालय	188	161	127	98	65	20	24	27	21	50	27	लागू नहीं
बैतूल जिला कोषालय	249	217	189	154	130	95	67	50	53	23	46	25
भिंड कोषालय	124	97	67	35	26	60	51	10	23	27	21	23
बुरहानपुर कोषालय	251	226	195	164	132	84	61	30	7	182	153	135
छतरपुर कोषालय	231	201	170	140	86	78	60	29	5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
छिन्दवाड़ा कोषालय	75	54	30	30	119	71	59	28	22	3	151	127
दमोह कोषालय	0	0	31	0	0	29	30	22	23	0	54	26
दतिया कोषालय	72	44	9	0	12	56	65	34	2	2	0	0
देवास कोषालय	9	6	29	1	6	5	1	61	32	5	31	3
धार कोषालय	211	206	173	136	106	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डिंडोरी कोषालय	97	71	41	22	33	71	45	29	14	18	12	98
जिला कोषालय कार्यालय भोपाल	244	235	202	173	141	97	83	55	21	23	26	28
जिला कोषालय कार्यालय निवाडी	144	119	75	57	26	70	61	33	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गुना कोषालय	256	241	203	179	147	102	89	59	371	24	20	21
हरदा कोषालय	99	71	38	174	145	114	85	54	30	25	26	लागू नहीं
होशंगाबाद कोषालय	123	96	63	35	61	29	63	32	25	29	22	35
इंदौर सिटी कोषालय	89	60	28	30	146	91	63	26	10	6	7	26
इंदौर जिला कोषालय	35	246	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				
जबलपुर शहरी कोषालय	94	63	31	149	117	86	57	33	25	27	21	26
जबलपुर जिला कोषालय	22	24	28	28	28	33	30	27	0	24	21	26
झाबुआ कोषालय	88	62	32	56	3	11	60	29	21	5	21	83
कटनी कोषालय	239	216	183	154	124	71	66	34	22	26	लागू नहीं	लागू नहीं

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कोषालय का नाम	अप्रैल-20	मई-20	जून-20	जुलाई-20	अगस्त-20	सितंबर-20	अक्टूबर-20	नवंबर-20	दिसंबर-20	जनवरी-21	फरवरी-21	मार्च-21
खंडवा कोषालय	1	1	4	31	0	3	1	2	0	0	0	लागू नहीं
खरगौन कोषालय	71	79	48	17	39	58	47	69	13	50	18	22
मंडला कोषालय	548	504	471	453	424	390	363	328	303	267	244	लागू नहीं
मंडसौर कोषालय	19	212	18	31	21	6	24	23	23	64	22	22
मुरैना कोषालय	271	244	213	182	151	101	90	60	27	85	56	27
मोतीमहल ग्वालियर कोषालय	174	148	116	85	56	77	64	34	25	21	24	27
नरसिंहपुर कोषालय	237	232	202	169	140	85	57	27	0	11	55	लागू नहीं
नीमच जिला कोषालय	46	41	33	32	35	31	36	27	25	22	20	24
पन्ना कोषालय	30	23	59	28	117	83	55	19	28	25	67	59
रायसेन कोषालय	36	41	32	8	99	69	37	22	35	27	22	26
राजगढ़ कोषालय	534	502	473	438	410	380	346	319	287	255	228	लागू नहीं
रतलाम कोषालय	239	214	182	151	122	71	58	28	22	30	54	25
रीवा कोषालय	270	241	211	177	144	99	87	51	24	23	241	214
सागर कोषालय	244	223	190	162	130	82	69	36	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सतना कोषालय	4	26	11	36	33	52	42	28	366	23	0	26
सीधी कोषालय	40	27	183	147	87	90	96	33	1	4	1	36
सीहोर कोषालय	26	27	32	83	54	5	14	32	0	0	3	लागू नहीं
सिवनी कोषालय	113	88	55	176	142	94	87	54	366	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शहडोल कोषालय	94	64	159	150	120	89	59	29	24	27	10	28
शाजापुर कोषालय	177	148	111	84	57	81	68	39	73	44	26	102
श्यामपुर कोषालय	178	148	117	87	56	24	79	48	35	27	24	लागू नहीं
शिवपुरी कोषालय	265	236	202	173	141	103	85	40	4	26	लागू नहीं	लागू नहीं
सिंगरौली कोषालय	263	240	206	177	148	97	65	35	3	8	1	लागू नहीं

कोषालय का नाम	अप्रैल- 20	मई- 20	जून- 20	जुलाई- 20	अगस्त- 20	सितंबर- 20	अक्टूबर- 20	नवंबर- 20	दिसंबर- 20	जनवरी- 21	फरवरी- 21	मार्च- 21
टीकमगाढ कोषालय	27	25	122	32	2	11	26	55	23	27	22	45
उज्जैन कोषालय	62	136	102	73	42	40	47	39	25	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उमरिया कोषालय	54	24	73	43	86	54	34	30	0	25	26	30
वल्लभ भवन कोषालय भोपाल	350	321	267	259	76	29	168	116	106	78	21	26
विदिशा कोषालय	46	27	56	26	123	74	60	11	23	24	16	22
विंध्याचल कोषालय	82	54	21	159	115	82	68	40	7	26	25	3

परिशिष्ट 5.2

(कंडिका 5.1.4 में संदर्भित)

कार्यालय महालेखाकार में खातों को जमा करने के बाद अभिलेखों का अद्यतन किया जाना

फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी_आईडी	फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी_आईडी	मेजर_हेड_टाइटल	लॉक_डेट	एजी_समाप्ति_डेट	अपडेटेड_डेट	टीआरए सआरवा ई_एलओ सी_कोड	पेमेंट_मंथ	पेमेंट_एफआ ईएन_इयर	करंट_स्टेटस	क्रिएट_बाइ_यू_जर_आईडी	टीआरवाय_नेम
200012228	505356	2	2/6/2021	2/5/2021	3/29/2021	18665	1	2021	10	39675	अनूपपुर कोषालय
200011324	504682	2	12/24/2020	4/9/2020	8/30/2021	18393	3	2020	10	500708254	बुरहानपुर कोषालय
20007932	502543	2	1/17/2020	8/9/2019	3/29/2021	17472	7	2019	10	39637	जिला कोषालय कार्यालय, भोपाल
20007947	502558	2	1/17/2020	1/7/2020	3/29/2021	17472	12	2019	10	39637	जिला कोषालय कार्यालय, भोपाल
200012587	505527	2	3/9/2021	3/2/2021	11/24/2021	15182	2	2021	10	500472780	होशंगाबाद कोषालय
200012209	505342	2	2/5/2021	2/3/2021	4/7/2021	13136	1	2021	10	500803970	मंदसौर कोषालय
200011443	504770	2	12/31/2020	4/16/2020	9/16/2021	12775	3	2020	10	500265707	नरसिंहपुर कोषालय
200012466	505466	1	3/5/2021	3/3/2021	9/22/2021	11741	2	2021	10	39614	रीवा कोषालय
200012467	505467	2	3/5/2021	3/3/2021	9/24/2021	11741	2	2021	10	39614	रीवा कोषालय
200012465	505465	1	3/5/2021	2/13/2021	9/22/2021	11741	2	2021	10	39614	रीवा कोषालय
200012968	505647	1	4/8/2021	3/12/2021	9/22/2021	11741	3	2021	10	39614	रीवा कोषालय
200011873	503696	2	9/7/2020	8/5/2020	3/31/2021	11125	8	2020	10	500519110	सतना कोषालय
200010739	504181	1	12/5/2020	4/15/2020	3/31/2021	17470	4	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
20009662	503505	1	8/6/2020	5/14/2020	3/31/2021	17470	5	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
20009663	503506	1	8/6/2020	6/6/2020	3/31/2021	17470	5	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल

फ्रीड_एसीसी_एमएसटी_आईडी	फ्रीड_एसीसी_सी_एमएसटी_आईडी	मेजर_हेड_टाइप	लॉक_डेट	एजी_सममिशन_डेट	अपडेटेड_डेट	टीआरए_सआरवा_ई_एलओ_सी_कोड	पेमेंट_मंथ	पेमेंट_एफआ_ईएन_इयर	करंट_स्टेटस	क्रिएट_बाइ_गू_जर_आईडी	टीआरवाय_नेम
20009666	503509	1	8/6/2020	7/7/2020	3/31/2021	17470	6	2020	10	39672	भोपाल वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
20009665	503508	1	8/6/2020	6/16/2020	3/31/2021	17470	6	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
20009668	503511	1	8/6/2020	7/15/2020	3/31/2021	17470	7	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200010412	503991	1	10/29/2020	8/14/2020	3/31/2021	17470	8	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200010413	503992	1	10/29/2020	9/30/2020	3/31/2021	17470	9	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200010414	503993	1	10/29/2020	10/3/2020	3/31/2021	17470	9	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200011370	504716	1	12/29/2020	10/14/2020	3/31/2021	17470	10	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200011371	504717	1	12/29/2020	11/5/2020	3/31/2021	17470	10	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200011372	504718	1	12/29/2020	11/12/2020	3/31/2021	17470	11	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200011373	504719	1	12/29/2020	12/5/2020	3/31/2021	17470	11	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200011618	504885	1	1/6/2021	12/15/2020	3/31/2021	17470	12	2020	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल
200012193	505327	1	2/4/2021	1/12/2021	3/31/2021	17470	1	2021	10	39672	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी_आईडी	फ्रीज्ड_एसीसी_एमएसटी_आईडी	मेजर_हेड_टाइप	लॉक_डेट	एजी_सममिशन_डेट	अपडेटेड_डेट	टीआरएसआरवाई_एलओसी_कोड	पेमेंट_मंथ	पेमेंट_एफआईएन_इयर	करंट_स्टेटस	क्रिएट_बाइ_गुजर_आईडी	टीआरवाय_नेम
											भोपाल

परिशिष्ट 5.3

(कंडिका 5.1.4 में संदर्भित)

बंद किए खातों की सूचना की अनुपलब्धता का कोषालय-वार विवरण

कोषालय का नाम	जनवरी-21	अक्टूबर-20	नवम्बर-20	दिसम्बर-20	फरवरी-21	मार्च-21	अप्रैल-19	मई-19	जून-19	जून-20	जुलाई-19	जुलाई-20	अगस्त-19	अगस्त-20	सितम्बर-19	सितम्बर-20
आगर मालवा कोषालय					उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
बालाघाट कोषालय					उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
बड़वानी जिला कोषालय						उपलब्ध नहीं										
छतरपुर कोषालय	उपलब्ध नहीं				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
धार कोषालय	उपलब्ध नहीं										उपलब्ध नहीं					
जिला कोषालय कार्यालय, निवाड़ी	उपलब्ध नहीं				उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं									
हरदा कोषालय						उपलब्ध नहीं										
इंदौर कोषालय	उपलब्ध नहीं				उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं					
कटनी कोषालय					उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
खंडवा कोषालय						उपलब्ध नहीं										
मंडला कोषालय						उपलब्ध नहीं										
नरसिंहपुर कोषालय						उपलब्ध नहीं										
राजगढ़ कोषालय						उपलब्ध नहीं										

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कोषालय का नाम	जनवरी-21	अक्टूबर-20	नवम्बर-20	दिसम्बर-20	फरवरी-21	मार्च-21	अप्रैल-19	मई-19	जून-19	जून-20	जुलाई-19	जुलाई-20	अगस्त-19	अगस्त-20	सितम्बर-19	सितम्बर-20
सागर कोषालय	उपलब्ध नहीं			उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
सीहोर कोषालय						उपलब्ध नहीं										
सिवनी कोषालय	उपलब्ध नहीं				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
श्यापुर कोषालय						उपलब्ध नहीं										
शिवपुरी कोषालय					उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
सिंगरौली कोषालय					उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
उज्जैन कोषालय	उपलब्ध नहीं				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं										
योग: 20 कोषालय																

परिशिष्ट 5.4

(कंडिका 5.1.5 में संदर्भित)

सकल राशि से अधिक निवल राशि वाले वाउचर का विवरण

डीडीओ कोड	कोषालय कोड	अनुदान	एमएच सीडी	एमए मसी डी	एमआ ईसी डी	एसए चसी डी	सेगमेंट कोड	ऑब्जेक्ट कोड	वाउचर नं.	सकल राशि	कोषालय कटौतियां	म.ले. कटौतियां	कटौती का योग	निवल व्यय (राशि ₹ में)
0504206001	17472	047	2230	03	003	6477	0101	11	050/2230/042019-20/0044	14,479	0	-31,416	-31,416	45,895
0515002001	17465	055	2235	02	001	9041	9999	11	051/2235/052019-20/0074	4,640	0	-9,528	-9,528	14,168
0905802003	16419	062	2515	00	101	2474	9999	11	090/2515/042019-20/0013	4,265	0	-4,263	-4,263	8,528
0901402003	16419	013	2401	00	001	3733	0101	11	090/2401/042019-20/0001	19,653	0	-37,488	-37,488	57,141
1302506003	15710	049	2225	01	277	4717	0103	11	130/2225/042019-20/0026	66,668	0	-1,234	-1,234	67,902
1302506003	15710	049	2225	01	277	4717	0103	11	130/2225/042019-20/0092	1,39,108	0	-76,521	-76,521	2,15,629
1802506005	14605	049	2225	01	277	1398	0103	11	180/2225/042019-20/0049	16,711	0	-238	-238	16,949
1800704003	14605	008	2029	00	001	6846	9999	11	180/2029/052019-20/0042	10,228	0	-9,018	-9,018	19,246
2801003004	12473	010	2406	02	110	2899	0101	11	280/2406/042019-20/0100	7,058	0	-2,623	-2,623	9,681

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफएमआईएस पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

डीडीओ कोड	कोषालय कोड	अनुदान	एमएच सीडी	एसए मसी डी	एमआ ईसी डी	एसए चसी डी	सेगमेंट कोड	ऑब्जेक्ट कोड	वाउचर नं.	सकल राशि	कोषालय कटौतियां	म.ले. कटौतियां	कटौती का योग	निवल व्यय
3002003010	12147	027	2202	01	101	4396	0101	11	300/2202/072019-20/0397	38,100	-6,000	-	-6,000	44,100
3102903002	11969	039	2408	01	001	0629	9999	11	310/2408/052019-20/0001	26,493	0	-209	-209	26,702
3200704010	11741	008	2029	00	103	1472	9999	11	320/2029/042019-20/0059	1,02,856	0	-83,295	-83,295	1,86,151
3200704010	11741	008	2029	00	103	1472	9999	11	320/2029/042019-20/0058	1,52,501	0	-66,569	-66,569	2,19,070
3200704010	11741	008	2029	00	103	1472	9999	11	320/2029/042019-20/0086	77,342	0	-70,690	-70,690	1,48,032
3200704010	11741	008	2053	00	094	0619	9999	11	320/2053/052019-20/0038	30,984	0	-63,343	-63,343	94,327
3200704010	11741	008	2029	00	103	1472	9999	11	320/2029/052019-20/0063	95,181	0	-7,271	-7,271	1,02,452
3200406004	11741	006	2054	00	098	4361	9999	11	320/2054/052019-20/0020	36,527	0	-9,706	-9,706	46,233
3203102009	11741	023	2701	80	800	2250	0101	19	320/2701/052019-20/0046	59,991	0	-431	-431	60,422
4102003005	9855	027	2202	01	101	4396	0101	11	410/2202/042019-20/0583	7,102	0	-2,348	-2,348	9,450
4400709001	9242	008	2053	00	093	1509	9999	11	440/2053/042019-20/0084	70,697	-832	-	-832	71,529
4403802001	9242	044	2202	03	103	0798	0101	11	440/2202/052019-	12,095	0	-2,273	-2,273	14,368

डीडीओ कोड	कोषालय कोड	अनुदान	एमएच सीडी	एसए मसी डी	एमआ ईसी डी	एसए चसी डी	सेगमेंट कोड	ऑब्जेक्ट कोड	वाउचर नं.	सकल राशि	कोषालय कटौतियां	म.ले. कटौतियां	कटौती का योग	निवल व्यय
									20/0111					

एमएचसीडी: मुख्य शीर्ष, एसएमसीडी: उप मुख्य शीर्ष, एमआईसीडी: लघु शीर्ष, एसएचसीडी: योजना शीर्ष

परिशिष्ट 5.5

(कंडिका 5.2.3 में संदर्भित)

लेखों के प्रपत्रों की सूची

एस. नं.	प्रपत्र और विवरण
1	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 46-क प्रपत्र में राजस्व और पूंजीगत खातों पर प्राप्तियों और वसूलियों की वापसी की अनुसूची
2	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 74, व्यय का वर्गीकृत सार
3	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 64, कार्य व्यय की अनुसूची
4	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 64-ए स्थापना व्यय की अनुसूची
5	प्रपत्र जीएआर 31, समेकित आकस्मिक बिल (आवश्यक वाउचर के साथ)
6	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 61, अनुसूची डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक वाउचर, स्थानांतरण प्रविष्टि आदेश, सर्वेक्षण रिपोर्ट और प्रत्येक से जुड़े विक्री खातों के साथ
7	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 62, प्रतिशत वसूली की अनुसूची
8	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 73, (विक्री खातों के साथ, प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 19, स्टॉक में नकद क्रेडिट के समर्थन में), भंडार खाता,
9	स्टॉक प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 72 के लिए जमा की अनुसूची
10	क्रेडिट, डेबिट और क्रय के शेषों का सस्पेंस रजिस्टर का सार खाता, खाते, फॉर्म सी.पी.डब्ल्यू.ए. 69 और फॉर्म सी.पी.डब्ल्यू.ए. 67
11	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 70, विविध कार्य अग्रिमों की अनुसूची,
12	कार्यशाला सस्पेंस की अनुसूची (स्थानीय प्रपत्र)
13	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 76, विविध लेखा प्रमुखों को साख और जमा की अनुसूची
14	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 76-ए, "उच्चत खातों का नकद निपटान" शीर्षक के तहत समायोजित लेनदेन की अनुसूची,
15	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 69, "एमपीएसएसए" शीर्षक के अंतर्गत लेन-देन को समायोजित करने की अनुसूची,
16	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 77, प्रेषण के लिए साख तथा जमा की अनुसूची,
17	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 51, चेक और प्रेषण के मासिक मिलान की अनुसूची,
18	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 79, जमा राशियों की अनुसूची, (जमा रजिस्टर के फॉर्म सी.पी.डब्ल्यू.ए. 67 का सार)
19	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 65, जमा कार्यों की अनुसूची, (व्यय की प्रगति के प्रतिवेदन के साथ)
20	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 66, कंडिका 16.4.5 में संदर्भित जिलाधिकारी के स्वीकृत प्रमाण पत्रों के साथ तक्रावी कार्यों की अनुसूची

प्रपत्र और विवरण	
एस. नं.	
21	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 13 और 14, उपकरण तथा संयंत्र की प्राप्ति के पत्रकों की प्रतियाँ तथा उपकरण तथा संयंत्र के मॉगपत्र (केवल विशेष उपकरण और संयंत्र के संबंध में)। प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 14 के साथ भंडारों की सहायक सर्वेक्षण प्रतिवेदन संलग्न होनी चाहिए। प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 18, विक्री लेखा, प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 19 तथा अन्य लोक निर्माण विभाग प्रभागों में स्थानांतरित की गई वस्तुओं के संबंध में संबन्धित अधिकारी की पावती शासन के अन्य संभागों के साथ
22	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए.-81 की सार पुस्तिका
23	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए.-65 ए, जमा कार्य पर व्यय को दर्शाने वाला विवरण
24	प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.ए. 83, एएफ को प्रस्तुत खालों की सूची

संक्षेपों की शब्दावली



संक्षेपों की शब्दावली

ए.ए.	प्रशासनिक अनुमोदन
ए.सी.एस.	अतिरिक्त मुख्य सचिव
ए.जी.	महालेखाकार
ए.जी. (ए. एण्ड ई)	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
ए.एम.सी.	वार्षिक संधारण ठेका
ए.एस.सी.	शीर्ष स्टीयरिंग कमेटी
बी.सी.ओ.	बजट नियंत्रण अधिकारी
बी.सी.पी.	विजिनेस कंटिन्यूईटी प्लान
बी.आई.	विजिनेस इंटेलिजेंस
बी.आई.ए.	विजिनेस इंपेक्ट एनाॅलिसिस
बी.पी.आर.	विजिनेस प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग
सी.जी.ए.	महालेखानियंत्रक
सी.आई.एस.ओ.	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
सी.ओ.टी.एस.	कॉमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ
सी.पी.डब्लू.ए.	केंद्रीय लोक निर्माण लेखा
सी-एस.एफ.एम.एस.	केंद्रीकृत राज्य वित्त प्रबंधन प्रणाली
सी.टी.ए.	आयुक्त, कोष एवं लेखा
सी.टी.आर.	समेकित कोषालय प्राप्ति
डी.सी.	डाटा सेन्टर
डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डी.ओ.एफ.	वित्त विभाग
डी.आर.	डाटा रिकवरी
डी.आर.पी.	डिजास्टर रिकवरी प्रबंधन आयोजना
डी.टी.ए.	कोष एवं लेखा संचालनालय
एफ.आर.बी.एम.	वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
एफ.आर.एस.	कार्यात्मक आवश्यकता विशिष्टि
जी.सी.सी	ठेके की सामान्य शर्तें
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
जी.एस.टी.	माल एवं सेवा कर
एच.ओ.ए.	लेखा शीर्ष

एच.ओ.डी.	विभाग प्रमुख
एच.आर.एम.आई.एस.	मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली
आई.एफ.एस.आई.एस.	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली
आई.एफ.एस.सी.	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
आई.जी.ए.एस.	भारत सरकार लेखाकरण मानक
आई.एस.सी.	सूचना सुरक्षा समिति
आई.एस.ओ.	सूचना सुरक्षा अधिकारी
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
एल.ए.एन.	लोकन एरिया नेटवर्क
एल.ओ.पी.	भुगतान की सूची
एम.पी. डब्लू.डी. संहिता	मध्य प्रदेश निर्माण विभाग संहिता
एम.पी.बी.एम.	मध्य प्रदेश बजट संहिता
एम.पी.एफ.सी.	मध्य प्रदेश वित्त संहिता
एम.पी.टी.सी.	मध्य प्रदेश कोषालय संहिता
एम.टी.ई.एफ.	मिडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क
एन.डी.आर.	निकटतम डिजास्टर रिकवरी
एन.ई.जी.पी.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस आयोजना
एन.पी.एस.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एन.एस.डी.एल.	नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
ओ.ए.सी.	ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस प्रमाण पत्र
ओ.ए.टी.	ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्ट्स
ओ.ई.एम.	मूल उपकरण निर्माता
ओ.एल.ए.पी.	ऑनलाइन विश्लेषणात्मक प्रसंस्करण
पी.एम.सी.	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता
पी.एम.यू.	परियोजना प्रबंधन इकाई
आर.एण्ड डी.	प्राप्ति एवं भुगतान
आर.एफ.पी.	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर.पी.ओ.	रिकवरी पाइंट आब्जेक्टिव
आर.टी.ओ.	रिकवरी टाइम आब्जेक्टिव
एस.डी.डी.	सिस्टम डिज़ाइन दस्तावेज
एस.डी.ओ.	सेवा प्रदाय उद्देश्य
एस.एफ.एम.एस.	राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
एस.आई.	सिस्टम इंटीग्रेटर

एस.एल.ए.	सेवा स्तर अनुबंध
एस.ओ.आर.	प्रतियों की अनुसूची
एस.क्यू.एल.	स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज
एस.आर.एस.	सिस्टम आवश्यकता विशिष्टि
टी.सी.एस.	टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेस
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
यू.टी.	केंद्र शासित प्रदेश
यू.टी.आर.	यूनिक लेनदेन संदर्भ
व्ही. ए.	जोखिम मूल्यांकन
व्ही.एल.सी.	वाउचर स्तर कम्प्यूटरीकरण
डब्लू.ए.एन.	वृहद क्षेत्र नेटवर्क

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/en>